दिनांक 18-05-2017 को प्रतिवेदन
सदन में प्रस्तुत किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–5

विषय–सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय–I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	1.2	5
कर निर्धारण के बकाये	1.3	6
विभागों द्वारा पता लगाया गया कर का अपवंचन	1.4	7
लम्बित वापसी वाद	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के निपटारे हेतु प्रणाली का विश्लेषण	1.7	11
विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही	1.8	12
वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लेखापरीक्षा कार्यान्वयन	1.9	12
वर्ष के दौरान सम्पन्न की गयी लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियाँ	1.10	13
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.11	13
अध्याय–II: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	2.1	15
आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	17
''भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन'' की लेखापरीक्षा	2.4	18
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.5	36
खनिज का मूल्य नहीं वसूला जाना	2.6	36
ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी और अनुज्ञा पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया गया	2.7	37
ईंट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी की कम वसूली	2.8	38

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
अध्याय–III: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	39
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	39
"परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की निष्पादन लेखापरीक्षा	3.3	41
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	3.4	71
परमिट में अनियमिततायें	3.5	71
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	3.6	72
वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र	3.7	73
गैर परिवहन यानों (निजी वाहनों) के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना	3.8	75
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण	3.9	75
अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना	3.10	76
अध्याय–IV: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	4.1	79
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	82
"उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली" की लेखापरीक्षा	4.4	83
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	4.5	97
कर का कम/न आरोपण	4.6	98
अर्थदण्ड का अनारोपण	4.7	103
प्रवेश कर	4.8	106
केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0)	4.9	108
ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना	4.10	111
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें	4.11	111
अध्याय–V: स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	5.1	119
आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.2	119
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	120

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर'' की लेखापरीक्षा	5.4	121
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	5.5	135
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	5.6	135
भूमि का अवमूल्यांकन	5.7	136
विक्रय विलेखों का सुधार पत्र के रूप में गलत वर्गीकरण	5.8	137
अध्याय–VI: अन्य कर प्राप्तियाँ		
(अ) मनोरंजन कर विभाग		
कर प्रशासन	6.1	139
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा	6.2	139
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	140
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.4	141
केबल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली	6.5	142
(ब) राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	6.6	143
आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.7	143
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.8	145
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.9	146
दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन फीस तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	6.10	146
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना	6.11	147
नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण किये जाने में विफलता	6.12	148
परिशिष्टियाँ		**153–216**
शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली		**217–220**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्ययों पर की गयी लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2015–16 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; 2015–16 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ''**परिवहन विभाग के कार्य–कलाप**'' की एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 26 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति इत्यादि के न/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 2,895.55 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 1,547.50 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 82.05 लाख की वसूली कर ली गई है। कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 1,93,421.60 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,27,075.94 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 81,106.26 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 23,134.65 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 1,04,240.91 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का केवल 46 प्रतिशत ही उगाह सकी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 1,22,835.03 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 90,973.69 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 31,861.34 करोड़) थी। वर्ष 2015–16 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 47,692.40 करोड़) एवं अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (₹ 1,222.17 करोड़) क्रमशः कर एवं करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे।

(प्रस्तर 1.1)

31 मार्च 2016 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्ष जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, वाहनों पर कर, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग, राज्य आबकारी और मनोरंजन कर से सम्बन्धित बकाया राजस्व ₹ 27,626.04 करोड़ हो गया जिसमें से ₹ 11,864.37 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक से बकाया थे। कुल बकाये में से ₹ 5,508.12 करोड़ की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी, ₹ 4,163.41 करोड़ माननीय न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों की कार्यवाही द्वारा रोके गये थे, ₹ 587.59 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध लम्बित थी और ₹ 1,520.51 करोड़ की वसूली बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 15,457.15 करोड़ के लिये वाणिज्य कर विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित है जबकि शेष ₹ 389.26 करोड़ के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही के बारे में सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

वर्ष 2015–16 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 580 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 3,240.99 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 2,673 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 788 मामलों में ₹ 1,552.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें सन्निहित धनराशि ₹ 1,547.67 करोड़ के 462 मामले वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे। 277 मामलों में ₹ 1.73 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिनमें सन्निहित धनराशि ₹ 84.71 लाख के 50 प्रकरण वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे।

(प्रस्तर 1.10)

II. खनन प्राप्तियाँ

"भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन" की लेखापरीक्षा नें निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित किया:

- उपखनिजों का उत्खनन पर्यावरण मंजूरी (पम) के बिना किया गया था जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि पाँच पट्टाधारकों और 2,909 ईंट भट्टा मालिकों को बिना किसी पम के खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी, 30 पट्टाधारकों को पम में अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी एवं 40 पट्टाधारकों द्वारा 191.77 एकड़ की पट्टा भूमि में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था। अग्रेतर, इन उल्लंघनों के लिए शासन ने खनिजों का मूल्य धनराशि ₹ 179.57 करोड़ वसूल नहीं किया।

(प्रस्तर 2.4.5 से 2.4.9)

- 58 पट्टाधारकों के मामलों में खनन योजना को दाखिल करने एवं अनुमोदन की आवश्यकता की उपेक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त 15 पट्टाधारकों को खनन योजना का नवीनीकरण कराये बिना खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति दी गयी थी तथा 12 पट्टाधारकों को खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से बहुत अधिक खनिज के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी। इस प्रकार, खनन नियामकों का खनन की पर्यावरणीय संवेदी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं था एवं दुर्लभ संसाधनों को निर्विवाद रूप से दोहन की अनुमति दी गयी। शास्ति ₹ 282.22 करोड की वसूली के द्वारा भी इस उल्लंघन की भरपाई नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.4.11)

- विभाग ने अनिवार्य त्रैमासिक विवरण के प्रस्तुतीकरण, दरों के संशोधन से रायल्टी के अन्तर की वसूली, खनिजों के मूल्य का आकलन करना एवं रायल्टी/अपरिहार्य भाटक आदि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुश्रवण नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने तथ्यों की विरुद्ध जाँच नहीं किया जिससे अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन हुआ। इस प्रकार, शासन राजस्व ₹ 477.93 करोड़ से वंचित रहा।

(प्रस्तर 2.4.12 से 2.4.17)

III. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

"परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की एक निष्पादन लेखापरीक्षा नें निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित किया:

- नवम्बर 2009 एवं मार्च 2016 के मध्य 26,592 चार पहिया हल्के माल वाहनों और स्कूल मैक्सी कैब पर एकबारीय कर ₹ 26.79 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.3.9 एवं 3.3.10)

- नवम्बर 2009 एवं मार्च 2016 के मध्य नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं शास्ति

₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया और उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त कर ₹ 360.33 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.3.14)

- फरवरी 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 9,942 वाहनों पर अर्थदण्ड सम्मिलित करते हुये ₹ 4.56 करोड़ स्वस्थता शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। ऐसे वाहनों के संचालन ने लोक सुरक्षा से भी समझौता किया।

(प्रस्तर 3.3.15)

- विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण अप्रैल 2012 एवं मार्च 2016 के मध्य ₹ 109.06 करोड़, दुर्घटना पीड़ितों के लिये जमा नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3.3.17)

- अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2016 के मध्य ठेका एवं मंजिली वाहनों पर परमिट शर्तो के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.76 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 3.3.18)

- जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा 839 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों जिनको अधिक भार लदान के लिये बन्द किया गया था के प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.3.19)

- परिवहन कार्यालयों के पास प्र0नि0प्र0 के साथ या बिना प्र0नि0प्र0 के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना न होने के साथ ही साथ वाहनों के प्रदूषण की जाँच के लिये आधारभूत संरचना की कमी थी।

(प्रस्तर 3.3.22)

- 12,41,085 वाहन सन्निहित मूल्य धनराशि ₹ 43,564.38 करोड़ बैंकों में बंधक थे। विभाग द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार शासन ₹ 162.70 करोड़ की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

(प्रस्तर 3.3.26)

- क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया था। स्वीकृत पदों के सापेक्ष अनुषंगिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप कार्य की अधिकता थी और राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 3.3.29 एवं 3.3.31)

नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 84 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्रों के संचालित 6,304 वाहनों पर शास्ति के साथ ₹ 2.88 करोड़ का स्वस्थता शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। ऐसे वाहनों का संचालन जन सुरक्षा से भी समझौता था।

(प्रस्तर 3.7.1)

विभाग नें विभिन्न श्रेणियों के अधिक भार लदान के जब्त वाहनों के 591 मामलों पर कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 3.9)

IV. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली " की लेखापरीक्षा नें निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित किया:

- बकाये की धनराशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 16,665.41 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 27,188.58 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 63.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

(प्रस्तर 4.4.5.1)

- माँग पत्र के तामील न कराये जाने अथवा असामान्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण 979 मामलों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ का बकाया सन्निहित था की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.4.7.1)

- अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये 604 रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण ₹ 233.60 करोड़ का देय बिना वसूली के रहा।

(प्रस्तर 4.4.9)

- दावों को विलम्ब से दाखिल किये जाने एवं शासकीय समापक (शा0स0) के साथ अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ की देयता बिना वसूली के रह गयी।

(प्रस्तर 4.4.12)

50 वा0क0का0 से सम्बन्धित 69 व्यापारियों के मामलों में 2008–09 से 2012–13 की अवधि में कर की गलत दर को लागू करने के कारण अर्थदण्ड के साथ ₹ 5.66 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ था।

(प्रस्तर 4.6)

50 वा0क0का0 से सम्बन्धित 74 व्यापारियों के मामलों में 2007–08 (वैट) से 2013–14 की अवधि मे टर्नओवर के छिपाये जाने, कर के विलम्ब से जमा किये

जाने एवं गलत खरीद पर ₹ 6.23 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.7)

14 वा0क0का0 से सम्बन्धित 23 व्यापारियों के मामलों में 2009–10 से 2012–13 की अवधि मे सही दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किये जाने एवं क्रय पर प्रवेश कर में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के प्रवेश कर का कम/ अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.8)

आठ वा0क0का0 से सम्बन्धित आठ व्यापारियों के मामलों में 2006–07 से 2012–13 की अवधि में स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 2.17 करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.10)

35 वा0क0का0 से सम्बन्धित 45 व्यापारियों के मामलों में 2009–10 से 2012–13 की अवधि में आई0टी0सी0 दावों में ₹ 3.29 करोड़ की अनियमिततायें जैसे अनियमित/ अननुमन्य आई0टी0सी0 के दावे, अधिक दावे, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना, अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि थीं।

(प्रस्तर 4.11)

V. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर" की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित किया:

सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की अपेक्षित विशिष्टियों (सा0अ0वि0) का अभाव, सॉफ्टवेयर विकास एजेन्सी द्वारा विलम्ब से निष्पादन, उ0नि0का0 के मध्य पार्श्व संयोजन तथा ऑनलाइन भेंट नियत करने एवं दस्तावेज को प्रस्तुत करने के प्रावधानों जैसी कमियाँ थीं।

(प्रस्तर 5.4.5)

उ0नि0का0 द्वारा सॉफ्टवेयर में खोज उपयोगिता का प्रयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भूमि का कृषि दर पर मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹ 3.16 करोड़ का तथा भूमि के अवमूल्यन के कारण ₹ 1.72 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.4.8)

विभाग के पास अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति, पहुँच नियंत्रण प्रणाली एवं प्रेरणा के सही तरह से प्रयोग एवं प्रवर्तन के लिये आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था।

(प्रस्तर 5.4.9)

विभाग सी0आर0के0ए0 की जाँच, ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों का समय सीमा से लॉक किया जाना तथा ई–स्टाम्प के माध्यम से उ0नि0का0 वार एकत्र किये गये राजस्व का विवरण जैसे उ0प्र0 ई–स्टाम्पिंग नियमों के अनुपालन में विफल रहा।

(प्रस्तर 5.4.11)

3.55 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि को गलत ढंग से कृषि दर पर ₹ 40.64 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 149.15 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम अरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.6)

आवासीय घोषित 55,679 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय दर पर ₹ 19.56 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 4.84 करोड़ में निबन्धित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.79 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.7)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

राज्य आबकारी

अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं जमा की गयी। इस विफलता के लिए दो जि0आ0का0 में 1,007 मामलों में व्यवस्थापन का निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के समपहरण की कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं प्रारम्भ की गयी थी।

(प्रस्तर 6.10)

तेईस जि0आ0का0 द्वारा 364 अनुज्ञापियों पर एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन शुल्क आरोपित नहीं किया गया जिससे वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान शासन ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

(प्रस्तर 6.11)

अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी 1.1.1** में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	52,613.43	58,098.36	66,582.08	74,172.42	81,106.26
	• करेतर राजस्व	10,145.30	12,969.98	16,449.80	19,934.80	23,134.65
	योग	**62,758.73**	**71,068.34**	**83,031.88**	**94,107.22**	**1,04,240.91**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	50,350.95	57,497.86	62,776.70	66,622.91	90,973.69[1]
	• सहायता अनुदान	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34
	योग	**68,110.97**	**74,835.65**	**85,181.87**	**99,314.38**	**1,22,835.03**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,30,869.70**	**1,45,903.99**	**1,68,213.75**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**48**	**49**	**49**	**49**	**46**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व (₹ 1,04,240.91 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,075.94 करोड़) का 46 प्रतिशत था। 2015–16 के दौरान शेष 54 प्रतिशत की प्राप्तियाँ भारत सरकार से थीं।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में मुख्य लेखा शीर्षक अ–कर राजस्व के अन्तर्गत–0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

चार्ट 1.1

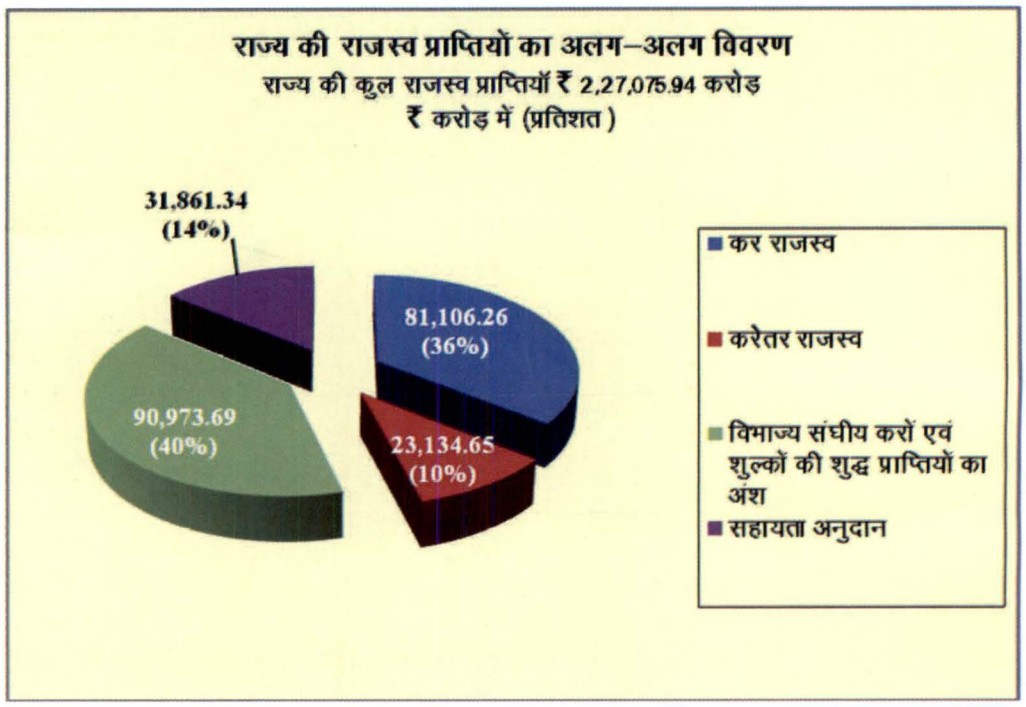

1.1.2 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी 1.1.2** में दिये गये हैं:

सारणी 1.1.2
उगाहे गये कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	की तुलना में वर्ष 2015–16 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2015–16 के ब0अ0	2014–15 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	32,000.00 33,107.34	38,492.18 34,870.16	43,936.00 39,645.45	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	(–) 9.45	(+) 11.09
2	राज्य आबकारी	8,124.08 8,139.20	10,068.28 9,782.49	12,084.00 11,643.84	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	(–) 19.52	(+) 4.46
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	6,612.00 7,694.40	9,308.00 8,742.17	10,555.00 9,520.92	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	(–) 16.39	(+) 5.09
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	2,329.95 2,380.67	3,093.90 2,993.96	3,713.00 3,442.01	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	(–) 5.31	(+) 16.14
5	अन्य[2]	1,268.12 1,291.80	1,094.68 1,709.58	1,905.00 2,329.86	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	(+) 11.81	(+) 16.63
योग		**50,334.15** **52,613.41**	**62,057.04** **58,098.36**	**72,193.00** **66,582.08**	**80,997.93** **74,172.42**	**91,915.00** **81,106.26**	**(–) 11.76**	**(+) 9.35**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

[2]अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, मनोरंजन कर एवं दाँव कर।

चार्ट 1.2

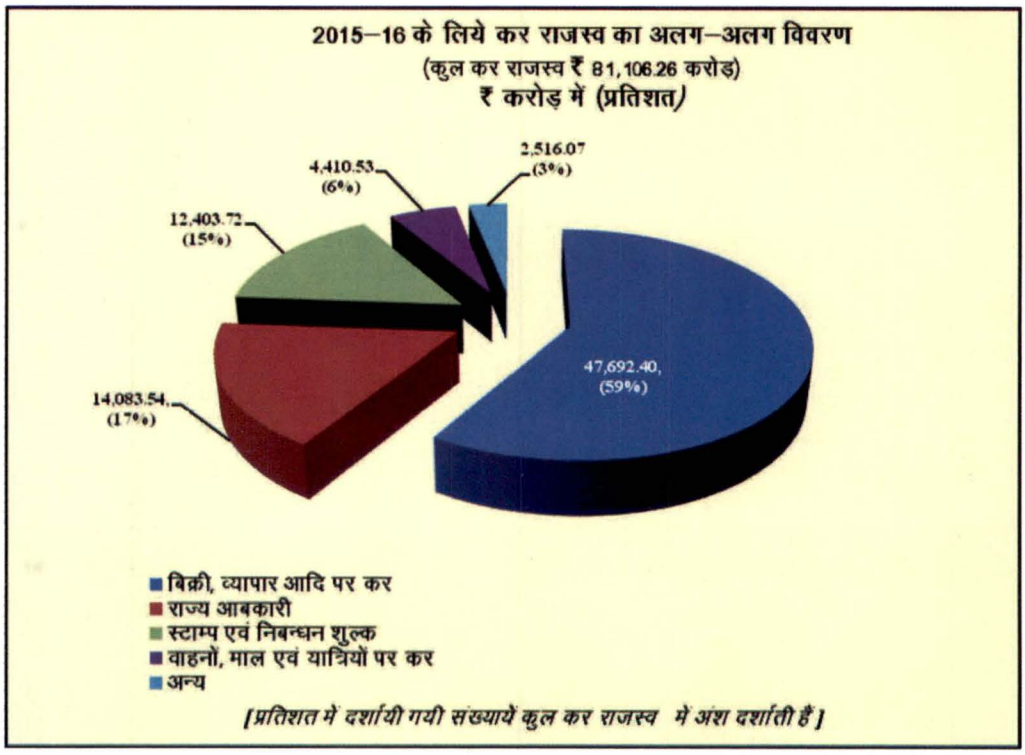

सारणी 1.1.2 से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य भिन्नता (–) 19.52 और (+) 11.81 प्रतिशत के मध्य एवं 2014–15 और 2015–16 के वास्तविक के मध्य भिन्नता (+) 4.46 से (+) 16.63 प्रतिशत के मध्य थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस एवं सीमेन्ट के मूल्य में कमी के कारण बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि का कारण[3] बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियों के अधिक संग्रह के कारण थी।

राज्य आबकारी विभाग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, मुख्यतः इस राज्य की तुलना में नजदीकी राज्यों में अपेक्षाकृत उपकर, प्रतिफल फीस एवं मदिरा के मूल्य का कम होना बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि, देशी स्प्रिट एवं माल्ट मदिरा आदि के मद में अधिक राजस्व की वसूली के कारण[4] थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, जनता द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रीयल इस्टेट में कम रुचि लेना बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति, वार्षिक दर सूची में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से अधिक थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी बजट अनुमान एवं प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में भिन्नता के कारणों को सूचित नही किया (अक्टूबर 2016)।

1.1.3 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारणी 1.1.3** में दर्शाये गये हैं:

[3] वित्त लेखे के अनुसार।
[4] वित्त लेखे के अनुसार।

सारणी 1.1.3
उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	की तुलना में वर्ष 2015–16 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2015–16 के ब0अ0	2014–15 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवाये	4,216.01 4,035.23	3,264.23 4,494.11	2,970.98 3,194.28	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	(+) 3.67	(–) 22.67
2	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	3,000.00 2,008.55	5,410.00 4,211.69	5,852.75 6,414.09	6,887.18 5,798.52	7,600.00 10,652.08	(+) 40.16	(+) 83.70
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	900.00 593.28	954.00 722.13	1,000.00 912.52	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	(–) 18.52	(+) 18.72
4	बिजली	180.00 76.83	90.00 72.80	270.00 1,060.81	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	(–) 51.03	(+) 36.61
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[5]	3,815.55 3,431.41	4,455.59 3,469.25	3,088.75 4,868.10	5,506.96 5,738.58	5,062.32 4,989.01	(–) 1.45	(–)13.06
	योग	**12,111.56** **10,145.30**	**14,173.82** **12,969.98**	**13,182.48** **16,449.80**	**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**(+) 6.93**	**(+) 16.05**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

चार्ट 1.3

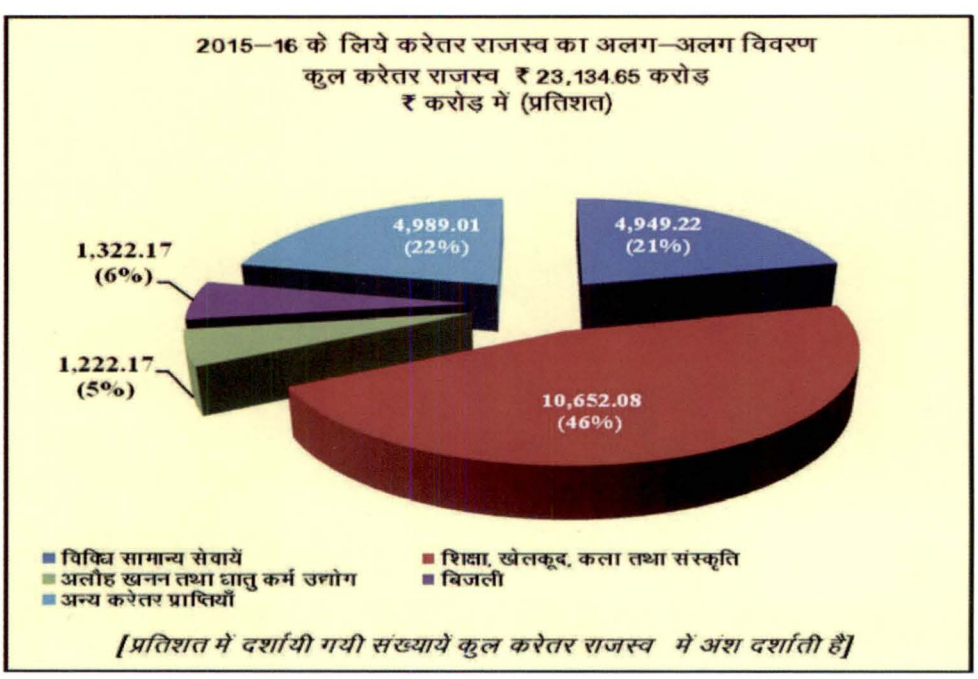

[5]अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं:
अन्य राजकोषीय सेवाये, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, लेखन तथा मुद्रण सामग्री, लोक निर्माण कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति तथा सफाई, आवास, शहरी विकास, सूचना तथा प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाएं, फसल कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, वानिकी तथा वन्य प्राणि, कृषि एवं अनुसन्धान एवं शिक्षा, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्य सिचाई, मध्यम सिचाई, लघु सिचाई, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्राम तथा लघु उद्योग, उद्योग, अन्य उद्योग, नागर विमानन, सड़क तथा सेतु, सड़क परिवहन, पर्यटन, सिविल पूर्ति तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

सारणी 1.1.3 से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविक में भिन्नता (–) 51.03 और (+) 40.16 प्रतिशत के मध्य एवं 2014–15 और 2015–16 के वास्तविक के मध्य भिन्नता (–) 22.67 से (+) 83.70 प्रतिशत के मध्य थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, रायल्टी की दरों में पुनरीक्षण और रेत/मौरंग का खनन जो कि माननीय उच्च न्याालय द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्ति में वृद्धि का कारण रायल्टी की दरों में वृद्धि तथा प्रवर्तन द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को सूचित नही किया (अक्टूबर 2016)।

1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2016 तक के कुछ मुख्य राजस्व शीर्षो का बकाया ₹ 27,626.04 करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,864.37 करोड़ का बकाया पाँच वर्षो से अधिक का था, जैसा कि **सारणी 1.2** में वर्णित है:

सारणी 1.2
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	27,188.58	11,804.32	₹ 27,188.58 करोड़ में से ₹ 4,270.19 करोड़ की माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया; ₹ 1,195.28 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 4,122.26 करोड़ की वसूलियाँ न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों एवं शासन द्वारा स्थगित की गयी थीं, ₹ 587.59 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध थी, ₹ 1,514.74 करोड़ की वसूली हेतु माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 41.37 करोड़ ट्रान्सपोर्टरो से बकाया थे। शेष ₹ 15,457.15 करोड़ की धनराशि हेतु, विभाग में विशेष कार्यवाही की जा रही है।
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	243.76	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही थे। विभाग उन चरणों को जिसके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।
3.	वाहनों पर कर	118.11	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	₹ 118.11 करोड़ में से ₹ 13.98 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों एवं शासन द्वारा स्थागित की गयी थी। पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नही थे।
4.	राज्य आबकारी	52.72	52.25	₹ 52.72 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया धनराशि हेतु माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित की गयी थी। ₹ 52.72 करोड़ मे से ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 16.81 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 5.77 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी।
5.	मनोरंजन कर	22.87	7.80	₹ 22.87 करोड़ में से ₹ 10.36 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थागित की गयी थी तथा ₹ 12.51 करोड़ की माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी।
6.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	विभाग के पास निदेशालय स्तर पर बकाये के विवरण उपलब्ध नही थे।
योग		**27,626.04**	**11,864.37**	

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

चार्ट 1.4

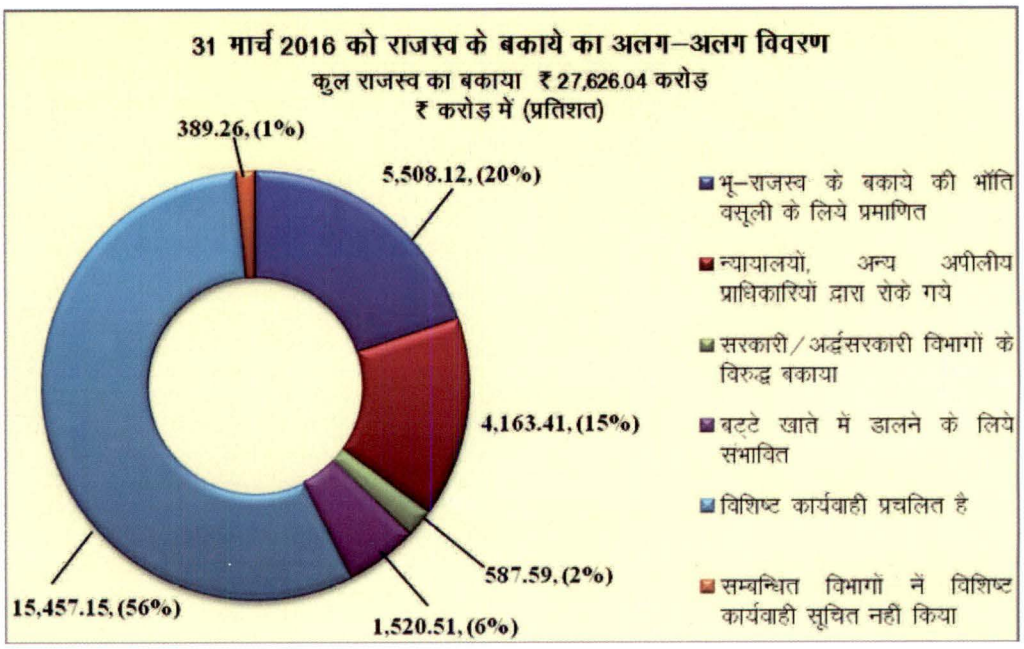

कुल बकाया ₹ 27,626.04 करोड़ में से ₹ 5,508.12 करोड़ भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था, ₹ 4,163.41 करोड़ न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोके गये थे, ₹ 587.59 करोड़ सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के विरुद्ध लम्बित था, ₹ 1,520.51 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 15,457.15 करोड़ के लिये वाणिज्य कर विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित है जबकि शेष ₹ 389.26 करोड़ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया।

1.3 कर निर्धारण के बकाये

वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर (बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा संकर्म संविदा पर कर) के सम्बन्ध में प्रदान किये गये विवरण के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामले, कर निर्धारण हेतु नये मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार **सारणी 1.3** में है।

सारणी 1.3
कर निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	2015–16 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामले	कर निर्धारण हेतु कुल मामले	2015–16 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले	निस्तारण की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	66,261	2,21,963	2,88,224	2,79,019	9,205	96.81

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

निस्तारण की प्रतिशतता अच्छी थी परन्तु प्रकरणों के उसी वर्ष निस्तारण के लिये प्रयास किये जाने चाहिये जिससे बकाये उत्पन्न न हों।

1.4 विभागों द्वारा पता लगाया गया कर का अपवंचन

वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर के अपवंचन के मामले एवं विभाग द्वारा निस्तारित किये गये एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँगों के मामलों का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, **सारणी 1.4** में दिया गया है।

सारणी 1.4
कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को लम्बित मामले	2015–16 के दौरान पता लगाये गये मामले	योग	मामलों की संख्या जिनमें कर निर्धारण/जाँच पड़ताल पूरी कर ली गयी है तथा अर्थदण्ड आदि सहित अतिरिक्त माँग सृजित हुई		31 मार्च 2016 को निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	माँग की धनराशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,003	6,682	15,685	6,788	2,374.25	8,897
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	18,831	31,127	49,958	32,047	अनुपलब्ध	17,911
3.	वाहनो पर कर	5,358[6]	297	5,655	10	0.27	5,645
4.	मनोरंजन कर	17	13	30	30[7]	0.04	0
	योग	**33,209**	**38,119**	**71,328**	**38,875**	**2,374.56**	**32,453**

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी के देखने से पता चलता है कि वाहनों पर कर के मामलों के अतिरिक्त वर्ष के अन्त में निस्तारण के लिये लम्बित मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुयी, लेकिन लम्बित मामलों में घटाव बहुत धीमा था।

1.5 लम्बित वापसी वाद

वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में लम्बित वापसी वादो की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत वापसी और वर्ष 2015–16 के अन्त में लम्बित वादो, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा बताया गया, **सारणी 1.5** में दिया गया है।

सारणी 1.5
लम्बित वापसी वादो का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	बिक्री कर/मू0सं0क0		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ मे लम्बित दावे	171	27.88	02	1.83
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	9,761	731.49	0	0
3.	वर्ष के दौरान की गयी वापसी	9,814	754.44	0	0
4.	वर्ष के अन्त में शेष लम्बित वाद	118	4.93	02	1.83

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

[6] विभाग नें बताया कि पूर्व में सूचित 01.04.2015 को आरम्भिक अवशेष के आँकड़े अन्तरिम थे और संशोधित कर दिये गये हैं।

[7] इसमें विगत वर्ष के 17 मामले सम्मिलित हैं जिनमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

उत्तर प्रदेश मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तक अतिरिक्त धनराशि की वापसी व्यापारी को नहीं की जाती हैं, तो वापसी किये जाने तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। यद्यपि बिक्री कर/मू0सं0क0 के वापसी वादो के निपटाये जाने की प्रगति अपेक्षाकृत ठीक थी परन्तु वर्ष के अन्त में वापसी का लम्बित होना ब्याज के भुगतान के लिये दायी है। वर्ष के दौरान राज्य आबकारी विभाग में विगत वर्ष से लम्बित दावों की वापसी नहीं हुयी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा, संव्यवहारों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है, जैसा कि नियमों एवं कार्यविधियों में निर्धारित है। ऐसा निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिनका स्थल पर समाधान नही हो पाता है, को शामिल करने वाले निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) से अनुगमित होता है जिन्हें निरीक्षण किये गये कार्यालयों के प्रमुखों के साथ–साथ उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतियों के साथ, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्गत किया जाता है। कार्यालयों के प्रमुखों/शासन को नि0प्र0 में शामिल आपत्तियों का तात्कालिक अनुपालन तथा कमियों एवं त्रुटियों का सुधार कर नि0प्र0 जारी होने के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या, प्रारम्भिक उत्तर के साथ महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि जून 2016 के अन्त तक 11,616 नि0प्र0 से सम्बन्धित ₹ 6,977.03 करोड़ की सन्निहित धनराशि के 39,256 लेखापरीक्षा प्रेक्षण लम्बित थे जैसा कि विगत दो वर्षो के तदनुरूपी आँकड़ो के साथ **सारणी 1.6** में नीचे वर्णित है।

सारणी 1.6
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निस्तारण के लिए लम्बित नि0प्र0 की संख्या	11,104	10,899	11,616
लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	34,446	38,049	39,256
सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	6,816.69	6,813.44	6,977.03

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.6.1 30 जून 2016 को लम्बित विभागवार नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के विवरण **सारणी 1.6.1** में वर्णित हैं:

सारणी 1.6.1
विभागवार नि0प्र0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,191	22,796	3,573.00
		मनोरंजन कर	163	344	15.25
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकरी	1,161	2,260	1,075.62
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,253	4,885	812.09
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,680	8,147	740.45
5	भू–तत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	168	824	760.62
योग			**11,616**	**39,256**	**6,977.03**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2015–16 के दौरान निर्गत 631 नि0प्र0 का यहाँ तक कि प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से नि0प्र0 के निर्गत करने के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। नि0प्र0 का उत्तर प्राप्ति न होने के कारण अधिक संख्या में लम्बित रहना इस तथ्य का द्योतक है, कि कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागों ने नि0प्र0 में महालेखाकार द्वारा बतायी गयी कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नही की थी।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नि0प्र0 तथा नि0प्र0 के प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा इसमें तेजी लाने के लिये सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण **सारणी 1.6.2** में वर्णित हैं।

सारणी 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23	72	2.11
2.	वाहनों पर कर	02	53	0.24
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	01	76	1.33
4.	मनोरंजन कर	01	19	0.12
योग		**27**	**220**	**3.80**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठकों के आयोजित होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग तथा मनोरंजन कर विभाग में बड़ी मात्रा में लम्बित नि0प्र0 एवं प्रस्तरों की तुलना में प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति नगण्य थी। राज्य आबकारी विभाग तथा भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन नहीं किया।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली खोजने तथा लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के आयोजन पर विचार करना चाहिए ।

1.6.3 लेखापरीक्षा को जाँच हेतु अप्रस्तुत अभिलेख

कर राजस्व/करेतर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त पहले बना लिया जाता है तथा सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा जाँच हेतु तैयार रखने योग्य बनाने के लिये लेखापरीक्षा प्रारम्भ होने के सामान्यतया एक माह पहले विभागों को सूचनायें भेज दी जाती हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान 29 वाणिज्य कर कार्यालयों में डीम्ड मामलों की सूची, कर निर्धारण पत्रावलियाँ, विवरणियाँ, वापसियों के रजिस्टर और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा इन मामलों में सम्मिलित धनराशि का निश्चय नहीं कर सका।

1.6.4 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख प्रस्तरों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु भेजा जाता है और छः सप्ताह के अन्दर उनसे उनकी प्रतिक्रिया भेजने हेतु अनुरोध किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रस्तरो के अन्त में विभागों/शासन से उत्तरों के प्राप्त न होने का तथ्य निश्चित रूप से दर्शाया जाता है।

मई 2016 और जुलाई 2016 के मध्य एक निष्पादन लेखा परीक्षा सहित 26 आलेख प्रस्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को उनके नाम से भेजे गये थे। शासन/विभाग के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों मे अत्यधिक विलम्ब किया गया। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल 214 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 30 मई 2012 और 08 मार्च 2016 के मध्य राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा गया। इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभागो द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ देर से प्राप्त हुईं। 2010–11 से 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 214 प्रस्तरों के विरुद्ध 129 प्रस्तरों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एक माह से 43 माहों तक के विलम्ब से प्राप्त हुयीं। 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 85 प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नही हुयीं (अक्टूबर 2016)।

लो0ले0स0 ने 2010–11 से 2013–14 के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 96 चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की। यद्यपि लो0ले0स0 के 96 प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नही हुयी जैसा कि **सारणी 1.6.3** में दर्शित है।

सारणी 1.6.3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर का0आ0 की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष	विभाग का नाम	योग
2010–11	राज्य आबकारी, परिवहन और स्टाम्प एवं निबंधन, बॉट एवं माप	17
2011–12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भू–तत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/वन, बॉट एवं माप	54
2012–13	राज्य आबकारी, परिवहन, भू–तत्व एवं खनिकर्म, बॉट एवं माप	18
2013–14	राज्य आबकारी, वाणिज्य कर	07
	योग	**96**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के निपटारे हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये मुद्दों के विभागों/शासन द्वारा समाधान हेतु प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, परिवहन विभाग से सम्बन्धित पिछले 10 वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये प्रस्तरों पर की गयी कार्यवाही मूल्यांकित की गयी थी एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष 0041 एवं 0042 के अधीन परिवहन विभाग के निष्पादन और विगत 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामलों तथा साथ ही वर्ष 2006–07 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और 31 मार्च 2016 तक की उसकी स्थिति के विवरण निम्न **सारणी 1.7.1** में सारणीबद्ध हैं।

सारणी 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान अभिवृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम शेष		
		नि0प्र0	प्रस्तर	धनराशि	नि0 प्र0	प्रस्तर	धनराशि	नि0 प्र0	प्रस्तर	धनराशि	नि0प्र0	प्रस्तर	धनराशि
1	2006–07	904	2,710	102.72	61	171	9.22	1	4	0.01	964	2,877	111.93
2	2007–08	964	2,877	111.93	67	295	11.35	6	12	0.10	1,025	3,160	123.18
3	2008–09	1,025	3,160	123.18	74	245	107.19	208	546	10.73	891	2,859	219.65
4	2009–10	891	2,859	219.65	78	360	25.74	39	111	11.15	930	3,108	234.24
5	2010–11	930	3,108	234.24	60	183	8.34	132	610	15.57	858	2,681	227.01
6	2011–12	858	2,681	227.01	71	510	87.47	4	24	0.39	925	3,167	314.09
7	2012–13	925	3,167	314.09	80	744	170.80	0	5	0.12	1,005	3,906	484.77
8	2013–14	1,005	3,906	484.77	78	733	327.22	7	114	1.77	1,076	4,525	810.22
9	2014–15	1,076	4,525	810.22	60	575	57.88	0	6	0.20	1,136	5,094	867.90
10	2015–16	1,136	5,094	867.90	66	526	28.95	0	53	0.24	1,202	5,567	896.61

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

शासन पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग और महालेखाकार कार्यालय के मध्य लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों का आयोजन कराता है। जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 01 अप्रैल 2006 को 2,710 प्रस्तरों के साथ लम्बित 904 नि0प्र0 31 मार्च 2016 को बढ़कर 5,567 प्रस्तरों के साथ 1,202 नि0प्र0 लम्बित हो गये। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कदम नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप लम्बित नि0प्र0 और प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों जिनको परिवहन विभाग ने स्वीकार किया एवं वसूल की गयी धनराशि की स्थिति **सारणी 1.7.2** में वर्णित है।

सारणी 1.7.2
स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का वर्ष	शमिल किये गये प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की संख्या	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2005–06	3	1.73	3	1.30	1.18
2006–07	2	6.11	0	0	0
2007–08	2	82.02	1	30.62	16.12
2008–09	4	5.80	4	1.48	0.38
2009–10	6	15.62	4	3.48	1.98
2010–11	7	2.46	6	1.58	0.72
2011–12	9	15.42	5	11.28	4.21
2012–13	8	9.75	6	1.88	0.64
2013–14	10	35.58	0	0	0
2014–15	7	38.82	6	38.52	0.20

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत दस वर्षो में स्वीकार किये गये मामलों मे भी वसूली की प्रगति नगण्य थी। स्वीकार किये गये मामलों की वसूली का अनुसरण सम्बन्धित पक्षों से वसूली योग्य बकाये की तरह किया जाना चाहिए था। विभाग/शासन द्वारा स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के अनुश्रवण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की गयी थी। उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली का अनुश्रवण नही कर सका।

विभाग को स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित देयों की त्वरित वसूली हेतु अनुसरण एवं अनुश्रवण की शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

1.8 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) का आलेख सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ उनके सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन गोष्ठी में चर्चा भी की गयी थी तथा शासन/विभागों के विचार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रुप देते समय शामिल कर लिया गया।

वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की विगत पाँच वर्षों के प्रतिवेदन में प्रदर्शित निष्पादन लेखापरीक्षाओं की स्वीकार की गयी संस्तुतियों और उनकी स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–I** में दर्शाया गया है।

1.9 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रुझान एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों

(राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूप रेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव आदि सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 2,352 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थीं, जिसमें 585 इकाइयों की योजना की गयी थी और 580 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी थी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 25 प्रतिशत है। एक इकाई समाप्त हो जाने, एक इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सन्दर्भित करते हुये लेखापरीक्षा से इन्कार करने एवं तीन इकाइयों द्वारा प्रशासनिक कारणों से मार्च 2016 के बाद लेखापरीक्षा करवाने के अनुरोध करने के कारण पाँच योजित इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी **(परिशिष्ट–II)**।

1.10 वर्ष के दौरान सम्पन्न की गयी लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियाँ

वर्ष 2015–16 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 580 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 3,240.99 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 2,673 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 788 मामलों में ₹ 1,552.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें सन्निहित धनराशि ₹ 1,547.67 करोड़ के 462 मामले वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे। 277 मामलों में ₹ 1.73 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिनमें सन्निहित धनराशि ₹ 84.71 लाख के 50 प्रकरण वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे।

1.11 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में ''**परिवहन विभाग के कार्य–कलाप** '' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ''**भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन**'', ''**उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली**'', एवं ''**स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर**'' की तीन लेखापरीक्षाओं को सम्मिलित करते हुये 26 प्रस्तर (उक्त सन्दर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात किये गये एवं पूर्व वर्षो के दौरान के मामले, जो पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किये गये में से चयनित) जिसमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 2,895.55 करोड़ का है, शामिल हैं ।

शासन/विभागों ने ₹ 1,547.50 करोड़ की धनराशि के प्रेक्षणों को स्वीकार किया। जिसमें से ₹ 82.05 लाख वसूल कर लिया गया था (सितम्बर 2016)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से VI में की गयी है।

अध्याय–II
खनन प्राप्तियाँ

2.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

चार्ट 2.1 संगठनात्मक ढाँचा

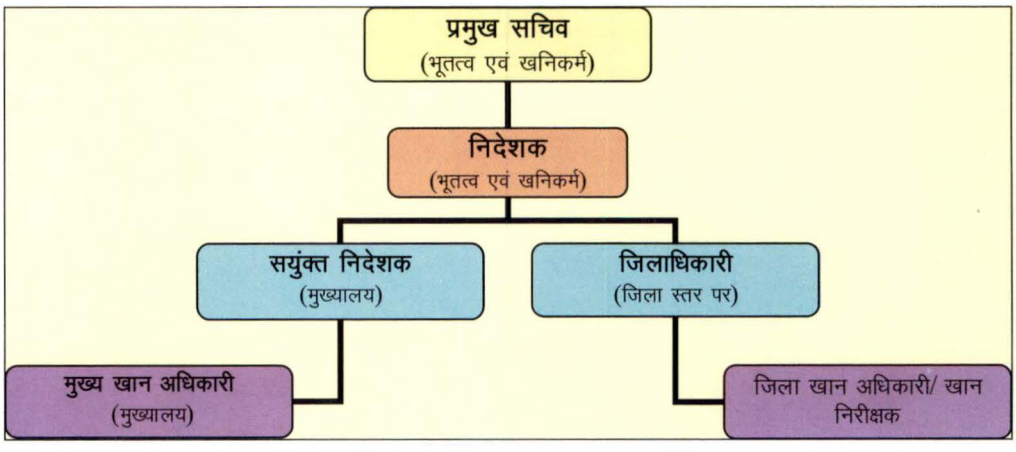

2.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का संगठनात्मक ढाँचा और इसके लिये नियुक्त कर्मचारियों का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष, जिसमें विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित हुयी, भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा के लिये आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 2.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.1
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	आ0ले0प0 हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आ0ले0प0 हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2011–12	31	31	29	2	6.45
2012–13	31	30	12	18	60.00
2013–14	31	30	14	16	53.33
2014–15	31	13	10	3	23.08
2015–16	31	30	21	9	30.00

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

चार्ट 2.2

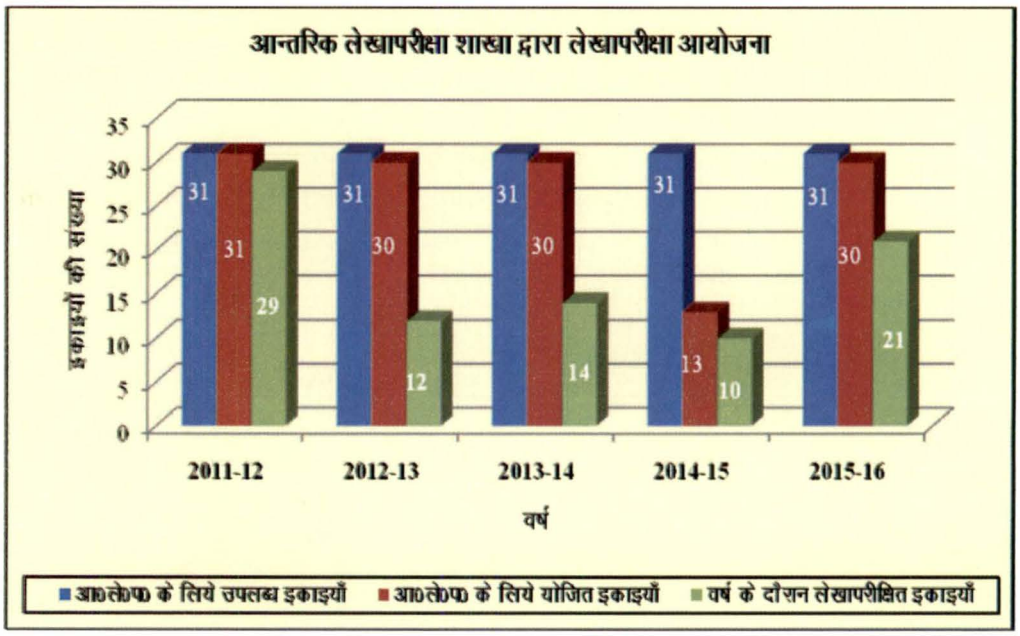

यह प्रदर्शित करता है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कमी का विस्तार 6.45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य रहा। कमी के कारणों को जैसा कि कहा गया कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश के अन्तर्गत तीन वर्ष की लेखापरीक्षा नहीं की गयी और 2015–16 में यह पंचायत चुनाव की वजह से नहीं की गयी। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कुछ जनपदों में आन्तरिक लेखापरीक्षा की गयी थी और पंचायत चुनाव वर्ष भर नहीं होते रहे थे।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा और वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि **सारणी 2.2** में उल्लिखित है।

सारणी 2.2

अनिस्तारित प्रस्तरों एवं धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2011–12	1,216	55.43	82	10.87	5	2.55	1,293	63.75
2012–13	1,293	63.75	41	4.44	8	3.16	1,326	65.03
2013–14	1,326	65.03	38	7.39	0	0.62	1,364	71.80
2014–15	1,364	71.80	21	5.72	0	0	1,385	77.52
2015–16	1,385	77.52	37	9.09	24	2.40	1,398	84.21

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये मामलों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन बहुत कम है साथ ही साथ लम्बित मामले वर्ष दर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 में, विभाग ने ₹ 1,222.17 करोड़ के राजस्व की वसूली की। हमने 2015–16 के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कुल 75 इकाइयों में से नौ वार्षिक इकाइयों, तीन द्विवार्षिक इकाइयों और आठ त्रैवार्षिक इकाइयों की आयोजना की और उक्त सभी आयोजनागत इकाइयों की नमूना जाँच की जिसने रायल्टी, अर्थदण्ड, पट्टा विलेख निष्पादन नहीं होने आदि से राजस्व अनियमितताओं के ₹ 1,003.62 करोड़ के 61 मामले दर्शाये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि **सारणी 2.3** में उल्लिखित है।

सारणी 2.3

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	**"भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन" की लेखापरीक्षा**	1	939.72
2	रायल्टी वसूल नहीं होना	22	4.64
3	शास्ति का आरोपण नहीं होना	10	0.16
4	पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किये जाने से राजस्व की वसूली का न होना	18	58.43
5	अन्य अनियमितातायें	10	0.67
योग		**61**	**1,003.62**

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं

चार्ट 2.3

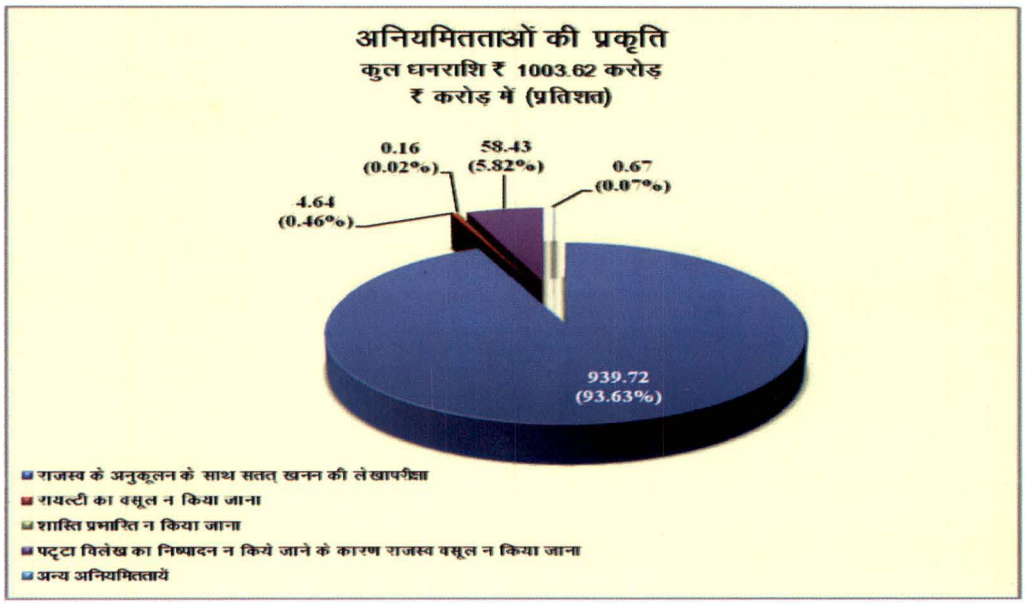

वर्ष के दौरान विभाग ने छः मामलों में ₹ 70.39 करोड़ की कमियों को स्वीकार किया जो कि 2015–16 में इंगित किये गये थे।

"भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन" की लेखापरीक्षा सन्निहित ₹ 939.72 करोड़ और अनुपालन में कमी के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों सन्निहित ₹ 7.27 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

2.4 "भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन" की लेखापरीक्षा

2.4.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम0एम0डी0आर0) अधिनियम, 1957 यथासंशोधित 2015, खान और खनिज के विकास के विनियमन के लिये कानूनी ढ़ाँचा प्रदान करता है। खनिज परिहार नियमावली 1960 को उपखनिजों के संरक्षण और खनिजों के व्यवस्थित विकास के लिये तथा परमिट, लाइसेंस और पट्टों की स्वीकृति को विनियमित करने के लिये तैयार किया गया है। उपखनिजों के अन्वेषण के लिये विधि निर्माण को राज्यों को प्रदत्त किया गया है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण) नियमावली, 2002 को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियमावली, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने, और अवप्रेरित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये सरकार को आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

2.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्याः

- खनन पट्टों को निर्धारित प्रक्रिया/प्रणाली के अनुसार प्रदान किया गया है और दंडात्मक प्रावधानों को जब भी आवश्यक हो लागू किया गया है;
- किराया, रायल्टी, शुल्क, अपरिहार्य भाटक, जुर्माना या अन्य प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण एम0एम0डी0आर0 अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया था और
- पर्यावरण मंजूरी, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था।

2.4.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 18 जिलों[1] को विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच के लिये चयन किया गया था। हमने इकाइयों को जिला खान कार्यालयों (जि0खा0का0) के राजस्व प्राप्ति के आधार पर उच्च, मध्यम और कम जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया। हमने उच्च जोखिम के चिन्हित सभी 14 जि0खा0का0, मध्य जोखिम के चिन्हित दो जि0खा0का0 और निम्न जोखिम के चिन्हित दो जि0खा0का0 के अभिलेखो की जाँच की। हमने जनवरी 2016 से मई 2016 के मध्य लेखापरीक्षा सम्पादित की। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ के कार्यालय एवं 18 जि0खा0का0 के अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गयी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को दिनांक 22 जनवरी 2016 को प्रमुख सचिव सह निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के साथ आयोजित प्रारम्भिक विचार गोष्ठी में चर्चा की गयी। हमने शासन एवं विभाग के साथ समापन विचार गोष्ठी दिनांक 27 जुलाई 2016 को आयोजित की जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव के साथ चर्चा की गयी। समापन विचार गोष्ठी में चर्चा की गयी सभी सिफारिशों को विभाग ने स्वीकार किया। शासन/विभाग का अभिमत प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

---

[1] आगरा, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराईच, बाँदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फैजाबाद, फतेहपुर, जी बी नगर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र।

2.4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने संचालित 1,216 पट्टों (1,122 पत्थर के पट्टे व 94 बालू के पट्टे) में से 681 (587 पत्थर के पट्टे व 94 बालू के पट्टे) की नमूना जाँच की और 7,067 मामलों सन्निहित ₹ 939.72 करोड़ के हमारे निष्कर्ष निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

पर्यावरण अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन न किया जाना

सोनभद्र में खनन

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 प्रावधानित करती है कि जो भी इस अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों या इसके अधीन जारी आदेशों या दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के लिये कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि इस तरह की विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने, जो पाँच हजार रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है, नयी विफलता या उल्लंघन के लिये दोष सिद्ध होने के बाद इस प्रकार की विफलता या उल्लंघन जारी रहने के दौरान के लिये हो सकता है। हमने जाँच किया कि क्या पर्यावरण अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का विभाग द्वारा अनुपालन किया गया। इन मुद्दों पर हमारे प्रेक्षण सन्निहित ₹ 179.57 करोड़ निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं।

चार्ट 2.4

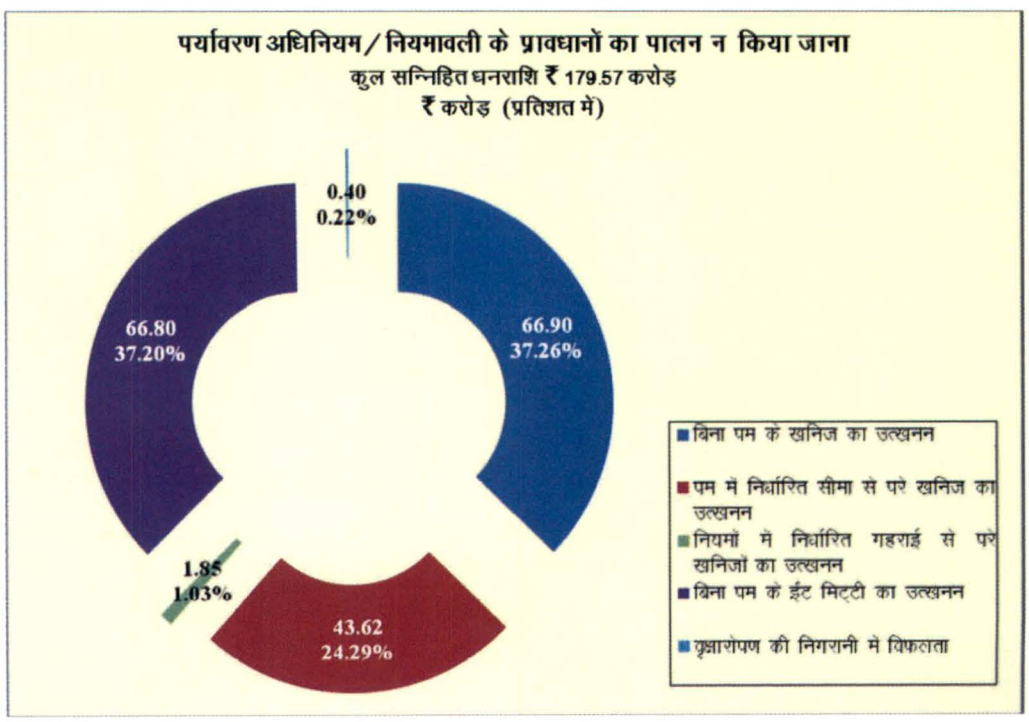

2.4.5 पर्यावरण मंजूरी (पम) के बिना खनिजों का उत्खनन

मई 2011 एवं मार्च 2012 में शासन ने पर्यावरण संरक्षण हेतु खनन पट्टा में पम के उपबंध को जोड़ने के लिए आदेश जारी किया। इस उपबंध के अनुसार, खनन पट्टाधारक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओइएफ) से अपने खर्चे पर पम प्राप्त करेगा। वर्ष के दौरान उत्खनित की जाने वाली मात्रा पम में उल्लिखित है। यदि कोई व्यक्ति पम में अनुमोदित मात्रा से अधिक उपखनिज का खनन करता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है तथा एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत रायल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड को आकर्षित करता है।

एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारण कर लिया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकता है। अग्रेतर, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत कुल रायल्टी, खनिज के खनिमुख मूल्य के अनधिक 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित है।

2.4.5.1 पत्थर के पट्टे

बिना पम के 4.16 लाख घनमीटर उपखनिज के उत्खनन के लिये तीन पट्टाधारकों से न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख एवं उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 20.57 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि दो जि0खा0का0[2] में तीन प्रकरणों में पट्टाधारकों ने (मई 2011 और जनवरी 2016) 4.16 लाख घनमीटर उपखनिज का उत्खनन बिना पम के किया जिस पर पट्टाधारकों ने रायल्टी ₹ 4.11 करोड़ का भुगतान किया था। जि0खा0का0 ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि पट्टाधारकों ने पम प्राप्त कर लिया है, कोई कदम नहीं उठाया। पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित उपखनिज अनधिकृत था। उन्होंने इन खनन संक्रियाओं को न तो रोका और न अपेक्षित अर्थदण्ड ही आरोपित किया। पर्यावरण नियमों के उल्लघंन हेतु प्रत्येक पट्टाधारक पर न्यूनतम ₹ एक लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था तथा उत्खनित खनिज का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था, धनराशि ₹ 20.57 करोड़ पट्टाधारकों से वसूली योग्य था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि खनन पट्टे अवधि जिसमे पम अनिवार्य था के पूर्व से चल रहे थे। विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह सभी प्रकरण मई 2011 और जनवरी 2016 के मध्य की अवधि जिसके लिए पम अनिवार्य था से सम्बन्धित हैं।

2.4.5.2 बालू के पट्टे

बिना पम के 18.73 लाख घनमीटर उपखनिज के उत्खनन हेतु एक पट्टाधारक से न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख एवं उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 46.33 करोड़ वसूल नहीं किया गया था।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के बालू पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि जि0खा0का0 झाँसी में

[2] झाँसी और मिर्जापुर।

पट्टाधारक ने मई 2012 और अगस्त 2013 के मध्य 18.73 लाख घनमीटर बालू/मोरम का उत्खनन बिना पम के किया जिस पर पट्टाधारक ने रायल्टी के रूप में ₹ 9.27 करोड़ भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था। जि0खा0अ0 ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि पट्टाधारक ने पम प्राप्त कर लिया था, कोई कदम नहीं उठाया। उसने न तो इन खनन संक्रियाओं को रोका न ही अर्थदण्ड आरोपित किया। पट्टाधारक पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन हेतु न्यूनतम ₹ एक लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था तथा उत्खनित खनिज का मूल्य जो रायल्टी का पाँच गुणा था, धनराशि ₹ 46.33 करोड़ वसूली योग्य था।

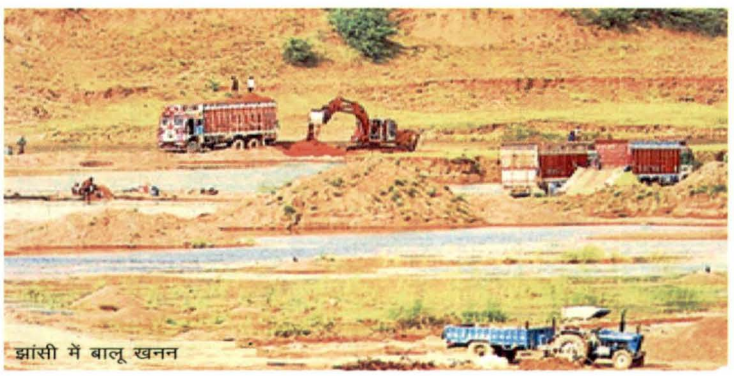
झांसी में बालू खनन

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि खनन पट्टे पम की अनिवार्यता की अवधि के पूर्व से प्रचलन में थे। विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह सभी प्रकरण मई 2012 और अगस्त 2013 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित हैं जिसके लिए पम अनिवार्य था।

2.4.6 पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन

पर्यावरण मंजूरी ने अपने प्रावधानों में पर्यावरण संरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त रक्षोपाय बनाये हैं। अग्रेतर, पम में अनुमोदित मात्रा से अधिक के लिये एम0एम0–11 निर्गत न करने के लिये शासन ने भी आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा निर्देश जारी किये थे।

2.4.6.1 पत्थर के पट्टे

पम से अधिक 58,389 घनमीटर गिट्टी/पटिया/बोल्डर के उत्खनन करने के लिये तीन पट्टाधारकों से न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख एवं उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 2.12 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पत्थर पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि दो जि0खा0का0[3] में तीन पट्टाधारकों ने (अप्रैल 2015 और फरवरी 2016) तीन मामलों में 58,389 घनमीटर गिट्टी/पटिया/बोल्डर का पम में निर्धारित मात्रा से अधिक उत्खनन किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 2.12 करोड़ पट्टाधारकों से वसूली योग्य था। अभिलेखों जो इस अवधि में नियमित अधिक उत्खनन को दर्शाते थे, के उपलब्ध होने के बावजूद, जि0खा0का0 ने अधिक उत्खनन के लिए पट्टाधारकों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही शुरू की और न ही उत्खनित खनिज का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था, धनराशि ₹ 2.12 करोड़, एवं पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख वसूलने के लिये कोई कार्यवाही की (**परिशिष्ट-III**)।

[3] इलाहाबाद और मिर्जापुर।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि चूँकि पट्टाधारकों द्वारा पम मे उल्लिखित मात्रा से अधिक उत्खनन करने पर उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 में खनिज के मूल्य एवं शास्ति वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये वसूली अपेक्षित नहीं थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी पट्टा के लिए पम एक आवश्यक शर्त है व एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली भी एक शर्त है।

2.4.6.2 बालू के पट्टे

पम में निर्धारित मात्रा से अधिक 14.94 लाख घनमीटर बालू/मोरम के उत्खनन करने के लिये 27 पट्टाधारकों से न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख एवं उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 41.50 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

खनन, विशेष रूप से बालू का खनन, अगर वैज्ञानिक रूप से नहीं किया जाता है तो गंभीर पर्यावरण क्षरण का कारण बन सकता है। बालू भूजल पुनर्भरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और बालू के अभाव में जल वर्षा अपवाह में परिणित हो जायेगा। अत्यधिक बालू के दोहन द्वारा अवैध खनन का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो परिणामतः न केवल भूजल स्रोतों का कम पुनर्भरण करता है अपितु भूजल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टा प्रकरण पत्रावलियों और खनन योजनाओं की जाँच किया और देखा कि 10 जि0खा0का0[4] में 27 मामलों में पट्टाधारकों ने नवम्बर 2012 और जनवरी 2016 के मध्य पम में अनुमोदित 16.93 लाख घनमीटर के विरुद्ध 14.94 लाख घनमीटर अधिक बालू/मोरम का उत्खनन किया, जिस पर पट्टाधारकों ने रायल्टी ₹ 8.30 करोड़ का भुगतान किया। जि0खा0का0 ने इन पट्टाधारकों को एम0एम0–11 प्रपत्र जारी कर खनिजों के अधिक उत्खनन की अनुमति दिया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 41.50 करोड़ के साथ न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख प्रत्येक से वसूल नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-IV**)

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि चूँकि पट्टाधारक द्वारा पम में उल्लिखित मात्रा से अधिक उत्खनन के लिये उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 में खनिज के मूल्य एवं शास्ति की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये वसूली अपेक्षित नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी पट्टा के लिए पम आवश्यक शर्त है, एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिजों के मूल्य की वसूली भी एक शर्त है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उपखनिजों के उत्खनन/कर्षण की केवल पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद अनुमति दी गयी है।

[4] आगरा, इलाहबाद, बाँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फैजाबाद, हमीरपुर, जालौन, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

2.4.7 नियमों में निर्धारित गहराई से परे खनिजों का उत्खनन

पट्टाधारक ने 49,360 घनमीटर बालू का खनन तीन मीटर गहराई से परे किया, जो कि अनधिकृत था लेकिन उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 1.85 करोड़ वसूल नहीं किया गया था।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 41(एच) के अन्तर्गत, पट्टाधारक नदी तल में तीन मीटर गहराई या जलस्तर जो भी कम है, के परे कोई खनन संक्रिया नहीं करेगा और जिले के अधिकारी द्वारा घोषित ऐसे सुरक्षा क्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जायेगा। अग्रेतर, एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(1) और (5) विहित करती है कि किसी अवैध खनन के लिये शास्ति में, उस अवधि जिसके दौरान भूमि बिना विधि सम्मत प्राधिकार के ऐसे व्यक्ति के कब्जे में थी, खनिज का मूल्य, किराया, रायल्टी या कर जैसा भी प्रकरण हो की वसूली सम्मिलित है।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टा प्रकरण पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि जि0खा0का0 सोनभद्र में मार्च 2010 से मार्च 2013 की अवधि के लिए 5.60 एकड़ क्षेत्र के लिये एक बालू पट्टा प्रदान किया गया। एम0एम0–11 निर्गम पंजिका के अनुसार, पट्टाधारक ने 4 मार्च 2013 से 14 मार्च 2013 के मध्य 22,663 वर्गमीटर के पट्टा क्षेत्र[5] में तीन मीटर गहराई तक अधिकृत मात्रा 67,990 घनमीटर के विरुद्ध 1,17,350 घनमीटर बालू का उल्खनन किया। इस प्रकार, जि0खा0का0 ने तीन मीटर की गहराई से परे 49,360 घनमीटर बालू उत्खनन की अनुमति दी, जो कि अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था, धनराशि ₹ 1.85 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि पट्टाधारकों द्वारा रायल्टी के अग्रिम भुगतान के बाद खनिजों को उत्खनित किया गया है। इसलिए पट्टाधारक से खनिज मूल्य की वसूली अपेक्षित नहीं थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम 41(एच) के उल्लंघन के मामले को अवैध खनन माना जाता है और उन पर एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) की शर्त भी लागू होगी।

2.4.8 पर्यावरण मंजूरी के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन

बिना पम के 2013–14 से 2014–15 की अवधि के दौरान संचालित 2,909 ईंट भट्टों से न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ एक लाख प्रत्येक एवं खनिज मूल्य धनराशि ₹ 66.80 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओइएफ) ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम 3 के अधीन खनन परियोजनाओं पर कतिपय सीमायें एवं प्रतिषेध आरोपित करने के लिए दिनांक 14 सितम्बर 2006 को एक अधिसूचना जारी किया। अग्रेतर, एमओइएफ ने ईंट भट्टों के संचालन से सम्बन्धित ईंट मिट्टी के

[5] 1 एकड़ = 4046.8564 वर्ग मीटर

उत्खनन/उधार ग्रहण की गतिविधियों को भी शामिल करने के लिये अपनी 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना को स्पष्ट करने के लिये एक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जून 2013 जारी किया। सामान्य मिट्टी के इस प्रकार खनन को बी–2 श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया था। इसलिये, पम प्राप्ति के बिना ईंट भट्टा मालिकों को ईंट भट्टा संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

उ0प्र0उ0ख0प0नि0 1963 के नियम 34 के प्रावधान के अनुसार पट्टाधारक खनन संक्रिया, प0स0नि0 अधिसूचना के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अपेक्षित हो, पम प्राप्त करने के उपरान्त ही आरम्भ करेगा।

एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब भी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को अथवा जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही निस्तारित कर लिया गया हो, रायल्टी के साथ उसका मूल्य वसूल कर सकती है।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 की अनुज्ञापन पंजिकाओं, भट्टा पंजिकाओं एवं चालान पंजिकाओं की जाँच किया और देखा कि 14 जि0खा0का0[6] में, 2,909 ईंट भट्टा मालिकों ने 2013–14 से 2014–15 की अवधि के दौरान अपने भट्टों का संचालन किया तथा पम प्राप्त किये बिना देय रायल्टी का भुगतान किया। इस प्रकार, पम के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता था और इसलिए अनधिकृत था। तथ्य के बावजूद कि खनन गतिविधियाँ चलाई जा रही थीं, विभाग ने व्यापार को रोकने अथवा नियमानुसार शास्ति आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन हेतु प्रत्येक भट्टा मालिक पर न्यूनतम ₹ एक लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था। उत्खनित खनिज का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 66.80 करोड़, भी वसूल नहीं किया गया **(परिशिष्ट-V)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि ईंट मिट्टी के खनन हेतु पम की आवश्यकता एक नया प्रावधान है और पूर्णतया क्रियान्वित होने में इसे कुछ समय लगेगा। विभाग के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पम का प्रावधान तथा खनिज के मूल्य की वसूली को लागू किया जाना शेष था।

2.4.9 वृक्षारोपण के अनुश्रवण में विफलता

पट्टा विलेख में वृक्षारोपण के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये 40 पट्टाधारकों पर न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ 40 लाख आरोपित नहीं किया गया।

खनन पट्टे में वृक्षारोपण की शर्त जोड़ने के लिये शासन ने दिनांक 4 जून 2008 को निर्देश जारी किये थे। इस उपबंध के अनुसार कोई खनन पट्टाधारक एक एकड़ अथवा अधिक क्षेत्र में खनन कर रहा है वह अपने स्वयं के खर्च पर प्रति एकड़ 200 वृक्ष लगायेगा।

हमने (जनवरी 2016 एवं मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि पाँच[7] जि0खा0का0 में 2011–12 से 2015–16 के मध्य 40 पट्टाधारकों द्वारा 191.77 एकड़ भूमि पर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर/गिट्टी/ग्रेनाइट/बालू आदि का खनन किया गया था। पट्टे की

[6] आगरा, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराईच, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फैजाबाद, फतेहपुर, जी बी नगर, हमीरपुर, जालौन, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र।

[7] अम्बेडकर नगर, आगरा, हमीरपुर, ललितपुर एवं मिर्जापुर

शर्त के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना अपेक्षित था। सभी 40 पट्टाधारकों के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिले और पर्यावरण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जि0खा0अ0 ने पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने न तो इन खनन संक्रियाओं को बन्द कराया और न ही अपेक्षित शास्ति का आरोपण किया। इस उल्लंघन के लिये प्रत्येक पट्टाधारक पर न्यूनतम एक लाख रुपये धनराशि ₹ 40 लाख भी आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक प्रावधान यह भी था कि इस प्रकार के उल्लंघन के दौरान अतिरिक्त जुर्माना जो ₹ 5,000 प्रति दिन की सीमा तक हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अधीन आरोपणीय था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि इमारती पत्थर एवं बालू/मोरम या तो पथरीले क्षेत्रों या नदी तल में पाये जाते है जहाँ पर वृक्षारोपण व्यावहारिकता में संभव नहीं है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वृक्षारोपण के लिए पट्टाधारकों से अपेक्षित राशि प्राप्त करने के बाद खनन विभाग को वृक्षारोपण कराने के लिए वन विभाग से अनुरोध करना चाहिये था।

2.4.10 वार्षिक पर्यावरण विवरणी दाखिल नहीं किया गया

पट्टाधारकों ने पट्टा अवधि के दौरान पर्यावरण विवरण (प्रपत्र–V) प्रस्तुत नहीं किया।

पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 का नियम 14, निर्दिष्ट करता है कि जल (प्रदूषण के प्रतिषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 अथवा वायु (प्रदूषण के प्रतिषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योग का संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष एक पर्यावरण विवरण (प्रपत्र–V) सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (राप्रनिबो) को प्रस्तुत करेगा। अग्रेतर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अनुसार इस अधिनियम/नियमावली के उल्लघंन पर ₹ एक लाख तक की शास्ति आरोपित की जायेगी तथा आवर्ती विफलता के प्रकरण में अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो कि प्रतिदिन ₹ 5000 की सीमा तक हो सकता है, आरोपित की जायेगी।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि छः जि0खा0का0 में, पट्टाधारकों ने पट्टा अवधि में पर्यावरण विवरणी प्रस्तुत नहीं किया था। पर्यावरण विवरणी के अभाव में बोर्ड, प्रदूषकों के प्रवाह, ठोस अवशेषों के प्रबंधन आदि जैसे मुद्दों जिन पर आवधिक आधार पर ध्यान देना अपेक्षित था, पर नजर नहीं रख सका।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि इसका उत्तर राप्रनिबो से अपेक्षित था किन्तु राप्रनिबो के अभिलेखों में कोई पर्यावरण विवरण प्रपत्र–V में उपलब्ध नहीं था।

खनन पट्टों की स्वीकृति

हमने जाँच किया कि क्या खनन पट्टे निर्धारित प्रक्रिया/प्रणाली के अनुसार स्वीकृत थे एवं जहाँ भी आवश्यक हो दण्डात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है। इन मुद्दों पर हमारे प्रेक्षण सन्निहित धनराशि ₹ 282.22 करोड़ निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं:

चार्ट 2.5

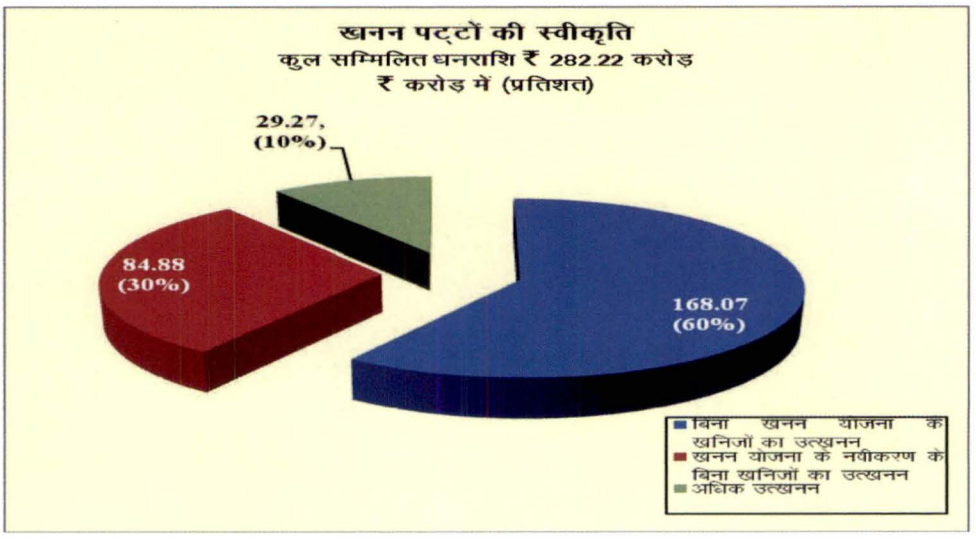

2.4.11 अनधिकृत उत्खनन

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के अन्तर्गत स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली, बालू अथवा मौरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, के अनुसार की जायेंगी।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली दिनांक 23 दिसम्बर 2012 को यथा संशोधित, के नियम 34(5) के अनुसार, निदेशक द्वारा एक बार अनुमोदित खनन योजना पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिए वैध होगी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 का नियम 22–क प्रावधानित करता है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना का संशोधन भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन होना अपेक्षित है।

एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका हो, रायल्टी के साथ उसका मूल्य वसूल कर सकती है। अग्रेतर, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत कुल रायल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य के अनधिक 20 प्रतिशत की दर पर निर्धारित है।

2.4.11.1 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

खनन योजना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि यह क्षेत्र के विकास में सहायक हो। यदि खनन संक्रियायें बिना अनुमोदित खनन योजना के की जाती हैं तो विभाग का इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाएगा और पट्टाधारक एक अवैज्ञानिक तरीके से और अधिक खनिज निकाल सकता है जो खनिज संसाधनों, वन सरंक्षण, जल संसाधनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, और वायु तथा जल प्रदूषण बढ़ायेगा।

- **पत्थर के पट्टे**

पट्टाधारकों ने बिना खनन योजना के 3.26 लाख घनमीटर गिट्टी/बोल्डर का उत्खनन किया था जिसके लिये उनसे ₹ 15.64 करोड़ वसूली योग्य था।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टा पत्रावलियों एवं खनन योजनाओं की जाँच की और देखा कि सात जि0खा0का0 में 587 में से 15 प्रकरणों में पट्टाधारकों ने (जनवर्र 2013 से मार्च 2016) बिना स्वीकृत खनन योजना के 3.26 लाख घनमीटर उपखनिज का उत्खनन किया, जिसके लिये पट्टाधारकों ने ₹ 3.13 करोड़ रायल्टी के रूप में भुगतान किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा खनिज का उत्खनन अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का खनिज मूल्य, जैसा हमारे द्वारा निर्धारित किया गया, जो रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 15.64 करोड़ पट्टाधारकों से वसूली योग्य था। इस प्रकार, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) एवं ख0प0नि0 के नियम 22–क के प्रावधानों के विपरीत पट्टेदार बिना खनन योजना के उपखनिजों का उत्खनन कर रहे थे। इन पट्टाधारकों को एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुए जि0खा0का0 ने उपखनिज के उत्खनन को अनुमति प्रदान की थी। इस उल्लंघन के लिये संलिप्त खान मालिकों से ₹ 15.64 करोड़ वसूली योग्य था।

- **बालू के पट्टे**

पट्टाधारकों ने बिना खनन योजना के 43.03 लाख घनमीटर बालू/मौरंग का उत्खनन किया था जिसके लिये उनसे ₹ 152.43 करोड़ वसूली योग्य था।

बहराइच में खनन

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टा पत्रावलियों एवं खनन योजनाओं की जाँच की और देखा कि दस जि0खा0का0 के 94 में से 43 प्रकरणों में पट्टाधारकों ने दिसम्बर 2012 और जनवरी 2016 के मध्य बिना खनन योजना के 43.03 लाख घनमीटर बालू/मौरंग का उत्खनन किया, जिसके लिये पट्टाधारकों ने रायल्टी के रूप में ₹ 30.49 करोड़ भुगतान किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा खनिज का उत्खनन अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का मूल्य जो रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 152.43 करोड़ पट्टाधारकों से वसूली योग्य था। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) एवं ख0प0नि0 के नियम 22–क के प्रावधानों के उल्लंघन में जि0खा0का0 ने इन पट्टाधारकों को एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुये उपखनिज के उत्खनन की अनुमति प्रदान की थी। परिणाम स्वरूप खनिज का मूल्य ₹ 152.43 करोड़ वसूल नहीं किया गया था (**परिशिष्ट–VI**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि यह मामले अवैध खनन के नहीं हैं क्योंकि वे वैध परमिट धारक हैं एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्खनन कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे उत्खनन को अनियमित खनन की श्रेणी में वर्गीकृत किया और यह

आश्वासन दिया कि इस तरह की अनियमितताओं के सम्बन्ध में अतिशीघ्र शास्ति का प्रावधान लाया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से परे खनन संक्रिया बिना वैध प्राधिकार के है और इसलिये एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत उत्खनित खनिज के मूल्य की वसूली आकर्षित करती है।

2.4.11.2 खनन योजना के नवीनीकरण के बिना खनिजों का उत्खनन

पट्टाधारकों ने खनन योजना के नवीनीकरण के बिना 17.08 लाख घनमीटर गिट्टी/बोल्डर का उत्खनन किया जिसके लिये उनसे ₹ 84.88 करोड़ वसूली योग्य था।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टा पत्रावलियों एवं खनन योजनाओं की जाँच की और देखा कि पाँच जि0खा0का0 में 587 में से 15 प्रकरणों में पट्टाधारकों ने अप्रैल 2013 और मार्च 2016 के मध्य की अवधि के दौरान खनन योजना के नवीनीकरण के बिना 17.08 लाख घनमीटर गिट्टी/बोल्डर का उत्खनन किया जिसके लिये पट्टाधारकों ने रायल्टी के रूप में ₹ 16.98 करोड़ भुगतान किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का मूल्य जो रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 84.88 करोड़ पट्टाधारकों से वसूली योग्य था। जि0खा0का0 ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) एवं ख0प0नि0 के नियम 22–क के प्रावधानों के उल्लंघन में इन पट्टाधारकों को एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुये उपखनिज के उत्खनन की अनुमति प्रदान की थी। परिणामस्वरूप खनिज का मूल्य ₹ 84.88 करोड़ आरोपित नहीं किया गया था **(परिशिष्ट–VII)**।

हमने आगे देखा कि विभाग ने खनन योजना का नवीनीकरण मात्र पाँच वर्षों के लिये किया जबकि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधानों के अनुसार इसका नवीनीकरण पट्टे की पूरी अवधि के लिये अपेक्षित था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि यह मामले अवैध खनन के नहीं हैं क्योंकि वे वैध परमिट धारक हैं एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्खनन कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे उत्खनन को अनियमित खनन की श्रेणी में वर्गीकृत किया और यह आश्वासन दिया कि इस तरह की अनियमितताओं के सम्बन्ध में अतिशीघ्र शास्ति का प्रावधान लाया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से परे खनन संक्रिया बिना वैध प्राधिकार के है और इसलिये एम0एम0डी0आर0 अधिनियम के धारा 21(5) के अन्तर्गत उत्खनित खनिज के मूल्य की वसूली आकर्षित करती है।

2.4.11.3 अतिरिक्त उत्खनन

पट्टाधारकों ने खनन योजना से अधिक 6.40 लाख घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर/गिट्टी/खण्डा/पटिया का उत्खनन किया जिसके लिये उनसे ₹ 29.27 करोड़ वसूली योग्य था।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टा पत्रावलियों एवं खनन योजनाओं की जाँच की और देखा कि पाँच जि0खा0का0 के 587

प्रकरणों में से 12 प्रकरणों में पट्टाधारकों नें नवम्बर 2011 और जनवरी 2016 के मध्य 6.40 लाख घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर/ग्रेनाइट ब्लॉक/ग्रेनाइट खण्डा/पटिया का अनुमोदित खनन योजना के अतिरिक्त उत्खनन किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था और उत्खनित खनिज का मूल्य जो रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 29.27 करोड़ पट्टाधारकों से वसूली योग्य था। इस अवधि में नियमित अधिक उत्खनन दर्शाने वाले अभिलेखों के उपलब्ध होने के बावजूद जि0खा0का0 ने खनन योजना के अतिरिक्त खनिज के उत्खनन के लिये पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टाधारकों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही किया और न ही उत्खनित खनिज का मूल्य ₹ 29.27 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्यवाही किया (**परिशिष्ट–VIII**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि यह मामले अवैध खनन के नहीं हैं क्योंकि वे वैध परमिट धारक हैं एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्खनन कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे उत्खनन को अनियमित खनन की श्रेणी में वर्गीकृत किया और यह आश्वासन दिया कि इस तरह की अनियमितताओं के सम्बन्ध में अतिशीघ्र शास्ति का प्रावधान लाया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से परे खनन संक्रिया बिना वैध प्राधिकार के है और इसलिये एम0एम0डी0आर0 अधिनियम के धारा 21(5) के अन्तर्गत उत्खनित खनिज के मूल्य की वसूली आकर्षित करती है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन योजना के अनुमोदन के बाद ही उपखनिजों के उत्खनन की अनुमति दी जाय एवं खनिजों का उत्खनन केवल अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही अनुमन्य किया जाय। लापरवाही और/या संलिप्तता की दशा में, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

किराया, रायल्टी और जुर्माने से सम्बन्धित कमियाँ

हमने जाँच किया कि क्या किराया, रायल्टी, फीस, अपरिहार्य भाटक, जुर्माना एवं अन्य प्रभारों का आरोपण एवं संग्रहण एम0एम0डी0आर0 अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार हो रहा है एवं इन मुद्दों पर हमारे प्रेक्षण निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

2.4.12 त्रैमासिक विवरणियाँ (एम0एम0–12) प्रस्तुत नहीं किया गया

71 पट्टाधारकों ने 538 त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके लिए पट्टाधारक शास्ति धनराशि ₹ 10.76 लाख भुगतान के लिए दायी थे।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963, के नियम 73(1) के अन्तर्गत पट्टाधारक जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में पूर्ववर्ती त्रैमास के लिये जिला खान अधिकारी को प्रपत्र एम0एम0–12 में त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे। यह खनन योजना में प्रदर्शित अनुमन्य मात्रा के विरुद्ध उत्खनन की गयी मात्रा की तुलना कर नियंत्रण करने का मुख्य उपकरण है। नियम 73(2) प्रावधानित करता है कि जब कभी कोई खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में निर्धारित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह शास्ति ₹ 2,000 के भुगतान का दायी होगा।

हमने (जनवरी 2016 से मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के खनन पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि दस जि0खा0का0[8] के 681 में से 71 पट्टाधारकों ने जनवरी 2012 से दिसम्बर 2015 के दौरान 538 त्रैमासिक विवरणियाँ (एम0एम0–12) प्रस्तुत नहीं किया था। विभाग ने इन चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की और शास्ति ₹ 10.76 लाख की वसूली नहीं की।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि पट्टाधारकों से शास्ति की वसूली की जायेगी।

2.4.13 अपरिहार्य भाटक कम जमा होना

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिये 30 पट्टाधारकों ने ₹ 97.42 लाख के बजाय अपरिहार्य भाटक ₹ 36.32 लाख जमा किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.10 लाख कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 72 के अन्तर्गत खनन पट्टे के लिये खनन क्षेत्र अधिसूचित किया जा सकता है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 22 के अनुसार खनन पट्टे का प्रत्येक पट्टाधारक पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के लिये द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों पर सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपरिहार्य भाटक प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से अदा करेगा। बालू/गिट्टी/बोल्डर के लिये अपरिहार्य भाटक की दर प्रभावी दिनांक 02 नवम्बर 2012 से संशोधित की गयी थी।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पट्टा पत्रावलियों और सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि आठ जि0खा0का0[9] में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये 30 पट्टाधारकों ने ₹ 97.42 लाख के बजाय अपरिहार्य भाटक ₹ 36.32 लाख जमा किया था। यद्यपि भुगतान का विवरण पट्टा पत्रावलियों में दर्ज था, फिर भी विभाग ने पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अपरिहार्य भाटक के आरोपण और वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, अपरिहार्य भाटक ₹ 61.10 लाख कम आरोपित हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि बकाया अपरिहार्य भाटक पट्टाधारकों से वसूल किया जायेगा।

2.4.14 विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित नहीं किया गया

11 पट्टाधारक जिन्होंने चार माह से 26 वर्ष और 11 माह तक विस्तारित विलम्ब से रायल्टी ₹ 40.51 लाख जमा किये थे, पर ब्याज ₹ 15.07 लाख प्रभारित नहीं किया गया था।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 58(2) प्रावधानित करता है कि 30 दिवसों की नोटिस अवधि कालातीत होने के बाद किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिये 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पट्टा पत्रावलियों एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि चार जि0खा0का0 के 11 पट्टाधारकों ने मई 1986 से अगस्त 2015 अवधि के लिये चार माह से 26 वर्ष और 11

---

[8] इलाहाबाद, बहराईच, बाँदा, चित्रकूट, फैजाबाद, हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

[9] बाँदा, चित्रकूट, फैजाबाद, जालौन, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

माह तक विस्तारित विलम्ब से रायल्टी ₹ 40.51 लाख जमा किया। यद्यपि भुगतान में विलम्ब का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था परन्तु विभाग ने इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के प्रभारण के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 15.07 लाख प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि **सारणी 2.4** में नीचे दर्शाया गया है।

सारणी 2.4

विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित नहीं किया गया

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0.	कार्यालय का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	विलम्ब की अवधि दिनों में	देय एवं जमा धनराशि	प्रभार्य ब्याज
1	जि0खा0का0 बाँदा	01.02.13 से 16.05.14	1	470	32,67,000	10,09,637
2	जि0खा0का0 चित्रकूट	20.07.13 से 20.03.15	4	112 से 564	2,97,796	66,104
3	जि0खा0का0 झाँसी	11.12.08 से 24.08.15	1	283 से 2,385	3,627,50	2,19,322
4	जि0खा0का0 सोनभद्र	03.05.86 से 29.11.14	5	935 से 9,840	1,23,831	2,12,243
योग			**11**		**40,51,377**	**15,07,306**

स्रोत: लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि पट्टाधारकों से ब्याज की वसूली की जायेगी।

2.4.15 दरों के संशोधन के कारण रायल्टी का कम आरोपण

81 पट्टाधारकों ने संशोधित दर पर रायल्टी ₹ 2.32 करोड़ के बजाय पूर्व संशोधित दर पर ₹ 1.32 करोड़ जमा किये, जिसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ एक करोड़ का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 21 प्रावधानित करता है कि रायल्टी समय–समय पर संशोधित दर के आधार पर देय होगी। रायल्टी एवं अपरिहार्य भाटक की दर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2016 से संशोधित की गयी थी।

हमने (जनवरी 2016 से मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के पट्टा पत्रावलियों, अनुज्ञा पत्रावलियों एवं एम0एम0–11 निर्गम रजिस्टर की जाँच की और देखा कि 11 जि0खा0का0[10] में 81 प्रकरणों में विभाग ने जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक विभिन्न पट्टाधारकों और अनुज्ञाधारकों को 3,33,354 घनमीटर उपखनिज हेतु एम0एम0–11 प्रपत्र जारी किये और संशोधित दरों पर रायल्टी ₹ 2.32 करोड़ के स्थान पर पूर्व संशोधित दरों पर ₹ 1.32 करोड़ आरोपित किये। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ एक करोड़ की कम वसूली हुयी **(परिशिष्ट-IX)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि बकाया रायल्टी पट्टाधारकों से वसूल की जायेगी।

[10] अम्बेडकर नगर, बाँदा, बुलन्दशहर, फैजाबाद, फतेहपुर, जी बी नगर, हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

2.4.16 उपखनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

विभाग ने एम0एम0–11 नहीं प्रस्तुत करने के लिये 3,379 सिविल कार्य ठेकेदारों से खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 469.07 करोड़ वसूल नहीं किया।

एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 4(1–क) एवम् धारा 21(1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 70(1) प्रावधानित करता है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य किसी साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0–11 में निर्गत करे। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0–11 के बिना, रेलवे को छोड़कर किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 का नियम 3 प्रावधानित करता है कि कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक द्वारा जारी वैध अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके एकत्र किए जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा, न उसे ले जायेगा, अथवा न परिवहन करायेगा और न किसी माध्यम से ले जाने का कार्य करायेगा। एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत उस के मूल्य की वसूली अनिवार्य है। यदि ठेकेदार रायल्टी प्राप्ति रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 या प्रपत्र सी में प्रस्तुत नहीं करता, आ0 एवं वि0अ0 ठेकेदार के बिल से रायल्टी एवं खनिज मूल्य की कटौती करेगा और उसे कोषागार में जमा करेगा। सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में यह दोहराया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि रायल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतया रायल्टी का पाँच गुणा) की ठेकेदार के बिल से कटौती होगी और राजकोष में जमा किया जायेगा।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के 2014–15 एवं 2015–16 अवधि से सम्बन्धित विवरणियों एवं कोषागार स्क्रोल की जाँच की और देखा कि सभी जि0खा0का0 में 3,379 सिविल कार्यों के ठेकेदारों ने देयक के साथ एम0एम0–11 प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किया। कार्यदायी संस्थाओं ने बिलों से रायल्टी ₹ 93.81 करोड़ की कटौती की और कोषागार में जमा किया। विभाग ने उपखनिजों का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 469.07 करोड़ वसूल नहीं किया (**परिशिष्ट–X**)।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने बताया कि शासन के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का क्रियान्वयन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 31 मार्च 2016 के द्वारा स्थगित कर दिया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को निपटाते हुये 01 अगस्त 2016 को स्थगन रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि सरकार का आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 सही और वैध था तथा जनहित में जारी किया गया था। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसूलियाँ प्रभावी हो सकती हैं।

2.4.17 अवैध खनन/परिवहन

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 एवं 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा। एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21 (1) और (5) निर्धारित करती है कि किसी अवैध खनन के लिये शास्ति में उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो,

सम्मिलित है। अग्रेतर, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 साधारण कैद का दण्ड जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड जो ₹ पचीस हजार की सीमा तक हो सकता है या दोनों आकृष्ट करने वाली आपराधिक कार्यवाही को प्रारम्भ करना निर्धारित करता है। हमें निम्न तथ्यों का पता चलाः

2.4.17.1 अवैध परिवहन

पट्टाधारकों से 8,871 घनमीटर खनिजों के अवैध परिवहन के लिए रायल्टी, खनिजों का मूल्य एवं शास्ति धनराशि ₹ 1.30 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी।

सहारनपुर में खनन

हमने (जनवरी 2016 से मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 में एम0एम0–11 निर्गम पंजिका एवं एम0एम0–11 सत्यापन की पत्रावलियों और लो0नि0वि0 एवं ग्रा0अ0वि0 खण्डों में अन्तिम भुगतान बिलों का परीक्षण किया और देखा कि दो जि0खा0का0 में, ठेकेदारों ने (मार्च 2014 से फरवरी 2016 के मध्य) 8,871 घनमीटर खनिजों के परिवहन के लिए 393 एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत किया, जबकि जि0खा0का0 के अभिलेखों के अनुसार एम0एम0–11 प्रपत्र मात्र 1,627 घनमीटर खनिजों के परिवहन के लिए जारी किये गये थे। इस प्रकार, ठेकेदारों ने 7,244 घनमीटर खनिजों की रायल्टी का अनियमित दावा किया, जो कि एम0एम0–11 प्रपत्रों से आच्छादित नहीं था। विभाग को विसंगति के बारे में पता होना चाहिए था क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं ने सत्यापन हेतु जि0खा0का0 को प्रपत्र भेजे थे लेकिन सम्बन्धित जि0खा0का0 ने न तो अपने पट्टाधारकों के अभिलेखो से इस तथ्य को सत्यापित किया और न ही उनसे रायल्टी तथा खनिज का मूल्य भी जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था के साथ शास्ति धनराशि ₹ 1.30 करोड़ की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की जैसा कि **सारणी 2.5** में नीचे दर्शाया गया है।

सारणी 2.5

अवैध परिवहन

क्र0 सं0	इकाई का नाम	एम0 एम0–11 की संख्या	परिवहित मात्रा घनमीटर में	मात्रा जिसके लिये रायल्टी का भुगतान किया गया घनमीटर में	अतिरिक्त मात्रा घनमीटर में	देय रायल्टी ₹ में	खनिज का मूल्य ₹ में	शास्ति ₹ में	कुल देय धनराशि ₹ में
1	जि0खा0का0 सहारनपुर	377	8,605	1,514	7,091	5,16,516	25,82,580	94,25,000	1,25,24,096
2	जि0खा0का0 सोनभद्र	16	265.59	112.75	152.84	11,463	57,315	4,00,000	4,68,778
	योग	**393**	**8,870.59**	**1626.75**	**7,243.84**	**5,27,979**	**26,39,895**	**98,25,000**	**1,29,92,874**

स्रोत: लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नियमानुसार कार्यदायी संस्थाओं के साथ वसूली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी और कार्यदायी संस्थाओं से इसके लिए अनुरोध किया जायेगा।

2.4.17.2 अवैध उत्खनन

2,15,816 घनमीटर उपखनिज के लिये 14 अवैध खननकर्ताओं से खनिजों का मूल्य ₹ 5.63 करोड़ वसूला नहीं गया था।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 में अवैध खनन की पत्रावलियों एवं पंजिकाओं की जाँच की और देखा कि जि0खा0का0 सहारनपुर ने 2,15,816 घनमीटर उपखनिजों के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के 14 मामलों का पता लगाया (सितम्बर 2015 और दिसम्बर 2015) और उन्हें नोटिस भी जारी किया। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 57 के अनुसार, विभाग ने उक्त मामलों को प्रशमित किया और उन्हें रायल्टी ₹ 1.15 करोड़ एवं शास्ति ₹ 7.75 लाख भुगतान करने पर एम0एम0–11 जारी कर दिया लेकिन खनिजों का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था धनराशि ₹ 5.63 करोड़ की वसूली नहीं की।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि उ0प्र0उ0ख0प0नि0 1963 का नियम 57 अधिकतम शास्ति ₹ 25,000 प्राविधानित करता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवैध खनन के द्वारा किया गया उत्खनन उत्खनित खनिज के मूल्य जो कि एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार रायल्टी का पाँच गुणा है की वसूली आकृष्ट करता है ।

2.4.17.3 विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये परिवहन पास (एम0एम0–11)

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग झाँसी में नकली 19 एम0एम0–11 प्रयोग में पाये गये जिन पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति धनराशि ₹ 5.88 लाख नहीं आरोपित किया गया।

ठेकेदारों, जिन्होंने अपने बिलों के साथ निर्माण कार्यों में खनिजों के परिवहन और उपयोग के समर्थन में प्रस्तुत एम0एम0–11, द्वारा निर्माण कार्यों में उप खनिजों (बालू, पत्थर और पत्थर गिट्टी) को उपयोजित दिखाया गया। क्योंकि एम0एम0–11 प्रपत्र ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये गये, ठेकेदारों को पूरा भुगतान अवमुक्त किया गया था।

हमने (जनवरी 2016 और मई 2016 के मध्य) चयनित जि0खा0का0 के एम0एम0–11 निर्गम पंजिका की जाँच की और देखा कि जि0खा0का0 जालौन द्वारा तथाकथित जारी (सितम्बर 2015 और जनवरी 2016) 19 एम0एम0–11 प्रपत्र नकली थे क्योंकि बाद में जि0खा0का0 ने कथित एम0एम0–11 प्रपत्रों को जारी किये जाने का खण्डन किया था। नकली एम0एम0–11 प्रपत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (ग्रा0अ0वि0) झाँसी में प्रयोग में पाये गये थे। एम0एम0–11 प्रपत्र चूँकि प्रमाणिक नहीं थे, अतः यह स्पष्ट है कि खनिजों पर कोई रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया। जि0खा0का0 से एम0एम0–11 का विवरण प्रत्यक्ष/इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी। विभाग ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप विनिर्दिष्ट दर पर रायल्टी एवं खनिजों का मूल्य जो कि रायल्टी का पाँच गुणा था, के साथ शास्ति के आरोपण की कोई कार्यवाही नही की। परिणामस्वरूप, रायल्टी, खनिजों के मूल्य एवं शास्ति धनराशि ₹ 5.88 लाख आरोपित नहीं की गयी थी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की प्रक्रिया नियमानुसार ग्रा0अ0वि0 द्वारा आरम्भ की जानी थी और इस हेतु एक अनुरोध ग्रा0अ0वि0 झाँसी को भेजा जायेगा। अग्रेतर, यह बताया गया कि ऑनलाइन सत्यापन हेतु एम0एम0–11 प्रपत्रों का कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है।

2.4.18 निष्कर्ष

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि:

- उपखनिजों का उत्खनन पर्यावरण मंजूरी (पम) के बिना किया गया था जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि पाँच पट्टाधारकों और 2,909 ईंट भट्टा मालिकों को बिना किसी पम के खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी, 30 पट्टाधारकों को पम में अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी एवं 40 पट्टाधारकों द्वारा 191.77 एकड़ की पट्टा भूमि में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था। अग्रेतर, इन उल्लंघनों के लिए शासन ने खनिजों का मूल्य धनराशि ₹ 179.57 करोड़ वसूल नहीं किया।

- 58 पट्टाधारकों के मामलों में खनन योजना को दाखिल करने एवं अनुमोदन की आवश्यकता की उपेक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त 15 पट्टाधारकों को खनन योजना का नवीनीकरण कराये बिना खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति दी गयी थी तथा 12 पट्टाधारकों को खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से बहुत अधिक खनिज के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी। इस प्रकार, खनन नियामकों का खनन की पर्यावरणीय संवेदी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं था एवं दुर्लभ संसाधनों को निर्विवाद रूप से दोहन की अनुमति दी गयी। शास्ति ₹ 282.22 करोड की वसूली के द्वारा भी इस उल्लंघन की भरपाई नहीं की गयी।

- विभाग ने अनिवार्य त्रैमासिक विवरण के प्रस्तुतीकरण, दरों के संशोधन से रायल्टी के अन्तर की वसूली, खनिजों के मूल्य का आकलन करना एवं रायल्टी/अपरिहार्य भाटक आदि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुश्रवण नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने तथ्यों की विरुद्ध जाँच नहीं की जिससे अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन हुआ। इस प्रकार, शासन राजस्व ₹ 477.93 करोड़ से वंचित रहा।

2.4.19 संस्तुतियों का सारांश

हम निम्नलिखित संस्तुति करते हैं:

- **खनन योजना/पर्यावरण मंजूरी के अनुमोदन के पश्चात ही उपखनिजों के उत्खनन की अनुमति दी जानी चाहिए।**

- **लापरवाही और/या संलिप्तता की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए।**

2.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

भू–तत्व एवं खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में खनिजों के मूल्य, रायल्टी, अनुज्ञा शुल्क की वसूली न किये जाने और शास्ति नहीं आरोपित किये जाने के मामले दर्शाये गये जिनका उल्लेख इस अध्याय में अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

2.6 खनिज का मूल्य नहीं वसूला जाना

विभाग द्वारा एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के लिये 112 सिविल कार्य ठेकेदारों से खनिजों के मूल्य ₹ 6.71 करोड़ के अतिरिक्त शास्ति ₹ 28.0 लाख की धनराशि वसूल नहीं किया गया।

एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 4(1–क) एवम् धारा 21(1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 70(1) प्रावधानित करता है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य किसी साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास प्रपत्र एम0एम0–11 में निर्गत करे। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी प्रपत्र एम0एम0–11 के बिना, रेलवे को छोड़कर किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 का नियम 3 प्रावधानित करता है कि कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक से जारी वैध अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके एकत्र किए जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा, न उसे ले जायेगा, अथवा न परिवहन करायेगा और न किसी माध्यम से ले जाने का कार्य करायेगा। एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत उस के मूल्य की वसूली अनिवार्य है। यदि ठेकेदार रायल्टी प्राप्ति रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 या प्रपत्र सी में प्रस्तुत नहीं करता, आ0 एवं वि0अ0 ठेकेदार के बिल से रायल्टी एवं खनिज मूल्य की कटौती करेगा और उसे कोषागार में जमा करेगा। सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में यह दोहराया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि रायल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतया रायल्टी का पाँच गुणा) की ठेकेदार के बिल से कटौती होगी और राजकोष में जमा किया जायेगा।

हमने (जून 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) चार[11] जि0खा0का0 में विवरणियों एवं कोषागार स्क्रोल की जाँच की और देखा कि कार्यदायी संस्थाओं ने 112 निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने बिल के साथ एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया। कार्यदायी संस्थाओं ने बिल से रायल्टी ₹ 1.34 करोड़ की कटौती की और धनराशि को कोषागार में जमा किया। विभाग ने खनिज का मूल्य ₹ 6.71 करोड़ और शास्ति ₹ 28.00 लाख नहीं वसूल किया।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने बताया कि शासन के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का क्रियान्वयन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 31 मार्च 2016 के द्वारा स्थगित कर दिया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि माननीय उच्च

[11] अमेठी, कन्नौज, प्रतापगढ़ एवं संत कबीर नगर।

न्यायालय ने रिट याचिका को निपटाते हुये 01 अगस्त 2016 को स्थगन रद्द कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि सरकार का आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 सही और वैध था तथा जनहित में जारी किया गया था। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसूलियाँ प्रभावी हो सकती हैं।

2.7 ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी और अनुज्ञा पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया गया

39 ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा 2013–14 से 2014–15 की अवधि के लिये रायल्टी और अनुज्ञा पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 17.48 लाख, ब्याज ₹ 6.72 लाख और अनुज्ञा पत्र शुल्क ₹ 78000 वसूल नहीं किया गया था।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) के अन्तर्गत ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 2,000 प्रति ईंट भट्ठा अदा करने के बाद ईंट भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के आधार पर निर्धारित दरों पर रायल्टी की समेकित धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित है। अग्रेतर, ओ0टी0एस0एस0 प्रावधानित करता है कि यदि ईंट भट्ठा स्वामी रायल्टी की समेकित धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करायेगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 के अनुसार किराया, रायल्टी फीस या शासन को देय अन्य धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है। 2 नवम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार रायल्टी की नई दर ₹ सत्ताइस प्रति हजार ईंट है।

हमने (जून 2015 और जुलाई 2015 के मध्य) तीन[12] जि0खा0का0 में ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पृथक पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की जाँच की और देखा कि अक्टूबर 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान 39 ईंट भट्ठे संचालित थे। तथापि, इन ईंट भट्ठा स्वामियों ने 2013–14 से 2014–15 की अवधि के लिये योजना में विनिर्दिष्ट कोई रायल्टी और अनुज्ञा पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों (जि0खा0अ0) द्वारा न तो उनके व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू की गयी और न ही देय रायल्टी ₹ 17.48 लाख, ब्याज ₹ 6.72 लाख और अनुज्ञा पत्र शुल्क ₹ 78000 की वसूली के लिये प्रयास किया गया।

हमने मामले को शासन और विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015 से सितम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

[12] बस्ती, कन्नौज एवं प्रतापगढ़

2.8 ईंट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी की कम वसूली

61 ईंट भट्टा मालिकों ने संशोधित दर पर आरोपणीय ₹ 33.90 लाख के बजाय संशोधन–पूर्व की दर पर रायल्टी ₹ 22.60 लाख जमा किया था। इसके परिणामस्वरूप ईंट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी ₹ 11.30 लाख का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 21 प्रावधानित करता है कि रायल्टी समय समय पर संशोधित दर के आधार पर देय होगी। राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0 2974/86–2012–200/77 टी0सी0 II लखनऊ द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2012 द्वारा रायल्टी और अपरिहार्य भाटक की दरों में संशोधन दिनांक 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी कर दिया गया है। ईंट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी के लिये दिनांक 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी संशोधित रायल्टी की दर ₹ अठारह प्रति हजार से ₹ सत्ताइस प्रति हजार कर दी गयी थी।

हमने (जून 2015) जि0खा0का0 कन्नौज एवं प्रतापगढ़ में ईंट भट्टा पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि विभाग ने नमूना जाँच किये गये 69 में से 61 प्रकरणों में अगस्त 2012 से मई 2015 की अवधि के दौरान संशोधित दर से रायल्टी का आरोपण नहीं किया। ईंट भट्टा मालिकों ने संशोधित दर पर रायल्टी ₹ 33.90 लाख जमा करने के बजाय संशोधन–पूर्व की दर पर ₹ 22.60 लाख जमा किया। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 11.30 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय–III
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988, (मो0या0अ0), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, (के0मो0या0नि0), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली 2011 (कै0बा0रो0नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी अध्यादेशों, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0) 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 में विभाग ने ₹ 4,410.53 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2015–16 के दौरान हमने परिवहन विभाग की कुल 76 इकाइयों में से 44 वार्षिक इकाइयाँ तथा एक द्विवार्षिक इकाई की लेखापरीक्षा की आयोजना की और उपरोक्त आयोजित सभी इकाइयों की नमूना जाँच किया। चयन का आधार राजस्व संग्रह एवं इकाइयों के विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन था। हमने कर के कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 620.70 करोड़ के 325 मामले पाये जो **सारणी 3.1** में दर्शायी गयी निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

सारणी 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)
क्र0 सं0	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**धनराशि**
1.	**"परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की निष्पादन लेखा परीक्षा**	1	596.77
2.	**कम वसूली**		
	• यात्रीकर / अतिरिक्त कर	65	15.46
	• माल कर	–	–
3.	**कर का अपवंचन**		
	• यात्रीकर / अतिरिक्त कर	100	4.72
	• माल कर	–	–
4.	**अन्य अनियमिततायें**	159	3.75
	योग	**325**	**620.70**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

चार्ट 3.1

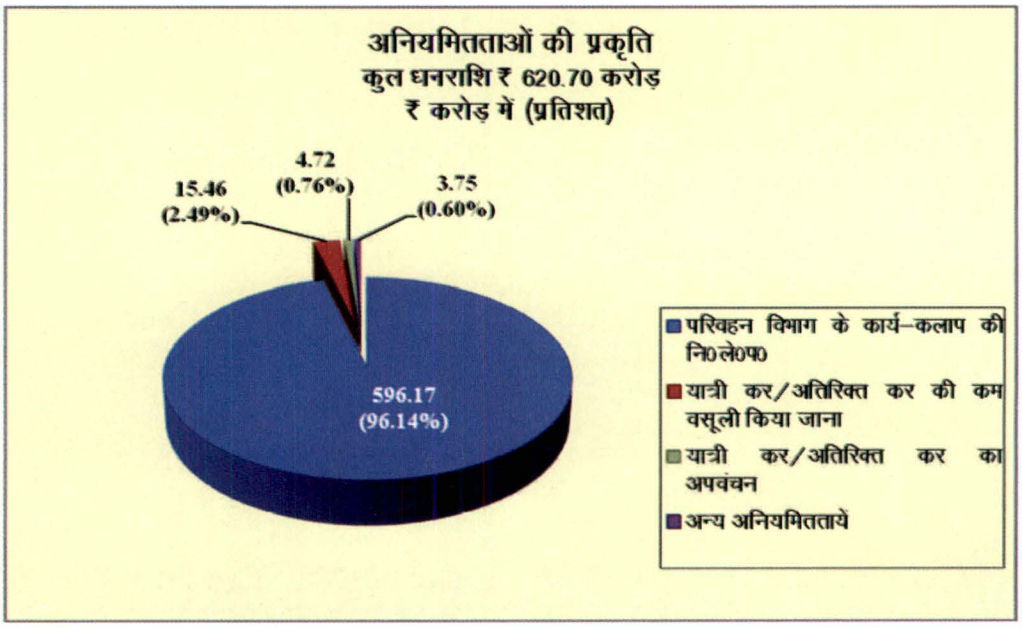

वर्ष के दौरान विभाग ने 52 मामलों में ₹ 569.81 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 44 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 569.76 करोड़ को 2015–16 में इंगित किया गया था तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में थे। वर्ष 2015–16 में 39 प्रकरणों में ₹ 34.06 लाख की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें 31 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 29.41 लाख वर्ष 2015–16 में इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

"परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की निष्पादन लेखा परीक्षा में सन्निहित ₹ 596.77 करोड़ एवं अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामलों सन्निहित ₹ 15.69 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

3.3 "परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की निष्पादन लेखा परीक्षा

प्रमुख अंश

- नवम्बर 2009 और मार्च 2016 के मध्य 26,592 चार पहिया हल्के माल वाहनों और स्कूल मैक्सी कैब पर एकबारीय कर ₹ 26.79 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.3.9 एवं 3.3.10)

- नवम्बर 2009 और मार्च 2016 के मध्य नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर और अर्थदण्ड ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया और उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त कर ₹ 360.33 करोड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.3.14)

- फरवरी 2014 और मार्च 2016 के मध्य बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 9,942 वाहनों पर अर्थदण्ड सम्मिलित करते हुये ₹ 4.56 करोड़ स्वस्थता शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। ऐसे वाहनों के संचालन ने लोक सुरक्षा से भी समझौता किया।

(प्रस्तर 3.3.15)

- विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण ₹ 109.06 करोड़ दुर्घटना पीड़ितों के लिये अप्रैल 2012 और मार्च 2016 के मध्य जमा नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3.3.17)

- अक्टूबर 2012 और मार्च 2016 के मध्य ठेका एवं मंजिली वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.76 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 3.3.18)

- जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा 839 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों जिनको अधिक भार लदान के लिये बन्द किया गया था के प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.3.19)

- परिवहन कार्यालयों के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ या बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना न होने के साथ ही साथ वाहनों के प्रदूषण की जाँच के लिये आधारभूत संरचना की कमी थी।

(प्रस्तर 3.3.22)

- 12,41,085 वाहन सन्निहित मूल्य धनराशि ₹ 43,564.38 करोड़ बैंकों में बंधक थे। विभाग द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार शासन ₹ 162.70 करोड़ की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

(प्रस्तर 3.3.26)

- क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया था। स्वीकृत पदों के सापेक्ष अनुषंगिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप कार्य की अधिकता थी और राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 3.3.29 एवं 3.3.31)

3.3.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988, (मो0या0अ0), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, (के0मो0या0नि0), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007(कै0बा0रो0अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी अध्यादेशों, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

अधिक नियंत्रण, त्वरित अनुश्रवण तथा नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिये विभाग का मुख्य कार्य चालक अनुज्ञप्ति, पंजीयन प्रमाण–पत्र, स्वस्थता प्रमाण–पत्र, व्यापार प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय परमिट, ठेका वाहन परमिट, मंजिली वाहन परमिट आदि जारी करना है।

गैर परिवहन यान के सम्बन्ध में मोटरयानों का कर, एक बारीय कर 15 वर्षों के लिये वसूल किया जाता है जबकि परिवहन यानों से कर एवं अतिरिक्त कर, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक वसूल किया जाता है।

3.3.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्रों में तीन अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा किया जाता है।

क्षेत्र स्तर पर मण्डलों में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), परिक्षेत्र में 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा उप परिक्षेत्र में 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) होते है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के पास होता है।

विभाग के संगठनात्मक ढाँचे का चार्ट निम्नवत है:

चार्ट 3.2 संगठनात्मक ढाँचा

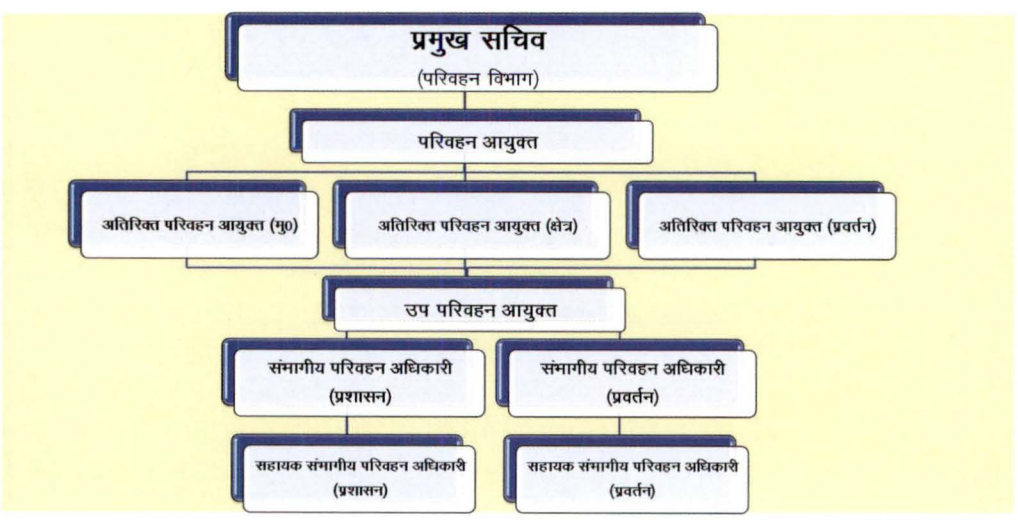

राज्य में 114 प्रवर्तन दल, जिसमें एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक और तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं जो मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं। मुख्यालय पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) और मण्डलीय[1] स्तर पर छः उप परिवहन आयुक्तों के नियंत्रण एवं देख–रेख में दो विशेष प्रवर्तन दल मुख्यालय में नियुक्त हैं और नौ संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जनपद स्तर पर नियुक्त हैं।

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या

- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिए तथा समय से शासकीय लेखे में जमा किये जाने हेतु अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था;
- राजस्व के रिसाव के साथ–साथ वाहन प्रदूषण को रोकने की जाँच/नियंत्रण के लिए प्रवर्तन शाखा के कार्य–कलाप प्रभावी थे; तथा
- राजस्व के संग्रहण के लिए उपयुक्त बजट की तैयारी/लक्ष्य का निर्धारण तथा राजस्व की चोरी/रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विद्यमान था।

3.3.4 लेखापरीक्षा का मानदण्ड

लेखापरीक्षा का मानदण्ड निम्न से निर्धारित किया गयाः

- मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम),
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0 नियमावली),
- कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0अधिनियम),
- कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0नियमावली),
- उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम)
- उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), और
- समय–समय पर विभाग और शासन द्वारा जारी परिपत्र और अध्यादेश।

3.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

परिवहन विभाग के कार्य–कलाप से आच्छादित निष्पादन लेखापरीक्षा 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कर/शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने में परिवहन विभाग की दक्षता एवं प्रभावशीलता जानने के उद्देश्य से अक्टूबर 2015 से मई 2016 के मध्य सम्पादित की गयी। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा में संवीक्षा हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के साथ–साथ 75 में से 19 जनपदीय परिवहन कार्यालयों (ज0प0का0) (सं0प0का0/स0सं0प0का0) का चयन किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने 2011–12 से 2015–16 की अवधि में सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 द्वारा वसूले गये औसत वार्षिक राजस्व के आधार पर इकाइयों

[1] आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी।

को उच्च, मध्यम, और निम्न जोखिम[2] क्षेत्रों में विभाजित किया। 19 जिला परिवहन कार्यालयों में उच्च जोखिम क्षेत्र के 13 जिला परिवहन कार्यालयों में से नौ[3] कार्यालय, मध्यम जोखिम क्षेत्र के 31 जिला परिवहन कार्यालयों में से आठ[4] कार्यालय और निम्न जोखिम क्षेत्र के शेष 31 जिला परिवहन कार्यालयों में से दो[5] कार्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श आधार पर किया गया।

3.3.6 लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति

हमने चयनित जिला कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में कराधान पंजिका, पंजीयन पंजिका, पत्रावलियाँ, परमिट पंजिका, स्वस्थता प्रमाण–पत्र पंजिका आदि की नमूना जाँच की। अग्रेतर, हमने चयनित जिला परिवहन कार्यालयों से कम्प्यूटराइज्ड आँकड़ें प्राप्त किया। कम्प्यूटराइज्ड आँकड़ों का जिला कार्यालयों में तैयार किये गये हस्त अभिलेखों से मिलान किया।

एक प्रारम्भिक गोष्ठी शासन एवं विभाग के साथ 20 जनवरी 2016 को आयोजित की गयी जिसमें विशेष सचिव, परिवहन विभाग ने शासन तथा परिवहन आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया। शासन एवं विभाग के साथ एक समापन गोष्ठी का आयोजन 16 अगस्त 2016 को किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उपसचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग से चर्चा की गयी। शासन/विभाग के अभिमत को संगत प्रस्तरों में शामिल किया गया है।

3.3.7 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान लेखा शीर्ष (0041 एवं 0042) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **सारणी 3.2** में दिया गया है:

सारणी 3.2

बजट अनुमान और वास्तविक में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान और वास्तविकता में भिन्नता	कमी का प्रतिशत
2011–12	2,329.95	2,380.67	50.72	2.18
2012–13	3,093.90	2,993.96	–99.94	–3.23
2013–14	3,713.00	3,442.01	–270.99	–7.30
2014–15	3,950.00	3,797.58	–152.42	–3.86
2015–16	4,658.00	4,410.53	–247.47	–5.31

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

[2] उच्च जोखिमः जहाँ वार्षिक राजस्व संग्रहण ₹ 50 करोड़ से अधिक था।
मध्यम जोखिमः जहाँ राजस्व संग्रहण की सीमा ₹ 50 करोड़ से ₹ 20 करोड़ के मध्य थी।
निम्न जोखिमः जहाँ राजस्व संग्रहण ₹ 20 करोड़ से कम थी।

[3] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर और मथुरा।

[4] सं0प0अ0 झाँसी, और स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन, रायबरेली, शाहजहांपुर, और उन्नाव।

[5] स0सं0प0अ0 हाथरस और मऊ।

चार्ट 3.3

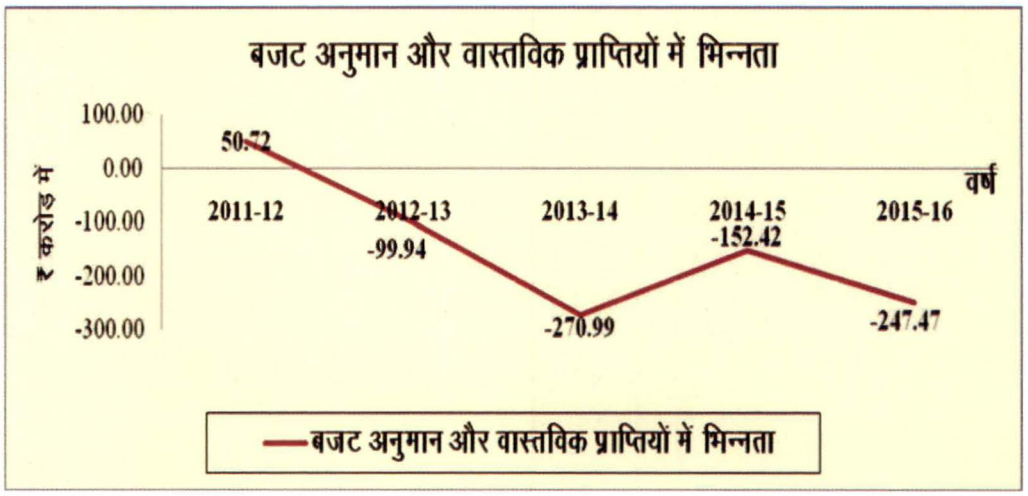

उपर्युक्त चार्ट दर्शाता है कि विभाग 2011–12 को छोड़ कर बजट अनुमान को प्राप्त नहीं कर सका।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर का कारण बजट अनुमान के आगामी वित्तीय वर्ष के पाँच माह पूर्व ही तैयार होना बताया है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि बजट अनुमान की तैयारी यथार्थ नहीं थी। विभाग 2011–12 को छोड़ कर किसी वर्ष में निर्धारित बजट अनुमान को प्राप्त नहीं का सका।

3.3.8 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु परिवहन विभाग का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

राज्य परिवहन उपक्रम के परिवहन यान/परिवहन यान/गैर परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी लोक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक अतिरिक्त कर/कर तथा विभिन्न शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो। अधिनियम एवं नियमों के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर हमारे निष्कर्षों सन्निहित धनराशि ₹ 420.65 करोड़, का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है।

3.3.9 हल्कें चार पहिया माल वाहनों पर एकबारीय कर का कम आरोपण

चार पहिया 25,435 हल्के माल वाहनों पर एकबारीय कर ₹ 24.73 करोड़ कम आरोपित किया गया।

धारा 4 की उपधारा (1) प्रावधानित करती है कि चार पहिया माल यान जिसका लदान रहित वजन 1,000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5,000 किलोग्राम से अनधिक हो पर एकबारीय कर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत आरोपित होगा। विभाग ने धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चार पहिया माल यान पर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत के बजाय एकबारीय कर ₹ 7,600 प्रति मीट्रिक टन से कर का आरोपण किया। उ0प्र0मो0या0 कराधान अधिनियम की धारा 4(1–अ) प्रावधानित करती है कि तीन

पहिया मोटर कैब और माल सहित 3,000 किलोग्राम तक वजन वाले माल वाहन पर, प्रत्येक मीट्रिक टन माल सहित के लिए या आंशिक भाग के लिए एकबारीय कर की दर ₹ 7,600 प्रति मीट्रिक टन आरोपित होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों के वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटा बेस, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया और पाया कि 54,636 में से 25,435 चार पहिया माल वाहन अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान पंजीकृत थे। विभाग ने धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चार पहिया माल वाहनों पर वाहन के मूल्य का 7 प्रतिशत के बजाय ₹ 7,600 प्रति मीट्रिक टन से एकबारीय कर आरोपित किया। परिणामस्वरूप एकबारीय कर ₹ 24.73 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि धारा 4(1–अ) के प्रावधान सभी वाहनों जिनका स0या0भा0 3,000 किलोग्राम से अनधिक हो पर लागू हैं।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि धारा 4(1–अ) के प्रावधान केवल तीन पहिया माल यान पर लागू हैं जबकि हमारा प्रेक्षण चार पहिया माल यान पर है जिसमें धारा 4(1) के प्रावधान लागू हैं।

3.3.10 स्कूल मैक्सी कैब वाहनों पर कर का कम आरोपण

स्कूल मैक्सी कैब वाहनों पर ऐसे वाहनों के लिये निर्धारित दर के बजाय एकबारीय कर आरोपित करने के कारण ₹ 2.06 करोड़ का कर कम आरोपित किया गया।

मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब पर लागू कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550 प्रति सीट प्रति तिमाही तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रति सीट प्रति तिमाही थी। यह भी प्रावधानित था कि मोटर वाहन, जो पूरी तरह शैक्षिक संस्थान के छात्रों के यातायात में और कारखाने के कर्मचारियों को संस्थान ले जाने–ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त हो पर कर की दर ₹ 550 और ₹ 660 की आधी होगी।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, वाहनों के डाटा बेस, रसीद बहियों और रोकड़बहियों की जाँच किया और 13 सं0प0का0/स0सं0प0का0[6] कार्यालयों में पाया कि 2,209 में से 1,057 वाहन शैक्षिक संस्थान के छात्रों और कारखाने के कर्मचारियों के यातायात के लिए पंजीकृत (नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2015) थे किन्तु विभाग ने ऐसे वाहनों पर उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 4(2) में निर्धारित दर के बजाय एकबारीय कर आरोपित किया। परिणामस्वरूप कर की गलत दर लगाये जाने के कारण ₹ 2.06 करोड़ का कर कम आरोपित किया गया। **(परिशिष्ट–XI)**

[6] सं0प0अ0 आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हरदोई, हाथरस, जालौन, मथुरा, रायबरेली, शाहजहाँपुर, उन्नाव।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने मैक्सी कैब पर लगाये जाने वाले कर के सम्बन्ध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

3.3.11 गैर परिवहन (निजी) यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

पंजीयन समाप्त हो चुके 5,597 गैर परिवहन यानों से धनराशि ₹ 72.77 लाख के पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क और हरित कर की वसूली नहीं हुयी थी।

मो0या0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्रावधानित करती है कि गैर परिवहन[7] यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए किया जा सकता है। इसके लिए यान के पुनर्पंजीयन के समय स्वस्थता की जाँच भी आवश्यक है और इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए आरोपणीय है। अधिनियम की धारा 177 के अधीन गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए ₹ 200 पुनर्पंजीयन शुल्क तथा विलम्ब की दशा में ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है।

शासकीय आदेश दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुसार में कोई भी गैर परिवहन[8] यान जिसकी पंजीयन की वैधता मो0या0 अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गयी हो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक इससे सम्बन्धित पंजीयन के समय देय एकबारीय कर का 10 प्रतिशत निर्धारित हरित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि प्रवर्तन शाखा पाती है कि कोई यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाया जाता है तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ 5,000 तक विस्तारित हो सकेगा किन्तु ₹ 2,000 से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बहियों और रोकड़बहियों की जाँच किया और 16 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि 15,276 में से 5,597 गैर परिवहन हल्के मोटर यान जनवरी 1990 से फरवरी 2001 के दौरान 15 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत हुऐ थे। उक्त यानों का पंजीयन जनवरी 2005 और मार्च 2016 के मध्य समाप्त हो गया था। इनमें से किसी भी प्रकरण में प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत वाहन स्वामी के पते का परिवर्तन या मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयन का निरस्तीकरण अभिलेखों में नहीं पाया गया किन्तु इनमें से किसी भी वाहन का पुनः पंजीयन नहीं हुआ था तथा प्रवर्तन शाखा इन वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने में विफल रहा। विभाग द्वारा मांग, संग्रह और बकाया (डी0सी0बी0) पंजिका/अन्य पंजिकाओं की समय–समय पर समीक्षा भी नहीं हुयी। परिणामस्वरूप पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क और हरित कर की धनराशि ₹ 72.77 लाख की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–XII)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि सामान्यतः जब वाहन स्वामी पुनर्पंजीयन के लिये आता है पंजीयन प्राधिकारी के निरीक्षण के उपरान्त सभी देय आरोपित किये जाते हैं। तथापि विभाग का अभिमत स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि हमने नमूना जाँच के किसी भी प्रकरण में शुल्क और कर का आरोपण नहीं पाया।

---

[7] गैर परिवहन यान /निजी वाहनों का उपयोग लोक उद्देश्य हेतु नहीं किया जाता है।

[8] परिवहन यानों का उपयोग लोक उद्देश्यों हेतु किया जाता है।

शासन पंजीकृत गैर परिवहन यानों (निजी वाहनों) जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, की पहचान के लिये समय–समय पर समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

3.3.12 अन्य राज्यों के वाहनों को पंजीयन चिन्ह का आवंटन न किया जाना

अन्य राज्यों से आये वाहनों को राज्य का पंजीयन चिन्ह आवंटित नहीं किया गया, इस प्रकार, सड़क पर संचालित पाये गये 1,621 अन्य राज्य के वाहनों से समनुदेशन शुल्क धनराशि ₹ 7.70 लाख वसूल नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 47 (1) तथा के0मो0या0 नियमावली के नियम 81 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब एक राज्य में पंजीकृत कोई मोटर यान दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा जाता है, तब वाहन स्वामी उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीयन अधिकारी को नया पंजीयन चिन्ह प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा तथा उस पंजीयन प्राधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। भारी, मध्यम, हल्के यान तथा गैर परिवहन यान को पंजीयन चिन्ह आवंटन के लिए देय शुल्क क्रमशः ₹ 600, ₹ 400, ₹ 300 तथा ₹ 200 है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहनों के डाटाबेस और वाहनों की पत्रावलियों की जाँच किया और 11[9] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत 2,461 में से 1,621 वाहन उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) में लाये गये एवं पंजीकृत हुये (जनवरी 2011 से मार्च 2015) एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में संचालित थे। यद्यपि वाहनों के स्वामी एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में कर जमा कर रहे थे फिर भी उन्होंने नये पंजीयन चिन्ह आबंटन करने हेतु आवेदन नहीं किया। विभाग ने नये पंजीयन चिन्ह आबंटन करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया और प्रवर्तन शाखा ने इन वाहनों को निरुद्ध नहीं किया। इस प्रकार, शासन को ₹ 7.70 लाख के राजस्व से वंचित होना पडा।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि जनपदों में वाहन वार विवरण तैयार कराया जा रहा है।

3.3.13 अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना

कराधान अधिकारियों ने 2,433 वाहनों में से 458 वाहनों जो तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये थे, से देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.18 करोड़ की वसूली नहीं की ।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली का नियम 22 प्रावधानित करता है कि जब परिवहन यान स्वामी अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग से बाहर करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करना होगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी

[9] सं0प0अ0 इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी और स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, जालौन, मथुरा, मऊ और रायबरेली।

यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्च, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके सम्बन्ध में प्रयोग न करने की सूचना पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के अभ्यर्पण पंजिका, वाहनों की पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और माल कर पंजिका की जाँच किया और 16 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि जनवरी 2014 से नवम्बर 2015 की अवधि के दौरान 2,433 में से 458 वाहन एक वर्ष में तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। यद्यपि सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि का विस्तार प्रदान नहीं किया गया लेकिन कराधान अधिकारियों ने उन पर देय कर/अतिरिक्त कर की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की तथा प्रवर्तन शाखा वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने में असफल रही। परिणामस्वरूप कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.18 करोड़ की वसूली नहीं हुयी **(परिशिष्ट-XIII)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सभी सं0प0का0/स0सं0प0का0 को इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3.3.14 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

3.3.14.1 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों मे मार्ग एवं कर पत्रावलियों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और चालान की जाँच की और छः[10] सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों में पाया कि नवम्बर 2009 और मार्च 2016 के मध्य नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 1,020 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) की बसों में से 721 बसें नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित हो रही थीं एवं अतिरिक्त कर ₹ 25.77 करोड़

[10] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 मथुरा।

के भुगतान की दायी थीं। परिवहन अधिकारियों ने इन वाहनों पर कोई कार्यवाही, यथा अतिरिक्त कर जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करना, विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को निरुद्ध करना या अतिरिक्त कर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और सभी परिवहन अधिकारियों को ऐसी बसों जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर संचालित पायी जाती हैं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया।

3.3.14.2 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 185.91 करोड़ एवं अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के साथ पठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 9 और 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। प्रमुख सचिव ने 20 फरवरी 2006 के पत्र द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0नि0 को देय सम्पूर्ण अतिरिक्त कर सीधे कोषागार में जमा कराने तथा मूल चालान को मुख्यालय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया था। माह के 15 तारीख के पश्चात विलम्ब से कर/अतिरिक्त कर का भुगतान किये जाने के मामले में देय कर/अतिरिक्त कर का 5 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय था।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 और परिवहन आयुक्त कार्यालयों के कर/अतिरिक्त कर की पत्रावलियों के अभिलेखों, कर विवरणी एवं चालानों की जाँच किया और देखा कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 के अनुसार कर/अतिरिक्त कर का निर्धारण एवं आरोपण परिवहन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था तथा प्रमुख सचिव का आदेश केवल कर जमा करने के लिए मार्च 2007 तक लागू था। उ0प्र0रा0स0प0नि0 मार्च 2007 के बाद कर के निर्धारण एवं कोषागार में जमा करने के लिए अधिकृत नहीं था। किन्तु इन प्रकरणों में उ0प्र0रा0स0प0नि0 के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सड़क पर संचालित बसों पर अतिरिक्त कर को निर्धारित एवं जमा किया गया और तदन्तर मार्च 2011 तक वसूली हेतु ₹ 745.27 करोड़ का बकाया सृजित हो गया। सड़क पर संचालित 44,674 बसों पर निरन्तर अतिरिक्त कर का कम निर्धारण/भुगतान किये जाने के कारण अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान वसूली हेतु ₹ 185.91 करोड़ का अतिरिक्त बकाया हो गया। इसके अतिरिक्त ₹ 174.42 करोड़ अर्थदण्ड भी आरोपणीय था। दस वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी विभाग ने उ0प्र0रा0स0प0नि0 के

अन्तर्गत संचालित वाहनों पर अतिरिक्त कर के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ आरोपित करने के अलावा, अतिरिक्त कर ₹ 185.91 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया। विवरण **सारणी 3.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी 3.3

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ करोड़ में)

कम सं0	वर्ष	वाहनों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान देय अतिरिक्त कर	वर्ष के दौरान जमा अतिरिक्त कर	वर्ष के दौरान शेष रहा अतिरिक्त कर	31.03.2016 तक देय अर्थदण्ड
1.	2011–12	8,325	222.61	124.00	98.61	98.61
2.	2012–13	8,634	220.95	176.16	44.79	44.79
3.	2013–14	9,318	230.84	200.54	30.30	30.30
4.	2014–15	9,128	227.43	227.22	00.21	00.12
5.	2015–16	9,269	225.00	213.00	12.00	00.60
	योग	**44,674**	**1,126.83**	**940.92**	**185.91**	**174.42**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों से अतिरिक्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली हेतु नोटिस जारी करने हेतु हमें आश्वासन दिया।

शासन उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित चूककर्ता वाहनों से राजस्व के संग्रहण के अनुश्रवण हेतु कर, संग्रह एवं बकाया पंजिका की समय–समय पर समीक्षा के लिए और अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र स्थापित कर सकता है।

3.3.15 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

देय कर का भुगतान स्वीकार करते समय कदाचित वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र है, की पड़ताल करने की विभाग में कोई प्रणाली नहीं है। परिणामस्वरूप 9,942 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे और स्वस्थता शुल्क ₹ 57.69 लाख तथा शास्ति ₹ 3.98 करोड़ आरोपण के लिये दायी थे।

मो0या0 अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 84 तथा 86 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना आवश्यक है और विफलता की दशा में उसका परमिट निरस्त अथवा एक निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। चूक की दशा में निर्धारित फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा ₹ 4,000 की दर से शमनीय होता है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 की कर पंजिकाओं, वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों एवं रोकड़ बहियों की जाँच किया और देखा कि 30,457 में से 9,942 वाहन फरवरी 2014 और मार्च 2016 के मध्य वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना

संचालित थे यद्यपि उनसे देय कर वसूल किया गया था। वाहन सॉफ्टवेयर में स्वस्थता प्रमाण पत्र समाप्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी किन्तु विभाग इन प्रकरणों को चिन्हित करने में विफल रहा। वाहन स्वामियों को जहाँ स्वस्थता समाप्त हो चुकी थी, कर के भुगतान से रोकने हेतु विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं था। इन वाहनों जिनका स्वास्थता प्रमाण पत्र बहुत पहले ही कालातीत हो चुका था, के परमिट को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी करने हेतु विभाग ने न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता वाहन स्वामियों पर मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। यह स0स0प0अ0 (प्रशासन) की जिम्मेदारी थी कि ऐसे वाहनों को चिन्हित करे और प्रवर्तन शाखा के सहयोग से ऐसे वाहनों को रोकें। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता भी था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 57.69 लाख तथा शास्ति ₹ 3.98 करोड़ के आरोपण के दायी थे (**परिशिष्ट –XIV**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वाहनवार विवरण तैयार किये जा रहे हैं और बिना स्वस्थता के संचालित पाये जाने वाले वाहनों पर अर्थदण्ड आरोपित होगा। इस प्रकार विभाग ऐसे चूककर्ता वाहनों के बारे में अवगत था किन्तु उनके सड़क पर संचालन को रोकने में असफल रहा जो कि लोक सुरक्षा से समझौता था।

विभाग को राजस्व की हानि से बचने और जनसुरक्षा के हित में देय कर के भुगतान को स्वीकार करते समय सभी वाहनों के स्वस्थता की जाँच करने के लिये त्वरित कदम उठाना चाहिए।

3.3.16 परमिट में अनियमिततायें

3.3.16.1 बिना परमिट के संचालित वाहनों पर परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अर्थदण्ड शुल्क का आरोपित न किया जाना

परमिट के नवीनीकरण के बिना सड़क पर संचालित 625 वाहनों से परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शमन शुल्क धनराशि ₹ 45.43 लाख वसूल नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 66 प्रावधानित करती है कि बिना वैध परमिट के कोई वाहन स्वामी मोटर यान का प्रयोग एक परिवहन यान के रूप में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा या प्रयोग की अनुमति नही देगा। मोटर यान अधिनियम की धारा 81 के अनुसार अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की वैधता पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 125 में नये परमिट जारी करने के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए और आवेदन के लिए शुल्क की दर निर्धारित है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत बिना परमिट के संचालित वाहन ₹ 4,000 की दर से शमनीय हैं।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच की और परिवहन आयुक्त एवं पाँच[11] सं0प0अ0 कार्यालयों में पाया कि 10,358 में से 625 ठेका वाहन, आटो/तिपहिया वाहन, मंजिली वाहन, स्कूल वाहन एवं माल वाहन परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद भी परमिट का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित थे (फरवरी 2010 से मार्च 2016)। परमिट की समाप्ति से सम्बन्धित सूचना वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध थी किन्तु विभाग इन प्रकरणों को चिन्हित करने में असफल रहा। विभाग ने न तो परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क और अर्थदण्ड की वसूली की और न ही कोई कार्यवाही यथा मो0या0 अधिनियम

[11] सं0प0अ0 आगरा, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

की धारा 66(1), 192 एवं के0मो0या0 नियमावली के नियम 125 के अन्तर्गत इन वाहनों को जब्त एवं निरुद्ध करने तथा परमिट स्वामियों को परमिट निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी करना, प्रारम्भ की। परिणामस्वरूप परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 45.43 लाख वसूल नहीं की गयी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि शास्ति केवल तभी आरोपित होगी एवं वसूली जायेगी जब वाहन सड़क पर बिना परमिट संचालित पाया जाता है और यह वाहन स्वामियों द्वारा परमिट नवीनीकरण न कराये जाने के आधार पर आरोपणीय नहीं होती है।

वास्तविकता यह है कि लेखापरीक्षा ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर देखा एवं निर्धारण किया कि 625 वाहन परमिट की वैधता की समाप्ति के बाद भी बिना नवीनीकरण कराये सड़क पर संचालित थे। विभाग के पास सूचना उपलब्ध होने के बावजूद प्रवर्तन शाखा को यह ऐसे वाहनों के अकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहा। परिणामस्वरुप प्रर्वतन शाखा ऐसे वाहनों को निरुद्ध करने और शास्ति आरोपित करने के अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही।

3.3.16.2 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का नवीनीकरण न किया जाना

मो0या0अ0 की धारा 81 प्रावधानित करती है कि एक परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। के0मो0या0 नियमावली के नियम 83 एवं 87(3) के अनुसार अखिल भारतीय पर्यटक परमिट और राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक से प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कि क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाय का नोटिस निर्गत करेंगे और निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर परमिट को निरस्त करेंगे।

- **राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया**

बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये सड़क पर संचालित पाये गये 393 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क धनराशि ₹ 68.78 लाख वसूल नहीं की गयी।

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार हेतु, प्राधिकार के लिये समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्रार्थनापत्र शुल्क हेतु धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टरों, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया और आठ[12] सं0प0अ0 कार्यालयों में देखा कि 3,150 में से 393 राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित माल वाहन के परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये, सड़क पर संचालित हो रहे थे (मार्च 2015 से मार्च 2016)। यह सभी सूचनायें वाहन

[12] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध थीं जिनका विश्लेषण उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 55(7), 56(7) के अनुसार राज्य स्तर पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो के द्वारा और सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग की प्रवर्तन शाखा मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत न तो इन वाहनों का पता लगा पायी और न ही विभाग ने परमिट के निरस्तीकरण करने हेतु उन परमिट स्वामियों को नोटिस जारी किया। अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं डिजिटल आँकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण का अभाव था। इस प्रकार उन सं0प0अ0 कार्यालयों में राष्ट्रीय परमिट के प्रचलन के दौरान प्राधिकार की अनुवर्ती निगरानी हेतु अनुश्रवण तंत्र का अभाव था। परिणामस्वरूप समेकित शुल्क एवं प्राधिकार पत्र शुल्क की धनराशि ₹ 68.78 लाख़ की वसूली नहीं की गयी थी।

• अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया

प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित पाये गये 938 पर्यटक वाहनों से प्राधिकार शुल्क एवं कोर्ट शुल्क धनराशि ₹ 6.57 लाख़ वसूल नही किया गया।

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्राधिकार के लिए, प्राधिकार हेतु प्राधिकार शुल्क ₹ 500 प्रति वर्ष के साथ कोर्ट शुल्क की धनराशि ₹ 200 शासकीय खाते में जमा होना था।

हमने चयनित सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टरों, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया और पाँच[13] सं0प0का0 में देखा कि 6,000 में से 938 अखिल भारतीय परमिट से आच्छादित पर्यटक वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, सड़क पर संचालित थे (जून 2014 से मार्च 2016)। यह सभी सूचनायें वाहन सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध थीं जिनका विश्लेषण उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 55(7), 56(7) के अनुसार राज्य स्तर पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो के द्वारा और सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग की प्रवर्तन शाखा मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत न तो इन वाहनों का पता लगा पायी और न ही विभाग ने परमिट के निरस्तीकरण करने हेतु उन परमिट स्वामियों को नोटिस जारी किया। अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं डिजिटल आँकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण का अभाव था। इस प्रकार उन सं0प0अ0 कार्यालयों में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रचलन के दौरान प्राधिकार की अनुवर्ती निगरानी हेतु अनुश्रवण तंत्र का अभाव था। परिणामस्वरूप प्राधिकार शुल्क एवं कोर्ट शुल्क धनराशि ₹ 6.57 लाख़ की वसूली नहीं की गयी।

[13] सं0प0अ0 बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया।

3.3.17 दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना और इसका प्रभाव

विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण दुर्घटना पीड़ितों के लिये अप्रैल 2012 से मार्च 2016 के मध्य ₹ 109.06 करोड़ जमा नहीं किये जा सके।

2009 में यथा संशोधित, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा–8(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी दुर्घटना जिसमें सार्वजनिक सेवा यान शामिल हो, के पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) कही जायेगी। धारा–4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा–6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय के राजस्व प्राप्तियों के मासिक विवरण की जाँच किया और पाया कि अप्रैल 2012 और मार्च 2016 की अवधि के मध्य विभाग द्वारा माल और यात्री वाहनों से कर और अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 5,453.04 करोड़ वसूल किया गया था। इस धनराशि का दो प्रतिशत ₹ 109.06 करोड़ उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 में जमा किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा इसे निधि में जमा नहीं कराया गया क्योंकि ऐसी कोई निधि स्थापित नहीं की गयी थी। हमने आगे देखा कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटना के 334 मामलों में यात्रियों या इन यात्रियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ 49.02 लाख का भुगतान बजट के मुख्य शीर्ष "2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" से किया गया। निधि स्थापना में विफलता ने अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य निष्प्रभावी कर दिया और क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के राजस्व बजट से करना पड़ा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 की स्थापना के लिए नियमों में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति में है।

प्रवर्तन शाखा की प्रभावशीलता

राज्य के परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के नियामक कार्यों में अपंजीकृत वाहनों का संचालन/बिना परमिट के वाहन/चालक अनुज्ञप्ति/स्वास्थता प्रमाण पत्र/प्रदूषण का मानक/अधिक भार लदे वाहन/कर अपवंचन और अधिनियम/नियमों के उल्लंघन के अपराधों की जाँच सम्मिलित है। उपर्युक्त कार्यों पर प्रवर्तन शाखा के कार्य–कलाप में पायी गयी कमियों में सन्निहित ₹ 8.85 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

3.3.18 ठेका एवं मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया

3.3.18.1 परमिट की शर्तों के उल्लंघन में ठेका वाहनों पर प्रशमन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

परमिट की शर्तों के उल्लंघन करते हुए सड़क पर संचालित पाये गये 10,241 ठेका वाहनों से प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.10 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

उ0प्र0मो0या0 नियमावली के नियम 70 के अन्तर्गत मोटर कैब से भिन्न ठेका पर चलने

वाले वाहन का स्वामी यात्रियों की सूची और वाहन के लॉग बुक का त्रैमासिक सारांश, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये परमिट की शर्तों और नियमों में वांछित है, प्रस्तुत करने हेतु दायी होता है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 ए, परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति परिभाषित करती है जो ₹ 4,000 प्रशमन शुल्क के आरोपण को आकृष्ट करती है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 की पत्रावलियों एवं ठेका वाहनों के डाटाबेस की जाँच किया और परिवहन आयुक्त एवं पाँच[14] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में देखा कि 11,983 ठेका वाहनों में से 10,241 वाहन ठेका परमिट से आच्छादित थे और अक्टूबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि में संचालित थे किन्तु किसी वाहन स्वामी ने उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार यात्रियों की सूची और लॉग बुक प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.10 करोड़ न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग नें बताया कि लॉग बुक और/अथवा यात्रियों की सूची प्रस्तुत न करना शास्ति आकृष्ट नहीं करता क्योंकि यह परमिट शर्तों का उल्लंघन नहीं है।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सभी वाहन परमिट के शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना यात्रियों की सूची एवं वाहन लॉग बुक का त्रैमासिक सारांश प्रस्तुत किये संचालित थे और नियमित रूप से कर का भुगतान कर रहे थे किन्तु विभाग ने इन वाहनों पर शास्ति आरोपित नहीं किया।

3.3.18.2 परमिट की शर्तों के उल्लंघन में मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

परमिट की शर्तों के उल्लंघन में 1,648 मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 65.92 लाख आरोपित नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 72 मंजिली वाहनों के परमिट प्रदान करने हेतु विभिन्न शर्तें प्रावधानित करता है। उपरोक्त अधिनियम की उप धारा 2 (iii) विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे परमिटों को जारी करने के पश्चात सामान्यतः या विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रावधानित किये गये दैनिक ट्रिपों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या प्रस्तुत किया जाय। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 17 के अनुसार, प्रत्येक मंजिली वाहन का संचालक अधिनियम लागू होने के सात दिनों के अन्दर अथवा वाहनों के स्वामित्व में होने के, जैसा भी प्रकरण हो, कराधान अधिकारी को एक सारणी जिसमें मंजिली वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान का समय एवं प्रत्येक त्रैमास में की जाने वाली एकल यात्राओं का विवरण और ऐसे दूसरे विवरण जो उसके व्यवसाय से सम्बन्धित है जिसे कराधान अधिकारी समय–समय पर आवश्यकतानुसार आदेशित करे प्रस्तुत करेगा। परमिट शर्त का उल्लंघन प्रति प्रकरण ₹ 4,000 प्रशमन शुल्क का आरोपण आकृष्ट करता है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के मंजिली वाहनों की मार्ग पत्रावलियों की जाँच किया और 13 सं0प0का0/स0सं0प0का0[15] कार्यालयों में देखा कि नमूना जाँच किये सभी 1,648 मंजिली वाहन मंजिली वाहन परमिट से आच्छादित थे और सितम्बर 2011 से मार्च 2016 की अवधि में संचालित थे लेकिन किसी भी वाहन स्वामी ने वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान की समय सारणी जैसा कि नियमों के अन्तर्गत वांछित थी,

[14] सं0प0अ0 बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

[15] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, जालौन, मथुरा, मऊ और उन्नाव।

प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, इसके कारण विभाग न केवल प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 65.92 लाख से वंचित रहा बल्कि विभाग किसी दुर्घटना की दशा में फेरों और यात्रियों के विवरण की अनुपस्थिति में वास्तविक पीड़ितों, उनको देय क्षतिपूर्ति की गणना करने में भी सक्षम नही होगा और यह कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भी प्रभावित करेगा।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि परमिट शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में यदि वाहन स्वामी अभियोगों के प्रशमन के लिए आवेदन करता हैं तो उसके प्रार्थना पर प्रशमन शुल्क आरोपित किया जाता हैं और उन प्रकरणों में जहाँ वाहन स्वामी उपस्थित नहीं होते हैं, प्रकरणों को न्यायालय सन्दर्भित कर दिया जाता है।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवर्तन शाखा को परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिये चिन्हीकरण और दण्ड आरोपण करने का कार्य सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी वाहन बिना समय–सारणी और फेरों की संख्या प्रस्तुत किये संचालित थे और नियमित रूप से कर भुगतान कर रहे थे किन्तु प्रवर्तन शाखा द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिये एक भी वाहन को चिन्हित और निरुद्ध नहीं किया गया।

3.3.19 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

अधिक भार लदान के जिन 839 वाहनों को निरुद्ध किया गया था उन पर विभाग ने कैरिज बाई रोड़ अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि ₹ 2.58 करोड़ आरोपित नहीं की।

कैरिज बाई रोड अधिनियम की धारा 5 (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि पंजीयन अधिकारी या मो0या0 अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा–4[16] की उपधारा 8 के उपबन्धों के उल्लंघन का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अधीन विहित शास्ति आरोपित करने के लिये इस तथ्य के होते हुये भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति यथास्थिति, माल यान के चालक या स्वामी या प्रेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।

सामान्य वाहक के पंजीयन न कराने के सम्बन्ध में कैरिज बाई रोड अधिनियम की धारा 18 (1) प्रावधानित करती है कि यदि कोई धारा 3, धारा 13 के प्रावधानों का या धारा 14 के अन्तर्गत निर्गत किसी अधिसूचना का उलंघन करता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने जो ₹ चार हजार की सीमा तक से और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने जो ₹ सात हजार पाँच सौ की सीमा तक से, दण्डनीय होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभियोग पुस्तिका, अपराध एवं जब्ती पंजिकाओं और पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान 8,161 में से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के 839 मामले अधिक भार लदान में जब्त किये गये थे। विभाग ने मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत ₹ 2.25 करोड़ शास्ति आरोपित किया और वाहनों को मुक्त कर दिया। सभी 839 प्रकरणों में विभाग ने कै0बा0रो0 अधिनियम की धारा 5 (3) के अन्तर्गत ₹ 2.25 करोड़ शास्ति आरोपित करने के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। अग्रेतर, पंजीयन में

[16] कै0बा0रो0 अधिनियम की धारा–4(8) के प्रावधान के अनुसार, कोई सामान्य वाहक, मोटरयान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित उस सकल यान भार से अधिक भार नहीं लादेगा, जिसकी पंजीयन संख्या माल अग्रेषण टिप्पणी या माल रसीद में वर्णित है और सामान्य वाहक ऐसे वाहन में सकल यान भार से अधिक माल लादने की अनुमति नहीं देगा।

विफलता के लिये धारा 18 (1) के अन्तर्गत 839 प्रकरणों में ₹ 33.08 लाख की शास्ति भी आरोपित की जानी थी किन्तु विभाग ने केवल 12 प्रकरणों में धारा 18 (1) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की थी। यह दर्शाता है कि विभाग को प्रावधान की जानकारी थी किन्तु स0सं0प0अ0, प्रवर्तन शास्ति ₹ 2.58 करोड़ आरोपित करने में विफल रहे जिससे बचा जा सकता था यदि सं0प0अ0 (प्रवर्तन) द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती क्योंकि वे अपने विवेक का उपयोग करने के लिये सक्षम नहीं थे **(परिशिष्ट–XV)**।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सामान्य वाहकों पर शास्ति आरोपित की जायेगी, इन सामान्य वाहकों को चिन्हित कर वास्तविक देयों की गणना के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मंगायी जा रही थी।

शासन लापरवाही और/या संलिप्तता के प्रकरणों में विपथगामी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर सकता है।

3.3.20 जब्त वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली नहीं किया गया

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत, विभाग के प्रर्वतन शाखा द्वारा जब्त किए गये वाहन पर देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान हेतु वाहन स्वामी दायी होंगे तथा उसे अवमुक्त करायेंगे। जहाँ वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे वाहनों को जब्त किए जाने की तिथि के 45 दिनों के बाद नीलाम किया जा सकता है तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जाना चाहिये। अवशेष, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दिया जायेगा।

3.3.20.1 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं की गयी

विभाग 258 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने कारण ₹ 1.05 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया और 11[17] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में देखा कि जुलाई 2008 से नवम्बर 2015 की अवधि के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 297 में से 258 वाहन जब्त किए गये थे जिनके विरुद्ध देय ₹ 1.05 करोड़ वसूल होना था। इन वाहनों के स्वामियों ने जब्ती की तिथि से 45 दिनों के अन्दर देय धनराशि का भुगतान नहीं किया। जब्ती की तिथि से पाँच माह से सात वर्ष आठ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित कार्यालयों ने इन वाहनों की नीलामी द्वारा जब्त वाहनों से देय ₹ 1.05 करोड़ की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि अधिकारियों को समय–समय पर जब्त वाहनों की नीलामी हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

[17]सं0प0अ0 बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, जालौन, मथुरा, शाहजहांपुर और उन्नाव।

3.3.20.2 जब्त वाहनों की नीलामी से कम राजस्व वसूल होना

विभाग द्वारा 124 जब्त वाहनों की नीलामी से ₹ 30.16 लाख कम राजस्व वसूल किया गया।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया और पांच[18] सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों में पाया कि मई 2006 से सितम्बर 2014 के मध्य उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 43.04 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा नमूना जाँच किये गये 284 में से 124 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने फरवरी 2014 से मार्च 2016 के मध्य जब्त वाहनों की नीलामी की और देय धनराशि ₹ 43.04 लाख के विरुद्ध धनराशि ₹ 12.88 लाख की वसूली की। इस प्रकार जब्त वाहनों से धनराशि ₹ 30.16 लाख की वसूली नहीं हो सकी। सम्बन्धित कार्यालयों ने अवशेष धनराशि ₹ 30.16 लाख वसूलने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वाहनों के प्रकरण जहाँ धनराशि कम वसूल की गयी है, वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

3.3.20.3 जब्त वाहनों की नीलामी से अधिक प्राप्त धनराशि को वाहन स्वामियों को वापस नहीं किया गया

128 जब्त वाहनों की नीलामी से प्राप्त अधिक धनराशि ₹ 10.90 लाख को स्वामियों को वापस नहीं किया गया था।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और पांच[19] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि जनवरी 2009 से अगस्त 2014 तक उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 11.33 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा नमूना जाँच किये गये 284 में से 128 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जनवरी 2014 से फरवरी 2015 के मध्य जब्त वाहनों को नीलाम किया और देय धनराशि ₹ 11.33 लाख के विरुद्ध धनराशि ₹ 22.23 लाख की वसूली की। इस प्रकार, जब्त वाहनों से वसूल अधिक धनराशि ₹ 10.90 लाख स्वामियों को वापस नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नीलामी में प्राप्त अधिक धनराशि को वाहन स्वामियों को वापस किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

3.3.21 निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग

वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगे हुए 93 ट्रैक्टरों से कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 16.04 लाख वसूल नहीं किया गया।

उ0प्र0मो0या0 के अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत कृषि कार्य से भिन्न वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टरों पर प्रत्येक मीट्रिक टन वाहन के लदान रहित भार या उसके

[18] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद और स0सं0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर और हरदोई।

[19] स0सं0प0अ0 आगरा, गाजियाबाद, झाँसी एवं स0सं0प0अ0 हाथरस तथा उन्नाव।

भाग पर 18 अक्टूबर 2012 तक ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1,800 वार्षिक की दर से तथा 19 अक्टूबर 2012 से ₹ 525 प्रति त्रैमास या ₹ 1,890 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मो0या0 अधिनियम की धारा 66(1) सपठित धारा 192 के अन्तर्गत किसी मोटर वाहन के प्रयोग के प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2,500 जिसे बढ़ाकर 25 अगस्त 2010 से ₹ 4,000 कर दिया गया था, से दण्डनीय होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि छः[20] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में 93 कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर उपखनिज (बालू और साधारण मिट्टी) के परिवहन के वाणिज्यिक क्रिया कलापों में लगे थे। इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों के सुसंगत अभिलेखों से किया गया था। हमने अभियोजन पंजिका की जाँच में पाया कि विभाग ने वाणिज्यिक प्रयोग में लगे इन वाहनों से अन्तरीय कर की दर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड का आरापेण भी नहीं किया। परिणामस्वरूप कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 16.04 लाख वसूल नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग नें हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि छः स0सं0प0का0 में से एक में नोटिस जारी किया गया है।

3.3.22 वाहन जनित प्रदूषण

3.3.22.1 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सूचना की कमी

परिवहन कार्यालयों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के साथ या बिना प्रमाणपत्र के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना नहीं थी।

के0मो0या0 नियमावली के नियम 115(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत तिथि जिस पर मोटरयान प्रथमतः पंजीकृत किया गया था से एक वर्ष की एक अवधि की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक ऐसा यान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक अधिकरण द्वारा जारी एक वैध 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' (प्र0नि0प्र0) धारित करेगा। प्रमाणपत्र की वैधता छः माह की होगी। नियम 115(2) के अन्तर्गत यदि वाहन के प्रदूषण का मानक निर्धारित सीमा के अन्दर पाया जाता हैं तो प्रदूषण जाँच केन्द्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्र0नि0प्र0 जारी करेगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 एवं परिवहन आयुक्त कार्यालयों के प्रदूषण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की और पाया कि विभाग ने राज्य के 70 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में 787 निजी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अधिकृत किया था और शेष पाँच स0सं0प0का0 में कोई केन्द्र

[20] स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, शाहजहांपुर और उन्नाव।

नहीं था। चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 में 507 प्रदूषण जाँच केन्द्र थे। परिवहन आयुक्त और सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर में प्र0नि0प्र0 के साथ या बिना प्र0नि0प्र0 के संचालित वाहनों से सम्बन्धित कोई आँकड़ा/सूचना नहीं थी जिसे विभाग ने अपने उत्तर में पुष्टि करते हुये बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनांए एकत्रित की जा रही हैं।

3.3.22.2 वाहन के प्रदूषण की जाँच हेतु आधारभूत संरचना की कमी

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों एवं प0आ0 कार्यालय के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि आठ सं0प0का0/स0सं0प0का0 में धुँआ उत्सर्जन की जाँच करने वाले आवश्यक यंत्र खराब अवस्था में थे। शेष 11 में से 10 सं0प0का0/स0सं0प0का0 और 19 प्रवर्तन शाखा में इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं था। प्रदूषण के जाँच हेतु आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण निर्धारित मानकों के अनुसार वाहनों के प्रदूषण की जाँच नहीं की जा सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि जनपदों से विस्तृत सूचना मंगायी जा रही है।

शासन प्रदूषण मानक के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मचारियों की आवश्यक उपकरणों के साथ तैनाती पर विचार कर सकता है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

विभाग को अधिनियम/नियमों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु एक प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करना चाहिए। यह त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने तथा राजस्व के कम संग्रहण एवं अपवंचन के विरुद्ध समुचित सुरक्षा के लिए वित्तीय एवं प्रबन्धन सूचना की विश्वसनीय प्रणाली को सृजित करने में भी सहायता करता है। इसकी प्रभावशीलता बनाये रखने के लिए समय–समय पर इसकी समीक्षा और अद्यतन भी करना चाहिए। विभाग के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर हमारे निष्कर्षों सन्निहित ₹ 167.27 करोड़ का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है।

3.3.23 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2016 को राजस्व का बकाया ₹ 118.11 करोड़ था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान के राजस्व बकाये की स्थिति **सारणी 3.4** में प्रदर्शित है:

सारणी 3.4

राजस्व के बकाये का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2011–12	29.67	786.76	786.74	29.69
2012–13	47.44	949.83	943.43	53.84
2013–14	87.94	1,125.91	1,088.21	125.64
2014–15	124.94	1,187.74	1,175.87	136.81
2015–16	146.70	1,180.81	1,209.40	118.11

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हमने पाया कि वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ में निजी संचालकों के विरुद्ध ₹ 29.67 करोड़ बकाया था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर ₹ 118.11 करोड़ (298 प्रतिशत) हो गया। पाँच वर्ष से अधिक के बकाये का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा बकाया कम करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया गया। किसी वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष उसके पिछले वर्ष के अन्तिम अवशेष के आँकड़ों से मिलना चाहिये उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि ऐसा नहीं था। प्रत्येक वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम अवशेष से भिन्न है। इस प्रकार इससे निष्कर्ष निकला जा सकता था कि विभाग द्वारा बकाया के सम्बन्ध में बनायी गयी सूचना गलत थी और विभाग बकाये की वास्तविक धनराशि जिसकी वसूली किया जाना आवश्यक था, से अनभिज्ञ था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वर्ष दर वर्ष में भिन्नता का कारण पुराने वाहनों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण के कारण है। पाँच वर्षों से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास अब भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे उन चरणों को, जिनके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।

3.3.24 बकायों की वसूली

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम,1997 की धारा 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी शामिल रहेंगे, वाहन स्वामियों या संचालकों को जैसा कि प्रकरण हो प्रारूप जैसा कि निर्धारित हो में मांग पत्र जारी करेगा और नोटिस के 30 दिन की समाप्ति के पश्चात 45 दिन के अन्दर राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों को जारी करेगा।

धारा 22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि यदि देयों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता तो वाहन को जब्त करे एवं रोके और देयों की वसूली वाहनों की नीलामी द्वारा करे।

3.3.24.1 बकायों की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण तंत्र का अभाव

अनुश्रवण और निगरानी तंत्र के अभाव में 336 प्रकरणों में धनराशि ₹ 2.21 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वसूली प्रमाणपत्र पंजिकाओं एवं वाहनों की पत्रावलियों की जाँच की और 13[21] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में देखा कि 336 मामलों जिनके लिए नवम्बर 2012 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्र (व0प्र0प0) निर्गत किये गये थे, में ₹ 2.21 करोड़ का कर/अतिरिक्त कर बकाया था। हमने देखा कि ये व0प्र0प0 राजस्व की देय तिथि के बाद एक माह से 14 वर्ष छः माह के विलम्ब से निर्गत किये गये थे और इन अवशेष देयों की वसूली नहीं हो सकी थी। पत्रावलियों में इन अनिस्तारित व0प्र0प0 के विरुद्ध वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों के नियमित अनुश्रवण का कोई प्रमाण नहीं देखा गया। जिले के कराधान अधिकारियों ने धारा–22 के अन्तर्गत उन स्वामियों जो अपने देयों के प्रति विफल थे, के वाहनों की जब्ती आदि की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। हमने पाया कि नियमों में व0प्र0प0 निर्गत करने हेतु कोई समय बद्धता का प्रावधान नहीं था और विभाग के पास भी वसूली प्रमाण पत्रों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर निर्गमन के अनुश्रवण की कोई

[21] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, लखनऊ और स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, मथुरा, मऊ, शाहजहांपुर, और उन्नाव।

प्रणाली नहीं थी। अनुश्रवण और निगरानी तंत्र के अभाव में राजस्व धनराशि ₹ 2.21 करोड़ की वसूली नहीं हुई **(परिशिष्ट–XVI)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि ऐसे बकायों की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.3.24.2 राजस्व की वसूली किए बिना वसूली प्रमाण पत्र का वापस आना

धनराशि ₹ 1.86 करोड़ के 179 प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र राजस्व की वसूली के बिना वापस कर दिये गये।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के कर पंजिका, बकाया पंजिका वसूली प्रमाणपत्र निर्गम पंजिका एवं वाहन पत्रावलियों की जाँच किया और 12 सं0प0का0/स0सं0प0का0[22] में पाया कि 727 में से 179 मामलों में धनराशि ₹ 1.86 करोड की कर/अतिरिक्त कर बकाया था जिसके लिए अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्रों (व0प्र0प0) को अवशेष देयों के बकाये की वसूली हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्गत किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि व0प्र0प0 जारी करने के एक वर्ष से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी देयों की वसूली नहीं हो सकी और जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा व0प्र0प0 बिना वसूली हुए गलत पता/मृत्यु/कोई सम्पत्ति नहीं/बकायेदार के पिता का नाम अंकित नहीं, की टिप्पणी के साथ विभाग को वापस कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी सं0प0का0/स0सं0प0का0 की थी। पुनश्च, नियमानुसार विभाग द्वारा इसके वापसी के कारणों की जाँच करना चाहिए था और पुनः जारी करने हेतु सक्रिय प्रयास करना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने देखा कि व0प्र0प0 वापसी के किसी भी प्रकरण में सम्बन्धित सं0प0का0/स0सं0प0का0 ने कारणों की जाँच नहीं किया और सम्बन्धित जिला प्राधिकारी से आगे कोई पत्राचार नहीं किया।

विभाग अवशेष देयों की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्रों को पुनः जारी करने में विफल रहा और बकायेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्रभावी अनुश्रवण न करने के कारण धनराशि ₹ 1.86 करोड़ के देयों की वसूली नहीं हो सकी **(परिशिष्ट–XVII)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि इस प्रकार के बकाये की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

3.3.25 कार्यालय आदेश का विलम्बित अनुपालन

कार्यालय आदेश के विलम्बित अनुपालन के कारण धनराशि ₹ 49.75 लाख राजस्व कम आरोपित हुआ था।

के0मो0या0 नियमावली के नियम 115(7) के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 23 सितम्बर 1993 द्वारा विभिन्न डीजल/पेट्रोल चालित वाहनों के प्र0नि0प्र0 शुल्क हेतु ₹ 20 निर्धारित किया। जिसका ₹ 2 (10 प्रतिशत) निजी प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया जाना था। पुनश्च प्र0नि0प्र0 के प्रारूप के साथ ही साथ ये दरें भी आदेश सं0–109 प्रवि0/2013–01/सा0सु0/2012 दिनांक 21 जनवरी 2013 द्वारा संशोधित कर दी गयीं। नई दरें दो/तीन पहिया पेट्रोल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 वाहनों हेतु ₹ 30, चार पहिया पेट्रोल वाहनों हेतु ₹ 40 तथा

[22] मुख्य चूककर्ता सं0प0अ0/स0सं0प0अ0: फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और उन्नाव।

डीजल वाहनों हेतु ₹ 50 थी। इसी प्रकार आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 2013 द्वारा शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किया जाना था।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय के प्रदूषण प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों यथा भुगतान रजिस्टर, प्राप्ति एवं निर्गम रजिस्टर की जाँच किया और पाया कि विभाग ने पेट्रोल चलित वाहनों से 31 दिसम्बर 2013 तक एवं डीजल वाहनों से 24 जनवरी 2014 तक निरन्तर पूर्व संशोधित दरों से ही शुल्क प्राप्त किया और पुराने प्रारूप में प्रमाणपत्र जारी किया। पेट्रोल वाहनों के लिए कुल 20,96,000 प्रमाणपत्र एवं डीजल वाहनों के लिए 9,59,500 प्रमाणपत्र (कुल 30,55,500 प्रमाणपत्र) विभिन्न निजी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को निर्गत किये गये तथा इन प्रमाणपत्रों पर ₹ 61,11,000 की धनराशि (₹ 2 प्रति प्रमाणपत्र की दर से) राजकीय कोषागार में जमा की गयी जबकि ₹ 1,10,85,500 (न्यूनतम ₹ 3 प्रति पेट्रोल वाहन की दर से एवं ₹ 5 प्रति डीजल वाहन की दर से) कार्यालय आदेश दिनांक 21 जनवरी 2013 के अनुसार जमा किया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप ₹ 49.75 लाख कम आरोपित हुआ।

समापन गोष्ठी में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बतया कि प्रकरण की विवेचना की जा रही है तथा वसूली यदि देय हुई, सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा आदेश के विलम्बित अनुपालन के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया।

3.3.26 बन्धक अनुबन्धों के साथ पंजीकृत वाहनों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जाना।

विभाग ने स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया। इस प्रकार शासन राजस्व ₹ 162.70 करोड से वंचित रहा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 73 तथा अनुसूची 1–ख (6) के अनुसार चल सम्पत्ति का बन्धक, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार प्रमाणित होता हो जब ऐसा निक्षेप, आड़ या गिरवी, ऋण के रूप में दिये या दिये जाने वाले धन या किसी वर्तमान या भविष्य देनदारी की अदायगी की जमानत के रूप में किया गया हो; गिरवी की धनराशि के 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10,000 स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा, यदि ऐसा उधार या ऋण मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन माह से अधिक है, प्रति संदेय हैं, ऐसे प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को जिसका कर्तव्य यह देखना है कि उचित शुल्क अदा किया जा रहा है, या अन्य किसी अधिकारी को जा कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में उस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया गया हो। पुनश्च, मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 9 जून 2010 जो सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, आयुक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को सम्बोधित है, बल देते हुए अपेक्षा किया है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी अपंजीकृत विलेखों की छाया प्रति विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु सहायक आयुक्त, स्टाम्प को प्रस्तुत करेंगे।

हमने सभी चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के आँकडे एवं वाहन पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि 12,41,085 वाहन निहित मूल्य ₹ 43,564.38 करोड़ अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के मध्य बैंकों में बंधक किये गये थे जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। वाहनों के बन्धपत्रों का न तो विभाग ने निरीक्षण कराया और न ही उनको वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्रस्तुत किया गया। क्योंकि वाहन पंजीयन पत्रावलियों/ आँकड़ों में बन्धक ऋण की राशि उपलब्ध नहीं थी, लेखा परीक्षा ने बैंकों द्वारा सामान्यतया वाहनों के मूल्य के कम से कम 80 प्रतिशत तक ऋण अनुमन्य किया जाता है, को आधार मानकर कुल

ऋण की राशि ₹ 34,851.51 करोड माना। परिणामस्वरूप शासन ₹ 162.70 करोड की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा **(परिशिष्ट–XVIII)**।

समापन गोष्ठी में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में क्षेत्रीय अधिकारियों को बन्धक दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण की जाँच के लिये निर्देशित किया जायेगा। स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग ने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्धक वाहनों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिए निर्देश जारी किया है।

3.3.27 विभागीय मैनुअल का अस्तित्व में न होना

किसी भी विभाग के दक्ष तथा प्रभावी कार्यकलापों के लिए एक मैनुअल जिसमें कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों, अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के तैयार किये जाने वाले पंजिकाओं/विवरणियों का विवरण विहित हो, आवश्यक है।

हमने देखा कि विभाग में विभागीय मैनुअल अस्तित्व में नहीं है। विभाग द्वारा अगस्त 2008 में विभागीय मैनुअल बनाने के लिए एक समिति गठित की गई परन्तु समिति गठित होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी मार्च 2016 तक एक भी बैठक नहीं आयोजित हुई। कर्तव्यों, दायित्वों, क्रिया–विधियों तथा आन्तरिक नियंत्रण की स्थापित प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप विभाग, कार्यकारी क्षेत्रों में कमजोरी एवं इसे रोकने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने की योग्यता के प्रति सचेत नहीं हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि विभागीय मैनुअल की तैयारी हेतु समिति की बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

तथापि वास्तविकता यह है कि सात वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी विभाग ने विभागीय मैनुअल को तैयार किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया।

शासन यथाशीघ्र विभागीय मैनुअल तैयार करने तथा अपनाने पर विचार कर सकता है।

3.3.28 आन्तरिक लेखापरीक्षा

संगठन की आन्तरिक लेखापरीक्षा किसी संगठन के आन्तरिक नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) वित्त नियंत्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं छः लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 3.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.5
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	आ0ले0प0 हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आ0ले0प0 हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2011–12	101	36	22	14	38.88
2012–13	101	40	19	21	52.50
2013–14	101	31	22	09	29.03
2014–15	101	31	27	04	12.90
2015–16	103	36	30	06	16.77

स्रोतः विभाग से प्राप्त सूचना

यह प्रदर्शित करता है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा आयोजना यथार्थपरक नहीं है जैसा कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी 12.90 प्रतिशत से 52.50 प्रतिशत के मध्य रही।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि **सारणी 3.6** में दर्शायी गयी है।

सारणी 3.6
अनिस्तारित प्रस्तरों और धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2011–12	4,582	2,283.00	204	81.00	0	0.00	4,786	2,364.00
2012–13	4,786	2,364.00	137	73.00	12	13.00	4,911	2,424.00
2013–14	4,911	2,424.00	198	54.00	19	21.00	5,090	2,457.00
2014–15	5,090	2,457.00	276	115.00	8	2.00	5,358	2,570.00
2014–15	5,358	2,570.00	157	58.00	10	26.00	5,505	2,602.00

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक तरफ आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन अत्यन्त कम है, जबकि दूसरी तरफ प्रस्तरों की लंबितता और धनराशि वर्षवार बढ़ती जा रही है।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि विभाग भी एक मजबूत आ0ले0प0शा0 की आवश्यकता महसूस करता है।

3.3.29 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया ।

विभाग की उपयुक्त एवं प्रभावी कार्य कलापों को सुनिश्चित करने तथा समयान्तर्गत कमियों को चिन्हित किये जाने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निरीक्षण आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने निर्देश दिनांक 2 मई 2014 द्वारा उप परिवहन आयुक्त, सं0प0अ0(प्रशा0), सं0प0अ0(प्रव0), स0सं0प0अ0(प्रशा0) तथा स0सं0प0अ0(प्रव0) द्वारा अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण सम्पादित किये जाने हेतु आवधिकता

निर्धारित किया है। अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण की आवधिकता एक माह से छः माह के मध्य थी। किये गये निरीक्षण का विवरण **सारणी 3.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7

उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यालयों के किये गये निरीक्षणों का विवरण

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	निरीक्षण की संख्या			
		अपेक्षित	किये गये	कमी	कमी की प्रतिशतता
1.	उप परिवहन आयुक्त	76	30	46	60.53
2.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा0)	228	52	176	77.19
3.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)	228	23	205	89.91
4.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)	228	67	161	70.61
5.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	228	43	185	81.14
	योग	**988**	**215**	**773**	**78.24**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

चार्ट 3.4

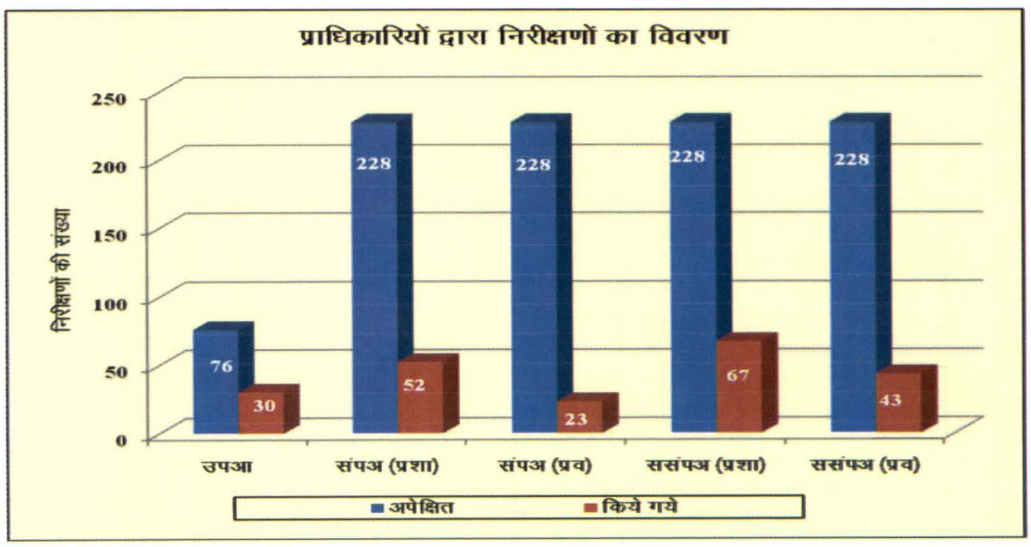

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन वर्षों के दौरान विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण में कमी 60.53 से 89.91 प्रतिशत के मध्य थी। अधिकतम कमी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रव0) के स्तर पर पायी गयी। हमने पाया कि परिवहन आयुक्त एवं अपर परिवहन आयुक्त द्वारा निरीक्षण का मानदण्ड किसी स्तर पर निर्धारित नहीं किया गया था। यह कर, अतिरिक्त कर एवं शुल्क के कम आरोपण के प्रकरणों की निगरानी में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा कि परिवहन आयुक्त द्वारा मासिक बैठकें की जा रही हैं और अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जनवरी 2016 में एक बार निरीक्षण सम्पादित किया गया है। पुनश्च, उन्होंने उ0प0आ0, सं0प0अ0(प्रशा0)/सं0प0अ0(प्रव0), तथा स0सं0प0अ0(प्रशा0)/स0सं0प0अ0(प्रव0) द्वारा निरीक्षण में कमी के सम्बन्ध में हमारे प्रेक्षण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

3.3.30 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 की संस्तुतियों का अनुश्रवण

लोक लेखा समिति ने 11 प्रस्तरों पर न तो चर्चा किया और न ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वर्ष 2009–10 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित 28 उप प्रस्तरों में से 17 प्रस्तरों पर राज्य लोक लेखा समिति में चर्चा हुई।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि लम्बित प्रस्तरों के उत्तर एकत्र एवं प्रस्तुत किये जायेंगे।

3.3.31 मानव संसाधन का प्रबन्धन

स्वीकृत संख्या के सापेक्ष अनुषंगिक कर्मचारी वर्ग की अत्याधिक कमी से कार्य की अधिकता हुयी एवं राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अधिनियमों एवं नियमों के दक्ष कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा विभाग/संगठन के आन्तरिक नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का प्रबन्धन बहुत आवश्यक होता हैं।

परिवहन आयुक्त तथा सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित जनपदों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या **सारणी 3.8** में दर्शाया गया हैं।

सारणी 3.8

मानव संसाधन का प्रबन्धन

क्रम सं0	इकाई का नाम	प्रशासनिक शाखा			प्रर्वतन दल		
		स0सं0प0अ0 (प्रशा0)	क्षे0 नि0	अन्य	प्रर्वतन दल/ स0सं0प0अ0 (प्र0)	पर्यवेक्षक	सिपाही
1.	स्वीकृत पदों की संख्या	19	43	767	37	47	285
2.	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	19	18	578	36	13	175
3.	कमी	0	25	189	1	34	110
4.	कमी की प्रतिशतता	0	58.13	24.64	2.70	72.34	38.59

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में अनुषंगिक कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थी। पुनश्च, हमने देखा कि:

- सड़क परिवहन से सम्बन्धित सभी तकनीकी प्रकरणों में क्षेत्रीय निरीक्षक (क्षे0नि0) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की सहायता करते है। वे वाहनों की स्वस्थता के जाँच तथा वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र को प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्वीकृत 43 पदों के विरुद्ध 18 क्षे0नि0 थे। इस संवर्ग में कमी से अधिक कार्यभार बढ़ गया जो उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाल सकता था।

- 37 प्रवर्तन दल की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 36 कार्यरत थे इसी प्रकार पर्यवेक्षकों के 47 एवं सिपाहियों के 285 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 13 पर्यवेक्षक एवं 175 सिपाही तैनात थे। जनशक्ति की इस कमी से करों तथा प्रशमन शुल्क के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था जैसा कि **सारणी 3.9** में दर्शाया गया हैं।

सारणी 3.9

निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वसूली के विवरण का विस्तार

वर्ष	सं0प0अ0 / स0सं0प0अ0 की संख्या	निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वसूली प्रतिशत का विस्तार
2011–12	13	13.35 से 97.07
2012–13	15	39.11 से 96.97
2013–14	16	29.24 से 98.37
2014–15	18	13.87 से 98.82
2015–16	18	19.26 से 94.31

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

शासन आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर विचार कर सकता है। इन रिक्त पदों पर कर्मचारियों की तैनाती कर मानव संसाधन प्रबन्धन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.32 निष्कर्ष

हमने देखा किः

कर एवं अर्थदण्ड के भुगतान के बिना मार्ग पर चल रहे वाहनों को, स्वस्थता के नवीनीकरण, बिना परमिट, बिना परमिट के नवीनीकरण, क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों, बिना प्र0नि0प्र0 के वाहनों के संचालन को विभाग / प्रवर्तन शाखा नहीं पकड़ सका। शासन ₹ 596.77 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा। विभाग प्र0नि0प्र0 के साथ अथवा प्र0नि0प्र0 के बिना संचालित वाहनों की सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रवर्तन शाखा को वाहनों के प्रदूषण की जाँच हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने में विफल रहा। विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अक्षम थी तथा आंतरिक नियंत्रण उपकरण जैसे आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। अनुषंगिक कर्मचारियों / प्रवर्तन दलों में कर्मचारियों की कमी थी एवं राजस्व के संग्रहण एवं आन्तरिक नियंत्रण हेतु विभागीय मैनुअल का अभाव था।

3.3.33 संस्तुतियों का सारांश

हम संस्तुति करते हैं कि शासन विचार कर सकता हैः

- **पंजीकृत गैर परिवहन यान (व्यक्तिगत वाहनों) जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी हैं की पहचान हेतु समय–समय पर समीक्षा हेतु,**
- **जन सुरक्षा के हित में और राजस्व की हानि से बचने के लिये सभी वाहनों के स्वस्थता की जाँच जो प्रतीक्षित हैं, त्वरित कदम उठाये जाने हेतु,**
- **अधिनियम / नियमावली के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एवं उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित वाहनों / बकायेदार वाहनों से राजस्व की वसूली की निगरानी के लिये डी0सी0बी0 पंजिका की समय–समय पर समीक्षा हेतु एक तंत्र की स्थापना हेतु,**

- लापरवाही और संलिप्तता के प्रकरणों में विपथगामी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहिए।
- प्रदूषण मानक के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरणों के साथ पर्याप्त यातायात कार्मिकों की तैनाती हेतु,
- विभागीय मैनुअल यथाशीघ्र तैयार करने एवं अंगीकृत करने हेतु,
- अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र कार्यालयों के निरीक्षण के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। इन रिक्त स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

परिवहन विभाग कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच ने दर्शाया कि कुछ मामलों में प्रशमन शुल्क, प्रार्थनापत्र शुल्क, कर, अतिरिक्त कर, परमिट शुल्क, स्वास्थता शुल्क, पंजीयन शुल्क और शास्ति आरोपित नहीं की गयी थी जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गयी नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम अधिकांश प्रेक्षण प्रत्येक वर्ष इंगित करते हैं, परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक प्रकाश में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

3.5 परमिट में अनियमिततायें

3.5.1 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया

बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये सड़क पर संचालित पाये गये 47 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क की धनराशि ₹ 8.23 लाख़ वसूल नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 81 प्रावधानित करती है कि एक परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। फिर भी के0मो0या0 नियमावली के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक से प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त होना चाहिये का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये नोटिस निर्गत करेंगे और निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर परमिट को निरस्त करेंगे। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार हेतु प्राधिकार के लिये समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्रार्थनापत्र शुल्क धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

हमने मई 2015 और अगस्त 2015 के मध्य 13 सं0प0का0 में से तीन सं0प0का0 (बस्ती, लखनऊ और वाराणसी) की वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच की और पाया कि जुलाई 2014 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 206 में से 47 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, मार्गों पर संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप समेकित नवीकरण शुल्क तथा प्रार्थना पत्र शुल्क की धनराशि ₹ 8.23 लाख की वसूली नही की गयी।

यह सभी सूचनायें जैसे प्राधिकार समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों के अन्य विवरण वाहन सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध थीं जिसे वाहनों के विवरण जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट और कर आदि रखने के लिये प्रकल्पित किया गया था। इन आँकड़ों का विश्लेषण उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 55(7), 56(7) के अनुसार राज्य स्तर पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो के द्वारा और सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग की प्रवर्तन शाखा मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत न तो इन वाहनों का पता लगा पायी और न ही विभाग ने परमिट के निरस्तीकरण करने हेतु उन परमिट स्वामियों को नोटिस जारी किया। अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं डिजिटल आँकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण का अभाव था। इस प्रकार उन सं0प0अ0 कार्यालयों में राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार की अनुवर्ती निगरानी हेतु निगरानी तंत्र का अभाव था।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से अगस्त 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है और 18 प्रकरणों में धनराशि ₹ 3.05 लाख की वसूली की जा चुकी है।

3.5.2 स्कूल बसों से परमिट शुल्क वसूल नहीं किया गया

तीन सं0प0का0/स0सं0प0का0 के उप परिक्षेत्रों में 177 स्कूल वाहन बिना परमिट के संचालित थे। परिणामस्वरूप परमिट शुल्क और आवेदन शुल्क ₹ 7.60 लाख की वसूली नहीं की गयी।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में उ0प्र0मो0या0क0अधिनियम 2000 में यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु वाहनों का प्रयोग बिना समुचित परमिट नहीं करेगी। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम 125, नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु ₹ 3,750 तथा प्रार्थना पत्र हेतु शुल्क ₹ 1,000 निर्धारित करता है।

हमने दो सं0प0का0 (बस्ती और लखनऊ) तथा स0सं0प0का0 जौनपुर की वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर एवं वाहन डाटाबेस की जाँच (मई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) की और पाया कि जून 2014 से दिसम्बर 2015 की अवधि में शैक्षणिक संस्थाओं के 281 में से 177 वाहन उप परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित थे और अपने पाल्यों की सुरक्षा तथा संरक्षा से समझौता कर रहे थे। फलस्वरूप परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क ₹ 7.60 लाख की वसूली नहीं की गयी।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है और 142 प्रकरणों में ₹ 5.63 लाख की वसूली कर ली गयी है।

3.6 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया

नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 84 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

हमने सात[23] सं0प0का0 में से मेरठ सं0प0का0 के मार्ग एवं कर पत्रावलियों और उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और चालान की जाँच की (अक्टूबर 2015) और पाया कि फरवरी 2009 से सितम्बर 2015 की अवधि में नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 120 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों में से 84 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयीं थीं एवं अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ के भुगतान की दायी थीं। परिवहन अधिकारियों ने इन

[23] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ एवं वाराणसी

वाहनों पर कोई कार्यवाही, यथा अतिरिक्त कर जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करना, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को बन्द करना या अतिरिक्त कर जमा न करने के लिये वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि वाहन नगर निगम क्षेत्र के अन्दर संचालित हो रहे थे। विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार वाहन नगर निगम क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहे थे।

3.7. वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र

3.7.1 परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना

देय कर का भुगतान स्वीकार करते समय कदाचित वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र है, की पड़ताल करने की विभाग में कोई प्रणाली नहीं है। 6,304 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे और स्वस्थता शुल्क ₹ 35.50 लाख के आरोपण तथा शास्ति ₹ 2.52 करोड़ आरोपण के लिये दायी थे।

मो0या0 अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 84 तथा 86 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण होना अपेक्षित है और विफलता की दशा में उसका परमिट निरस्त हो सकता है अथवा एक निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। चूक की दशा में निर्धारित फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के अन्तर्गत ₹ 4,000 की दर से प्रशमन योग्य होता है।

हमने 45 में से 17 सं0प0का0/स0सं0प0का0 के कर पंजिका, वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों एवं रोकड़ बहियों की जाँच की (अप्रैल 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) और पाया कि मार्च 2008 और दिसम्बर 2015 के मध्य 12,510 वाहनों में से 6,304 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे यद्यपि उनसे देय कर वसूल किया गया था। स्वस्थता समाप्ति से सम्बन्धित सूचना वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध थी किन्तु विभाग इन प्रकरणों को चिन्हित करने में असफल रहा। वाहन स्वामियों को जहाँ स्वस्थता समाप्त हो चुकी थी, कर भुगतान से रोकने हेतु सॉफ्टवेयर में विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं था। यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के अतिरिक्त इन वाहनों जिनका स्वास्थता प्रमाण पत्र बहुत पहले ही कालातीत हो चुका था, के परमिट को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी करने हेतु विभाग ने न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता वाहन स्वामियों पर मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। यह स0स0प0अ0(प्रशासन) की जिम्मेदारी थी कि ऐसे वाहनों को चिन्हित करे और प्रवर्तन शाखा के सहयोग से ऐसे वाहनों को रोकें किन्तु वह अपनी जाँच के दौरान ऐसे वाहनों को चिन्हित करने में विफल रहे। ऐसे वाहनों का

संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 35.50 लाख तथा शास्ति ₹ 2.52 करोड़ के आरोपण के दायी थे (**परिशिष्ट –XIX**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी की जा चुकी है और 2,486 प्रकरणों में धनराशि ₹ 14.01 लाख की वसूली की जा चुकी है।

3.7.2 बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के निजी वाहनों का संचालन

जून 2014 से दिसम्बर 2015 के मध्य वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित 1,805 निजी वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 9.03 लाख़ तथा शास्ति ₹ 72.20 लाख़ आरोपित किये जाने के योग्य थे।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के दिनांक 12 दिसम्बर 2005 के आदेशानुसार ओमनी बसों को परिवहन यान की तरह वर्गीकृत किया गया है। चालक को छोड़कर छः सीट से अधिक वाले समस्त वाहनों को परिवहन यान माना जायेगा चाहे संचालित वाहन निजी वाहन के रूप में ही पंजीकृत की गयी हो। चालक को छोड़कर छः सीट से अधिक परन्तु नौ सीट तक प्रत्येक वाहन का अब फिटनेस कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इन वाहनों को हल्के वाहन की श्रेणी में रखा गया हैं। मो0या0 अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 84 तथा 86 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण होना अपेक्षित है और विफलता की दशा में उसका परमिट निरस्त हो सकता है अथवा एक निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। निर्धारित जाँच शुल्क ₹ 200 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। चूक की दशा में निर्धारित फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 में दिये गये ₹ 4,000 की दर से प्रशमन योग्य होता है।

हमने 44 में से 6[24] सं0प0का0/स0सं0प0का0 की कर पंजिका, वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों एवं रोकड़ बहियों की जाँच की (मई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) और पाया कि जून 2014 और दिसम्बर 2015 के मध्य 3,144 वाहनों में से 1,805 वाहन वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित थे यद्यपि देय कर वसूल किया गया था। यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के अतिरिक्त इन वाहनों जिनका स्वास्थता प्रमाण पत्र बहुत पहले ही कालातीत हो चुका था, के स्वामियों को नोटिस जारी करने हेतु विभाग ने न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता वाहन स्वामियों पर मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। आयुक्त, परिवहन विभाग ने भी स्वीकार किया कि ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा से समझौता था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 9.03 लाख तथा शास्ति ₹ 72.20 लाख़ के आरोपण के दायी थे।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015 और फरवरी 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और

[24] अम्बेडकर नगर, जौनपुर, कन्नौज, प्रतापगढ़, बस्ती और लखनऊ

बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है और 320 प्रकरणों में धनराशि ₹ 1.60 लाख की वसूली कर ली गयी है।

3.8 गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

पंजीयन समाप्त हो चुके 1,272 गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप हरित कर, पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क की धनराशि ₹ 10.64 लाख की वसूली नहीं हुयी।

मो0या0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्राविधानित करती है कि गैर परिवहन यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए किया जा सकता है। इसके लिए यान के पुनर्पंजीयन के समय स्वस्थता की जाँच भी अपेक्षित है और इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए आरोपणीय है। गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए पुनर्पंजीयन शुल्क ₹ 200 तथा विलम्ब की दशा में अधिनियम की धारा 177 के अधीन ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाये जाते हैं तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ पाँच हजार की सीमा तक किन्तु ₹ दो हजार से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा। अधिसूचना सं0 1587/30–4–2014–8(79)/2013 दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुसार मोटर यान, गैर परिवहन मोटर यान के पुनर्पंजीयन के समय हरित कर, पंजीयन के समय भुगतान किये गये एकबारीय कर का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

हमने 44 में से चार[25] सं0प0का0/स0सं0प0का0 की वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया (मई 2014 से मार्च 2015) और पाया कि 1,799 गैर परिवहन हल्के मोटर यान में से 1,272 यान जुलाई 1998 से दिसम्बर 2000 के दौरान 15 वर्षों के लिए पंजीकृत हुये थे। कथित यानों का पंजीयन जुलाई 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान समाप्त हो गया था लेकिन इनमें से कोई वाहन पुनः पंजीकृत नहीं हुआ। परिणामस्वरूप हरित कर, पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता शुल्क, और प्रमाण पत्र शुल्क धनराशि ₹ 10.64 लाख की वसूली नहीं हुयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा चुका है और 155 प्रकरणों में ₹ 1.03 लाख की वसूली कर ली गयी है।

3.9 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

अधिक भार लदान के जिन 591 वाहनों को जब्त किया गया था उन पर विभाग द्वारा कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं की गयी।

कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 5 (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या मो0या0 अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा–4 की उपधारा 8 के उपबन्धों के अतिक्रमण का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अधीन विहित

[25] देवरिया, जौनपुर, बस्ती और लखनऊ

शास्ति अधिरोपित करने के लिये इस तथ्य के होते हुये भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति यथास्थिति, माल यान के चालक या स्वामी या प्रेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।

सामान्य वाहक के पंजीयन कराने की विफलता के सम्बन्ध में कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 18 (1) प्रावधानित करती है कि यदि कोई धारा 3, धारा 13 के उपबन्धों का या धारा 14 के अन्तर्गत निर्गत किसी अधिसूचना का उलंघन करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो ₹ चार हजार की सीमा तक और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने जो ₹ सात हजार पाँच सौ की सीमा तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

हमने 45 में से 23 सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभियोजन बहियों, अपराध एवं जब्ती पंजिका एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016) और पाया कि अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान 5,711 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के प्रकरणों में से 591 अधिक भार लदान में जब्त किये गये थे। विभाग ने मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत ₹ 1.19 करोड़ शास्ति आरोपित किया और वाहनों को अवमुक्त कर दिया। सभी 591 प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम 2007 की धारा 5 (3) के अन्तर्गत ₹ 1.19 करोड़ शास्ति आरोपित करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। अग्रेतर, कॉमन कैरियर के रूप में पंजीयन न कराने के लिये कैरिज बाई रोड अधिनियम की धारा 18 (1) के अन्तर्गत इन प्रकरणों में ₹ 23.64 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। फलस्वरूप शास्ति धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं की गयी (**परिशिष्ट–XX**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मो0या0 अधिनियम के अनुसार प्रशमन शुल्क वसूल कर लिया गया था। विभाग ने कै0बा0रो0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया।

3.10 अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना

कराधान अधिकारियों ने 763 वाहनों में से 214 वाहनों जो तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये थे, से देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 38.95 लाख़ की वसूली नहीं की ।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 का नियम 22 (अक्टूबर 2009 में संशोधित) प्रावधानित करता है कि जब परिवहन यान स्वामी अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग से बाहर करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करना होगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा तथापि, यदि वाहन स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्च, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन के समर्पण की सूचना को पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के

लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने 44 में से 10 सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभ्यर्पण पंजिका, वाहन पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और माल कर पंजिका की जाँच की (मई 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) और पाया कि जून 2014 से जून 2015 की अवधि के दौरान 763 में से 214 वाहन एक वर्ष में तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। यद्यपि सम्बन्धित सं0प0अ0 द्वारा तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि के विस्तार को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी, फिर भी कराधान अधिकारियों ने उन पर देय कर/अतिरिक्त कर ₹ 38.95 लाख की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की **(परिशिष्ट–XXI)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा चुका है और 20 प्रकरणों में ₹ 4.09 लाख की वसूली की जा चुकी है।

अध्याय-IV
बिक्री, व्यापार आदि पर कर

4.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य सवंर्धित कर के कानून एवं उसके अधीन बने नियम, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश द्वारा शासित होते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। सुसंगत कर कानूनों एवं नियमों को लागू करने में सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

चार्ट 4.1 संगठनात्मक ढाँचा

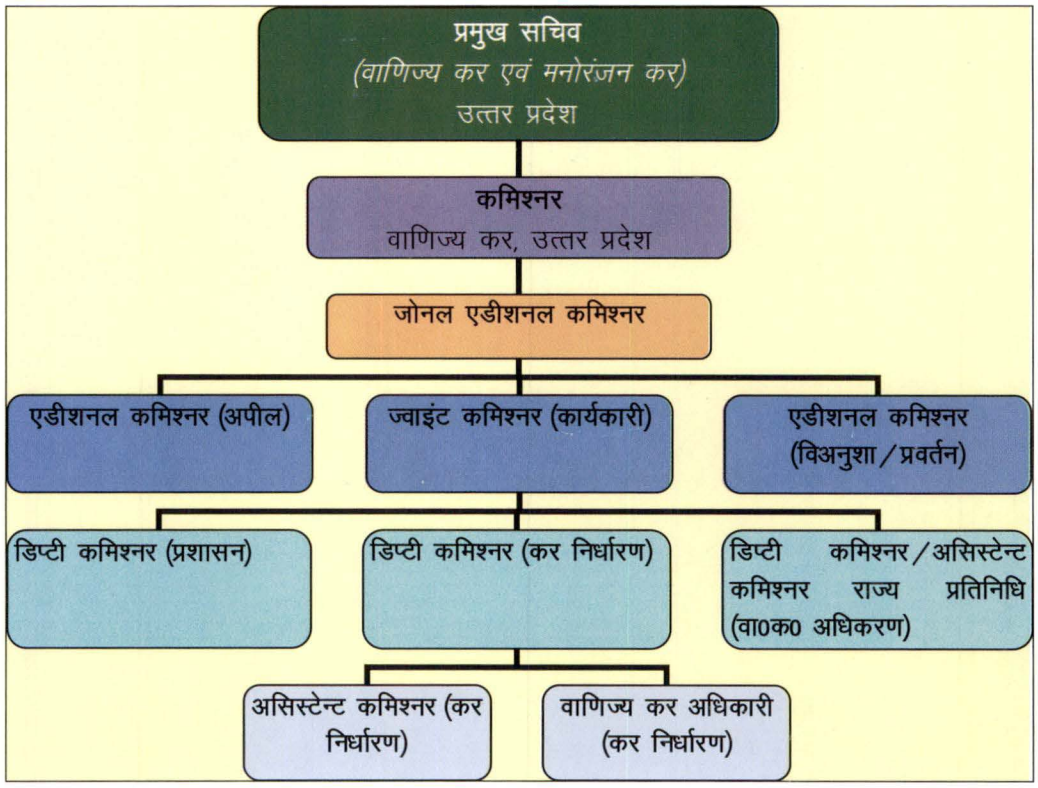

4.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण का अभिप्राय वैधानिक प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को व्यवस्थित रूप से लागू कराने में तर्कपूर्ण आश्वासनों को उपलब्ध कराना है। आन्तरिक नियंत्रण त्वरित एवं प्रभावी सेवाओं के लिये और कर एवं शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध समुचित सुरक्षा के लिए विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र के सृजन करने में भी सहायक है। अतः यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है कि एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना स्थापित है तथा उसे प्रभावी बनाने हेतु समय–समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है।

4.2.1 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

इकाइयों की वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा **सारणी 4.1** में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.1
इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिये योजित इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2011–12	667	667	379	43
2012–13	667	667	220	67
2013–14	673	673	172	74
2014–15	678	678	188	72
2015–16	681	202	200	01

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

चार्ट 4.2

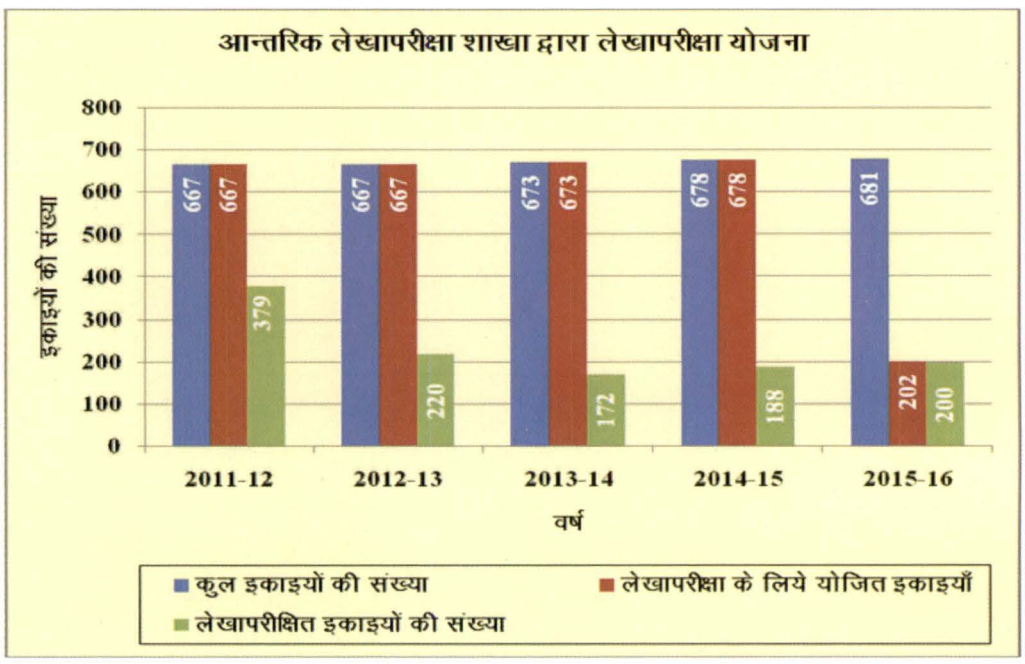

यह दर्शाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिये की गयी लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कमी का विस्तार एक से 74 प्रतिशत था।

4.2.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में जनशक्ति की कमी

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद रिक्त पड़े हुए थे तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों के पदों में 56 से 75 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा क0वा0क0 के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कोई सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तैनात नहीं था, 13 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं 91 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 23 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों की तैनाती थी, जैसा कि **सारणी 4.2** में वर्णित है।

सारणी 4.2
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में जनशक्ति की कमी

वर्ष	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद		कमी का प्रतिशत	
	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक
2011–12	13	91	0	34	13	57	100	63
2012–13	13	91	0	24	13	67	100	74
2013–14	13	91	0	31	13	60	100	66
2014–15	13	91	0	28	13	63	100	69
2015–16	13	91	0	23	13	68	100	75

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद खाली पड़े हुए थे एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के पदों में 63 से 75 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

4.2.3 अवशेष प्रस्तरों तथा उनकी वसूली की स्थिति

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों, उनका अनुपालन तथा वसूली का विवरण **सारणी 4.3** में दिया गया है।

सारणी 4.3
अवशेष प्रस्तरों एवं उनकी वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जुड़े मामले		वर्ष के दौरान निस्तारित मामले एवं उनकी वसूली		अन्तिम शेष	
	मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि
2011–12	9,082	7,423.46	1,546	1,373.28	344	171.39	10,284	8,625.35
2012–13	10,284	8,625.35	1,155	2,763.98	130	15.11	11,309	11,374.22
2013–14	11,309	11,374.22	552	897.44	278	182.57	11,583	12,089.09
2014–15	11,583	12,089.09	529	749.65	510	147.91	11,602	12,690.83
2015–16	11,602	12,690.83	587	223.66	316	108.59	11,873	12,805.90

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

चार्ट 4.3

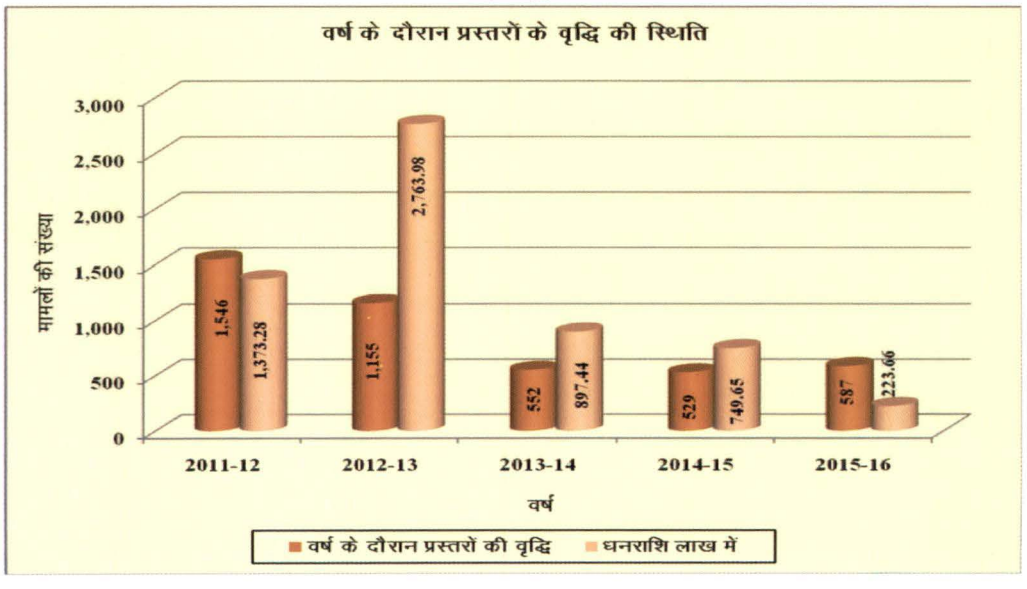

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि इस अवधि में कर्मचारियों की भारी कमी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रदर्शन को प्रभावित किया क्योंकि मामलों की संख्या और धनराशि में महत्वपूर्ण रूप से कमी आयी।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2015–16 में ₹ 47,692.40 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2015–16 के दौरान हमने वाणिज्य कर विभाग की कुल 1,536 इकाइयों में से 167 वार्षिक इकाइयों, 73 द्विवार्षिक इकाइयों तथा 37 त्रिवार्षिक इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिये योजना बनाई और उपरोक्त सभी योजित इकाइयों की नमूना जाँच की जिसमें कर के अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं के ₹ 1,378.91 करोड़ के 1,557 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत **सारणी 4.4** में दर्शाये गये हैं:

सारणी 4.4
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	**"उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली" की लेखापरीक्षा**	**1**	**1,255.12**
2	कर का अवनिर्धारण	433	30.56
3	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	52	2.03
4	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	21	0.52
5	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	229	19.23
6	अन्य अनियमितताएं	821	71.45
योग		**1,557**	**1,378.91**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

चार्ट 4.4

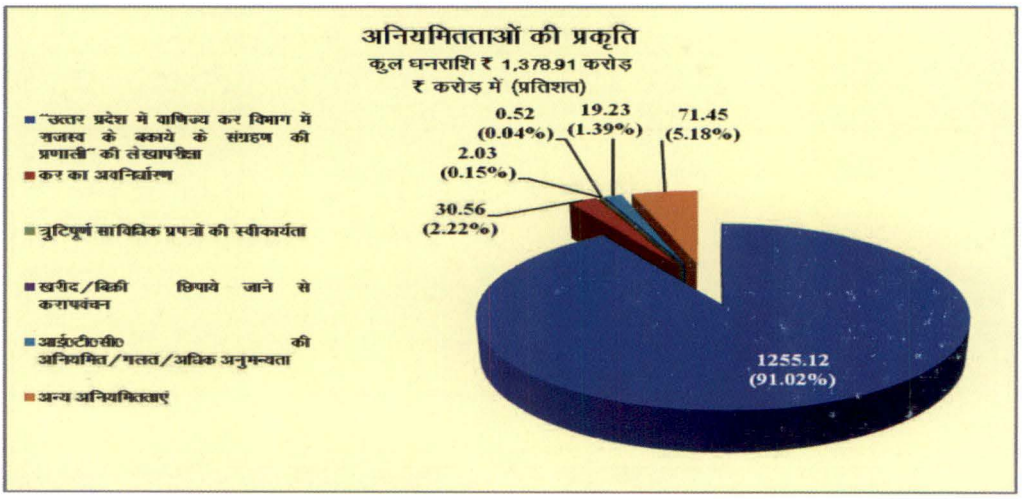

वर्ष के दौरान विभाग ने 522 मामलों में ₹ 860.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें 242 मामले जिनमें ₹ 856.03 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी, वर्ष 2015–16 में एवं शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये थे। 193 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ की धनराशि की वसूली हुयी जिसमें 12 मामले जिनमें ₹ 47.44 लाख की धनराशि सन्निहित थी, वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

"उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली" की लेखापरीक्षा सन्निहित ₹ 1,255.12 करोड़ एवं अनुपालन में कमियों के कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 20.07 करोड़ सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

4.4 "उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली" की लेखापरीक्षा

4.4.1 प्रस्तावना

वाणिज्य कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है जो राज्य के कुल कर राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत योगदान करता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम प्रावधानित करता है कि कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) जैसे ही कर निर्धारण आदेश पारित करता है, वह उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 46(3) के अन्तर्गत व्यापारी को माँग पत्र प्रेषित करेगा। व्यापारी माँग पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर ऐसे निर्धारित कर को जमा करेगा। यदि व्यापारी कर को जमा करने में असफल रहता है, इसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0सु0 अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूला जा सकता है। राजस्व के बकाये की वसूली के सम्बन्ध में विभाग का अपना कोई अलग अधिनियम नहीं है। यदि बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(12) के अन्तर्गत माँग पत्र प्राप्ति के 45 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा0व0प्र0प0) निर्गत किया जाता है। क0नि0प्रा0 को अपने सम्बन्धित खण्डों में वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गयी है एवं उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0सु0 अधिनियम के अन्तर्गत वसूली का कार्य सौंपा गया है। बकाये की वसूली बैंक शेष एवं सम्बद्ध किये गये सम्पत्ति के नीलामी द्वारा बिक्री से प्राप्ति से भी की जा सकती है। उन मामलों में जहाँ बकायेदार की राज्य में कोई सम्पत्ति नहीं है लेकिन किसी दूसरे राज्य में उनकी सम्पत्ति है, सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी से वांछित है कि वह राजस्व वसूली (रा0व0) अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत दूसरे राज्य के राजस्व प्राधिकारी को बकाये की वसूली के लिए पत्र प्रेषित करे। इसके लिए आवश्यक है कि रा0व0प्र0प0 को राज्य के उस जिले के जिलाधिकारी को, जहाँ बकायेदार की सम्पत्ति है, अग्रसारित किया जाये।

4.4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि:

- बकाये का समय से संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का प्रभावकारी ढंग से अनुपालन किया गया है;
- कर के बकाये की वसूली की प्रणाली दक्ष एवं प्रभावकारी है, एवं
- राजस्व के बकाये की त्वरित वसूली हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र विद्यमान है।

4.4.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2015 एवं मई 2016 के मध्य सम्पादित की गयी जिसमें 2011–12 से 2015–16 की अवधि आच्छादित थी। उच्चतर राजस्व बकाये के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु वाणिज्य कर विभाग के 20 जोनों में से पाँच जोनों का चयन उच्च,

मध्यम एवं निम्न जोखिम क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के पश्चात किया गया। पाँच चयनित जोनों में 106 खण्ड थे जिनमें मार्च 2015 के कुल राजस्व बकाये ₹ 26,347.13 करोड़ में से ₹ 13,780.15 करोड़ का राजस्व बकाया सन्निहित था। उपरोक्त चयनित पाँच जोनों के 106 खण्डों में से 53 खण्डों[1] जिनका राजस्व बकाया ₹ 4,059.16 करोड़ था का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा एवं सूचनाओं के संकलन के लिए किया गया था।

एक प्रारम्भिक गोष्ठी 03 फरवरी 2016 को शासन एवं विभाग के साथ आयोजित की गयी जिसमें विशेष कार्याधिकारी ने शासन का प्रतिनिधित्व किया एवं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर नें विभाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया। 09 सितम्बर 2016 को शासन एवं विभाग के साथ एक समापन गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन एवं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग से चर्चा की गयी। शासन/विभाग के अभिमत को संगत प्रस्तरों में शामिल किया गया है।

4.4.4 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

4.4.5 बकाये की स्थिति

4.4.5.1 बकाया एवं उसकी वसूली का विवरण

बकाये की धनराशि जो कि 1 अप्रैल 2011 को ₹ 16,665.41 करोड़ थी 31 मार्च 2016 को बढ़कर ₹ 27,188.58 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 63.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान राजस्व के बकाये के प्रारम्भिक शेष, वृद्धि, निस्तारण एवं अन्तिम शेष की स्थिति **सारणी 4.5** में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.5
बकाया एवं उसकी वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	न्यायालयों द्वारा कम की गयी अथवा अपलेखन की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूली	अन्तिम शेष
2011–12	16,665.41	8,810.87	4,815.49	1,700.51	18,960.28
2012–13	18,960.28	11,474.50	5,633.74	1,950.51	22,850.53
2013–14	22,850.53	9,394.44	5,371.68	2,411.65	24,461.64
2014–15	24,461.64	9,540.36	4,929.17	2,725.70	26,347.13
2015–16	26,347.13	8,997.10	5,637.00	2,844.99	27,188.58
	योग	**48,217.27**	**26,387.08**	**11,633.36**	

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

[1] खण्ड 1, 3, 5, 8, 11, 12 एवं 14 इलाहाबाद, खण्ड 1 एवं 3 बस्ती, खण्ड 1 देवरिया, खण्ड 1 फतेहपुर, ज्वा0 कमि0(का0स0), खण्ड 1, 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 एवं 12 गाजियाबाद, ज्वा0 कमि0(का0स0), खण्ड 1, 2, 4, 9 एवं 12 गोरखपुर, खण्ड 3 हापुड़, खण्ड 1 एवं 2 कुशीनगर, खण्ड 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 एवं 12 लखनऊ, खण्ड 2, 3, 4, 10, 13 एवं 14 नोएडा, खण्ड 1 एवं 2 प्रतापगढ़, खण्ड 2 संत कबीर नगर, खण्ड 1 एवं 2 सिद्धार्थनगर एवं खण्ड 2 रायबरेली।

चार्ट 4.5

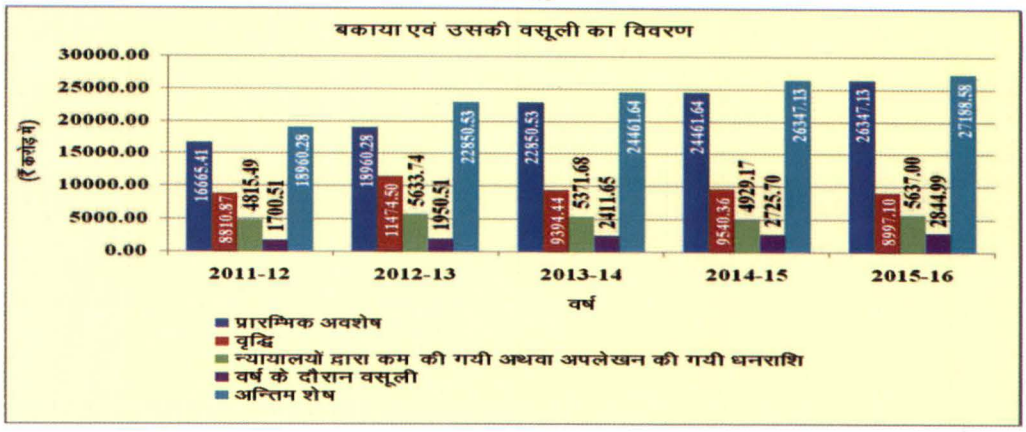

सारणी 4.5 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ में ₹ 16,665.41 करोड़ का बकाया था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 48,217.27 करोड़ की वृद्धि हुयी, ₹ 26,387.08 करोड़ न्यायालयों द्वारा कम किया गया या अपलिखित हुआ एवं इसी अवधि के दौरान ₹ 11,633.36 करोड़ की वसूली हुयी। वर्ष 2011–12 के अन्त के राजस्व बकाये की तुलना में वर्ष 2015–16 के अन्त तक ₹ 8,228.30 करोड़[2] के बकाये की वृद्धि हुई। ₹ 27,188.58 करोड़ में से ₹ 4,270.19 करोड़ की माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था एवं ₹ 1,195.28 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को प्रेषित किये गये हैं। ₹ 4,122.26 करोड़ की वसूली न्यायालयों, अपीलीय प्राधिकारियों एवं शासन द्वारा स्थगित की गयी जबकि ₹ 587.59 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों के विरुद्ध लम्बित थी। ₹ 1,514.74 करोड़ की वसूली के लिए विभाग ने कहा कि यह एक विभागीय अधिकारी एवं एक राजस्व विभाग के अधिकारी के संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपलेखन के लिए संभावित थी। ट्रान्सपोर्टरों द्वारा बिना उपयुक्त कागजात के माल का परिवहन किये जाने के कारण देय कर ₹ 41.37 करोड़ की वसूली लम्बित थी। अवशेष ₹ 15,457.15 करोड़ की धनराशि के लिए विभाग में विशेष कार्यवाही की जा रही थी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाये की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

4.4.5.2 अवधि वार बकाये की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी 31 मार्च 2016 को बकाया की अवधिवार स्थिति को **सारणी 4.6** मे दर्शाया गया है।

सारणी 4.6
अवधि वार बकाये की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाये की आवर्तिता	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	बकाये का प्रतिशत
10 वर्ष एवं अधिक पुराने	1,31,720	2,264.01	31.22
पॉच वर्ष एवं अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम पुराने	74,664	1,398.76	19.28
एक वर्ष एवं अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम पुराने	88,796	2,165.54	29.86
एक वर्ष से कम पुराने	40,420	1,424.28	19.64
योग	**3,35,600**	**7,252.59[3]**	**100**

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

[2] अन्तिम शेष 2015–16 (₹ 27,188.58) एवं अन्तिम शेष 2011–12 (₹ 18,960.28) के बीच का अन्तर।

[3] वर्ष 2015–16 के अन्तिम अवशेष एवं अवधिवार उपलब्ध कराये गये कुल बकाये में भिन्नता के लिए विभाग से कारण पूछा गया था। हमारे बार–बार अनुरोध के बाद भी विभाग ने भिन्नता का कारण उपलब्ध नहीं कराया (अक्टूबर 2016)।

सारणी से यह देखा जा सकता हैं कि 51 प्रतिशत बकाया वसूली हेतु पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.4.6 पृथक वसूली प्रकोष्ठ का न होना

विभाग में उत्तरोत्तर बढ़ रहे बकाये के निपटारे के लिए पृथक वसूली प्रकोष्ठ न होने के कारण वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 बकाये की वसूली को प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिक्षेत्र स्तर पर ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं संभाग स्तर पर एडीशनल कमिश्नर, क0वा0क0 के समग्र नियंत्रण में वसूली की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलो में से 20 जिलों में 20 कर वसूली अधिकारी खण्डों से समन्वय स्थापित करने, संग्रह अमीन के कार्यों के अनुश्रवण करने एवं बकाये की तीव्रता से वसूली करने हेतु तैनात हैं। अवशेष जिलों में बकाये की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से की जाती है। बकाये से निपटने के लिए पृथक वसूली प्रकोष्ठ नहीं है। विशिष्ट नीति/तंत्र के न होने के कारण अवशेष जिलों में वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ होने में असामान्य विलम्ब हुआ। आच्छादित अवधि के दौरान यद्यपि कि बकाये में वृद्धि हुई लेकिन राजस्व बकाये की वसूली में सीधे लगी जनशक्ति में आठ से 100 प्रतिशत के मध्य अत्यन्त कमी थी।

यह स्पष्ट था कि क0नि0प्रा0 को राजस्व संग्रह, प्रशासनिक कार्य, कर का निर्धारण, सर्वेक्षण कार्य एवं उन्हें समय–समय पर सौपे गये सम्बद्ध कार्य के साथ वसूलियों को प्रभावी बनाने का कार्य अप्रभावी सिद्ध हुआ एवं परिणामस्वरूप बकाये का संचयन हुआ। बकाये की वसूली में सीधे लगे कर्मचारियो के सभी संवर्गों में आठ प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य भारी कमी ने राजस्व बकाये के संग्रहण को प्रभावित किया।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि 55 जिलों में जहाँ कर का संग्रह राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है वहाँ नोडल अधिकारी को नामित किये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

शासन प्रत्येक जिले में कर वसूली अधिकारी को तैनात करने एवं बकाये की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए समर्पित वसूली तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

4.4.7 वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब

4.4.7.1 बकाये की वसूली हेतु अनुसरण की कार्यवाही प्रारम्भ करने में कमियाँ

माँग पत्र के तामील न कराये जाने अथवा असामान्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण 979 मामलों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ का बकाया सन्निहित था की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 46 के प्रावधानों के अनुसार धारा 25 अथवा 26 अथवा 28 के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 द्वारा निर्धारित किये गये कर से कम कर जमा किया गया है तो ऐसी धनराशि को माँग पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के अन्दर व्यापारी को जमा करना अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहने पर धनराशि भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जानी है। क0वा0क0 ने परिपत्र दिनांक 30 मई 2011 द्वारा निर्देशित किया था कि अगर धनराशि का भुगतान नहीं होता है तो

माँग पत्र की अवधि समाप्त होने के 45 दिन के अन्दर रा0व0प्र0प0 जारी कर दिया जाये।

हमने चयनित खण्डों के वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के आर–3[4] पंजिका की जाँच की एवं पाया कि 79,761 में से 979 मामलों जिसमें सन्निहित बकाया ₹ 217.51 करोड़ था, में राजस्व वसूली की कार्यवाही लम्बित थी एवं कर निर्धारण के पश्चात माँग पत्र को तामील न कराये जाने अथवा दो दिन से दो वर्ष छः माह के मध्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण विलम्बित थी। विवरण **सारणी 4.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.7
माँग पत्रों को तामील कराने में विलम्ब/विफलता

(₹ लाख में)

विलम्ब की अवधि/तामील नहीं कराये गये	माँग पत्रों की संख्या	धनराशि
एक वर्ष एवं अधिक	15	66.91
छः माह एवं अधिक परन्तु एक वर्ष से कम	103	1,554.76
छः माह से कम	854	20,094.40
व्यापारियों को तामील नहीं करायी गयी	7	35.25
योग	**979**	**21,751.32**

स्रोतः आर–3 पंजिका के आधार पर उपलब्ध सूचना

माँग पत्र को विलम्ब से अथवा न तामील कराये जाने के कारण वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने में विलम्ब हुआ जिससे अंततोगत्वा राजस्व बकाया की वसूली अभी तक नहीं हो पायी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि माँग पत्र समय से प्राप्त कराये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.4.7.2 रा0व0प्र0प0 जारी करने में विलम्ब

विलम्ब से राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण 1,021 मामलों जिनमें ₹ 234.79 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी वसूली की कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ।

हमने चयनित खण्डों के वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के आर–3 पंजिका की जाँच की एवं पाया कि 79,761 मामलों में से 1,021 मामले जिनमें ₹ 234.79 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी वसूली के लिये लम्बित थे, रा0व0प्र0प0 एक दिन से लेकर दो वर्ष 11 माह तक के विलम्ब से जारी किये गये थे। विवरण **सारणी 4.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.8
राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने में विलम्ब

(₹ लाख में)

विलम्ब की अवधि	रा0व0प्र0प0 की संख्या	धनराशि
दो वर्ष एवं अधिक	20	133.16
एक वर्ष एवं अधिक परन्तु दो वर्षों से कम	23	119.04
एक वर्ष से कम	978	23,227.18
योग	**1,021**	**23,479.38**

स्रोत–आर–3 रजिस्टर में उपलब्ध सूचनाएं

[4] कर–माँग पंजिका

रा0व0प्र0प0 जारी किये जाने में शिथिलता के कारण वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप अभी तक बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग न हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि समय से रा0व0प्र0प0 जारी किये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

शासन को रा0व0प्र0प0 को समय से जारी करने के लिये एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिये।

4.4.7.3 बकाया की वसूली के लिए रा0व0प्र0प0 का जारी न किया जाना

माँग पत्रों को प्राप्त कराये जाने के सात माह से लेकर 15 वर्ष तक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी ₹ 84.90 लाख की वसूली के लिए रा0व0प्र0प0 जारी नहीं किये गये थे।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं पाया कि चार खण्डों[5] के चार व्यापारियों ने वर्ष 1998–99 से 2010–11 की अवधि के लिए निर्धारित किये गये देय ₹ 84.90 लाख को अदा नहीं किया था। इन व्यापारियो के कर निर्धारण मार्च 2001 एवं अप्रैल 2015 के मध्य निस्तारित किये गये थे। व्यापारियों को माँग पत्र प्राप्त कराये जाने के सात माह से लेकर 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी रा0व0प्र0प0 जारी नहीं किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 84.90 लाख की वसूली में विलम्ब हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग न हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि समय से रा0व0प्र0प0 जारी किये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.4.7.4 रा0व0प्र0प0 में तिथि एवं ब्याज की दर अंकित न किया जाना

ब्याज की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय था के कालम, छब्बीस रा0व0प्र0प0 में जिसमें ₹ 321.44 करोड़ का बकाया सन्निहित था भरे नहीं गये थे, जिससे ब्याज की धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं आठ खण्डों[6] में पाया कि 20 व्यापारियो के मामलों में 26 रा0व0प्र0प0 ₹ 321.44 करोड़ की वसूली के लिए जारी किये गये थे। रा0व0प्र0प0 के महत्वपूर्ण कालम जैसे कि ब्याज की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय था भरे नहीं गये थे। यद्यपि कि अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था परन्तु उन्हें सॉफ्टवेयर में समाविष्ट नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर में स्वयं से दर अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं था। ब्याज की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय था, के कालम खाता पालकों द्वारा हाथ से भरे गये थे। हमने खण्ड 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर में देखा कि वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व बकाये की वसूली के लिए 2,193 रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे परन्तु किसी भी रा0व0प्र0प0 के कालम में ब्याज

[5] खण्ड 14 इलाहाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0) गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1 गोरखपुर एवं खण्ड 2 रायबरेली।

[6] खण्ड 1 इलाहाबाद, खण्ड 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 6 गाजियाबाद, खण्ड 1 कुशीनगर, खण्ड 12 लखनऊ एवं खण्ड 3 एवं 4 नोएडा।

की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय है हाथ से नहीं भरे गये थे, यद्यपि कि ब्याज की दरें अधिनियम में प्रावधानित हैं। उपरोक्त विवरण के अभाव में ब्याज की धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि रा0व0प्र0प0 में ब्याज की दर एवं दिनांक अंकित किये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.4.7.5 रा0व0प्र0प0 में त्रुटिपूर्ण तिथि एवं ब्याज की दर अंकित किया जाना

रा0व0प्र0प0 में 12 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की माँग किये जाने के कारण व्यापारियों से गलत ब्याज की माँग की गयी एवं गलत बकाया संचित हुआ।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं सात खण्डों[7] में पाया कि ₹ 189.86 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए 15 रा0व0प्र0प0 12 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की माँग करते हुए जारी किये गये थे एवं एक प्रकरण में 10 फरवरी 2014 के बजाय 1 अक्टूबर 2008 से ब्याज की माँग की गयी थी। निर्धारित कालमों में त्रुटिपूर्ण ब्याज की दर एवं तिथि अंकित किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया था। इस प्रकार रा0व0प्र0प0 के निर्धारित कालमों में त्रुटिपूर्ण ब्याज की दर एवं तिथि अंकित किये जाने के कारण व्यापारियों से गलत ब्याज की माँग की गयी एवं बकाये का गलत संचयन हुआ **(परिशिष्ट–XXII)**।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में संशोधित रा0व0प्र0प0 जारी कर दिये गये हैं।

4.4.7.6 त्रुटिपूर्ण रा0व0प्र0प0 के कारण कम ब्याज का प्रभारित किया जाना

त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण 10 व्यापारियों के मामले में ₹ 88.62 लाख कम ब्याज प्रभारित हुआ था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिये जिसमें असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक, सवा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

हमने चयनित खण्डों के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं नौ खण्डों[8] में पाया कि क0नि0प्रा0 ने 10 व्यापारियों के वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक के वर्ष के लिए अप्रैल 2013 से जून 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्वीकृत/अपवंचित बिक्री पर कर आरोपित किया एवं ₹ 2.01 करोड़ के कर की माँग सृजित की। देय तिथि से जमा करने की तिथि तक की अवधि के ब्याज की माँग किये जाने के बजाय माँग पत्र प्राप्ति की तिथि से ब्याज की माँग करते हुए रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 88.62 लाख कम ब्याज का प्रभारण हुआ **(परिशिष्ट–XXIII)**।

---

[7] खण्ड 3 गाजियाबाद, खण्ड 3 हापुड़, खण्ड 12 लखनऊ, खण्ड 2, 3 एवं 14 नोएडा एवं खण्ड 2 रायबरेली।

[8] खण्ड 3, 5, 8 एवं 14 इलाहाबाद, खण्ड 1 बस्ती, खण्ड 2 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0) एवं खण्ड 1 गोरखपुर एवं खण्ड 2 रायबरेली।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में संशोधित रा0व0प्र0प0 जारी कर दिये गये हैं।

4.4.7.7 आर–3 एवं आर–27 पंजिका का मिलान

आर–3 एवं आर–27 पंजिका के मिलान के सम्बन्ध में क0वा0क0 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप आर–3 एवं आर–27 पंजिका के आँकड़ों में विसंगति रही।

क0वा0क0 ने पत्र दिनांक 30 मई 2011 द्वारा प्रत्येक खण्ड में आलेखक प्रालेखक–I एवं खाता पालक को यह निर्देशित किया था कि वे प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में आर–3 पंजिका[9] एवं आर–27 पंजिका[10] का पुनर्मिलान करेंगे और यदि आँकड़ों में कोई विसंगति पायी जाती हैं तो इसे तुरन्त सुधारा जाना चाहिए।

हमने चयनित खण्डों के आर–3 एवं आर–27 पंजिका की जाँच की एवं छः खण्डों[11] में पाया कि 14 व्यापारियों से सम्बन्धित 15 रा0व0प्र0प0 में आर–3 एवं आर–27 पंजिका के आँकड़ों में भिन्नता थी। 12 रा0व0प्र0प0 के मामलों में ₹ 1.14 करोड़ का बकाया आर–3 रजिस्टर में निस्तारित दिखाया गया था जबकि आर–27 पंजिका में यह अनिस्तारित दिखाया जा रहा था।

इसी प्रकार तीन रा0व0प्र0प0 के सम्बन्ध में ₹ 9.47 लाख का बकाया आर–3 पंजिका में अनिस्तारित दिखाया जा रहा था, जबकि आर–27 पंजिका में यह निस्तारित दिखाया जा रहा था। यह दर्शाता है कि क0वा0क0 के निर्देशों का खण्ड के कर्मचारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। क0नि0प्रा0 ने भी इसका अनुश्रवण नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप आर–3 एवं आर–27 पंजिका के आँकडों में विसंगति रही उसके द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रभावित हुई **(परिशिष्ट–XXIV)**।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि अगस्त 2016 में आर–3 एवं आर–27 पंजिका के मिलान के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.4.8 अन्य जिलों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण किये जाने में विफलता

अन्य जिलों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण किये जाने में विफलता के कारण 99 रा0व0प्र0प0 के मामलों में ₹ 79 करोड़ की धनराशि बिना वसूली के पड़ी रही।

उन मामलों में जहाँ बकायेदार खण्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति नहीं रखता है किन्तु किसी अन्य खण्ड अथवा जिले के क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति रखता है, वहाँ सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत उस खण्ड अथवा जिले के राजस्व प्राधिकारी को बकाये

---

[9] कर निर्धारण के पश्चात यदि कोई धनराशि व्यापारी पर देय होती है उसे आर–3 रजिस्टर में अंकित किया जाता है। बकाये की वसूली के लिए जारी किये गये रा0व0प्र0प0 भी इसमें अंकित किये जाते हैं। माँग के विरुद्ध यदि कोई धनराशि व्यापारी द्वारा जमा की जाती है उसे भी आर–3 रजिस्टर के प्रावधानित कालमों में दर्ज किया जाता है।

[10] बकाये की वसूली के लिए जारी किये गये सभी रा0व0प्र0प0 इसमें दर्ज किये जाते हैं एवं जिस तिथि को इसे संग्रह अमीन को हस्तगत किया जाता है उसे भी अंकित किया जाता है। संग्रह अमीन से वापस प्राप्त किये गये रा0व0प्र0प0 भी इसमें अंकित किये जाते हैं।

[11] खण्ड 1, 8, 12 एवं 14 इलाहाबाद, खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर एवं खण्ड 1 लखनऊ।

की वसूली के लिए पत्र लिखे। इसके लिए रा0व0प्र0प0 को जिन जिलों में बकायेदार सम्पत्ति रखता है, के जिलाधिकारियों को अग्रसारित किया जाना अपेक्षित है।

हमने चयनित खण्डों के बकाये के अभिलेखों की जाँच की एवं 14 खण्डों[12] में पाया कि नमूना जाँच की गयी 15,632 में से 99 रा0व0प्र0प0 जो कि 50 व्यापारियों से सम्बन्धित थे क0नि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य के अन्तर्गत दूसरे जिले के राजस्व प्राधिकारियों को ₹ 79 करोड़ के बकाये की भू–राजस्व की भाँति वसूली के लिए प्रेषित किये गये थे। क0नि0प्रा0 द्वारा आगे इन मामलों का अनुसरण सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ नहीं किया गया था, यद्यपि कि इन रा0व0प्र0प0 को अन्य जिलों को प्रेषित किये हुये एक माह से लेकर तीन वर्ष तीन माह तक का समय व्यतीत हो चुका था। क0नि0प्रा0 द्वारा रा0व0प्र0प0 का अनुसरण न किये जाने के कारण ₹ 79 करोड़ बिना वसूल हुए पड़ा रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाये की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

4.4.9 अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण किये जाने में विफलता

अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण 604 रा0व0प्र0प0 के मामलों में ₹ 233.60 करोड़ बिना वसूली के पड़ा रहा।

उन मामलों में जहाँ बकायेदार राज्य में कोई सम्पत्ति नहीं रखता है, परन्तु दूसरे राज्य में सम्पत्ति रखता है, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 से अपेक्षित है कि वह सम्बन्धित राज्य के राजस्व प्राधिकारी से रा0व0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाये की वसूली के लिए पत्र लिखे। इसके लिए राज्यों के जिलों के जिलाधिकारियों को जहाँ पर कि बकायेदार सम्पत्ति रखता है रा0व0प्र0प0 प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर, क0वा0क0 ने अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुश्रवण करने के लिए विभिन्न डि0क0 को नोडल अधिकारी नामित किया था।

हमने चयनित खण्डों के बकाया के अभिलेखों की जाँच की एवं 18 खण्डों[13] में पाया कि नमूना जाँच किये गये 27,381 में से 604 रा0व0प्र0प0 जो कि 413 व्यापारियों से सम्बन्धित थे विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान दूसरे राज्य के राजस्व प्राधिकारियों को ₹ 233.60 करोड़ के बकाये को भू–राजस्व की भाँति वसूलने के लिए प्रेषित किये गये थे। परन्तु उन कार्यालयों में भी जहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त हैं इन प्रकरणों का अनुसरण करने के सम्बन्ध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार, रा0व0प्र0प0 को अन्य राज्यो को प्रेषित किये यद्यपि दो माह से लेकर चार वर्ष आठ माह तक बीत गया था फिर भी इन मामलों का अनुसरण नहीं किया गया था। क0नि0प्रा0 द्वारा रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण ₹ 233.60 करोड़ बिना वसूल हुए पड़ा रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाये की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

---

[12] खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1, 2, 3, 6, 9 एवं 11 गाजियाबाद, खण्ड 1 कुशीनगर, खण्ड 1 एवं 12 लखनऊ, खण्ड 3 एवं 10 नोएडा, खण्ड 2 रायबरेली एवं खण्ड 1 सिद्धार्थनगर।

[13] खण्ड 1 फतेहपुर, खण्ड 1 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1, 2, 3, 9 एवं 11 गाजियाबाद, खण्ड 1, 2 एवं 12 लखनऊ, खण्ड 2, 3, 4, 10, 13 एवं 14 नोएडा एवं खण्ड 2 रायबरेली।

शासन अन्य जिले/राज्य जहाँ रा0व0प्र0प0 प्रेषित किये गये हैं के प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है ताकि बकाये की वसूली की जा सके।

4.4.10 बकाये की वसूली हेतु बैंक खाते को सम्बद्ध न किया जाना

पाँच बकायेदार व्यापारियों के बैंक खाते को सम्बद्ध नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 420.22 करोड़ का बकाया बिना वसूली के पड़ा रहा।

क0नि0प्रा0 को अपने खण्डों में वसूली अधिकारी की भाँति कार्य करने की शक्ति प्रदान की गयी हैं एवं उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0सु0 अधिनियम के अन्तर्गत वसूली का कार्य सौंपा गया है। यदि व्यापारी देय कर जमा करने में असफल रहता है तो बकायेदार के बैंक खाते एवं सम्पत्ति को सम्बद्ध करने का आदेश निर्गत करना अपेक्षित है। बकाया की वसूली बैंक शेष एवं सम्बद्ध सम्पत्ति की नीलामी के पश्चात बिक्री से प्राप्ति द्वारा की जा सकती है।

हमने चयनित खण्डों के बकाया के अभिलेखों की जाँच की एवं चार खण्डों में पाया कि पाँच व्यापारियों पर वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के लिए ₹ 420.22 करोड़ का निर्धारित कर बकाया था। बकाये की वसूली के लिए जुलाई 2009 एवं सितम्बर 2014 के मध्य रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे, परन्तु व्यापारियों ने ₹ 420.22 करोड़ का कर जमा नहीं किया था। रा0व0प्र0प0 को जारी किये एक वर्ष छः माह से लेकर छः वर्ष तक बीत चुके थे परन्तु क0नि0प्रा0 द्वारा बकाये की वसूली हेतु इन व्यापारियों के बैंक खातों को सम्बद्ध करने की कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके फलस्वरूप ₹ 420.22 करोड़ का बकाया बिना वसूली के पड़ा रहा। विवरण **सारणी 4.9** में उल्लिखित हैं।

सारणी 4.9
बकाये की वसूली के लिए बैंक खाते को सम्बद्ध न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम	देयों की अवधि	देय धनराशि	रा0व0प्र0प0 सं0 एवं जारी करने का दिनांक
1.	ज्वा0कमि0(का0स0) गोरखपुर	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2008–09	5.52	21/27.09.2012
2.	खण्ड 3 लखनऊ	रामा एजेन्सीज	2010–11	5.00	16718/18.09.2014
3.	खण्ड 11 लखनऊ	प्रगति मार्बल्स	2008–09	175.61	570/23.10.2013
		आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	2009–10	14.91	315/31.07.13
4.	खण्ड 12 लखनऊ	कमिश्नर खाद्य एवं सिविल आपूर्ति	2005–06 से 2007–08	41,821.00	91/06.07.2009
	योग			**42,022.04**	

स्रोतः व्यापारियों की पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में व्यापारियों के बैंक खाते को अभिग्रहीत कर लिया गया है, एक मामले में ₹ 5.52 लाख वसूल कर लिया गया है एवं एक मामले में व्यापारी विभाग विभागीय अपील में गया है एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वसूली पर रोक लगा दी गयी है।

4.4.11 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (औ0वि0पु0बो0) के समक्ष लम्बित मामलों में अनुगमन की कार्यवाही की कमी

औ0वि0पु0बो0 के समक्ष दावा दाखिल न किये जाने के कारण ₹ 6.82 करोड़ का बकाया बिना वसूली के पड़ा रहा।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार जहाँ पर इकाई को बीमार घोषित करने के लिए सन्दर्भ दाखिल कर दिया गया है एवं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (औ0वि0पु0बो0) के समक्ष कार्यवाहियाँ लम्बित हैं, वहाँ बोर्ड की सहमति के बिना कम्पनी के विरुद्ध किन्हीं देयों की वसूली अथवा प्रवर्तन के लिए कोई मुकदमा दर्ज अथवा आगे जारी नहीं रखा जा सकता। जहाँ कोई कम्पनी बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित कर दी गयी हो, वहाँ विभाग को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्पनी की देयताओं के विवरण में सभी बकायों को शामिल कर लिया गया है।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं खण्ड–6 गाजियाबाद में पाया कि सी0आर0 क्वायल एवं शीट के निर्माण एवं बिक्री में संलग्न एक व्यापारी को औ0वि0पु0बो0 ने दिसम्बर 2006 में रुग्ण इकाई घोषित कर दिया था। कम्पनी पर वर्ष 2006–07 के लिए ₹ 4.44 करोड़ एवं वर्ष 2009–10 के लिए ₹ 2.38 करोड़ के निर्धारित देयों का बकाया था। मार्च 2009 एवं सितम्बर 2013 में क्रमशः ₹ 4.44 करोड़ एवं ₹ 2.38 करोड़ की वसूली के लिए रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे। औ0वि0पु0बो0 के समक्ष ₹ 6.82 करोड़ की देयता के लिए दावा दाखिल किये जाने की सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि बकाये की वसूली के लिए औ0वि0पु0बो0 के समक्ष दावा दाखिल नहीं किया गया था एवं इसके फलस्वरूप ₹ 6.82 करोड़ बिना वसूली पड़ा रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि क0नि0प्रा0 को कार्यकारी संस्था के समक्ष दावों को प्रस्तुत करने के लिये निर्देश जारी कर दिया गया है।

4.4.12 शासकीय समापक (शा0स0) के समक्ष दावा दाखिल/अनुसरण करने में निष्क्रियता

दावों को विलम्ब से दाखिल किये जाने एवं शा0स0 के साथ अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ की देयता बिना वसूली के रह गयी।

शासकीय समापक केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनीज अधिनियम की धारा 448 के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी हैं। शा0स0 का प्राथमिक कार्य समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत की कम्पनी की परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन करना, कम्पनी के विभिन्न लेनदारों एवं अंशधारकों के बीच उसे बंटवारे के उद्देश्य से सम्पत्ति की बिक्री करना एवं समापन प्रकिया के अन्तर्गत की कम्पनी से सभी कर्जों की वसूली करना और सभी मामलों के सम्पूर्ण रूप से समापन के पश्चात ऐसी कम्पनियों का अन्तिम रूप से विघटन करना है। कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 530(i)(क) के अनुसार सभी कर्जों एवं राजस्व करों आदि जो कि कम्पनी पर देय हैं प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासक को सुसंगत तिथि को एवं जब देय हो उसके अगले 12 माह के अन्दर भुगतान करना होगा।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं दो खण्डों[14] में पाया कि तीन व्यापारियो पर वर्ष 1981–82 से 2007–08 की अवधि के लिए ₹ 61.43 करोड़ का

[14] खण्ड 12 लखनऊ एवं खण्ड 2 रायबरेली।

बकाया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अगस्त 1998 एवं जुलाई 2011 के मध्य इन मामलों के लिए शा0स0 नियुक्त किया था। विभाग ने शा0स0 के समक्ष अपना दावा तीन वर्ष एक माह से लेकर चार वर्ष पाँच माह तक के विलम्ब से दर्ज कराया था। इस प्रकार विभाग की ओर से असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ का बकाया बिना वसूली के रह गया जैसा कि **सारणी 4.10** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.10
शा0 स0 के समक्ष दावे दाखिल/अनुसरण करने में निष्क्रियता

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम	अवधि	शा0स0 की नियुक्ति की तिथि	तिथि जब शा0स0 के समक्ष दावा दर्ज कराया गया	बकाया की धनराशि
1.	मे0 अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	1981–82 से 2007–08	15.07.2011	24.11.2015	49.18
2.	मे0 यू0पी0 टायर ट्यूब लिमिटेड	1989–90 से 1994–95	19.01.2000	31.03.2003	1.48
3.	मे0 रावल पेपर मिल्स लिमिटेड	1984–85 से 1997–98	10.08.1998	24.02.2003	10.77
	योग				**61.43**

स्रोतः व्यापारियों की पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

सर्वश्री यू0 पी0 टायर ट्यूब लिमिटेड एवं सर्वश्री रावल पेपर मिल्स लिमिटेड के मामले में शा0स0 द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों का निस्तारण कर दिया गया था तथा सुरक्षित लेनदारों एवं कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया था एवं वाणिज्य कर विभाग को कोई धनराशि भुगतान नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाया की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

शासन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एवं शासकीय समापक जिन्होंने बकायेदार व्यापारियों की परिसम्पत्तियों को सम्बद्ध कर रखा है के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में विचार कर सकता है ताकि उनके साथ दर्ज किये गये दावों की अनदेखी एवं वसूली प्रभावित न हो।

4.4.13 मानव संसाधन प्रबन्धन

संग्रह पर्यवेक्षक, संग्रह अमीन एवं संग्रह सेवक के संवर्गों में 2011–12 से 2015–16 के दौरान 8 से 100 प्रतिशत के मध्य की कमी ने राजस्व के बकाये के संग्रहण को प्रभावित किया।

जनशक्ति की उपलब्धता, किसी विभाग की सुचारु एवं दक्ष कार्य प्रणाली के लिए मूलभूत कारक है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि यद्यपि कि आच्छादित अवधि में बकाये में वृद्धि हुई थी, लेकिन जनशक्ति की अत्यन्त कमी थी। स्वीकृत पदों के सापेक्ष बकाये के संग्रह में लगे विभाग के जनशक्ति की स्थिति को **सारणी 4.11** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.11
बकाये के संग्रह में लगे जनशक्ति में कमी

पदनाम	स्वीकृत पद	तैनाती की स्थिति					कमी का प्रतिशत (न्यूनतम–अधिकतम)
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	
संग्रह पर्यवेक्षक	95	0	0	0	0	0	100
संग्रह अमीन	380	382	349	287	284	271	08–29
संग्रह सेवक	558	395	389	379	374	290	29–48

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

सारणी से यह देखा जा सकता है कि बकाये की वसूली में सीधे लगे कर्मचारियो के सभी संवर्गो में अत्यन्त कमी थी जिसने राजस्व बकाये के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जैसा की पूर्ववर्ती प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि संग्रह अमीनों को संग्रह पर्यवेक्षकों के खाली पड़े पदों पर पदोन्नत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं 95 नये संग्रह अमीनों की नियुक्ति हाल में ही की गयी है।

शासन को राजस्व बकाये की प्रभावी वसूली के लिये स्वीकृत पदों के अनुसार जनशक्ति की तैनाती पर विचार करना चाहिये।

आन्तरिक नियंत्रण

4.4.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा बकाया के मामलों की समीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा सामान्यतः किसी संगठन को स्वतः कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के प्रभावी अनुपालन को आश्वस्त होने योग्य बनाने के लिये सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) क0वा0क0 के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। आ0ले0प0शा0 को खातों, कर निर्धारणों, वसूली एवं प्रेषणों आदि की लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित है। आ0ले0प0शा0 को उचित प्राधिकारियों के समक्ष दावे दर्ज कराने, बकायेदार व्यापारियों की सम्बद्ध की गयी परिसम्पत्तियों की नीलामी करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी वसूली की कार्यवाही की पर्याप्तता की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

हमने चयनित खण्डों के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच की एवं पाया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 30 खण्डों में कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी एवं 23 खण्डों जहाँ लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी थी में यह इंगित किये जाने के लिए कि आ0ले0प0शा0 ने राजस्व के बकाये के प्रकरणों की समीक्षा की, वहाँ अभिलेखों मे कुछ भी नहीं था। इस तरह से सर्वोच्च स्तर से बकाये की वसूली की प्रभावकारिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी एवं बिना किसी प्रभावकारी अनुश्रवण के बकाया लगातार अनिस्तारित रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभावकारी ढंग से सम्पादित नहीं की जा रही थी।

4.4.15 लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता

क0वा0क0 ने विशेष अभियान के माध्यम से बकाये की वसूली के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश जारी किया । विगत वर्ष के बकाये की वसूली को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष इसकी प्रतिशतता में बढोत्तरी

करते हुए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। क0वा0क0 द्वारा इसकी निगरानी मासिक विवरण के माध्यम से की जाती है।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं पाया कि 51 खण्डों में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान देय बकाये की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी रही थी इसका विस्तार 2.85 एवं 14.50 प्रतिशत के मध्य था। ₹ 2,995.33 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध केवल ₹ 2,762.18 करोड़ ही वसूल किया जा सका था। केवल दो खण्डों में वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। विवरण **सारणी 4.12** में उल्लिखित हैं।

सारणी 4.12
लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी का प्रतिशत
2011–12	286.59	260.70	25.89	9.03
2012–13	426.61	364.75	61.86	14.50
2013–14	583.34	559.70	23.64	4.05
2014–15	707.68	687.54	20.14	2.85
2015–16	991.11	889.49	101.62	10.25
योग	**2,995.33**	**2,762.18**	**233.15**	

स्रोतः वाणिज्यकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

चार्ट 4.6

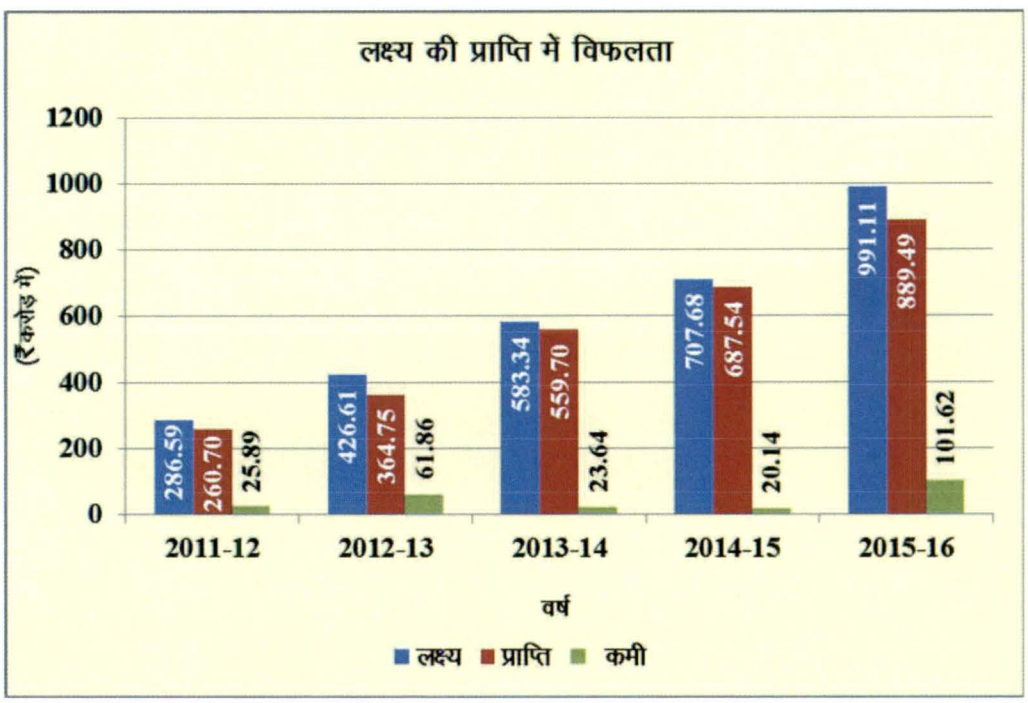

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य खण्डों द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग/शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए त्वरित एवं सतत् प्रयास किये जाते हैं।

4.4.16 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

55 जिलों में बकाये के निपटारे के लिए कोई नीति अथवा रूपरेखा स्थापित नहीं की गयी थी। रा0व0प्र0प0/माँग पत्र जिसमें ₹ 452.30 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी, क0नि0प्रा0 द्वारा या तो जारी नहीं किये गये थे अथवा विलम्ब से जारी किये गये थे जिसके फलस्वरूप वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ। हमने यह भी देखा कि दूसरे जिलों अथवा राज्यों को जारी किये गये रा0व0प्र0प0 जिसमें ₹ 312.60 करोड़ का बकाया सन्निहित था का अनुसरण नहीं किया गया था। औ0वि0पु0बो0 एवं शा0स0 के समक्ष दर्ज कराये गये दावों जिसमें ₹ 68.25 करोड़ का बकाया सन्निहित था कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन वर्ष से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अनुसरण नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (जून 2016) कि ₹ 27,188.58 करोड़ (मार्च 2016 को) में से ₹ 1,514.74 करोड़ अपलिखित कर दिया जायेगा। बकाये की वसूली में सीधे लगे कर्मचारियों के सभी संवर्गों में भारी कमी थी। इसके फलस्वरूप करों का भारी बकाया बढ़ कर ₹ 27,188.58 करोड़ हो गया। ये पहलू तंत्र में कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं जो बकाये की वसूली के लिए मजबूत तंत्र को आवश्यक बनाता है।

4.4.17 संस्तुतियों का सारांश

शासन विचार कर सकता है:

- **बकाये की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रत्येक जिले में कर वसूली अधिकारी की तैनाती एवं समर्पित वसूली तंत्र स्थापित करने पर।**
- **समय से रा0व0प्र0प0 जारी करने के लिए प्रणाली स्थापित करने पर।**
- **बकाया की वसूली की जा सके इसके लिये अन्य जिलों/राज्यों के अपने समकक्ष प्राधिकारियों जिन्हें रा0व0प्र0प0 जारी किये गये हैं, के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने पर।**
- **उनके साथ दर्ज किये गये दावों की अनदेखी एवं वसूली प्रभावित न हो इसके लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एवं शासकीय समापक जिन्होंने बकायेदार व्यापारियों की परिसम्पत्तियों को सम्बद्ध कर रखा है, के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र विकसित करने पर।**
- **राजस्व बकाये की प्रभावी वसूली के लिये स्वीकृत पदों के अनुसार जनशक्ति की तैनाती पर।**

4.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमारी 277 वाणिज्य कर कार्यालयों से सम्बन्धित 60,339 में से 30,368 कर निर्धारण आदेशों की जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को न अपनाये जाने, कर के कम/न आरोपण, अर्थदण्ड/ब्याज, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के अनेक मामले प्रकाश में आये जो इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये विभाग द्वारा पकड़ में नहीं आती हैं।

चार्ट 4.7

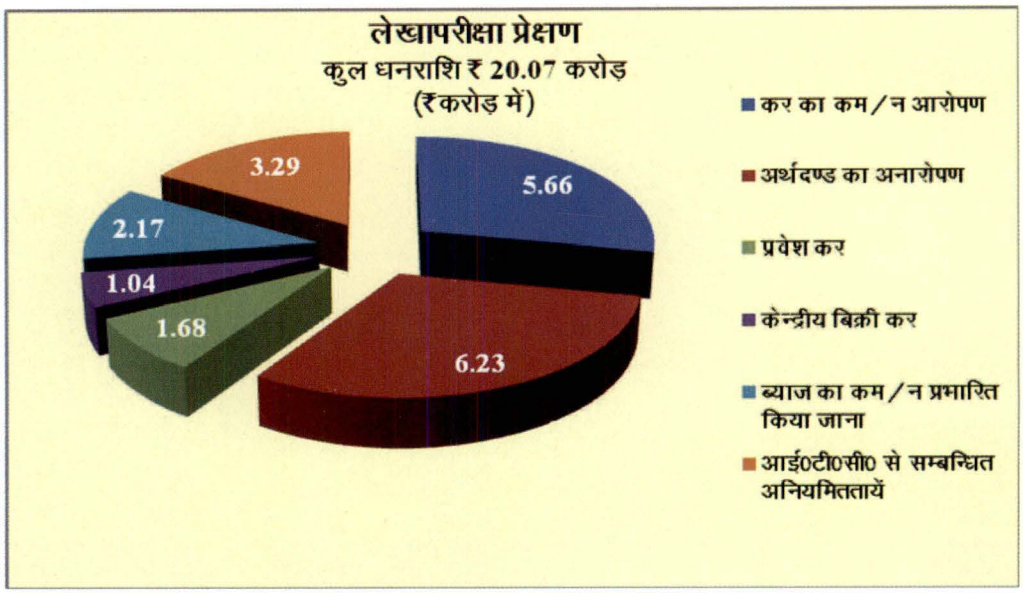

4.6 कर का कम/न आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयी थीं, समाधान शुल्क का कम आरोपण एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया था, इस प्रकार 50 वाणिज्य कर कार्यालयों से सम्बन्धित 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिये 5,535 में से 69 व्यापारियों के मामलों में ₹ 14.02 लाख के अर्थदण्ड के साथ ₹ 5.66 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ था जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

4.6.1 त्रुटिपूर्ण कर की दर के कारण कर का कम/न आरोपण

4.6.1.1 कर की गलत दर लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 44.33 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इस प्रकार धनराशि ₹ 2.72 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं, अनुसूची III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची IV में शामिल हैं, शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं एवं 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 3–क के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

हमने 30 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0)[15] में (अप्रैल 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,280 व्यापारियों में से 35 के मामले में, क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2012–2013 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 44.33 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल अपनी विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इस प्रकार धनराशि ₹ 2.72 करोड़ के कर का कम/नहीं आरोपण हुआ था **(परिशिष्ट–XXV)**।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (मई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में ₹ 5.09 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिए विभाग ने कहा कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.6.1.2 माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 5.44 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण करते हुये अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.26 लाख के कर का कम/नहीं आरोपण हुआ।

हमने आठ वा0क0का0[16] में (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 933 व्यापारियों में से 13 के मामलों में क0नि0प्रा0 ने मई 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2008–09 से 2011–12 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 5.44 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण करते हुये अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 63.26 लाख के कर का कम/नहीं आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–XXVI)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2015 से मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि एक मामले में धनराशि ₹ 51,000 का कर आरोपित कर दिया गया है शेष मामलों के लिए विभाग ने कहा कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

---

[15] डि0कमि0 खण्ड 16 आगरा, डि0कमि0 खण्ड 4, 8 एवं 12 इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड 1 बाँदा, डि0कमि0 खण्ड 1 देवरिया, डि0कमि0 खण्ड 6 एवं 11 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 5 जौनपुर, डि0कमि0 खण्ड 5, 12 एवं 24, असि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 1, 5 एवं 11 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0अ0 खण्ड 8 मेरठ, डि0कमि0 खण्ड सरधना मेरठ, वा0क0अ0 खण्ड 1 एवं 2 डि0कमि0 खण्ड 4 एवं 12 ज्वा0कमि0(का0स0) नोएडा, डि0कमि0 खण्ड 1 रायबरेली, डि0कमि0 खण्ड 1 रामपुर, डि0कमि0 खण्ड 2 सहारनपुर, डि0कमि0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर, डि0कमि0 खण्ड 1 चन्दौली, वाराणसी, ज्वा0कमि0(का0स0) जोन–II वाराणसी स्थित राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

[16] डि0कमि0 खण्ड 10 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 5, 8 एवं 14 कानपुर, असि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 20 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 10 मेरठ एवं डि0कमि0 खण्ड 1 नोएडा।

4.6.1.3 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

व्यापारियों द्वारा ₹ 15.28 करोड़ के टर्नओवर को अपने विवरणियों में घोषित नहीं किया गया था जबकि यह उनके कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस टर्नओवर की उपेक्षा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें।

हमने 13 वा0क0का0[17] में (अप्रैल 2015 एवं दिसम्बर 2015 के मध्य) व्यापारिक और लाभ/हानि खाता, वार्षिक बैलेंस शीट, वर्तमान एवं विगत वर्ष के कर निर्धारण आदेशों आदि की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,394 व्यापारियों में से 15 मामलों में व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 के लिये क0नि0प्रा0 को दाखिल की गयी अपनी विवरणियों में ₹ 15.28 करोड़ के टर्नओवर को घोषित नहीं किया गया था। टर्नओवर के विवरण, व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क0नि0प्रा0 ने मई 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पुस्तकों, खातों एवं प्रपत्रों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की सम्यक् रूप से जाँच नहीं की, जिसके फलस्वरूप उनके ₹ 15.28 करोड़ के टर्नओवर की उपेक्षा हुई एवं इसके परिणामस्वरूप ₹ 81.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट–XXVII**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि दो मामलों में धनराशि ₹ 1.17 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 17,000 की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.6.1.4 उ0प्र0मू0सं0क0 के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 14.99 करोड़ के भुगतान पर छः प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.11 लाख की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत, कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के भुगतान के स्थान पर समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। विज्ञप्ति सं0 1278 दिनांक 9 जून 2009 द्वारा सिविल एवं विद्युत संविदाकारों हेतु शासन द्वारा लायी गयी समाधान योजना के अनुसार, यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य की धनराशि के पाँच प्रतिशत तक आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि 30.12.2010 तक दो प्रतिशत की दर से एवं 31.12.2010 से चार प्रतिशत की दर से आगणित होगी। यदि कोई संविदाकार

[17] डि0कमि0 खण्ड 13 आगरा, ज्वा0कमि0(का0स0), डि0कमि0 खण्ड 4 एवं 12, असि0कमि0 खण्ड 5 इलाहाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0) बरेली, ज्वा0कमि0(का0स0)–II गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 गोरखपुर, डि0कमि0 खण्ड 8 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4 एवं 10 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 2 मेरठ, एवं वा0क0अ0 खण्ड 1 नोएडा।

पाँच प्रतिशत से अधिक आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि की गणना छः प्रतिशत की दर से की जायेगी।

हमने दो खण्डों में कर निर्धारण आदेशों, आयातित माल के उपभोग विवरण एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 276 व्यापारियों में से दो सिविल संविदाकारो ने वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2012–13 के दौरान ₹ 1.85 करोड़ मूल्य का आयातित माल संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किया जो कि संविदागत धनराशि ₹ 14.99 करोड़ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूँकि संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त आयातित माल वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक था, अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 89.95 लाख समाधान राशि आरोपणीय थी। तथापि, क0नि0प्रा0 ने मार्च 2013 एवं जुलाई 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 33.84 लाख (₹ 13.07 करोड़ पर दो प्रतिशत की दर से और ₹ 1.93 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से) की समाधान राशि का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.11 लाख की कम समाधान राशि का आरोपण हुआ जैसा कि विवरण **सारणी 4.13** में दिया गया है।

सारणी 4.13
उ0प्र0मू0सं0क0 के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये करयोग्य संविदागत मूल्य	प्रयुक्त आयातित माल/ वित्तीय वर्ष के लिये करयोग्य संविदागत मूल्य का प्रतिशत	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की धनराशि	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	1	2012–13 (जून 2014)	192.58	87.85/45.62	6	11.55	4	7.7	3.85
2	डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1	2009–10 (मार्च 2013)	774.29	70.03/9.04	6	46.46	2	15.49	30.97
			2010–11 (जुलाई 2014)	532.37	26.80/5.03	6	31.94	2	10.65	21.29
	योग	**2**		**1,499.24**	**184.68**		**89.95**		**33.84**	**56.11**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.6.1.5 गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 43.63 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की जिसके परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 74.89 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 28 एवं उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 9(4) के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 का यह कर्तव्य है कि व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों/अभिलेखों की जाँच करते समय तथा कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय देखें कि सभी करों को सही आरोपित किया गया है एवं सभी गणना सही की गयी हैं।

हमने चार वा0क0का0 में (जून 2015 एवं नवम्बर 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 365 व्यापारियों में से

पाँच के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) ने जून 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करते समय ₹ 43.63 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.89 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। विवरण **सारणी 4.14** में उल्लिखित हैं।

सारणी 4.14
गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड 3 बुलन्द शहर	1	2011–12 (मार्च 2015)	2,433.38	13.5 एवं 14.5	351.88	341.88	10.00
2	ज्वा0कमि0 (का0स0) झाँसी	1	2008–09 (दिसम्बर 2014)	166.86	2	3.34	2.34	1.00
3	डि0कमि0 खण्ड 10 लखनऊ	1	2011–12 (जून 2014)	148.67	13.5	20.07	7.43	12.64
		1	2012–13 (नवम्बर 2014)	517.85	4, 5, 13.5, 14 एवं 15.5	53.59	41.01	12.58
4	डि0कमि0 खण्ड 6 नोएडा	1	2011–12 (फरवरी 2015)	1,096.30	4, 5, 13.5 एवं 15.5	82.52	43.85	38.67
योग		**5**		**4,363.06**		**511.40**	**436.51**	**74.89**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में धनराशि ₹ 35.22 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 22.58 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.6.2 कर मुक्त वस्तुओं के निर्माण के लिये रियायती दर पर फर्नेस आयल की खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय फार्म 'डी' के विरुद्ध ₹ 28.04 लाख के फर्नेस आयल के क्रय पर ₹ 4.49 लाख की छूट अनुमन्य किया जो कि अनुमन्य नहीं थी क्योंकि यह ₹ 30.65 करोड़ मूल्य के कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹ 4.49 लाख के कर का कम आरोपण हुआ एवं फर्नेस आयल के मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से धनराशि ₹ 14.02 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 4(1)(ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अनुसूची IV की प्रविष्टि सं0 7(ख) के अनुसार फर्नेस आयल पर 30 सितम्बर 2008 से 21 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है एवं अनुसूची IV की प्रविष्टि सं0 7(क) के अनुसार नान–वैट माल के अतिरिक्त किसी कर योग्य माल के निर्माता शासन की विज्ञप्ति सं0–2758 दिनांक 29 सितम्बर 2008 द्वारा 30 सितम्बर 2008 से फार्म डी के विरुद्ध रियायती दर पाँच प्रतिशत की दर से फर्नेस आयल खरीदने के लिए हकदार हैं।

अग्रेतर, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(11)(i) के प्रावधानों के अनुसार यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित

मिथ्या या गलत प्रमाण–पत्र या घोषणा पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण से विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने डि0कमि0 खण्ड 4 इलाहाबाद कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच (जुलाई 2015) की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 65 में से एक व्यापारी ने फर्नेस आयल की फार्म 'डी' के विरुद्ध खरीद पर ₹ 4.49 लाख की कर की रियायत का दावा किया था। व्यापारी अन्य करयोग्य वस्तुओं सहित कर मुक्त वस्तुओं जैसे दूध, दही और मट्ठा का निर्माता था। कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री ₹ 30.65 करोड़ (कुल बिक्री ₹ 32.81 करोड़ का 93.43 प्रतिशत) थी। व्यापारी ने रियायती दर पर ₹ 30.01 लाख मूल्य के फर्नेस आयल की खरीद किया था। वह ₹ 28.04 लाख के फर्नेस आयल की खरीद (कुल खरीद मूल्य ₹ 30.01 लाख का 93.43 प्रतिशत) पर रियायती दर का हकदार नहीं था। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2015 के दौरान कर निर्धारण करते समय कर मुक्त माल के निर्माण पर अनियमित रियायत अनुमन्य किया जिसके फलस्वरूप ₹ 4.49 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। अग्रेतर, वस्तु के मूल्य का 50 प्रतिशत ₹ 14.02 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण भी नहीं किया गया था।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.7 अर्थदण्ड का अनारोपण

दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों के दुराशयपूर्ण क्रिया–कलापों को हतोत्साहित करने के लिए बनाये गये हैं। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों जैसे लेखों से बाहर संव्यवहार, कर का विलम्ब से जमा किया जाना, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि की उपेक्षा किया। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने 2007–08 (वैट) से 2013–14 तक की अवधि के लिये 50 वा0क0का0 से सम्बन्धित 5,639 व्यापारियों में से 74 के प्रकरणों में धनराशि ₹ 6.23 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

4.7.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये ₹ 5.24 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 1.02 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझ कर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर, यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ–साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने 19 वा0क0का0[18] में (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2016 के मध्य) व्यापारियों के अंतिम कर निर्धारण आदेश, व्यापारियों द्वारा जमा किया गया स्वीकृत कर एवं वाणिज्य कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,491 व्यापारियों में से 23 ने वर्ष 2008–09 से 2013–14 की अवधि में अपने ₹ 5.24 करोड़ के क्रय एवं विक्रय के टर्नओवर को छिपाया था। चूँकि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया था अतः वे छिपाये गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड के दायी थे। क0नि0प्रा0 में अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 33.90 लाख का कर आरोपित किया। यद्यपि नौ[19] मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने (जून 2013 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) यह पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया/देय कर के भुगतान का अपवंचन किया था अथवा व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार कर लिया था एवं छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया था, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 1.02 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि 12 मामलों में ₹ 56.97 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.7.2.1 कर का विलम्ब से जमा होना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 7.24 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 1.45 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नही किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निश्चित अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में देय कर जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के साथ–साथ ऐसे देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में अदा करे।

हमने 21 वा0क0का0[20] में (अगस्त 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,572 व्यापारियों में से 30 ने वर्ष 2007–08 (वैट) से 2012–13 की अवधि के लिए अपने स्वीकार किये गये

---

[18] असि0कमि0 खण्ड 3, डि0कमि0 खण्ड 18 आगरा, डि0कमि0 खण्ड 3 इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 अम्बेडकर नगर, डि0कमि0 खण्ड 5 फैजाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) फिरोजाबाद, डि0कमि0 खण्ड 9 एवं 15, असि0कमि0 17 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 23 एवं 27 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4, 6 एवं 10 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 6 मेरठ, डि0कमि0 खण्ड 8 मुरादाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0), डि0कमि0 खण्ड 12 नोएडा एवं डि0कमि0 खण्ड 5 सहारनपुर।

[19] असि0कमि0 खण्ड 3 आगरा (2 मामले), डि0कमि0 खण्ड 5 फैजाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) फिरोजाबाद, डि0कमि0 खण्ड 15 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 23 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 6 लखनऊ एवं डि0कमि0 खण्ड 8 मुरादाबाद।

[20] असि0कमि0 खण्ड 15 आगरा, ज्वा0कमि0(का0स0) इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड भरथना, डि0कमि0 खण्ड 1 गाजीपुर, ज्वा0कमि0(का0स0)–II, डि0कमि0 खण्ड 3, 6 एवं 13 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 4 हरदोई, डि0कमि0 खण्ड 5 जौनपुर, ज्वा0कमि0(का0स0) झाँसी, ज्वा0कमि0(का0स0)–I कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड कोसीकलां मथुरा, डि0कमि0 खण्ड 2 मथुरा, ज्वा0कमि0(का0स0) मुरादाबाद, डि0कमि0 खण्ड 1, 5 एवं 6 नोएडा, डि0कमि0 खण्ड 5 सहारनपुर एवं ज्वा0कमि0(का0स0)–II वाराणसी (स्थित सोनभद्र)

कर ₹ 7.24 करोड़ को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से लेकर 1,388 दिनों की थी। चूँकि कर विलम्ब से जमा किया गया था जिसके लिये वे आरोपित कर के साथ–साथ देय कर के 20 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के भी दायी थे, जबकि क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 1.45 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया **(परिशिष्ट–XXVIII)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि 13 मामलों में ₹ 27.99 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.7.2.2 संकर्म संविदा कर का विलम्ब से जमा होना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों पर संविदाकारो को भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर ₹ 1.49 करोड़ को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर ₹ 2.98 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 34(8) सपठित 34(1) के अन्तर्गत, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 11 वा0क0का0[21] में (मई 2014 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,540 व्यापारियों में से 14 ने वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 1.45 करोड़ कर की कटौती की परन्तु इसे निर्धारित समय के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि तीन दिनों से लेकर 387 दिनों की थी। एक मामले में कर ₹ 4.05 लाख की कटौती नहीं की गयी थी। का0नि0प्रा0 ने जनवरी 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 2.98 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड न आरोपित किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2014 और मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि छः मामलों में ₹ 48.52 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 91,000 की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

[21] डि0कमि0 खण्ड 3, असि0कमि0 खण्ड 2 एवं 3 इलाहाबाद, असि0कमि0 खण्ड 1 बाँदा, असि0कमि0 खण्ड 4 बुलन्द शहर, डि0कमि0 खण्ड 27 कानपुर, असि0कमि0 खण्ड 4 एवं 11 डि0कमि0 खण्ड 20 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 10 मेरठ एवं डि0कमि0 खण्ड 12 नोएडा।

4.7.3 मिथ्या खरीद

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय वस्तुओं की वास्तविक खरीद किये बिना ₹ 1.57 करोड़ के कर बीजक प्राप्त करने पर आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी परन्तु ₹ 78.37 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(iv) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक या बिक्री बीजक प्राप्त करता है, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने पाँच वा0क0का0 में (सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 757 व्यापारियों में से छः ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान धनराशि ₹ 1.57 करोड़ का कर बीजक बिना वास्तविक खरीद किये प्राप्त किया एवं आई0टी0सी0 का दावा किया था। चूँकि व्यापारियों ने बिना वास्तविक खरीद किये आई0टी0सी0 का दावा किया था जिसके लिए वे वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। तथापि, क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दिया परन्तु ₹ 78.37 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **सारणी 4.15** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.15
मिथ्या खरीद

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	बिना वास्तविक खरीद के प्राप्त विक्रय/कर बीजक से आच्छादित धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड 18 आगरा	1	2012–13 (जून 2014)	96.83	48.41
2	डि0कमि0 खण्ड 1 बाराबंकी	1	2011–12 (मार्च 2015)	29.98	14.99
3	डि0कमि0 खण्ड 16 गाजियाबाद	1	2009–10 (अप्रैल 2013)	12.39	6.20
4	असि0कमि0 खण्ड 6 नोएडा	1	2008–09 (अप्रैल 2012)	3.01	1.51
		1	2008–09 (जून 2012)	2.35	1.18
5	डि0कमि0 खण्ड 4 सहारनपुर	1	2008–09 (मार्च 2012)	12.15	6.08
योग		**6**		**156.71**	**78.37**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.8 प्रवेश कर

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय दरों की अनुसूची में दी गयी प्रवेश कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में कोई प्रवेश कर

आरोपित नही किया गया था एवं कुछ अन्य मामलों में अनियमित छूट अनुमन्य की गयी थी इस प्रकार 14 वा0क0का0 से सम्बन्धित 1,465 व्यापारियों में से 23 के मामलों में 2009–10 से 2012–13 तक की अवधि में ₹ 1.68 करोड़ का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में दर्शाया गया है:

4.8.1 प्रवेश कर का कम/न आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 33.90 करोड़ मूल्य के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 1.34 करोड़ के बजाय धनराशि ₹ 5.82 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम/न आरोपण हुआ।

उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। विज्ञप्ति सं0–422 दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार आयरन एवं स्टील पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा क्रय या विक्रय पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य थी।

हमने 13 वा0क0का0[22] में (अप्रैल 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,418 व्यापारियों में से 22 ने 2009–10 से 2012–13 की अवधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 33.90 करोड़ मूल्य का माल क्रय किया था, जिस पर ₹ 1.34 करोड़ प्रवेश कर आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय केवल पाँच व्यापारियों के प्रकरणों में धनराशि ₹ 5.82 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। इस प्रकार ₹ 1.29 करोड़ के प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट–XXIX**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.8.2 प्रवेश कर में अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 271.53 करोड़ मूल्य के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 39.38 लाख की अननुमन्य छूट मान्य की।

उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। विज्ञप्ति सं0–422 दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार आयरन एवं स्टील पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा क्रय या विक्रय पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य थी।

[22] डि0कमि0 खण्ड 1 गाजीपुर, डि0कमि0 खण्ड 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, डि0कमि0 खण्ड 6 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 एवं 8 कानपुर, ज्वा0कमि0(का0स0)–II, डि0कमि0 खण्ड 11 लखनऊ, ज्वा0कमि0(का0स0) मेरठ, ज्वा0कमि0(का0स0), डि0कमि0 खण्ड 10 एवं 14 नोएडा एवं डि0कमि0 खण्ड 2 सहारनपुर।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0)–II वा0क0 गाजियाबाद के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की (नवम्बर 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 47 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने 2011–12 की अवधि के दौरान ₹ 271.53 करोड़ की प्रवेश कर आरोपणीय वस्तुओं के बजाय ₹ 9.85 करोड़ की हानि दिखाते हुये ₹ 261.69 करोड़ मूल्य की शुद्ध प्रवेश कर आरोपणीय वस्तुयें घोषित किया था। प्रवेश कर निर्धारण में व्यापारी को ₹ 39.38 लाख (₹ 9.85 करोड़ के चार प्रतिशत) छूट अनुमन्य किया गया। क0नि0प्रा0 ने मई 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर की ₹ 39.38 लाख की अतिरिक्त छूट प्रदान की गयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.9 केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0)

4.9.1 घोषणा पत्रों के विरुद्ध अनियमित रियायत

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय फार्म 'सी' के विरुद्ध ₹ 1.71 करोड़ मूल्य के माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर धनराशि ₹ 17.21 लाख की रियायत अनियमित रूप से अनुमन्य किया।

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12(1) के अन्तर्गत एक फार्म 'सी' पर की गयी घोषणा में बिक्री सम्बन्धी वे सभी संव्यवहार आच्छादित होंगे जो वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास के दौरान उन्हीं दो व्यापारियों के बीच होते हैं।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0) बरेली के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की (जुलाई 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 49 व्यापारियों में से एक ने वर्ष 2011–12 के दौरान चार फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर ₹ 1.71 करोड़ के माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। इनमें एक वित्तीय वर्ष के एक से अधिक त्रैमास के संव्यवहार आच्छादित थे और नियम के प्रावधानों के अनुसार एक ही फार्म 'सी' से आच्छादित एक वित्तीय वर्ष के एक से अधिक त्रैमास के संव्यहार पर रियायती दर का किया गया दावा रियायत के योग्य नहीं था। अप्रैल 2015 के दौरान कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय क0नि0प्रा0 ने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये ₹ 56.46 लाख के एक त्रैमास से अधिक के संव्यहारों पर भी रियायती दर से के0बि0क0 आरोपित किया। इस प्रकार ₹ 17.21 लाख की अनियमित रियायत अनुमन्य की गयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को अगस्त 2015 में प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.9.2 रियायती दर पर पूँजीगत वस्तुओ की अनियमित खरीद

क0नि0प्रा0 ने संविदाकारों को के0पं0प्र0प0 में पूँजीगत माल के क्रय के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप संव्यवहारी को अदेय लाभ मिला और ₹ 59.75 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं हुआ।

के0बि0क0 अधिनियम, 1956 की धारा 8(3)(ख) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर से पुनः विक्रय के लिये, निर्माण में उपयोग के लिये या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रसंस्करण या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली के उत्पादन या वितरण के उद्देश्य से कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे, तो अभियोजन के स्थान पर के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत कमिश्नर वाणिज्य कर के दिनांक 12 मार्च 2008 के निर्णय के अनुसार संविदाकारों को व्यापारी की श्रेणी में माना गया न कि निर्माता की श्रेणी में, इसीलिये उनको फार्म 'सी' के विरुद्ध पूँजीगत माल की खरीद का लाभ नहीं दिया जायेगा क्योंकि ऐसा खरीदा गया पूँजीगत माल न तो उसने पुनः विक्रय किया और न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग किया है।

हमने डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की (अप्रैल 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 158 व्यापारियों में से एक संविदाकार ने 2008–09 से 2011–12 की अवधि के दौरान फार्म 'सी' के विरूद्ध रियायती कर की दर पर ₹ 2.96 करोड़ मूल्य के पूँजीगत माल की खरीद की और रियायती दर पर के0बि0क0 (केन्द्रीय बिक्री कर) का भुगतान किया। अग्रेतर हमने पाया कि जैसा कि के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8(3)(ख) में विहित है, संविदाकारों ने न तो इन वस्तुओं की बिक्री की न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण आदि में प्रयोग किया। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारी द्वारा फार्म 'सी' के इस अनियमित उपयोग को संज्ञान में नहीं लिया और ₹ 59.75 लाख के अर्थदण्ड के आरोपण में असफल रहे।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि ₹ 59.75 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (सितम्बर 2016)।

4.9.3 घोषणा पत्रों का दुरुपयोग

व्यापारियों ने फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध ₹ 1.59 करोड़ मूल्य का माल जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था कर की रियायती दर पर क्रय किया। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की जाँच नहीं की गयी। इस प्रकार ₹ 26.82 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' में घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0प0) से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की

रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने पाँच वा0क0का0 में (अप्रैल 2014 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 408 व्यापारियों में से सात ने वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर पर ₹ 1.59 करोड़ मूल्य के माल का क्रय किया। ये माल उनके पंजीयन के प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था जिसके लिये वे अभियोजन के बदले, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने के अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने मई 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र तथा फार्म 'सी' के उपयोग के विवरण की जाँच नहीं किया एवं परिणामस्वरूप ₹ 26.82 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नही किया गया जैसा कि **सारणी 4.16** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.16
घोषणा पत्रों का दुरुपयोग

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	पंजीकरण प्रमाणपत्र से अनाच्छादित वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर (प्रतिशत)	अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2012–13 (जून 2014)	एयर कन्डीशनर	41.66	13.5	20.25	8.44
2	डि0कमि0 खण्ड 14 इलाहाबाद	1	2009–10 (मई 2013)	डी जी सेट	2.65	12.5	18.75	0.50
					7.60	13.5	20.25	1.54
3	डि0कमि0 खण्ड 13 गाजियाबाद	1	2011–12 (जनवरी 2015)	रबर, रबर स्क्रैप	22.20	5	7.5	1.66
		1	2011–12 (मार्च 2015)	वुड फर्नीचर	5.45	13.5	20.25	1.10
				प्लाइवुड, थिनर	6.18	5	7.5	0.46
4	ज्वा0कमि0 (का0स0)–II लखनऊ	1	2011–12 (जुलाई 2014)	फ्लो मीटर	20.09	13.5	20.25	4.07
5	डि0कमि0 खण्ड 8 कानपुर	1	2010–11 (जुलाई 2013)	सीमेन्ट	15.51	15.5	23.25	3.61
				रूफ शीट	17.33	5	7.5	1.30
			2011–12 (फरवरी 2015)	सीमेन्ट	1.55	15.5	23.25	0.36
				कूल्ड चिलर	10.30	13.5	20.25	2.09
		1	2011–12 (जुलाई 2014)	एयर कन्डीशनर	8.36	13.5	20.25	1.69
	योग	**7**			**158.88**			**26.82**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2014 और मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं

अनुपालन में डि0कमि0 खण्ड 13 गाजियाबाद ने दो मामलों में क्रमशः ₹ 1.66 लाख एवं ₹ 0.96 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.10 ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 6.91 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया था, जिस पर ₹ 2.17 करोड़ ब्याज प्रभार्य था किन्तु इसे कर निर्धारण के समय प्रभारित नही किया गया।

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8 (1) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) सपठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 13 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक, 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रतिमाह और उसके पश्चात 31 दिसम्बर 2007 तक 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 1 जनवरी 2008 से सवा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

हमने आठ वा0क0का0[23] में (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशो एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 643 व्यापारियों में से आठ ने वर्ष 2006–07 से 2012–13 के दौरान स्वीकार किया गया कर ₹ 6.91 करोड़ 90 दिन से 3,080 दिनों के विलम्ब से बिना ब्याज के जमा किया था। स्वीकार किये गये कर की विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर जमा की तिथि तक ₹ 2.17 करोड़ ब्याज आकर्षित हुआ। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 2.17 करोड़ ब्याज प्रभारित नहीं किया **(परिशिष्ट–XXX)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015 और फरवरी 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में ₹ 82.70 लाख ब्याज प्रभारित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 15.60 लाख की वसूली कर ली गयी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.11 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में 35 वा0क0का0 से सम्बन्धित वर्ष 2009–10 से 2012–13 की अवधि के 4,041 व्यापारियों में से 45 मामलों में आई0टी0सी0 दावे से सम्बन्धित ₹ 3.29 करोड़ की विभिन्न अनियमिताओं के मामले जैसे अनियमित/गैर अनुमन्य

[23] डि0कमि0 खण्ड 14 इलाहाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0)–II, डि0कमि0 खण्ड 15 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर, ज्वा0कमि0(का0स0) झाँसी, ज्वा0कमि0(का0स0) II कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 12 लखनऊ एवं डि0कमि0 खण्ड सिकन्दराबाद।

आई0टी0सी0 के दावे, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना, अर्थदण्ड का अनारोपण एवं उस पर ब्याज को प्रभारित न किया जाना आदि का पता चला। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं।

4.11.1 करमुक्त बिक्री पर आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमित किया जाना

व्यापारियों ने उन माल की खरीद के सम्बन्ध में जिनकी बिक्री करमुक्त थी, ₹ 12.18 लाख की आई0टी0सी0 को उक्रमित नहीं किया था। कर निर्धारण के समय क0नि0प्रा0 द्वारा भी उसे ₹ 2.69 लाख ब्याज सहित उत्क्रमित नहीं किया गया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13(7) सपठित धारा 7 के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा, जहाँ व्यापारी द्वारा ऐसे माल की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त हो अथवा ऐसे माल का उपयोग या उपभोग किसी माल के विनिर्माण या पैकिंग में किया गया हो तथा व्यापारी द्वारा ऐसे विनिर्मित या पैक किये गये माल की बिक्री करमुक्त हो, इनपुट टैक्स की किसी धनराशि का दावा नहीं किया जायेगा और ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि व्यापारी द्वारा आई0टी0सी0 का दावा किया जाता है तो यह 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उत्क्रमणीय होगा।

हमने डि0कमि0 खण्ड 7 कानपुर कार्यालय में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 152 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2010–11 से 2012–2013 के दौरान उन वस्तुओं की खरीद पर ₹ 12.18 लाख की आई0टी0सी0 को त्रुटिपूर्ण रूप से प्राप्त किया था जिनकी ₹ 5.34 करोड़ मूल्य की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त थी। क0नि0प्रा0 ने जून 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया और न ही ब्याज की माँग सृजित की। इस प्रकार ₹ 12.18 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित नहीं हुई तथा ₹ 2.69 लाख ब्याज भी प्रभारित नही किया गया। विवरण **सारणी 4.17** में उल्लिखित हैं।

सारणी 4.17
करमुक्त बिक्री पर आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमित किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कुल बिक्री	करमुक्त बिक्री	क0नि0प्रा0 द्वारा आर0आई0टी0सी0 नहीं/कम की गयी	प्रभारणीय ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड 7 कानपुर	1	2010–11 (जून 2012)	349.67	204.90	5.51	0.94
			2011–12 (अक्टूबर 2013)	862.84	140.39	2.04	0.47
			2012–13 (फरवरी 2015)	923.45	188.77	4.63	1.28
	योग	**1**		**2,135.96**	**534.06**	**12.18**	**2.69**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.11.2 मिथ्या/कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा

प्रतिसत्यापन किये जाने पर व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 30.89 लाख की आई0टी0सी0 मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि कि इसे क0नि0प्रा0 द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया था, परन्तु व्यापारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपठित उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा कर बीजक के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गयी ऐसी बिक्री अथवा खरीद पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि की सीमा तक आई0टी0सी0 अनुमन्य है। मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 संतुष्ट है कि, यथास्थिति, जहाँ कोई व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति आई0टी0सी0 के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को, उसके द्वारा देय कर यदि कोई हो, के साथ–साथ, अर्थदण्ड के रूप में आई0टी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिये निर्देशित कर सकता है ।

हमने 11 वा0क0का0[24] में (नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,206 व्यापारियों में से 13 के मामलों में क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के आई0टी0सी0 के दावों का प्रतिसत्यापन किया और पाया कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान ₹ 30.89 लाख की आई0टी0सी0 की धनराशि का मिथ्या/कपटपूर्ण ढंग से दावा किया गया था। चूँकि व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 का मिथ्या/कपटपूर्ण ढंग से दावा किया गया था, वे आई0टी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर अर्थदण्ड के रूप में धनराशि के भुगतान करने के दायी थे। यद्यपि कि क0नि0प्रा0 ने मार्च 2013 एवं मार्च 2015 के दौरान कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आई0टी0सी0 को उत्क्रमित कर दिया था परन्तु ₹ 1.54 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया **(परिशिष्ट–XXXI)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन माामलों ₹ 18.58 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.11.3 आई0टी0सी0 का अनियमित समायोजन और ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 30.23 लाख की ब्याज सहित माँग सृजित करने के बजाय इस अननुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित कर दिया एवं इसे व्यापारियों के शेष आई0टी0सी0 से समायोजित कर दिया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 14(2) के अन्तर्गत, यदि किसी व्यापारी के स्वतः संज्ञान में यह आता है कि उसने किसी ऐसी आई0टी0सी0 का दावा कर लिया है जो कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो वह ऐसी घटना के संज्ञान में आने के बाद अगली कर विवरणी दाखिल करते समय इसे उत्क्रमित करेगा।

[24] डि0कमि0 खण्ड 4 एवं 8 इलाहाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0)–II, डि0कमि0 खण्ड 10 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 गोन्डा, असि0कमि0 खण्ड 1 हापुड़, डि0कमि0 खण्ड 3, असि0कमि0 खण्ड 4 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड कोसीकलां, मथुरा, डि0कमि0 खण्ड 5 मथुरा एवं डि0कमि0 खण्ड 6 मेरठ।

व्यापारी उत्क्रमित की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित कोषागार में जमा करने का दायी होगा।

हमने ज्वा0कमि0(का0स0)–II गाजियाबाद में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की (नवम्बर 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 47 व्यापारियों में से तीन ने वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान ₹ 30.23 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया था, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पर देय ब्याज प्रभारित किये बिना इस अननुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया एवं इसे व्यापारी के अवशेष आई0टी0सी0 से समायोजित कर दिया, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी इस उत्क्रमित की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि को साधारण ब्याज सहित जमा करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.23 लाख की आई0टी0सी0 का अनियमित समायोजन हुआ और फलस्वरूप ₹ 14.24 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि **सारणी 4.18** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.18
आई0टी0सी0 का अनियमित समायोजन और ब्याज का प्रभारित न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	आई0टी0सी0 से समायोजित आर0आई0टी0सी0 की धनराशि	अवधि	दिन	आरोपणीय ब्याज
1.	ज्वा0कमि0 (का0स0)–II गाजियाबाद	1	2011–12 (सितम्बर 2014)	2.72	01.04.12 से 02.09.14	885	0.99
				12.58	01.10.11 से 02.09.14	1,068	5.52
		1	2010–11 (मार्च 2014)	5.81	01.10.10 से 20.03.14	1,267	3.02
			2011–12 (मार्च 2015)	5.21	01.10.11 से 31.03.15	1,278	2.74
		1	2011–12 (फरवरी 2015)	3.91	01.10.11 से 01.02.15	1,220	1.97
	योग	**3**		**30.23**			**14.24**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियों पर आधारित पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि एक मामले में ₹ 5.76 लाख का ब्याज प्रभारित कर दिया गया है। इस प्रकरण में उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आर0आई0टी0सी0) की धनराशि जमा नहीं की गयी थी। एक व्यापारी के मामले में विभाग ने बताया कि ₹ 11.34 लाख ब्याज पहले ही प्रभारित किया जा चुका है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 12.58 लाख एवं ₹ 2.72 लाख की आर0आई0टी0सी0 कर निर्धारण के समय की गयी थी जिस पर ब्याज प्रभारणीय था। एक अन्य व्यापारी के मामले में विभाग ने बताया कि उत्क्रमित आई0टी0सी0 उसी वर्ष में जमा की गयी थी अतः ब्याज प्रभारणीय नहीं था। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 3.91 लाख की आर0आई0टी0सी0 कर निर्धारण के समय की गयी थी जिस पर ब्याज प्रभारणीय था (सितम्बर 2016)।

4.11.4 अननुमन्य आई0टी0सी0

व्यापारियों ने ₹ 56.51 लाख की आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जिसे कर निर्धारण के समय ब्याज सहित उत्क्रमित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.51 लाख की आई0टी0सी0 कम/नहीं उत्क्रमित हुई तथा ₹ 20.64 लाख के ब्याज का भी प्रभारण नहीं हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रांत के अन्दर से क्रय किये गये कर योग्य माल पर अधिनियम की अनुसूची I से V में निर्धारित दरों पर संदत्त अथवा संदेय कर की सीमा तक आई0टी0सी0 अनुमन्य है। पुनश्च अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाएगा।

हमने 13 वा0क0का0[25] में (मार्च 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों तथा पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,570 व्यापारियों में से 15 ने वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹ 56.51 लाख की गलत आई0टी0सी0 का दावा किया जो कि उनको अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 को दिसम्बर 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस अननुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करना चाहिये था और व्यापारियों को इस उत्क्रमित आई0टी0सी0 की धनराशि जो उत्क्रमित नहीं की गयी थी, को साधारण ब्याज सहित जमा करने के लिए आदेशित करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.51 लाख के आई0टी0सी0 का कम/उत्क्रमण नहीं हुआ तथा ब्याज ₹ 20.64 लाख प्रभारित नहीं हुआ **(परिशिष्ट–XXXII)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि दो मामलों मे धनराशि ₹ 14.91 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गयी है। इन्हीं प्रकरणों में विभाग द्वारा ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है (सितम्बर 2016)।

4.11.5 माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना।

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गयी ₹ 9.03 लाख की आई0टी0सी0, जिनकी बिक्री खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 (1)(च) के अन्तर्गत जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया गया है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस मूल्य पर विक्रय किया गया है, जो पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल के विक्रय मूल्य, अथवा निर्मित माल पर संदेय कर की सीमा तक होगी। यदि व्यापारी आई0टी0सी0 की सम्पूर्ण धनराशि का दावा करता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय

[25] डि0कमि0 खण्ड 8 इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 औरैया, डि0कमि0 खण्ड भरथना, डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर, डि0कमि0 खण्ड 1 हापुड़, डि0कमि0 खण्ड 2 हरदोई, ज्वा0कमि0(का0स0)– I, II, डि0कमि0 खण्ड 10, 16 एवं 28 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 2 मेरठ एवं डि0कमि0 खण्ड 5 नोएडा।

कर की सीमा से अधिक आई0टी0सी0 की धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उत्क्रमणीय होगी।

हमने चार वा0क0का0 में (मई 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 582 व्यापारियों में से छः ने 2011–12 के दौरान ₹ 23.70 करोड़ मूल्य के माल की खरीद की थी एवं ₹ 1.70 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया था तथा इसे ₹ 22.49 करोड़ में बेचा था। व्यापारियों ने माल के विक्रय मूल्य पर देय कर ₹ 1.61 करोड़ की सीमा के बजाय माल के खरीद मूल्य पर आई0टी0सी0 प्राप्त किया। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया और न ही साधारण ब्याज सहित इसकी माँग सृजित की। इस प्रकार ₹ 9.03 लाख आई0टी0सी0 उत्क्रमित नहीं की गयी तथा फलस्वरूप ₹ 4.30 लाख ब्याज भी प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि विवरण **सारणी 4.19** में दिया गया है।

सारणी 4.19

माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	व्यापारी द्वारा दावा की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि	बिक्री पर कर	क0नि0प्रा0 द्वारा न की गयी आर0आई0टी0सी0 की धनराशि	आरोपणीय ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड 1 कानपुर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	18.53	15.85	2.68	1.37
2	डि0कमि0 खण्ड 8 कानपुर	1	2011–12 (मार्च 2014)	6.26	4.74	1.52	0.57
		1	2011–12 (जनवरी 2015)	61.79	60.20	1.59	0.79
		1	2011–12 (मार्च 2015)	2.30	0.55	1.75	0.90
3	डि0कमि0 खण्ड 27 कानपुर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	1.43	0.97	0.46	0.23
4	डि0कमि0 खण्ड 1 लखनऊ	1	2011–12 (जुलाई 2014)	79.67	78.64	1.03	0.44
	योग	**6**		**169.98**	**160.95**	**9.03**	**4.30**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियों पर आधारित पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

4.11.6 व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गयी ₹ 16.57 लाख की आई0टी0सी0, जो व्यापारियों द्वारा किये गये दावे से कम दरों पर करयोग्य थीं, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपठित उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ, एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रान्त के अन्दर से

की गई कर योग्य माल की खरीद पर संदत्त या संदेय कर पर उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की अनुसूची–I से V तक में प्रत्येक वस्तु के लिए लागू कर की दर को विहित किया गया है। अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाएगा।

हमने छः वा0क0का0[26] में (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 681 व्यापारियों में से सात ने वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान ₹ 2.71 करोड़ की खरीद पर 13.5 से 15.5 प्रतिशत की दर से ₹ 16.57 लाख की आई0टी0सी0 का गलत दावा किया था। ये वस्तुयें उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची II तथा के0बि0क0 अधिनियम की धारा 14 की सूची में वर्णित हैं और लागू कर की दर चार से पाँच प्रतिशत है। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और बिना विस्तृत जाँच किये और प्रतिसत्यापन किये कि व्यापारी चार से पाँच प्रतिशत की करदेयता वाली वस्तुओं पर 13.5 से 15.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 का दावा कर रहे थे व्यापारियों को अधिक गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को अनुमन्य किया। यह गलत दावा ₹ 24.72 लाख की आई0टी0सी0 और ब्याज का उत्क्रमण (आई0टी0सी0 ₹ 16.57 लाख एवं ₹ 8.15 लाख ब्याज) आकर्षित करता है **(परिशिष्ट–XXXIII)**।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि एक मामले मे ₹ 6.09 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गयी है। बताये गये वर्णित प्रकरण में विभाग द्वारा ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है। (सितम्बर 2016)।

[26] डि0कमि0 खण्ड 2 अम्बेडकरनगर, डि0कमि0 खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर, डि0कमि0 खण्ड 12, 14 एवं 29 कानपुर तथा डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ।

अध्याय-V
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0 स्टा0 अधिनियम), भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908 (भा0 नि0 अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, से विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपणीय है। उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्तियों का मूल्यांकन निश्चित किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (विभाग) के विभागाध्यक्ष होते हैं जो निबन्धन कार्य के प्रबन्धन तथा अधीक्षण कार्य हेतु अधिकृत हैं। उनकी सहायता के लिए क्रमशः जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) होते हैं।

चार्ट 5.1 संगठनात्मक ढाँचा

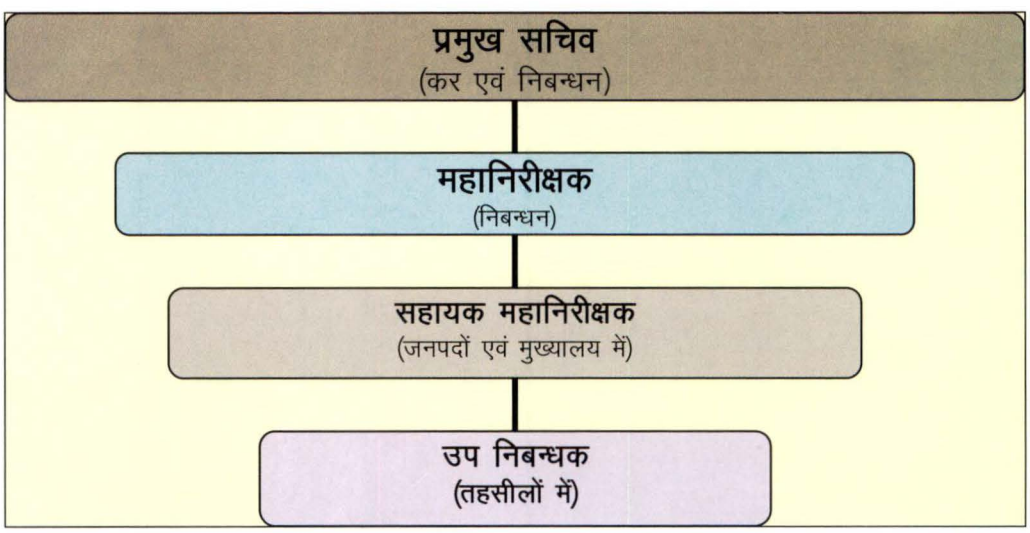

5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक संगठन के आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों के नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है।

यहाँ एक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है जो महानिरीक्षक (नि0) के सम्पूर्ण देखरेख में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य करता है। तकनीकी लेखापरीक्षा के लिए दो अतिरिक्त महानिरीक्षक (नि0) तथा आठ सहायक महानिरीक्षक (नि0) तैनात किए गये हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा के लिए आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 5.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.1
आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2011–12	496	250	243	07	2.80
2012–13	503	280	267	13	4.64
2013–14	504	309	307	02	0.65
2014–15	504	317	317	00	0.00
2015–16	504	414	407	07	1.69

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

सारणी 5.2

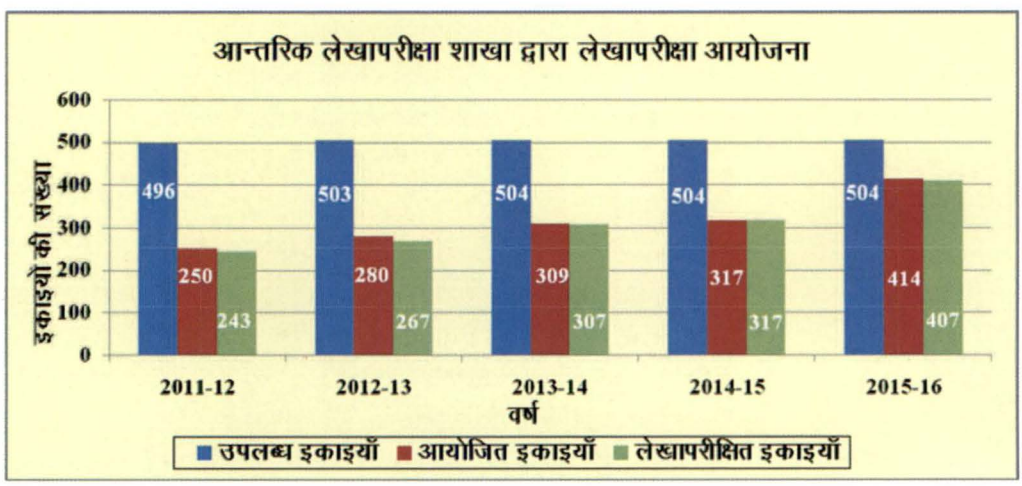

यह दर्शाता है कि विभाग आयोजित की गयी इकाइयों की लेखापरीक्षा का लक्ष्य सामान्यतया प्राप्त करने में सफल रहा ।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2015–16 में ₹ 12,403.72 करोड़ के राजस्व की वसूली की। हमने वर्ष 2015–16 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कुल 324 इकाइयों में से 134 वार्षिक इकाइयों एवं छः द्विवार्षिक इकाइयों की लेखापरीक्षा की आयोजना किया और उपरोक्त आयोजित की गयी सभी इकाइयों की नमूना जाँच की गयी जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आदि के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 31.49 करोड़ के 472 प्रकरण दर्शाये गये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि **सारणी 5.2** में उल्लिखित है।

सारणी 5.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	**स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा**	1	6.32
2.	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	352	14.77
3.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	66	2.91
4.	अन्य अनियमिततायें	53	7.49
	योग	**472**	**31.49**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं

सारणी 5.3

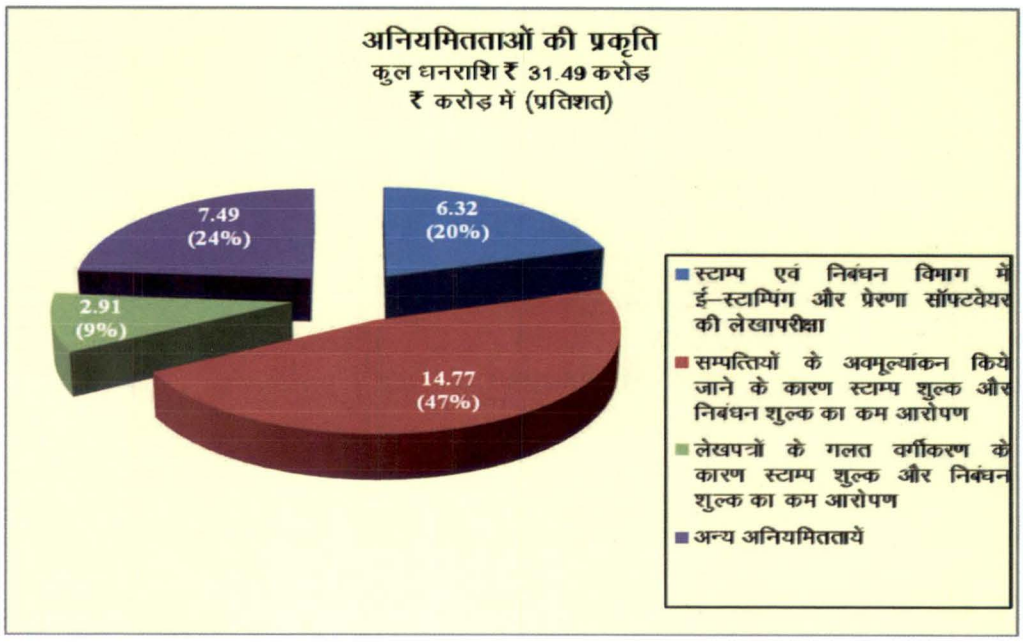

वर्ष के दौरान विभाग ने 190 प्रकरणों में ₹ 14.01 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 163 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 13.91 करोड़ वर्ष 2015–16 में इंगित किया गया था शेष पूर्व वर्षों के थे। 31 प्रकरणों में ₹ 10.51 लाख धनराशि की वसूली की गयी जिसमें से चार प्रकरणों सन्निहित ₹ 53,000 वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों के थे।

''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर'' की लेखापरीक्षा सन्निहित ₹ 6.32 करोड़ तथा अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामलों सन्निहित ₹ 7.60 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

5.4 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा

5.4.1 प्रस्तावना

निबन्धन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिये विभाग द्वारा प्रेरणा (सम्पत्ति मूल्यांकन एवं निबन्धन उपयोग) सॉफ्टवेयर को स्थल पर निबन्धन, राजस्व संग्रह की बेहतर निगरानी, विलेखपत्र की भाषा के मानकीकरण, प्रणाली में पारदर्शिता की वृद्धि, सम्पत्ति के इलेक्ट्रानिक मूल्यांकन, विलेखपत्रों के इलेक्ट्रानिक भण्डारण, सम्पत्तियों के उचित मूल्यांकन एवं राजस्व रिसाव को कम करने, नामान्तरण हेतु स्वचालित अनुस्मारक निर्गमन एवं एकल खिड़की सेवा के उद्देश्यों के साथ 01 अगस्त 2006 को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा बनाया गया था। सरकार ने अपने आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2013 के द्वारा रा0सू0के0 को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के विकास हेतु, जो कि अभी प्रक्रिया में है, ₹ 1.50 करोड़ स्वीकृत किया।

सरकार ने उत्तर प्रदेश में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली 2013 को अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी 2013 द्वारा अधिसूचित किया। सरकार ने स्टाम्प शुल्क प्रबन्धन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को राज्य में लागू करने के लिये मई 2013 में मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0 (स्टा0हो0का0इ0लि0) को केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (के0अ0अ0अ0) के रूप

में पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किया। स्टा0हो0का0इ0लि0 ई–स्टाम्प के विक्रेता के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार संग्रहीत स्टाम्प शुल्क को सरकारी खाते में जमा करता है। स्टा0हो0का0इ0लि0 को इस प्रकार संग्रहीत एवं जमा स्टाम्प शुल्क की धनराशि पर राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित प्रतिशत का कमीशन भुगतान किया गया।

स्टा0हो0का0इ0लि0 द्वारा राज्य में ई–स्टाम्प का निर्गमन 13 जुलाई 2013 से शुरू किया गया। 169 उप निबन्धक कार्यालयों में वर्ष 2013 से ई–स्टाम्पिंग प्रणाली को लागू किया गया। शेष 185 उप निबन्धक कार्यालयों में इसे 01 जनवरी 2016 से लागू किया गया।

5.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्याः

- प्रेरणा सॉफ्टवेयर एवं ई–स्टाम्पिंग प्रणाली को समय से एवं प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया था।
- प्रेरणा एवं ई–स्टाम्पिंग के सन्दर्भ में अधिनियम, नियमावली एवं सरकार/विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा था।
- आई0टी0 मानकों का अनुपालन किया जा रहा था।

5.4.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

2011–12 से 2015–16 तक अवधि को आच्छादित करते हुये लेखापरीक्षा सम्पादित (अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक) की गयी। 15 जनपदों[1] में से जहाँ सभी 91 उ0नि0का0 प्रेरणा एवं ई–स्टाम्पिंग दोनों से सुसज्जित थे, हमने नौ जनपदों[2] के 23 उ0नि0का0[3] को उनके राजस्व वसूली के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चुना जिनमें 17 उ0नि0का0 में से 14 उच्च जोखिम[4] वाले चिन्हित किए गये, 10 उ0नि0का0 में से चार मध्यम जोखिम वाले चिन्हित किए गये और 64 उ0नि0का0 में से पाँच लघु जोखिम वाले चिन्हित किए गये। नमूना निर्धारित करने के लिये यादृच्छिक सांख्यिकीय नमूने का प्रयोग किया गया।

हमने पत्रावलियों एवं विभिन्न अनुखण्डों में सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न प्रक्षेपण की जाँच की। इसके अतिरिक्त हमने महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0), सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (स0म0नि0) और स्टा0हो0का0इ0लि0 के कार्यालयों से सूचना एकत्रित की। 19 जनवरी 2016 को आयोजित प्रारम्भिक गोष्ठी में प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की गयी। हमने 28 जुलाई 2016 को शासन एवं विभाग के साथ समापन गोष्ठी आयोजित की जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव के साथ चर्चा की गयी। समापन गोष्ठी के दौरान चर्चा किए गये सभी

---

[1] इलाहाबाद, बागपत, बाराबंकी, बुलन्दशहर, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, हरदोई, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, रायबरेली, सीतापुर एवं उन्नाव

[2] इलाहाबाद, बाराबंकी, बुलन्दशहर, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और रायबरेली

[3] उ0नि0–मेजा इलाहाबाद, उ0नि0–सदर बाराबंकी, उ0नि0–स्याना बुलन्दशहर, उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, ग्रेटरनोयडा व दादरी, जी0बी0 नगर, उ0नि0–द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व मोदीनगर गाजियाबाद, उ0नि0–द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मोहनलालगंज व बक्सी का तालाब लखनऊ, उ0नि0–प्रथम, छाता व महावन मथुरा, उ0नि0–तृतीय मेरठ और उ0नि0–सदर रायबरेली

[4] उच्च जोखिमः (80 प्रतिशत आच्छादन) जहाँ पर उ0नि0का0 का राजस्व संग्रह ₹ 100 करोड़ वार्षिक से अधिक हो, मध्यम जोखिमः (40 प्रतिशत आच्छादन) जहाँ पर उ0नि0का0 का राजस्व संग्रह ₹ 100 से 50 करोड़ वार्षिक के मध्य हो व निम्न जोखिमः (8 प्रतिशत आच्छादन) जहाँ पर उ0नि0का0 का राजस्व संग्रह ₹ 50 करोड़ वार्षिक से कम हो।

संस्तुतियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। शासन/विभाग का अभिमत प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

5.4.4 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिए गये सहयोग हेतु स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रेरणा

5.4.5 आयोजना एवं सॉफ्टवेयर का विकास

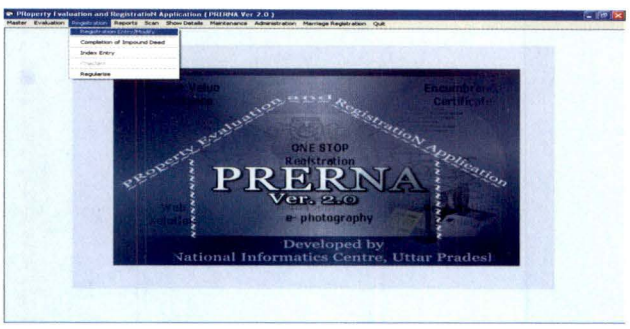

निबन्धन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रेरणा सॉफ्टवेयर विभाग में 2006 में लागू किया गया। तथापि, प्रेरणा सॉफ्टवेयर सभी उप निबन्धक कार्यालयों में 9 वर्षों के बाद कार्यान्वित किया गया। सॉफ्टवेयर के आयोजना एवं विकास पर हमारे निष्कर्षों को निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित किया गया है।

5.4.5.1 योजना का अनियोजित एवं विलम्बित कार्यान्वयन

विभाग द्वारा प्रेरणा को बिना किसी समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये कार्यान्वित किया गया।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में प्रेरणा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत निबन्धन प्रक्रिया जून 2006 में लागू की गयी।

हमने पाया कि विभाग ने उ0नि0का0 में योजना को बिना किसी समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये कार्यान्वित किया। राज्य में कुल 354 में से 169 उ0नि0का0 में यह सॉफ्टवेयर तीन चरणों में कार्यान्वित किया गया। प्रथम चरण (2006) में 106 उ0नि0का0, द्वितीय चरण (2009) में 43 उ0नि0का0 एवं तृतीय चरण (2012) में 20 उ0नि0का0 को प्रेरणा सॉफ्टवेयर से सज्जित किया गया। सॉफ्टवेयर को सभी उ0नि0का0 में 1 जनवरी 2016 से ₹ 26.12 करोड़ व्यय से लागू किया गया। राज्य के सभी उ0नि0का0 में प्रेरणा सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन में नौ वर्ष लगे।

5.4.5.2 सॉफ्टवेयर की अपेक्षित विशिष्टियों (एस0आर0एस0) का अभाव एवं सॉफ्टवेयर विकास अनुबन्ध (सा0वि0अ0) का विलम्ब से निष्पादन।

विभाग द्वारा प्रेरणा सॉफ्टवेयर के विकास हेतु एस0आर0एस0 तैयार नहीं किया गया तथा सा0वि0अ0 को छः वर्षों बाद निष्पादित किया।

एस0आर0एस0 तैयार करना एवं सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली संस्था से एस0डी0ए0 का निष्पादन करना सॉफ्टवेयर के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है।

हमने पाया कि विभाग द्वारा प्रेरणा सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एस0आर0एस0 नहीं बनाया गया था एवं रा0सू0के0 से एस0डी0ए0 का निष्पादन प्रेरणा सॉफ्टवेयर के लागू होने के छः वर्षों बाद किया गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने विभाग को सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया।

5.4.5.3 उ0नि0का0 के मध्य पार्श्व संयोजन का अभाव

उ0नि0का0 एक दूसरे से संयोजित नहीं थे।

प्रेरणा सॉफ्टवेयर के अधीन उ0नि0का0 में एक दूसरे से पार्श्व संयोजन नहीं था। राज्य में प्रत्येक उ0 नि0का0 के पास स्वतन्त्र सर्वर था। प्रत्येक उ0नि0का0 में मासिक बैकअप लिया जाता था और रा0सू0के0 को भेजा जाता था। अतः एक दिन में पूरे राज्य में कुल पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या, वसूल की गयी स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस की धनराशि एवं अन्य वसूलियों से सम्बन्धित सूचना प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त पार्श्व संयोजन के अभाव में एक उ0नि0का0 में पंजीकृत विलेखपत्र को दूसरे उ0नि0का0 में खोजा नहीं जा सकता था। इस प्रकार, विभाग द्वारा राजस्व वसूली के बेहतर अनुश्रवण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि प्रत्येक उ0नि0का0 में इन्टरनेट संयोजन की अनुपलब्धता के कारण उ0नि0का0 के मध्य पार्श्व संयोजन स्थापित नहीं किया जा सका। प्रस्तावित ऑन लाईन प्रणाली में पार्श्व संयोजन स्थापित किया जायेगा।

5.4.5.4 अनुबन्ध को बीच में निरस्त करने से निष्फल व्यय

अनुबन्ध को बीच में निरस्त करने के कारण शासन द्वारा ₹ 1.44 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निजी साझेदारी दिशा निर्देशों के अनुसरण की कार्यवाही में विभाग ने सितम्बर 2009 में विप्रो लिमिटेड के साथ एक करार किया जिसमें उसे वेब आधारित विभागीय कम्प्यूटरीकरण हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया। कुल समझौता राशि ₹ 2.40 करोड़ के विरुद्ध विभाग द्वारा निम्नलिखित भुगतान किया गयाः

किस्त संख्या	माईल स्टोन	कुल समझौता राशि का प्रतिशत	भुगतान की गयी धनराशि (₹लाख में)
1	मोबलाईजेशन अग्रिम	10	23.97
2	बिजनेस प्रासेस डाकूमेन्ट (बी0पी0डी0) एवं बिजनेस प्रासेस री–इंजीनियरिंग (बी0पी0आर0) की संस्तुति	20	47.95
3	हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन (एच0एल0एस0आर0एस0) की संस्तुति, इक्सप्रेसन आफ इन्टरेस्ट (ई0ओ0आई0) का प्रस्तुतीकरण, रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आर0एफ0पी0), सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट (एस0एल0ए0) एवं दूसरे सभी दस्तावेजों का प्रलेखन	30	71.92

तथापि आई टी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अनुदेश पर विभाग ने कम्प्यूटरीकरण कार्य विभागीय स्तर पर करने का निर्णय लिया एवं जनवरी 2011 में विप्रो लिमिटेड के साथ परामर्शी अनुबन्ध समाप्त कर दिया। इस प्रकार, अनुबन्ध को बीच में निरस्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि कम्प्यूटरीकरण कार्य विभागीय स्तर पर करने का निर्णय लिया गया था। अतः विप्रो लिमिटेड के साथ अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया। वास्तविकता यह है कि अनुबन्ध को बीच में निरस्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

5.4.6 सॉफ्टवेयर में व्यापार नियमों को रेखांकित नहीं किया गया

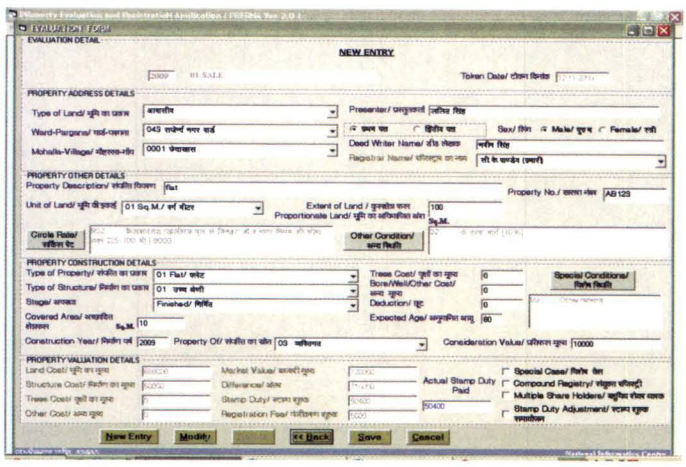

सॉफ्टवेयर के उद्देश्यों में से एक सम्पत्ति का इलेक्ट्रानिक एवं उचित मूल्यांकन करना था। इसे प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर में प्रासंगिक अधिनियम व नियमों को सम्मिलित करना था। सॉफ्टवेयर में व्यापार नियमों को रेखांकित न करने के दृष्टान्तों का निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है।

5.4.6.1 महत्वपूर्ण आँकड़ों को डालने का प्रावधान न होना

मास्टर डेटा में कृषि भूमि के खसरा नम्बरों को उद्भरण करने का प्रावधान प्रेरणा में न होना।

सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर सूची में कृषि एवं आवासीय भूमि की दरें निर्धारित होती हैं। दर सूची में सड़क से लगे या आबादी के नजदीक के खसरा नम्बरों की कृषि भूमि की उच्च दरें निर्धारित की गयी थीं।

हमने देखा कि कृषि भूमि का मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था लेकिन सड़क से लगे एवं आबादी के निकट की भूमि का मूल्यांकन प्रभावी उच्च दर पर नहीं हुआ था। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में भूमि के खसरा नम्बरों को मास्टर डेटा में उद्भरण करने का प्रावधान नहीं था यद्यपि कि ये खसरा नम्बर दर सूची के भाग थे। सॉफ्टवेयर ऐसे खसरा नम्बरों के भूमि के स्वतः मूल्यांकन में असफल था। इस प्रकार, सम्पत्ति के इलेक्ट्रानिक मूल्यांकन के उद्देश्य को विभाग प्राप्त नहीं कर सका।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि इन्टरनेट संयोजन की अनुपलब्धता के कारण लेखपत्रों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण सम्भव नहीं हो पाया। तथापि रा0सू0के0 द्वारा विकसित किये जा रहे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में लेखपत्रों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण एवं खसरा नम्बरों के उद्भारण की व्यवस्था की जायेगी।

5.4.6.2 पट्टा विलेख का मूल्यांकन

सॉफ्टवेयर में 30 वर्षों से अनधिक अवधि के पट्टा विलेखों के मूल्यांकन के प्रावधान को रेखांकित नहीं किया गया।

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टों पर स्टाम्प शुल्क जहाँ पट्टा 30 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए हो वहाँ स्टाम्प शुल्क पट्टा अवधि के आधार पर सम्पत्ति की आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या

मूल्य के तीन/चार/पाँच/छः गुना के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण पत्र की भाँति प्रभार्य होगा।

हमने देखा कि 30 वर्षों से अनधिक अवधि के पट्टा विलेखों के मूल्यांकन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं है। 386 पट्टा विलेखों की जाँच की गयी एवं उनमें से सभी का मूल्यांकन मानवीय रूप से किया गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

5.4.6.3 व्यावसायिक भवनों का मूल्यांकन

व्यावसायिक भवनों के मूल्यांकन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 5 (ग) (ii) के अनुसार स्टाम्प देयता के उद्देश्य हेतु व्यावसायिक भवनों का न्यूनतम मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराये से भवन के प्रत्येक तल के निर्मित क्षेत्रफल को गुणा करके निकाले गये भवन के न्यूनतम मासिक किराये का 300 गुणा होगा। यह नियम 01 दिसम्बर 2015 के पहले लागू था। 01 दिसम्बर 2015 और उसके बाद जिले के जिलाधिकारी द्वारा दर सूची में निर्धारित भूमि के प्रति वर्गमीटर और व्यावसायिक भवनों के निर्मित क्षेत्रफल के दर के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

हमने देखा कि व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन का प्रावधान नवम्बर 2015 तक सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं किया गया था। व्यावसायिक भवनों से सम्बन्धित नमूना जाँच किए गये सभी 286 विक्रय विलेख मानवीय रूप से मूल्यांकित थे।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि 01 दिसम्बर 2015 से प्रभावी दर सूची पर आधारित व्यावसायिक भवनों का नया मूल्यांकन सॉफ्टवेयर में रेखांकित है।

5.4.6.4 अनुबन्ध पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क का समायोजन

अनुबन्ध पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क के समायोजन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं किया गया था।

भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 5 में अनुबन्ध जो किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है अनुबन्ध जहाँ कब्जे का किया जाना स्वीकार न किया गया हो, स्टाम्प शुल्क की देयता प्रावधानित है। ये यह भी प्रावधानित करता है कि जब ऐसे अनुबन्ध के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किया जाये, तब इस खण्ड के अधीन भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क का समायोजन हस्तान्तरण पत्र पर देय कुल स्टाम्प शुल्क के प्रति किया जायेगा।

हमने देखा कि अनुबन्ध पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क के समायोजन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं था। अनुबन्ध लेखपत्र को विक्रय विलेख से जोडने का प्रावधान भी सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं था। नमूना जाँच किए गये सभी 211 विक्रय विलेखों में स्टाम्प शुल्क मानवीय रूप से समायोजित किए गये थे।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे अभिमत को स्वीकार किया और इन कमियों को सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में दूर करने का आश्वासन दिया।

5.4.6.5 सुधार लेखपत्रों को जोड़ना

सुधार लेखपत्रों को इसके मूल लेखपत्रों से जोड़ने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं किया गया था।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 34–क में शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में, जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क दिया गया हो, केवल लिपिकीय त्रुटि के सुधार करने का प्रावधान है।

हमने देखा कि सुधार लेखपत्रों को इसके मूल लेखपत्र से जोड़ने का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं है। नमूना जाँच किए गये सभी 352 सुधार लेखपत्र अपने मूल लेखपत्र से जुड़े नहीं थे।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि सुधार लेखपत्र के माध्यम से मूल लेखपत्र में किए गये सुधार की परस्पर प्रविष्टि का प्रावधान किया जा रहा है।

5.4.6.6 चौहद्दी अंकित किए बिना आवासीय भूमि का मूल्यांकन

डेटाबेस में चौहद्दी अंकित किए बिना आवासीय भूमि के विक्रय विलेखों को उ0नि0का0 में पंजीकृत किया गया था।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 में प्रावधान है कि प्रतिफल (यदि कोई हो) और अन्य सब तथ्य एवं परिस्थितियाँ, जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता, या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, उसमें सुपूर्णतया और सत्यतापूर्वक व्यक्त किए जायेंगे। जिले के जिलाधिकारी द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु अनुमोदित दर सूची में सड़क के किनारे स्थित भूमि की उच्च दरें दी गयी हैं।

हमने चयनित उ0नि0का0 में विक्रय विलेखों से सम्बन्धित डेटा एवं आवासीय भूमि से सम्बन्धित 2,150 विलेख पत्रों की जाँच की और देखा कि 294 प्रकरणों में बिक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी (सीमायें) प्रेरणा के माध्यम से उत्पन्न इन्डेक्स–2 रिपोर्ट में नहीं दिखाई गयी है। यद्यपि विक्रय विलेख में चौहद्दी अंकित थी। चूँकि सम्पत्ति का मूल्यांकन सीमाओं पर भी निर्भर था, यह प्रदर्शित करता है कि इन प्रकरणों में सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रेरणा सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः नहीं हुआ था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि प्रेरणा सॉफ्टवेयर में आवासीय भूमि की चौहद्दी को अनिवार्य रूप से अंकित करने का प्रावधान किया जा रहा है।

5.4.6.7 मास्टर डेटा में दर सूची की प्रविष्टि और इसके लॉक करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र का अनुपलब्ध होना

मास्टर डेटा में दर सूची की प्रविष्टि और इसके लॉक करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र को उ0नि0का0 द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

महानिरीक्षक निबन्धन ने आदेश दिनांक 25 जुलाई 2006 द्वारा सभी उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को निर्देशित किया था कि मास्टर डेटा में दर सूची की प्रविष्टि करने के पश्चात अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और उप निबन्धक द्वारा सम्मिलित रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र देना था कि मास्टर डेटा में प्रविष्ट की गयी दर और जिलाधिकारी द्वारा जारी दर सूची में कोई अन्तर नहीं है एवं मास्टर डेटा को उनकी उपस्थिति में लॉक कर दिया गया है।

हमने चयनित उपनिबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि दर सूची का मास्टर डेटा में प्रविष्टि करने एवं उसे लॉक किऐ जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया गया था। दर सूची के द्वितीय चरण के सत्यापन के अभाव में मास्टर डेटा एवं उस डेटा से सम्बन्धित मूल्यांकन में त्रुटि से इनकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने समापन गोष्ठी के दौरान हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कमी को सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में दूर करने का आश्वासन दिया ।

5.4.6.8 नयी दर सूची लागू होने से पहले निष्पादित हस्तान्तरण पत्रों का मूल्यांकन

नयी दर सूची लागू होने से पहले निष्पादित हस्तान्तरण पत्रों के मूल्यांकन का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं किया गया था।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 17 प्रावधानित करती है कि सभी विलेख जिन पर शुल्क प्रभार्य है और जिनको किसी व्यक्ति द्वारा भारत में निष्पादित किया गया है, निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय स्टाम्पित किए जायेंगे। निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 23 में प्रावधानित है कि वसीयत से अन्यथा कोई लेखपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि वह उसके निष्पादन की तारीख से चार माह के अन्दर उस प्रयोजन से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया जाये।

हमने चयनित उ0नि0का0 में प्रेरणा के अन्तर्गत हस्तान्तरण पत्रों से सम्बन्धित डेटा तथा नयी दर सूची लागू होने से पहले निष्पादित 503 हस्तान्तरण पत्रों का परीक्षण किया तथा देखा कि इन विलेखों में सम्पत्ति का मूल्यांकन निष्पादन के समय प्रभावी पुराने दर से किया जाना था। सॉफ्टवेयर में इन हस्तान्तरण पत्रों के स्वतः मूल्यांकन का प्रावधान रेखांकित नहीं किया गया था क्योकि पुरानी दरों को डेटाबेस में नहीं रखा गया था तथा इनको इन प्रकरणों में संदर्भित नहीं किया जा सका। इस सभी विलेखों का मूल्यांकन मानवीय रूप से किया गया।

विभाग ने समापन गोष्ठी के दौरान हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कमी को सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में दूर करने का आश्वासन दिया ।

5.4.6.9 भूतपूर्व सैनिको को स्टाम्प शुल्क से मुक्ति

भूतपूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क की देयता से मुक्ति का प्रावधान सॉफ्टवेयर में रेखांकित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 17 मई 2013 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को उनके पक्ष में 200 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया था।

हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में भूतपूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क से मुक्ति का प्रावधान रेखांकित नहीं किया गया था। नमूना जाँच किये गये भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में निष्पादित सभी 292 विलेखों में पाया गया कि सभी विलेखों में स्टाम्प शुल्क के भुगतान से मुक्ति मानवीय रूप से प्रदान की गयी थी।

विभाग ने समापन गोष्ठी के दौरान हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कमी को सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में दूर करने का आश्वासन दिया।

5.4.7 कार्यान्वयन

विभाग में प्रेरणा नौ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू किया गया था। चयनित इकाइयों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि इनमें से तीन उद्देश्यों यथा स्थान पर निबन्धन, लेखपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण तथा एकल खिड़की सेवा पूर्णरूप से प्राप्त किया गया। प्रणाली में पारदर्शिता की वृद्धि, सम्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक मूल्यांकन तथा सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन के उद्देश्यों को आंशिक रूप से प्राप्त किया गया। राजस्व संग्रह का बेहतर अनुश्रवण, लेखपत्रों की भाषा का मानकीकरण तथा स्वामित्व परिवर्तन हेतु स्वतः अनुस्मारक का निर्गमन के शेष उद्देश्यों को विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रेरणा के कार्यान्वयन पर हमारे जाँच परिणाम निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

5.4.7.1 सॉफ्टवेयर में कमियाँ

5.4.7.1.1 प्रेरणा में मासिक आय विवरण (मा0आ0वि0) प्रकल्पित नहीं किया गया

प्रेरणा में सॉफ्टवेयर के द्वारा विवरणों को उत्पन्न करने का प्रावधान नहीं था।

सॉफ्टवेयर के उद्देश्यों में से एक राजस्व संग्रह का बेहतर अनुश्रवण था। परन्तु सॉफ्टवेयर में मा0आ0वि0 सूचना यथा राजस्व संग्रहण के निरीक्षण के लिए उ0नि0का0 तथा जिलावार मासिक आय सूचना उत्पन्न करने का प्रावधान नहीं था। उ0नि0का0 द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाने वाली आवर्तकालिक राजस्व सूचनाओं को मानवीय रूप से तैयार किया जाता था।

विभाग ने समापन गोष्ठी के दौरान हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा प्रतिवेदन को सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न करने का आश्वासन दिया।

5.4.7.1.2 ऑनलाइन भेंट नियत करने तथा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के प्रावधान का अभाव

प्रेरणा में दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण का प्रावधान नहीं है।

प्रेरणा में विभाग के द्वारा जाँच, मूल्यांकन एवं कर तथा फीस के निर्धारण हेतु दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण का प्रावधान नहीं है। प्रस्तुतकर्ताओं तथा दावेदारों को व्यवहार के प्रत्येक चरण पर उ0नि0का0 में उपस्थित होना पडता है। परिणामस्वरूप दस्तावेजों के सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं में पक्षकारों के उपस्थिति के बिना निबन्धन प्रक्रिया का द्रुत समापन प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने समापन गोष्ठी के दौरान बताया कि इन्टरनेट संयोजन की अनुपलब्धता के कारण दस्तावेजों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण सम्भव नहीं हो सका तथा इसे नये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में सम्मिलित किया जायेगा।

5.4.8 सॉफ्टवेयर का कमतर उपयोग

5.4.8.1 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

1.92 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 1.56 करोड़ में निबन्धित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.16 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम अरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में इसके लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख पर सम्पत्ति

का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है।

प्रेरणा में खसरा में बिक्रीत भूमि का विवरण पाने के लिए खसरा आधारित खोज उपलब्ध है। तथापि, इस विशेषता का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

हमने चयनित उ0नि0का0 में 11,417 हस्तान्तरण विलेखों की जाँच किया और देखा कि 69 हस्तान्तरण पत्रों में 1.92 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि का निबन्धन कृषि दर पर हुआ था एवं ₹ 1.56 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। इन खसरों के कुछ भूखण्डों को इन भूखण्डों के निबन्धन से पूर्व अथवा उसी दिन आवासीय दर से मूल्यांकित किया गया था। अतः इन भूखण्डों का मूल्यांकन भी आवासीय दर पर ₹ 4.72 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के साथ किया जाना चाहिए था। अतः प्रेरणा की विशेषता के कमतर उपयोग के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस ₹ 3.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट-XXXIV**)।

प्रमुख सचिव ने समापन गोष्ठी के दौरान आवासीय भूमि के कृषि दर से मूल्यांकन से सम्बन्धित उठायी गयी आपत्ति के प्रकरणों का विवरण माँगा। इसे लेखापरीक्षा द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया गया। आवासीय भूमि का कृषि दर से निबन्धन की जाँच आवश्यक है और वसूली अपेक्षित है।

5.4.8.2 भूमि का अवमूल्यांकन

आवासीय घोषित 1.05 लाख वर्ग मीटर भूमि को, आवासीय दर ₹ 1.97 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 0.25 करोड़ में निबन्धित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस ₹ 1.72 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते व उसके भाग का कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करता है, तो परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर स्वयं या प्रार्थनापत्र पर ऐसी जाँच करने के पश्चात जो नियत की जाये, उस आशय की घोषणा कर सकता है। यदि उक्त अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि आवासीय घोषित हुयी थी तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए।

हमने चयनित उ0नि0का0 में 1,017 हस्तान्तरण विलेखों की जाँच किया और देखा कि 11 हस्तान्तरण विलेख सन्निहित 1.05 लाख वर्ग मीटर भूमि कृषि दर पर मूल्यांकित करते हुए पंजीकृत हुए थे, जिस पर ₹ 24.91 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस अदा किया गया था। यह विलेख उन आराजी संख्याओं से सम्बन्धित थे जिन्हें उ0प्र0ज0उ0 और भू0 सु0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत, इन विलेखों के पंजीकरण की तिथि से पूर्व ही, आवासीय घोषित किया जा चुका था। वह आराजी संख्याएं जिन्हें उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आवासीय घोषित किया गया था उन्हें उ0नि0का0 में विलेख की भाँति पंजीकृत किया गया था और वह डाटाबेस का हिस्सा बन गये थे।

सम्बन्धित उ0नि0का0 प्रेरणा में प्रदान किए गये खोज विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहे। अतएव इन हस्तान्तरण विलेखों पर आवासीय दर से ₹ 1.97 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट-XXXV**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

5.4.9 आई0टी0 सुरक्षा तथा आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र

5.4.9.1 पासवर्ड नीति एवं पहुँच नियंत्रण

विभाग के पास अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति एवं पहुँच नियंत्रण प्रणाली का अभाव था।

विभाग के पास अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति एवं पहुँच नियंत्रण प्रणाली का अभाव था। उ0नि0का0 में सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही यूजर एकाउन्ट बनाया गया था एवं उपयोग किया गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने हमें इन सभी पहलुओं पर सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में विचार करने का आश्वासन दिया।

5.4.9.2 आन्तरिक नियंत्रण

विभाग के पास प्रेरणा को उचित ढंग से लागू करने तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई आन्तरिक नियंत्रण तंत्र नहीं था।

विभाग के पास प्रेरणा को उचित ढंग से लागू करने तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण रचनातंत्र का अभाव था। प्रेरणा लागू करने से प्राप्त हुए उद्देश्यों का विश्लेषण करने हेतु विभाग द्वारा किसी तकनीकी समिति का गठन नहीं किया गया था। विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने हमें इन सभी पहलुओं पर सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में विचार करने का आश्वासन दिया।

ई–स्टाम्पिंग

5.4.10 योजना तथा सॉफ्टवेयर का विकास

राज्य में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली लागू की गयी। तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद 52 प्रतिशत उ0नि0का0 में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली कार्यान्वित की गयी है। योजना तथा विकास पर हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

5.4.10.1 प्रणाली का विलम्ब से कार्यान्वयन

ई–स्टाम्पिंग लागू करने हेतु आवश्यक अवसंरचना को शासन द्वारा 185 उ0नि0का0 में तीन वर्ष विलम्ब से उपलब्ध कराया गया।

उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली को उत्तर प्रदेश में फरवरी 2013 से लागू किया गया था। मई 2013 में सरकार ने स्टा0हो0का0इ0लि0 को 21 मार्च 2013 से पाँच वर्षो के लिए के0अ0अ0अ0 नियुक्त किया था। उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली के नियम 17 के अनुसार सरकार को रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं उनके पर्यवेक्षी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारियों के कार्यालय में आवश्यक अवसंरचना, जिनमें कम्प्यूटर, प्रिन्टर, बारकोड स्कैनर, इन्टरनेट संयोजन आदि सम्मिलित है, जैसा कि समय समय पर के0अ0अ0अ0 द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उपलब्ध कराना था।

हमने पाया कि शासन ने राज्य में 354 में से 185 उ0नि0का0 में आवश्यक अवसंरचना तीन वर्ष के विलम्ब से उपलब्ध कराया। इस प्रकार ई–स्टाम्पिंग प्रणाली राज्य के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में समय से लागू नहीं की जा सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि सभी उ0नि0का0 में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली 01 जनवरी 2016 से लागू कर दी गयी है।

5.4.10.2 शासन ने स्टा0हो0का0इ0लि0 द्वारा प्रदान किए गये प्रशिक्षण के विवरण का सत्यापन किए बगैर स्टा0हो0का0इ0लि0 को कमीशन का भुगतान किया

शासन ने स्टा0हो0का0इ0लि0 को नियमित रूप से कमीशन का भुगतान किया जबकि स्टा0हो0का0इ0लि0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन (उ0प्र0शा0) तथा स्टा0हो0का0इ0लि0 के बीच हुए अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उ0नि0का0 के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (सी0 एण्ड सी0 क्षेत्र) के आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2005 के अनुसार राज्य सरकार को, स्टा0हो0का0इ0लि0 को प्रदान की गयी सेवाओं के लिए, इस प्रणाली के द्वारा एकत्रित किए गये स्टाम्प शुल्क की राशि पर स्टा0हो0का0इ0लि0 को 0.65 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाना था। स्टा0हो0का0इ0लि0 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में उप निबन्धक कार्यालयों के चिन्हित जनशक्ति/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सम्मिलित था। उ0प्र0शा0 तथा स्टा0हो0का0इ0लि0 के मध्य हुए अनुबन्ध के प्रस्तर 09 में भी प्रावधानित था कि स्टा0हो0का0इ0लि0 सरकार के कार्यालय परिसर में प्रथम बार निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वह एक सप्ताह के न्यूनतम प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक भी उपलब्ध करायेगा।

हमने देखा कि शासन द्वारा स्टा0हो0का0इ0लि0 को नियमित रूप से कमीशन का भुगतान किया तथा समापन गोष्ठी के दौरान भी विभाग ने बताया कि स्टा0हो0का0इ0लि0 द्वारा समय समय पर तथा योजना के आरम्भ में भी सभी उपनिबन्धक कार्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया था। परन्तु हमने अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया जो दर्शाये कि वास्तव में प्रशिक्षण कराया गया था। इसके अभाव में प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का सत्यापन भी हमारे द्वारा नहीं किया जा सका।

5.4.11 ई–स्टाम्पिंग नियमावली का कार्यान्वयन

राज्य में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू के कार्यान्वयन हेतु फरवरी 2013 में उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली लागू की गयी थी। ई–स्टाम्पिंग नियमावली के कार्यान्वयन पर हमारे निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है।

5.4.11.1 केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (के0अ0अ0अ0) के निरीक्षण में कमी।

उ0नि0का0 की ई–स्टाम्प आय के आँकड़ों का के0अ0अ0अ0द्वारा प्रेषित राशि से मिलान हेतु के0अ0अ0अ0 एवं प्रा0सं0के0 का निरीक्षण सहा0आ0स्टा0 द्वारा नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 के नियम 33 में के0अ0अ0अ0 तथा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों (प्रा0सं0के0) के निरीक्षण व लेखापरीक्षा की समय–सारणी प्रदान की गयी है। जाँच अधिकारियों को समय–सारणी में दी गयी आवृत्ति के अनुसार के0अ0अ0अ0 तथा प्रा0सं0के0 का निरीक्षण करके प्रतिवेदन आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करना था। निरीक्षण की समय–सारणी के अनुसार जनपद में सहायक

आयुक्त स्टाम्प (सहा0आ0स्टा0) को उप निबन्धक कार्यालयों की स्टाम्प शुल्क आय (ई–स्टाम्प से) का मिलान के0अ0अ0अ0 द्वारा प्रेषित राशि जैसा कि जिले के कोषागार से प्राप्त हो, से किया जाना था।

विभाग ने स्टा0हो0का0इ0लि0 के सॉफ्टवेयर में उ0नि0का0 वार स्टाम्प आय के संग्रहण की आवश्यकता की प्रायोजना नहीं किया अतएव इस प्रकार के प्रतिवेदन का प्रारूप सॉफ्टवेयर में तैयार नहीं किया गया। एक विशेष उ0नि0का0के सम्बन्ध में जारी, लॉक तथा अनलॉक किए गये ई–स्टाम्प की स्थिति की जानकारी का सत्यापन इस प्रणाली द्वारा नहीं किया जा सका।

हमने यह भी देखा कि 16 में से 10 सहा0आ0 द्वारा निर्धारित 330 निरीक्षण में से एक भी निरीक्षण कार्यान्वित नहीं किया गया। वर्ष 2013–14 से 2015–16 में छः सहा0आ0 द्वारा नियत 198 में से मात्र 51 निरीक्षण किये गये। इस प्रकार उ0नि0का0 की ई–स्टाम्प आय के आँकड़ों का मिलान के0अ0अ0अ0 द्वारा कोषागार में प्रेषित धनराशि से नहीं किया जा सका।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा भविष्य में समुचित अभिलेख बनाये जाने तथा कमियों को सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण में दूर करने का आश्वासन दिया।

5.4.11.2 उ0नि0का0 द्वारा ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों को विलम्ब से लॉक करना

ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों को एक से 255 दिनों के विलम्ब से लॉक किया गया।

उत्तर प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियमावली के नियम 31 के अनुसार निबंधनकर्ता अधिकारी बारकोड स्कैनर की सहायता से के0अ0अ0अ0 की सुसंगत वेबसाइट पर अभिगम स्थापित कर विलेख में प्रयोग किये गये ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र की शुद्धता और प्रमाणिकता को सत्यापित करेगा। ऐसी प्रमाणिकता के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत का पंजीकरण करेगा और के0अ0अ0अ0 द्वारा प्रदत्त यूजर आई0डी0 कोड और पासवर्ड की सहायता से ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट को, उस प्रमाण पत्र का पुनः प्रयोग रोकने हेतु लॉक भी करेगा। महा0नि0नि0 ने अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 द्वारा सभी उ0नि0का0 को निर्देशित किया था कि लेखपत्र के रजिस्ट्री के उपरान्त उसमें प्रयुक्त होने वाले ई–स्टाम्प को अविलम्ब लॉक किया जाय। पत्र में यह भी कहा गया था कि लॉक होने की स्थिति के सत्यापन के पश्चात ही वापसी निर्गत की जाय।

हमने चयनित उ0नि0का0 में ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों की जाँच की और पाया कि 20 उ0नि0का0 में नमूना जाँच किए गये 371 प्रकरणों में से 203 ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों को लेखपत्र के निबन्धन के दिन लॉक नहीं किया गया। इन प्रमाण पत्रों को विलम्ब से लॉक किया गया। इस विलम्ब की सीमा एक से 255 दिनों के मध्य थी। इस प्रकार ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के विलम्ब से लॉक किए जाने से इनके पुनः प्रयोग/दुरुपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता (**परिशिष्ट-XXXVI**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

5.4.11.3 सहा0आ0स्टा0 तथा स्टा0हो0का0इ0लि0 तथा द्वारा प्रदान किए गये ई–स्टाम्प के आँकड़ों में भिन्नता

विभाग द्वारा निर्गत एवं लॉक किए गये ई–स्टाम्प के आँकड़ों का मिलान स्टा0हो0का0इ0लि0 के आँकड़ों से नहीं किया गया।

हमने एक जिले में निर्गत तथा लॉक किए गये ई–स्टाम्पों के स्टा0हो0का0इ0लि0 तथा 16 सहा0आ0स्टा0[5] द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों की जाँच की और पाया कि दोनों आँकड़ों में भिन्नता थी। निर्गत तथा लॉक ई–स्टाम्पों के आँकड़ों का मिलान विभाग द्वारा स्टा0हो0का0इ0लि0 के आँकड़ों से नहीं किया गया था ।

विभाग ने समापन गोष्ठी के दौरान हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

5.4.12 निष्कर्ष

प्रेरणा सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में हमारा निष्कर्ष है कि:

राज्य के सभी उ0नि0का0 में योजना को लागू करने में विभाग ने नौ वर्ष लिया। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की अपेक्षित विशिष्टियों का अभाव, सॉफ्टवेयर विकास अनुबन्ध का विलम्ब से निष्पादन, उ0नि0का0 के मध्य पार्श्व संयोजन तथा ऑनलाइन भेंट नियत करने तथा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण जैसी कमियाँ थी। सॉफ्टवेयर में पट्टा, वाणिज्यिक भूखण्डों, स्टाम्प शुल्क का समायोजन, सुधार पत्रों के संयोजन तथा स्टाम्प शुल्क में छूट जैसे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को रेखांकित नहीं किया गया था। उ0नि0का0 द्वारा सॉफ्टवेयर के खोज उपयोगिता का प्रयोग नहीं किया गया। विभाग के पास अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति एवं पहुँच नियंत्रण प्रणाली नहीं है और प्रेरणा को उचित ढंग से लागू करने तथा कार्यान्वयन के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र नहीं था।

ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के सम्बन्ध में हमारा निष्कर्ष है कि:

शासन द्वारा राज्य के 185 उ0नि0का0 (52 प्रतिशत) में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक अवसंरचना को तीन वर्षों के विलम्ब से उपलब्ध कराया गया। विभाग ई–स्टाम्पिंग नियमावली के प्रावधानों जैसे केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का निरीक्षण, ई–स्टाम्पिंग प्रमाण पत्रों को समय से लॉक किया जाना तथा ई–स्टाम्प के माध्यम से उ0नि0का0 वार राजस्व के संग्रहण के विवरण का अनुपालन करने में विफल रहा।

5.4.13 संस्तुतियों का सारांश

प्रेरणा के सम्बन्ध में हम संस्तुति करते है कि शासनः

- **सॉफ्टवेयर में रेखांकित न किये गये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को रेखांकित करने पर विचार कर सकता है।**
- **लेखपत्रों पर स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के कम आरोपण को रोकने के लिए उ0नि0का0 द्वारा सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।**

[5] इलाहाबाद, बाराबंकी, बागपत, बुलन्दशहर, जी0बी0नगर–1 व 2, गाजियाबाद, हरदोई, जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, रायबरेली, सीतापुर व उन्नाव

- **अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति, पहुँच नियंत्रण प्रणाली तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का कार्यान्वयन कर सकता है।**

ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के सम्बन्ध में हम संस्तुति करते है कि शासनः

- **उ0प्र0 ई–स्टाम्पिंग नियमावली के के0अ0अ0अ0 के निरीक्षण तथा ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों को लॉक करने से सम्बन्धित प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन कर सकता है।**

5.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

उप निबन्धकों के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में सम्पत्ति के मूल्य का गलत निर्धारण, पट्टा विलेख के अवनिर्धारण, विलेख पत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किए जाने के मामले प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किऐ गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की त्रुटियाँ इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ करने की आवश्कता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

5.6 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

3.55 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 40.64 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 149.15 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में इसके लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन ने जून 2003 में जारी दिशा निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया था कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिए एक ही आराजी की सम्पत्ति को भिन्न उद्देश्यों के लिए एक से अधिक टुकड़ों यथा एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में नहीं बाँटा जाना चाहिए।

हमने 140 में से 58 उ0नि0का0 के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखों की (अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के मध्य) जाँच किया और देखा कि जनवरी 2013 से फरवरी 2016 के मध्य नमूना जाँच किये गये 22,547 में से 145 गैर कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय विलेखों में 3.55 लाख वर्ग मीटर भूमि कृषि दर पर ₹ 40.64 करोड़ में पंजीकृत हुयी थी, एवं ₹ 2.66 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। हमने देखा कि उसी आराजी का हिस्सा पूर्व में अथवा उसी दिन आवासीय दर पर बेचा गया और इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड का मूल्यांकन भी आवासीय दर से किया जाना चाहिए था। आवासीय दर पर उनका सही मूल्यांकन ₹ 149.15 करोड़ आगणित होता है। इस पर ₹ 9.16 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस आरोपणीय था, जबकि केवल ₹ 2.66 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया गया। इस प्रकार, सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस ₹ 6.50 करोड़ का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट-XXXVII**) ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अप्रैल 2015 और मई 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। कलेक्टर स्टाम्प ने पाँच प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण की पुष्टि की और ₹ 4.56 लाख आरोपित किया जिसमें से चार प्रकरणों में विभाग ने ₹ 0.53 लाख की वसूली की और एक प्रकरण में विभाग द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। शेष 140 प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित है (अगस्त 2016)।

5.7 भूमि का अवमूल्यांकन

आवासीय घोषित 55,679 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय दर पर ₹ 19.56 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 4.84 करोड़ में निबन्धित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.79 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते व उसके भाग का कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करता है, तो परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जाँच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है। अग्रेतर, मुख्य सचिव ने सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010 द्वारा, इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूर्ण या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती है, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी स्वतः प्रेरणा से उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी घोषित करें। इस अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत यदि भूमि अकृषि घोषित हुयी थी तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए।

हमने चार उ0नि0का0 के बही एक, खण्ड, विक्रय विलेख तथा दर सूची की (अप्रैल 2015 और फरवरी 2016 के मध्य) जाँच की और देखा कि जनवरी 2014 से जनवरी 2016 की अवधि में नमूना जाँच किए गये 1,400 में से 16 प्रकरणों में विक्रय विलेखों में सन्निहित 55,679 वर्गमीटर भूमि कृषि दर पर ₹ 4.84 करोड़ प्रतिफल पर पंजीकृत हुए थे, जिस पर ₹ 31.81 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.40 लाख का निबन्धन फीस अदा किया गया था। यह देखा गया कि इन आराजी संख्याओं को उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इन विलेखों के पंजीकरण की तिथि से पूर्व ही गैर कृषि घोषित किया जा चुका था। अतएव सम्पत्तियों का मूल्यांकन आवासीय दर से ₹ 19.56 करोड़ किया जाना अपेक्षित था और आवासीय दर से ₹ 1.22 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 1.60 लाख निबन्धन फीस आरोपणीय था जबकि मात्र ₹ 33.21 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया गया। सम्बन्धित उ0नि0 ने दस्तावेजों के पंजीयन के समय इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.79 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट-XXXVIII)**।

हमने मामले को विभाग और शासन को (मई 2015 और मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। सभी प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित है (अगस्त 2016)।

5.8 विक्रय विलेखों का सुधार पत्र के रूप में गलत वर्गीकरण

विक्रय विलेख को सुधार पत्र के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया और तदनुसार ₹ 18.31 लाख के स्थान पर ₹ 200 स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.31 लाख के स्टाम्प और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 34 अ में विलेख जिसमें उचित शुल्क अदा किया गया हो, में केवल लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए शुल्क प्रभारित किए जाने का प्रावधान है। भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज उसमें निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क आकृष्ट करता है। एक दस्तावेज को दस्तावेज में लिखतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है न कि शीर्षक के आधार पर।

हमने अगस्त 2015 में उ0नि0का0 मांट, मथुरा के सुधार पत्रों की जाँच की और देखा कि नमूना जाँच किए गये 81 लेखपत्रों में से एक लेखपत्र उसके शीर्षक के आधार पर सुधार पत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा तद्नुसार स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। इन दस्तावेजों के लिखतों की हमारी जाँच में प्रकाश में आया कि ये दस्तावेज गलत वर्गीकृत था, क्योकि क्रेता के नाम में संशोधन किया गया था। अतः इस दस्तावेज को सुधार पत्र के स्थान पर विक्रय विलेख माना जाना अपेक्षित था तथा ₹ 3.64 करोड़ पर मूल्यांकित किया जाना था जिस पर ₹ 18.31 लाख का स्टाम्प एवं निबन्धन फीस प्रभार्य था जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 200 स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.31 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ। विवरण **सारणी 5.3** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.3
दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	सुधार की प्रकृति	कार्यालय का नाम	विलेखों की सं0	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (व0मी0) में	सुधार पत्र की निष्पादन अवधि	सम्पत्ति का कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क	कम आरोपित निबन्धन फीस
1.	क्रेता के नाम में परिवर्तन	उ0नि0 मांट, मथुरा	1	6070	जून 2015	364.20	18.21	0.10	0.001	0.001	18.21	0.10
	योग	**1**	**1**	**6070**		**364.20**	**18.21**	**0.10**	**0.001**	**0.001**	**18.21**	**0.10**

स्रोतः लेखापरीक्षा की जाँच के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग और शासन को (जून 2014 और मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और प्रकरण को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित है (अगस्त 2016)।

अध्याय–VI
अन्य कर प्राप्तियाँ

(अ) मनोरंजन कर विभाग

6.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मनोरंजन कर आरोपित एवं वसूल होता है। यह किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी भुगतानों पर समय–समय पर निर्दिष्ट दर से आरोपणीय होता है।

शासन स्तर पर मनोरंजन कर विभाग (विभाग) का नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली का समग्र नियन्त्रण एवं उत्तरदायित्व आयुक्त, मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश का होता है जिनकी सहायता एक अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (1), उप आयुक्त (3) एवं सहायक आयुक्त (1) द्वारा की जाती है। प्रदेश में जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी नियन्त्रण अधिकारी होता है, जो मनोरंजन के संचालन, मनोरंजन कर के आरोपण एवं वसूली पर नियंत्रण तीन उपायुक्त मनोरंजन कर, 13 सहायक आयुक्त मनोरंजन कर एवं 59 जिला मनोरंजन कर अधिकारी मनोरंजन कर निरीक्षकों की सहायता के माध्यम से करते हैं।

चार्ट 6.1 संगठनात्मक ढाँचा

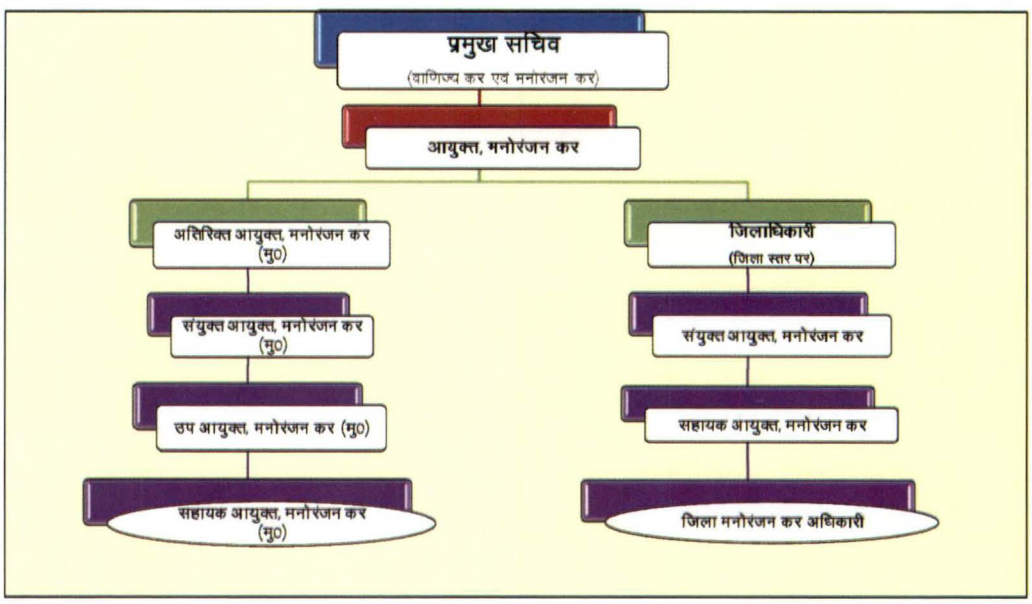

6.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों के नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है और इसे वित्त नियन्त्रक द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1974 में की गयी थी।

आ0ले0प0शा0 में, एक वित्त नियन्त्रक एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं एक लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक वित्त नियन्त्रक एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2011–12	73	35	32	3	8.57
2012–13	76	36	27	9	25.00
2013–14	76	32	20	12	37.50
2014–15	76	34	19	15	44.12
2015–16	76	36	23	13	36.11

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आ0ले0प0शा0 में पर्याप्त जनशक्ति होने के बावजूद लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी, एवं वर्षों के दौरान कमी 8.57 प्रतिशत से 44.12 प्रतिशत तक थी। आ0ले0प0शा0 द्वारा पर्याप्त लेखापरीक्षा न किये जाने से अपने आन्तरिक नियंत्रण एवं जवाबदेही के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका।

आ0ले0प0शा0 द्वारा वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा में उठायी गई एवं निस्तारित आपत्ति, उसमें निहित धनराशि का विवरण **सारणी 6.2** में उल्लिखित है।

सारणी 6.2

अनिस्तारित प्रस्तरों एवं धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
2011–12	507	8.41	104	0.92	62	0.18	549	9.15
2012–13	549	9.15	104	0.50	61	0.58	592	9.07
2013–14	592	9.07	62	1.06	21	0.18	633	9.95
2014–15	633	9.95	63	11.87	289	0.65	407	21.16
2015–16	407	21.16	109	9.80	52	1.51	464	29.46

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि केवल वर्ष 2014–15 को छोड़कर के अन्य सभी वर्षों में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अनुपालन कम किया गया।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 में मनोरंजन कर विभाग ने ₹ 622.23 करोड़ राजस्व वसूल किया। वर्ष 2015–16 में हमने मनोरंजन कर विभाग की कुल 75 इकाइयों में छः वार्षिक इकाईयाँ, एक द्विवार्षिक इकाई एवं 10 त्रिवर्षीय इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना की एवं 16 आयोजित इकाइयों की नमूना जाँच की जिसमें 56 प्रकरणों में ₹ 3.55 करोड़ के कर एवं ब्याज आदि की अनियमितितायें प्रकाश में आयीं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं जैसा कि **सारणी 6.3** में इंगित किया गया है।

सारणी 6.3
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	धनराशि
1.	कर की वसूली नहीं की गयी	13	2.97
2.	ब्याज प्रभारित नहीं किया गया	3	0.01
3.	अन्य अनियमिततायें	40	0.57
योग		**56**	**3.55**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें

चार्ट 6.2

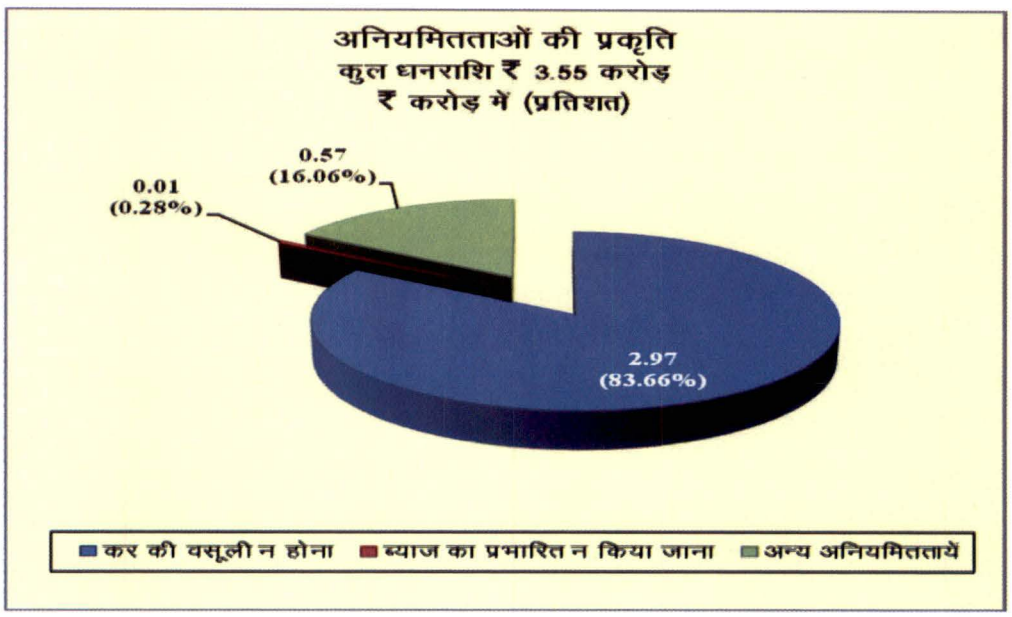

वर्ष 2015–16 के दौरान, विभाग ने आठ प्रकरणों में ₹ 17.21 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से तीन प्रकरणों में निहित धनराशि ₹ 15.07 लाख को वर्ष 2015–16 में इंगित किया गया था एवं शेष विगत वर्षों के थे। आठ प्रकरणों में ₹ 9.47 लाख की धनराशि वसूल हुयी जिसमें से तीन प्रकरण निहित धनराशि ₹ 7.33 लाख वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये एवं शेष विगत वर्षों के थे।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 15.07 लाख की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तर में की गयी है।

6.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर आयुक्त एवं 15 जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में मनोरंजन कर की कम वसूली का प्रकरण प्रकाश में आया जिसका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तर में किया गया है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.5 केबल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली

केबिल संचालकों पर ₹ 24.83 लाख मनोरंजन कर देय था किन्तु उनके द्वारा मात्र ₹ 9.76 लाख ही जमा किया गया और ₹ 15.07 लाख अभी वसूल नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अनुसार, केबिल टी.वी. स्वामी अपने उपभोक्ताओं से वसूल मनोरंजन कर की धनराशि शासकीय खाते में प्रत्येक माह के अन्तिम दिन से एक सप्ताह के अन्दर जमा करेगा।

हमने नवम्बर 2014 से मार्च 2016 के मध्य तीन जि0म0क0का0 के कर संग्रह के विवरण से संबन्धित परिशिष्ट–II पंजिका की जाँच की और देखा कि अप्रैल 2010 से फरवरी 2016 के मध्य कुल 285 में से 27 केबिल संचालकों पर ₹ 24.83 लाख मनोरंजन कर देय था। इसके विरुद्ध केबिल संचालकों द्वारा केवल ₹ 9.76 लाख जमा किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.07 लाख के मनोरंजन कर की कम वसूली हुयी। इन सभी प्रकरणों में, एक माह से 55 माह के व्यतीत हो जाने के बाद भी बकायेदारों से शेष देय ₹ 15.07 लाख की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे (**परिशिष्ट–XXXIX**)।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2014 से अप्रैल 2016)। समापन गोष्ठी में विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित तीन जनपदों से ₹ 7.33 लाख की वसूली कर ली गयी थी एवं शेष धनराशि ₹ 7.74 लाख की वसूली के लिए कार्यवाही प्रगति में है। (अगस्त 2016)

(ब) राज्य आबकारी

6.6 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं अनुज्ञापन शुल्क का आरोपण उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण अल्कोहल से होता है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अलावा अनुज्ञापन शुल्क भी आबकारी राजस्व का भाग होती है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं। आबकारी विभाग आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जोन में विभाजित है जिसके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित जनपदों के सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षकों की तैनाती होती है जो आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व के आरोपण/उद्ग्रहण की देखरेख एवं विनियमन करते हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत है:

चार्ट 6.3 संगठनात्मक ढाँचा

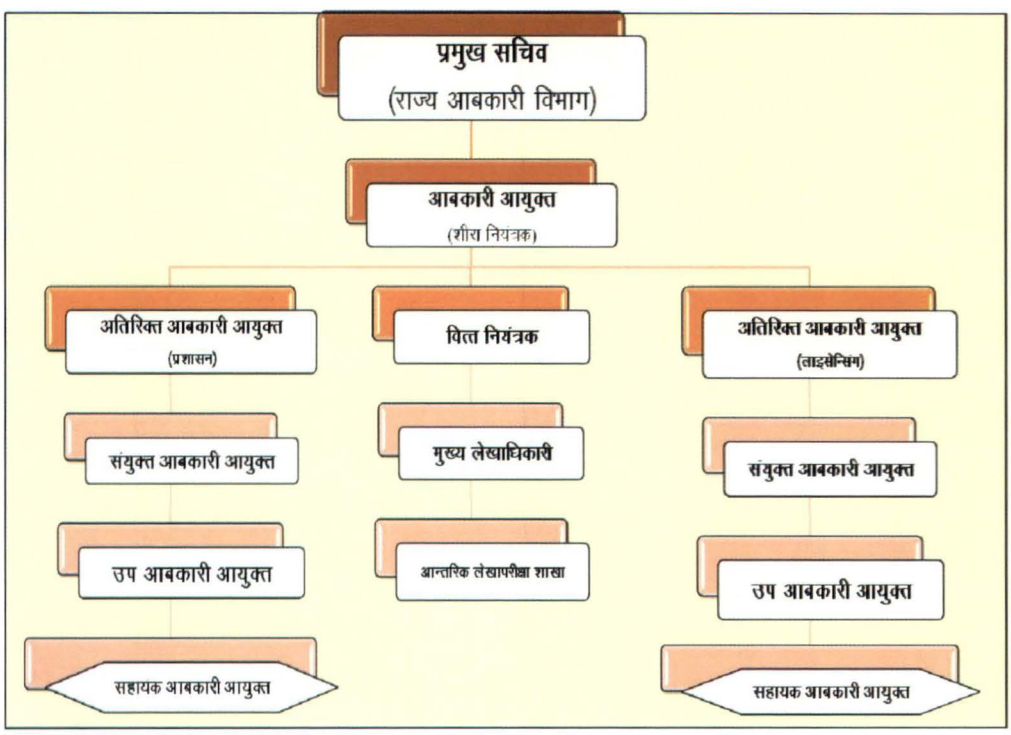

6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों के नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है। स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों की स्थिति **सारणी 6.4** में दी गयी है

सारणी 6.4
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कार्मिकों की स्थिति

क्रम सं0	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में
1	वित्त नियंत्रक	1	1	0	0
2	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0	0
3	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0	0
4	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1	50.00
5	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	9	0	9	100.00
6	लेखाकार	4	3	1	25.00
7	लेखा परीक्षक	3	4	0	0
8	सहायक लेखाकार	1	1	0	0

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.5
आन्तरिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	उपलब्ध इकाईयों की संख्या	आयोजित इकाईयों की संख्या	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
2011–12	350	138	123	–15
2012–13	352	140	119	–21
2013–14	365	140	109	–31
2014–15	365	140	113	–27
2015–16	365	62	55	–07

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

आ0ले0प0शा0 द्वारा वर्ष के दौरान सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं उठायी गयी एवं निस्तारित आपत्ति की संख्या और उसमें निहित धनराशि का विवरण **सारणी 6.6** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.6
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्ति

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2011–12	360	2,110.63	136	70.22	199	352.35	297	1,828.50
2012–13	297	1,828.50	140	58.75	244	266.75	193	1,620.50
2013–14	193	1,620.50	101	46.13	70	37.52	224	1,629.11
2014–15	224	1,629.11	108	101.73	55	41.77	277	1,689.07
2015–16	277	1,689.07	78	201.32	18	4.34	337	1,886.05

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

चार्ट 6.4

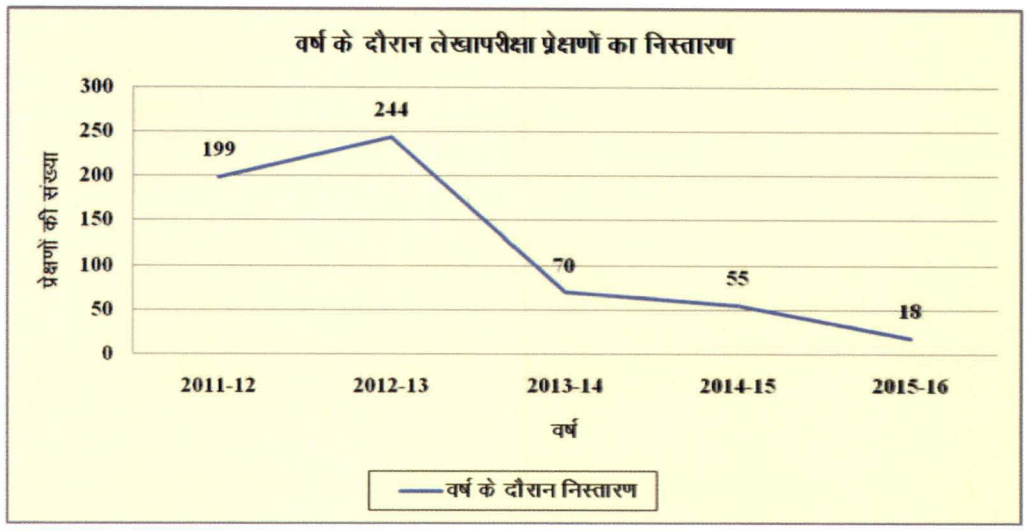

यह दर्शाता है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अनुपालन बहुत कम किया गया है। विभाग द्वारा कर्मचारियों की कमी को प्रकरणों एवं धनराशि के निस्तारण में कमी का कारण बताया गया। विभाग का उत्तर तथ्यपरक नही पाया गया क्योंकि इसी अवधि में यद्यपि प्रकरणों की संख्या एवं धनराशि में बढ़ोत्तरी पायी गयी थी किन्तु निस्तारण में सुसंगत वृद्धि नहीं हुयी थी।

हम संस्तुति करते है कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और एक यथार्थपरक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाय। विभाग द्वारा आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों में त्वरित वसूली के लिये समुचित कदम उठाया जाय।

6.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2015–16 में ₹ 14,083.54 करोड़ का राजस्व वसूल किया। वर्ष 2015–16 में हमने राज्य आबकारी विभाग की कुल 236 इकाईयों में से 67 वार्षिक इकाइयाँ, एक द्विवार्षिक इकाई एवं 18 त्रिवर्षीय इकाइयों की आयोजना की और कुल 86 आयोजित इकाईयों में से 82 इकाईयों की नमूना जाँच की जिसमें आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं में ₹ 202.72 करोड़ सन्निहित धनराशि के 202 प्रकरणों का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि **सारणी 6.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.7
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	आबकारी अभिकर की कम वसूली होना	26	23.22
2	अनुज्ञापन शुल्क/ ब्याज की वसूली नहीं किया गया	95	166.62
3	अन्य अनियमिततायें	81	12.88
योग		**202**	**202.72**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

चार्ट 6.5

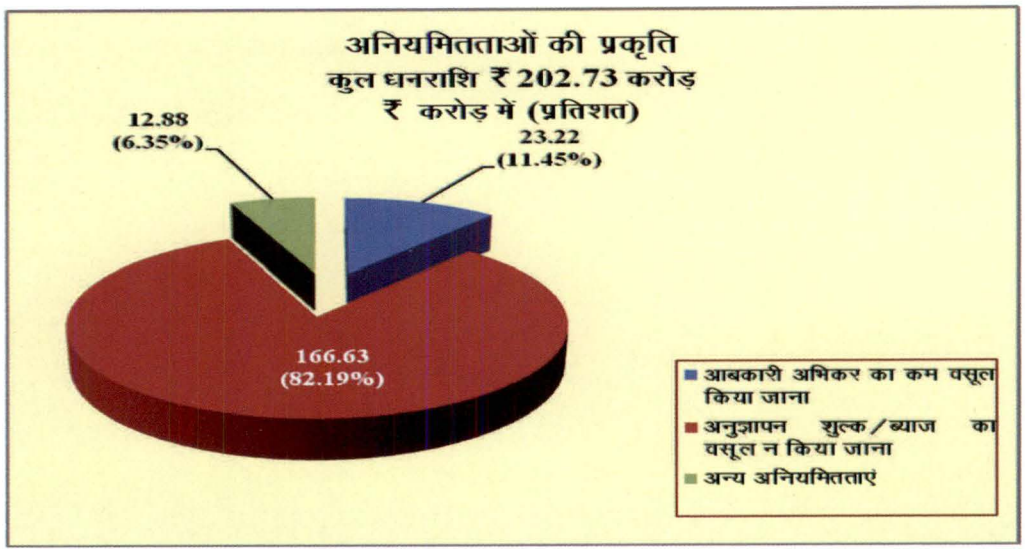

वर्ष के दौरान विभाग ने 10 मामलों में ₹ 37.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिनमें से सन्निहित धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के चार प्रकरण वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये तथा शेष विगत वर्षों के थे। विगत वर्षों से सम्बन्धित छः प्रकरणों में ₹ 1.68 लाख धनराशि की वसूली की गयी।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 46.77 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

6.9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और जमा प्रतिभूति के समपहरण में विफलता एवं बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर का विक्रय के प्रकरण दर्शाये गये जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम इस प्रकार की त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष इंगित करते हैं परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.10 दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं जमा की गयी। इस विफलता के लिए व्यवस्थापन का निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के समपहरण की कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं प्रारम्भ की गयी।

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली–2002 का नियम–12 प्रावधानित करता है कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष प्रतिभूति धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा और बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि,

यदि कोई हो, तो शासन के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और तत्काल दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

हमने अगस्त, 2015 एवं फरवरी, 2016 के मध्य मैनपुरी और उन्नाव के दो जिला आबकारी कार्यालयों के जी–12 (दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण) और देशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन पत्रावलियों का परीक्षण किया और पाया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यद्यपि 1007 देशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन या नवीकरण किया गया, इन अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया गया। विलम्ब की अवधि एक से 550 दिनों के मध्य थी। इस विफलता के लिये कोई कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं की गयी। जैसा कि प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं है, विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने से शासन सम्पूर्ण धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के बे0अ0शु0 व प्रतिभूति जमा जो समपृहत भी की जानी थी, से वंचित रहा, जैसा कि **सारणी 6.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.8

बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाईयों का नाम	वर्ष	दुकानों की संख्या	प्रतिभूति जमा को जमा करने में विलम्ब की अवधि दिनों में	समपहरण योग्य बे0अ0शु0	समपहरण योग्य प्रतिभूति जमा	समपहरण योग्य कुल धनराशि
1	जि0आ0अ0 मैनपुरी	2014–15	117	48–550	1.59	0.70	2.29
		2015–16	162	39–210	1.95	0.39	2.34
2	जि0आ0अ0 उन्नाव	2014–15	383	1–65	7.49	6.44	13.93
		2015–16	345	1–183	10.83	8.04	18.87
	योग		**1,007**	**1–550**	**21.86**	**15.57**	**37.43**

स्रोत : जी–6 रजिस्टर से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत हुआ और बताया कि अब सभी धनराशियाँ जमा करा ली गयी हैं (सितम्बर 2016)।

6.11 बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

तीन सौ चौंसठ अनुज्ञापियों पर एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन शुल्क आरोपित नहीं किया गया जिससे वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान शासन ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 में परिभाषित है विदेशी मदिरा में माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, वोदका और मदिरा शामिल है। बीयर इस परिभाषा में शामिल नहीं है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के नियम 647 एवं 648 के अनुसार, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002 में कहा गया है कि होटल, डाक बंगला या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र एफ0एल0–7(ख) में बीयर बार अनुज्ञापन अपेक्षित है। नियम 10 में चार व पाँच सितारा होटलों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–6ए सम्मिश्र अनुज्ञापन, और उपरोक्त के अतिरिक्त होटलों के लिए एफ0एल0–6 अनुज्ञापन निर्गम किये जाने हेतु प्राविधानित है। जलपान गृहों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–7 अनुज्ञापन अपेक्षित है।

एफ0 एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 केवल ड्राफ्ट बीयर की बिक्री को ही आच्छादित करेगा और न कि बोतल में भरी बीयर की।

हमने मई 2014 से फरवरी 2016 के मध्य 32 में से 23 जि0आ0का0 के बार अनुज्ञापनों, उपभोग विवरण एवं राजस्व संग्रह रजिस्टर की नमूना जाँच की और पाया कि अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 के मध्य होटल/जलपान गृह बार के अनुज्ञापन एफ0एल0–6, एफ0एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 श्रेणी के 364 अनुज्ञापन व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये, जहाँ बीयर का उपभोग भी दर्शाया गया था। इन होटलों/जलपान गृहों को बीयर की फुटकर बिक्री हेतु अपेक्षित अनुज्ञापन एफ0एल0–7ख निर्गत नहीं किया गया था। एफ0एल0–7ख के अनुज्ञापन जारी न करने के फलस्वरूप शासन ₹ 6.70 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा। **(परिशिष्ट-XL)**

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2014 एवं फरवरी 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा बताया गया कि कि जैसा कि सम्बन्धित नियमों में उल्लिखित है, बीयर विदेशी मदिरा में शामिल है। विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योकि बीयर के फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन अलग से निर्धारित है (सितम्बर 2016)।

6.12 नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण किये जाने में विफलता

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में 68 फुटकर विक्रेताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन पर विभाग अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा ₹ 2.64 करोड़ के समपहरण में विफल रहा।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के प्रस्तर 13, 14, एवं 16, उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों (बीयर एवं वाइन को छोड़कर) का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 तथा उत्तर प्रदेश (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 क्रमशः प्रावधानित करती हैं कि राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य, देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर के बोतलों या कन्टेनरों के लेबुलों पर छापा जायेगा और अनुज्ञापी बोतल के लेबुल पर छपे अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक उपभोक्ता से वसूल नहीं करेगा। इन नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुज्ञापन की शर्तें बताती हैं कि फुटकर अनुज्ञापी छपे हुए अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूलेंगे, फुटकर अनुज्ञापन के नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर या किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक सबस्टेन्सेज अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अनुज्ञापी अनुज्ञापन रद्द होने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण के अतिरिक्त प्रासंगिक कानूनों के अन्तर्गत आरोपित शास्ति का दायी होगा।

हमने जिला आबकारी कार्यालयों गौतम बुद्व नगर एवं मेरठ के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की उल्लंघन पंजिका की जाँच की और पाया कि विभाग द्वारा उल्लंघन के 1,420 मामलों में से 68 मामले दर्ज किये जहाँ मदिरा अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक पर विक्रय करते हुये पायी गयी, और प्रत्येक मामले में इन दुकानों पर केवल ₹ 5,000 की एक समान दर से शास्ति आरोपित की गयी थी। नियमों के उल्लंघन किये जाने के बावजूद शास्ति आरोपण के अतिरिक्त उनके विरुद्ध जैसा कि नियमों और अधिनियमों में परिभाषित है कोई कार्यवाही जैसे अनुज्ञापन को रद्द करने और प्रतिभूति जमा ₹ 2.64 करोड़ का समपहरण, नहीं की गयी थी जैसा कि **सारणी 6.9** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.9

नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण में विफलता

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	प्रशमित धनराशि	प्रतिभूति जमा जो समपहृत होनी चाहिये
1	जि0आ0अ0 गौतम बुद्व नगर	2014–15	6	30,000	21,96,240
2	जि0आ0अ0 मेरठ	2014–15	58	2,90,000	2,26,44,636
		2015–16	4	20,000	16,00,000
योग			**68**	**3,40,000**	**2,64,40,876**

स्रोत : उल्लंघन पंजिका से उपलब्ध सूचना

बार–बार उल्लंघन के प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये इन सभी मामलों में विभाग ने केवल शमन शास्ति आरोपित किया लेकिन अनुज्ञापन को रद्द करने और प्रतिभूति जमा का समपहरण करने जैसी निवारणात्मक कार्यवाही नहीं की।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा बताया गया कि मामलों में जहाँ अनुज्ञापियों ने शमन के लिए अनुरोध किया, नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि फुटकर अनुज्ञापन के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के मामलों में प्रासंगिक नियमों के अधीन शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त अनुज्ञापन निरस्त होना एवं प्रतिभूति जमा को समपहृत किया जाना चाहिये था (सितम्बर 2016)।

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
25 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
1 फरवरी 2017

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–I

विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 1.8)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
2010–11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग	5	4	अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में कर मुक्ति/कर में छूट का डाटाबेस बनाना।	पंजीकृत व्यापारियों का डाटाबेस, डाटा बेस में उपलब्ध है।
				केन्द्रीय स्तर के साथ साथ नोडल अधिकारियों के स्तर पर घोषणा पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उचित तन्त्र विकसित करना।	ऐसे घोषित फार्मो के अभिरक्षा हेतु दो ताला पद्धति विकसित की गयी है। ऐसे घोषित फार्मो के लिए ऑनलाइन पद्धति लायी गयी है।
				ऑनलाइन क्रास वेरीफीकेशन हेतु टिनएक्सिस वेबसाइट पर केन्द्रीय घोषणा पत्रों के आँकड़े डालना।	प्रक्रिया सुचारु रूप से कार्य कर रही है।
				वाणिज्य कर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में सन्दिग्ध/ खतरनाक व्यापारियों के आँकड़े तैयार करके उसका प्रकाशन।	विभागीय वेबसाइट में सभी व्यापारियों के डाटाबेस को अपलोड कर दिया गया है।
2010–11	मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण	8	8	प्रणाली के समुचित रूप से कार्य करने के लिये एक दीर्घ कालिक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति/योजना बने।	विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के विभिन्न माड्यूलों की आवश्यकता के अनुसार नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। मुख्यालय के स्तर पर हस्ताक्षरित एम ओ यू से हार्डवेयर की नियमित ए एम सी की जा रही है। विभागीय प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना के लिये शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत है और यह विचाराधीन है।
				आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित प्रविष्टियों का सत्यापन हो।	डाटा अनुमोदन के माध्यम से प्रविष्ट डाटा के सत्यापन के लिये 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर मे प्रावधान किया गया है। अनुमोदन की सुविधा सक्षम अधिकारियों को दी गयी है।
				उपयुक्त डाटा वैधता जाँच का समावेश हो।	एन आई सी द्वारा 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर में उपयुक्त डाटा वैलिडेशन के लिये चेक समाविष्ट किये गये हैं।
				अधिनियमों/नियमों के बेहतर प्रवर्तन हेतु व्यापारिक नियमों की पूर्ति जैसे– माँग पत्र, वसूली प्रमाण पत्र, बकाये की रिपोर्ट तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स बनाने के लिये सॉफ्टवेयर में संवर्द्धन हो।	सॉफ्टवेयर में माँग पत्र, बकाया तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट बनाने के लिये प्रावधान है। वाहन सॉफ्टवेयर से वसूली प्रमाण पत्र तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
				जाली दस्तावेजों के प्रयोग को रोकने और आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिये, अनुप्रयोग नियंत्रण सुदृढ़ हो।	डाटा की विश्वसनीयता और उपयोगिता विभिन्न प्रतिवेदनों को ऑनलाइन कर सुनिश्चित की जा रही है।
				सारथी सॉफ्टवेयर तथा वाहन सॉफ्टवेयर का प्रवर्तन माड्यूल का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।	सारथी सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कियान्वित है तथा वाहन का प्रवर्तन माड्यूल सभी कार्यालयों द्वारा फरवरी

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
					2015 तक क्रियान्वित किया गया।
				प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए खतरों के निर्धारण की विश्वसनीय क्रियाविधि के साथ पर्याप्त रूप से अभिलेखित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बने।	सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय विभाग में कार्यान्वित किये गये हैं।
				प्रणाली के प्रबन्धन तथा डाटाबेस सम्बन्धी कार्य–कलापों के लिये कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो।	विभाग एन आई सी के माध्यम से 'वाहन' तथा 'सारथी' सॉफ्टवेयर का नियमित प्रशिक्षण करवाता है।
2011–12	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्य प्रणाली	3	1	असमानता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत विकसित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाये जाने हेतु घोषणा अधिसूचना द्वारा लाये।	अनुपालन में दिनांक 22 मार्च 2016 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।
2012–13	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली	5	5	फार्म 38 डाउनलोड करने के पूर्व संव्यवहार का विवरण ऑनलाईन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना।	अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।
				ट्रांजिट डिक्लेरेशन फार्म हेतु एन्ट्री एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबन्धन के लिए प्रणाली की स्थापना।	विभाग द्वारा आवश्यक प्रावधान बना दिये गये हैं।
				बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टरों का डाटा बेस रखने हेतु माड्यूल विकसित करना।	डाटाबेस अपलोड किया गया है और विभागीय अधिकारियों के लिये ऑन लाइन उपलब्ध है।
				प्रवर्तन अधिकारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आँकड़ों का उपयोग कर सकें।	ऑनलाइन पद्धति लागू की जा चुकी है।
				प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण/सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित/वसूले गये कर के सम्बन्ध में निगरानी के लिये/अनुगमन तन्त्र स्थापित करना।	अभिग्रहण/सर्वेक्षण मामलों की निगरानी हेतु ऑनलाइन पद्धति क्रियाशील है।
2013–14	संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण	5	5	विभाग कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कर निर्धारण आदेश में यह विवेचना कर सकता है कि कर का भार संविदी पर अन्तरित नहीं किया गया है और उसके साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित अभिलेख को कर निर्धारण पत्रावली में भी संलग्न किया जाना चाहिए।	इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारियों को कर का भार की विवेचना और इसे अपने कर निर्धारण आदेश में उल्लिखित करने के लिये निर्देशित करते हुये दिनांक 20.07.2016 को परिपत्र जारी किया जा चुका है।
				विभाग अर्थदण्ड आरोपित न करने के सम्बन्ध में विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय अर्थदण्ड अनारोपण के बारे में कारण अथवा औचित्य कर निर्धारण आदेश में अंकित करने पर विचार कर सकता है।	इस सम्बन्ध में दिनांक 22 मार्च 2016 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।
				विभाग प्रभावी ढ़ंग से आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
				वार्षिक आयोजना यथार्थ रूप से तैयार करने पर विचार कर सकता है।	
				विभाग अपंजीकृत संविदाकारों को पहचानने तथा राजस्व के हित में उनको कर की परिधि में लाने के लिये बाजार का सर्वेक्षण कराये जाने पर विचार कर सकता है।	इस सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2015 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।
				विभाग संविदाकारों/संविदी का एक अलग डाटाबेस रखने पर विचार कर सकता है जिसमें पंजीयन की तिथि, विवरणी भरने की तिथि, समाधान योजना का विकल्प अपनाने तथा टी0डी0एस0 कटौती के साथ साथ दावों की सूचना हो।	संकर्म संविदाकारों से सम्बन्धित सभी सूचनायें प्रणाली में उपलब्ध हैं।
2014–15	वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली	7	3	शासन अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान करने के उददेश्य से अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान–प्रदान हेतु तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान विकसित करने के लिये विचार कर सकता है।	विभाग ने कर आधार बढ़ाने के लिये एफएसएसएआई यूपीपीसीएल, मण्डी श्रम विभाग एवं पंचायत से आँकड़े प्राप्त कर लिया है।
				शासन निर्धारित समय के अन्दर कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।	प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन है।
				शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश को पारित करते समय विवरणियों की पर्याप्त जाँच सुनिश्चित कर सकता है।	कर निर्धारण प्राधिकारियों के लिये ऑनलाइन संवीक्षा प्रणाली विकसित की गयी है।

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी और लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–II

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 1.9)

क्र0 सं0	मुख्य लेखाशीर्ष	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिये योजित इकाइयाँ	2015–16 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां
1	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	76	45	45
2	मनोरंजन कर	75	17	16
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	75	20	20
4	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,536	277	277
5	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	354	140	140
6	राज्य आबकारी	236	86	82
	योग	**2,352**	**585**	**580**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-III

पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन (पत्थर के पट्टे)

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 2.4.6.1)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	पम का दिनांक एवं अनुमोदित मात्रा	अवधि जिसमें खनिज का उत्खनन किया गया	कुल उत्खनन घनमीटर में	पम में अनुमोदित उत्खनन टी0पी0ए0/घन मीटर में	पम से परे अतिरिक्त उत्खनन घनमीटर में	अदा रॉयल्टी	खनिज मूल्य	शास्ति
1	जि0खा0का0 इलाहाबाद	मेसर्स ए0के0 इन्टरप्राइजेज	05 अप्रैल 2010 से 04 अप्रैल 2020	05 अप्रैल 13	09 अप्रैल 15 से 18 जनवरी 2016	61,200	अनुपलब्ध/30,000	31,200	22,46,400	1,12,32,000	1,00,000
2	जि0खा0का0 मिर्जापुर	अनिरूद्ध कुमार तिवारी	22 फरवरी 2010 से 21 फरवरी 2015	20 सितम्बर 2013	28 सितम्बर 2015 से 22 फरवरी 2016	19,224	30,000/17,647	1,577	1,13,544	5,67,720	1,00,000
3		अखिलेश कुमार सिंह	15 जुलाई 2015 से 14 जुलाई 2025	11 नवम्बर 2014	22 सितम्बर 2015 से 06 नवम्बर 2015	19,930	12,000/7,059	12,871	9,56,682	47,83,410	1,00,000
					16 दिसम्बर 2015 से 23 फरवरी 2016	19,800	12,000/7,059	12,741	9,17,352	45,86,760	
योग						**1,20,154**		**58,389**	**42,33,978**	**2,11,69,890**	**3,00,000**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-IV

पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन (बालू के पट्टे)

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 2.4.6.2)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम जि0खा0का0	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	पम का दिनांक	अवधि जिसमें उत्खनन किया गया	कुल उत्खनन घनमीटर में	पम में अनुमोदित उत्खनन टी0पी0ए0 में	पम में अनुमोदित उत्खनन घनमीटर में	पम से परे अतिरिक्त उत्खनन घनमीटर में	अदा रॉयल्टी	खनिज मूल्य
1	आगरा	मदन लाल	21.09.07 से 20.09.10 (बाधित अवधि 14.10. 14 से 13.09.15)	21.10.13	17.10.14 से 07.07.15	87,000	49,900	24,950	62,050	20,47,650	1,02,38,250
2	इलाहाबाद	गुलाब	24.06.14 से 23.06.17	12.10.13	24.06.14 से 23.06.15	70,020	44,000	22,000	48,020	15,84,660	79,23,300
3		श्रीमती मंजू निषाद	27.08.13 से 26.08.16	23.11.13	27.08.13 से 26.08.14	1,17,414	1,80,000	90,000	27,414	9,04,662	45,23,310
4		श्रीमती मीना देवी	18.02.14 से 17.02.17	21.10.14	18.02.14 से 17.02.15	79,300	1,20,000	60,000	19,300	6,36,900	31,84,500
					18.02.15 से 04.01.16	1,14,290	1,20,000	60,000	54,290	17,91,570	89,57,850
5	बाँदा	मनोज तिवारी	13.06.13 से 12.06.16	07.03.13	01.11.14 से 11.06.15	2,40,970	4,50,000	2,25,000	15,970	11,97,750	59,88,750
6	चित्रकूट	घनश्याम	17.12.11 से 16.12.14	03.11.14	02.04.14 से 21.04.14	7,650	10,000	5,000	2,650	1,98,750	9,93,750
					10.11.14 से 29.11.14	5,100	10,000	5,000	100	7,500	37,500
7	फतेहपुर	देवेन्द्र प्रसाद	04.04.13 से 03.04.16	06.09.12	04.04.13 से 03.04.14	33,200	63,000	31,500	1,700	1,27,500	6,37,500
					04.04.14 से 03.04.15	46,300	63,000	31,500	14,800	11,10,000	55,50,000
					04.04.16 से 05.01.16	40,300	63,000	31,500	8,800	6,60,000	33,00,000
8		सहरूद्दीन	06.04.13 से 05.04.16	10.12.12	06.04.13 से 05.04.14	1,59,000	1,08,000	54,000	1,05,000	78,75,000	3,93,75,000
					06.04.14 से 05.04.15	68,900	1,08,000	54,000	14,900	11,17,500	55,87,500
9		अनिल कुमार गुप्ता	14.06.13 से 13.06.16	06.09.12	14.06.13 से 13.06.14	69,000	90,000	45,000	24,000	18,00,000	90,00,000
10		शिव सरन सिंह	06.04.13 से 05.04.16	18.09.12	06.04.13 से 05.04.14	75,700	90,000	45,000	30,700	23,02,500	1,15,12,500
11		सुख राज	28.02.14 से 27.02.17	11.10.13	28.02.14 से 27.02.15	1,44,900	2,00,000	1,00,000	44,900	33,67,500	1,68,37,500
12	फैजाबाद	राम नारायण प्रसाद	05.12.13 से 04.12.16	12.10.13	05.12.14 से 04.12.15	23,700	35,000	17,500	6,200	2,04,600	10,23,000
13	हमीरपुर	अशोक कुमार	26.02.13 से 25.02.16	26.10.12	26.02.13 से 25.02.14	86,850	50,000	25,000	61,850	46,38,750	2,31,93,750
14		हरीश चन्द्र	11.06.13 से 10.06.16	24.12.12	11.06.13 से 10.06.14	96,750	1,00,000	50,000	46,750	35,06,250	1,75,31,250
					12.06.16 से 10.06.15	63,000	1,00,000	50,000	13,000	9,75,000	48,75,000
15		श्रीमती कौशल्या	27.12.14 से 26.12.17	30.09.13	27.12.14 से 26.12.15	63,600	1,20,150	60,075	3,525	2,64,375	13,21,875
16		सुनील कुमार	02.06.14 से 12.12.15	11.10.13	02.06.14 से 01.06.15	22,800	40,000	20,000	2,800	2,10,000	10,50,000
17	जालौन	अनीश खान	07.11.13 से 06.11.16	07.10.13	07.11.13 से 06.11.14	67,500	50,000	25,000	42,500	31,87,500	1,59,37,500
18		राजीव कुमार	29.06.13 से 28.06.16	03.06.13	29.06.14 से 28.06.15	1,68,741	3,05,900	1,52,950	15,791	11,84,325	59,21,625

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम जि0खा0का0	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	पम का दिनांक	अवधि जिसमें उत्खनन किया गया	कुल उत्खनन घनमीटर में	पम में अनुमोदित उत्खनन टी0पी0ए0 में	पम में अनुमोदित उत्खनन घनमीटर में	पम से परे अतिरिक्त उत्खनन घनमीटर में	अदा रॉयल्टी	खनिज मूल्य
19		छक्की लाल	30.10.13 से 29.10.16	30.09.13	30.10.13 से 29.10.14	1,96,491	2,00,000	1,00,000	96,491	72,36,825	3,61,84,125
20		बाबू लाल	21.11.13 से 20.11.16	07.10.13	21.11.13 से 20.11.14	81,150	50,000	25,000	56,150	42,11,250	2,10,56,250
21		श्रीमती मोती बाई	18.04.13 से 17.04.16	22.11.12	18.04.14 से 17.04.15	2,43,750	4,37,000	2,18500	25,250	18,93,750	94,68,750
22		महमूद अली	19.11.12 से 18.11.15	26.10.12	19.11.12 से 18.11.13	12,7,100	1,08,000	54,000	66,095	27,27,135	1,36,35,675
					19.11.13 से 18.11.14	1,02,600	1,08,000	54,000	47,340	20,93,220	1,04,66,100
					19.11.14 से 18.11.15	93,700	1,08,000	54,000	30,965	14,44,845	72,24,225
23		मोहम्मद इनाम एवं अन्य	14.08.12 से 13.08.15	09.04.12	14.08.13 से 13.08.14	69,900	54,000	27,000	39,610	17,18,130	85,90,650
					14.08.14 से 13.08.15	85,200	54,000	27,000	56,259	26,08,317	1,30,41,585
24		अमित जैन एवं नसीम	31.10.12 से 30.10.15	26.10.12	31.10.13 से 30.10.14	91,400	81,000	40,500	47,245	21,44,085	1,07,20,425
	सहारनपुर				31.10.14 से 30.10.15	84,400	81,000	40,500	68,020	33,93,760	1,69,68,800
25		महमूद एवं दिलशाद	19.11.12 से 18.11.15	26.10.12	19.11.12 से 18.11.13	1,18,650	90,000	45,000	68,415	28,37,695	1,41,88,475
					19.11.13 से 18.11.14	99,900	90,000	45,000	52,830	23,76,390	1,18,81,950
					19.11.14 से 18.11.15	81,000	90,000	45,000	32,970	14,51,010	72,55,050
26		विकास अग्रवाल एवं वाजिद अली	26.11.12 से 25.11.15	अनुपलब्ध	26.11.12 से 25.11.13	1,03050	72,000	36,000	66,375	23,73,375	1,18,66,875
					26.11.13 से 25.11.14	81,000	72,000	36,000	43,320	20,38,560	1,01,92,800
					26.11.14 से 25.11.15	61,500	72,000	36,000	22,650	10,41,450	52,07,250
27	सोनभद्र	धर्मेन्द्र	29.10.11 से 28.10.14 (बाधित अवधि 31.10. 14 से 29.08.15)	11.10.13	01.11.14 से 28.08.15	31,820	50,000	25,000	6,820	5,11,500	25,57,500
						37,04,596		**1,693,480**	**14,93,815**	**8,30,01,539**	**41,50,07,695**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-V
पर्यावरण मंजूरी के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन
(संदर्भ प्रस्तर सं0 2.4.8)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	प्रकरणों की सं0	भट्टे का वर्ष	जमा रॉयल्टी	देय खनिज मूल्य	देय शास्ति
1	जि0खा0का0 आगरा	64	2013–14	51,56,300	2,57,81,500	64,00,000
		56	2014–15	42,20,100	2,11,00,500	56,00,000
2	जि0खा0का0 इलाहाबाद	460	2014–15	1,03,72,207	5,18,61,035	4,60,00,000
3	जि0खा0का0 अम्बेडकरनगर	215	2013–14	88,62,750	4,43,13,750	2,15,00,000
		182	2014–15	74,97,900	3,74,89,500	1,82,00,000
4	जि0खा0का0 बहराइच	190	2013–14	84,73,220	4,23,66,100	1,90,00,000
		173	2014–15	63,90,800	31,95,40,00	1,73,00,000
5	जि0खा0का0 बुलंदशहर	68	2013–14	46,61,550	2,33,07,750	68,00,000
		228	2014–15	1,74,23,150	8,71,15,750	2,28,00,000
6	जि0खा0का0 चित्रकूट	02	2013–14	94,500	4,72,500	2,00,000
		02	2014–15	94,500	4,72,500	2,00,000
7	जि0खा0का0 फैजाबाद	161	2013–14	67,25,750	3,36,28,750	1,61,00,000
		153	2014–15	64,35,850	3,21,79,250	1,53,00,000
8	जि0खा0का0 फतेहपुर	197	2014–15	73,28,450	3,66,42,250	1,97,00,000
9	जि0खा0का0 जी0 बी0 नगर	31	2013–14	25,31,250	1,26,56,250	31,00,000
		17	2014–15	13,89,150	69,45,750	17,00,000
10	जि0खा0का0 हमीरपुर	18	2013–14	7,58,300	37,91,500	18,00,000
		15	2014–15	5,97,500	29,87,500	15,00,000
11	जि0खा0का0 जालौन	06	2013–14	3,40,400	17,02,000	6,00,000
		06	2014–15	3,40,400	17,02,000	6,00,000
12	जि0खा0का0 मिर्जापुर	283	2013–14	1,28,14,850	6,40,74,250	2,83,00,000
		261	2014–15	1,20,69,700	6,03,48,500	2,61,00,000
13	जि0खा0का0 सहारनपुर	106	2014–15	83,09,800	4,15,49,000	1,06,00,000
14	जि0खा0का0 सोनभद्र	08	2013–14	3,80,500	19,02,500	8,00,000
		07	2014–15	3,33,950	16,69,750	7,00,000
	योग	**2,909**		**13,36,02,827**	**66,80,14,135**	**29,09,00,000**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-VI

बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन (बालू के पट्टे)

(संदर्भ प्रस्तर सं0 2.4.11.1 द्वितीय बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम जि0 खा0 का0	खनिजों के नाम	प्रकरणों की सं0	अवधि	उत्खनन/परिवहन की मात्रा घन मी0 में	अदा रॉयल्टी	खनिज मूल्य
1	आगरा	बालू	2	जनवरी 2013 जून 2014	94,250	31,10,250	1,55,51,250
2	इलाहाबाद	बालू/मौरम	3	दिसम्बर 2013 नवम्बर 2015	2,20,732	72,84,156	3,64,20,780
3	अम्बेडकरनगर	बालू/मौरम	1	मई 2013 अक्टूबर 2014	9,627	3,17,691	15,88,455
4	बहराइच	बालू/मौरम	1	दिसम्बर 2014 जून 2015	16,900	5,57,700	27,88,500
5	बाँदा	बालू/मौरम	4	दिसम्बर 2013 जून 2015	6,93,400	5,20,05,000	26,00,25,000
6	चित्रकूट	बालू/मौरम	2	अप्रैल 2014 नवम्बर 2014	63,366	47,52,450	2,37,62,250
7	फतेहपुर	बालू/मौरम	6	दिसम्बर 2012 जनवरी 2016	5,53,850	4,15,38,750	20,76,93,750
8	फैजाबाद	बालू/मौरम	1	दिसम्बर 2013 अप्रैल 2014	64,100	21,15,300	1,05,76,500
9	हमीरपुर	बालू/मौरम	14	मार्च 2013 नवम्बर 2015	22,12,110	16,59,08,250	82,95,41,250
10	जालौन	बालू/मौरम	2	अप्रैल 2014 मार्च 2015	2,10,450	1,57,83,750	7,89,18,750
11	मिर्जापुर	बालू/मौरम	4	दिसम्बर 2012 अक्टूबर 2014	20,435	6,74,355	33,71,775
12	सोनभद्र	बालू/मौरम	3	जनवरी 2013 मार्च 2013	1,44,200	1,08,15,000	5,40,75,000
योग			**43**		**43,03,420**	**30,48,62,652**	**1,52,43,13,260**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–VII

खनन योजना के नवीनीकरण के बिना खनिजों का उत्खनन

(संदर्भ प्रस्तर सं0 2.4.11.2)

(धनराशि ₹ में)

क्रम0 सं0	इकाई का नाम जि0खा0का0	खनिज का नाम	प्रकरणों की सं0	पट्टा अवधि	खनन योजना के नवीनीकरण की नियत तिथि	उत्खनन की अवधि	खनन योजना के नवीनीकरण के बिना कुल उत्खनन (घन मी0 में)	दरो के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	दरो के पुनरीक्षण के पश्चात *उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	अदा रायॅल्टी (₹लाख में)	खनिज का मूल्य (₹लाख में)
1	आगरा	गिट्टी	2	29.06.11 से 28.06.16 29.06.11 से 28.06.16	30.11.14 27.06.15	दिसम्बर 14 से मार्च 2016	12,759	11,400	1,359	9.70	48.51
2	बाँदा	गिट्टी/ मोरम	1	24.12.05 से 23.12.15	17.02.13	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	6,750	6,750	0	5.04	25.18
3	जालौन	गिट्टी	1	13.12.06 से 12.12.16	08.04.12	मार्च 2014 से अप्रैल 2014	600	600	0	0.61	3.06
4	महोबा	गिट्टी	2	25.07.05 से 24.07.15 09.04.06 से 08.04.16	12.12.08 26.10.13	दिसम्बर 13 से अप्रैल 2015	81,750	81,750	0	83.39	416.93
5	सोनभद्र	गिट्टी	9	13.12.10 से 12.12.20 30.08.08 से 29.08.18 21.12.06 से 20.12.16 11.02.11 से 10.02.21 11.06.08 से 10.06.18 06.08.10 से 05.08.20 13.04.11 से 12.04.21 11.02.11 से 10.02.21 13.04.11 से 12.04.21	28.01.14 02.04.12 29.01.10 03.03.14 26.06.11 06.09.13 03.05.14 03.03.14 03.05.14	अप्रैल 2013 से जनवरी 2016	16,05,675	15,52,375	53,300	1,598.85	7,994.26
	योग		**15**				**17,07,534**	**16,52,875**	**54,659**	**1,697.59**	**8,487.94**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

* सैण्ड स्टोन गिट्टी ₹ 72/- प्रति घनमीटर की दर से (₹ 110/- दिनांक 19.01.2016 से)
ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 102/- प्रति घनमीटर की दर से, (₹ 160/- दिनांक 19.01.2016 से)
मोरम ₹ 36/- प्रति घनमीटर की दर से, (₹ 75/- दिनांक 19.01.2016 से)

परिशिष्ट-VIII

अतिरिक्त उत्खनन

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 2.4.11.3)

(₹लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम जि0खा0का0	पट्टा धारक का नाम	खनिजों का नाम	पट्टा अवधि	खनन योजना की वैद्यता	खनन योजना के अनुसार कुल संरक्षित खनिज (घन मीटर में)	खनन योजना की अवधि जिसमें खनिजों का उत्खनन किया गया	खनन योजना की अवधि में कुल उत्खनन (घन मीटर में)	खनन योजना की अवधि में अनुमोदित उत्खनन (घन मीटर में)	अनुमन्य खनन योजना के अतिरिक्त उत्खनन (घन मीटर में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात **उत्खनन की मात्रा (घन मीटर में)	खनिज मूल्य
1	आगरा	राजवीर सिंह	गिट्टी, खण्डा, बोल्डर	29.06.11 से 28.06.16	30.11.11 से 29.11.14	83,232 (10 वर्ष)	12/12 से 11/13	15,977	8,000	7,977	7,977	0	28.72
						8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	12/13 से 11/14	8,287	8,000	287	287	0	1.03
2		सुकेत सबरवाल	सैण्ड स्टोन	29.06.11 से 28.06.16	27.06.12 से 26.06.15	4,34,416 (14 वर्ष) 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	27.06.14 से 26.06.15	35,000	30,000	5,000	5,000	0	18.00
3	चित्रकूट	जग मोहन द्विवेद्वी	ग्रेनाइट गिट्टी, बोल्डर	22/10/11 से 21/10/21	31/05/12 से 30/05/15	1,53,148 (31 वर्ष) 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	10.11.14 से 16.05.15	7,050	5,000	2,050	2,050	0	10.46
4		अवध कुमार सिंह	गिट्टी, खण्डा,	30.12.11 से 29.12.21	23.10.15 से 22.10.20	1,35,910 (27 वर्ष) प्रतिवर्ष 5,000घनमीटर	29.08.13 से 03.04.14	6,150	5,000	1,150	1,150	0	5.86
5	झाँसी	छत्रपाल सिंह	स्टोन बैलास्ट, खण्डा बोल्डर	07.04.09 से 06.04.19	30.11.11 से 29.11.14	5,26,972 (26 वर्ष) 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	07.12.11 से 27.11.12	72,250	20,000	52,250	49,250	3,000	182.75
							15.12.12 से 14.10.13	36,750	20,000	16,750	16,750	0	85.42
							20.12.13 से 01.11.14	39,550	20,000	19,550	19,550	0	99.71
6	महोबा	नाथू राम शुक्ला	ग्रेनाइट, खण्डा, बोल्डर	19.01.12 से 18.01.22	30.11.11 से 29.11.14	1,11,908 (11 वर्ष) 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	30.11.11 से 29.11.12	16,500	10,000	6,500	6,500	0	22.10
							30.11.12 से 29.11.13	50,700	10,000	40,700	40,700	0	207.57
							30.11.13 से 29.11.14	36,000	10,000	26,000	26,000	0	132.60

(₹लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम जि0खा0का0	पट्टा धारक का नाम	खनिजों का नाम	पट्टा अवधि	खनन योजना की वैद्यता	खनन योजना के अनुसार कुल संरक्षित खनिज (घन मीटर में)	खनन योजना की अवधि जिसमें खनिजों का उत्खनन किया गया	खनन योजना की अवधि में कुल उत्खनन (घन मीटर में)	खनन योजना की अवधि में अनुमोदित उत्खनन (घन मीटर में)	अनुमन्य खनन योजना के अतिरिक्त उत्खनन (घन मीटर में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मीटर में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात **उत्खनन की मात्रा (घन मीटर में)	खनिज मूल्य
7		राम सिंह	ग्रेनाइट, खण्डा, बोल्डर	08.06.05 से 07.06.15	22.06.12 से 07.06.15	59,786 (10 वर्ष) 6,000 प्रतिवर्ष	22.06.12 से 07.06.13	45,750	6,000	39,750	39,750	0	202.73
							22.06.13 से 07.06.14	42,000	6,000	36,000	36,000	0	183.60
							22.06.14 से 07.06.15	24,000	6,000	18,000	18,000	0	91.80
8		श्रीमती नूतन सिंह	ग्रेनाइट, खण्डा, बोल्डर	18.08.06 से 17.08.16	04.12.14 से 17.08.16	54,684 (2.73 वर्ष)	18.12.14 से 28.04.15	81,300	20,000	61,300	61,300	0	312.63
9		सोमेश भारद्वाज	ग्रेनाइट, खण्डा, बोल्डर	19.01.12 से 18.01.22	30.11.11 से 29.11.14	91,464 (10 वर्ष)	05.12.13 से 27.11.14	57,750	9,000	48,750	48,750	0	248.63
10		मुजीब्बुर्रहमान	ग्रेनाइट, खण्डा, बोल्डर	30.11.07 से 29.11.17	05.09.14 से 29.11.17	80,141 (3 वर्ष)	16.09.14 से 28.04.15	1,34,250	25,000	1,09,250	109,250	0	557.18
11	मिर्जापुर	जय राम ओझा	सैण्ड स्टोन	26.05.2011 से 25.05.2021	11.09.2014 से 10.09.2019	68,595 (7 वर्ष) 9,800 प्रतिवर्ष	11.09.14 से 10.09.15	70,000	9,800	60,200	60,200	0	216.72
							11.09.15 से 20.01.16	83,996	9,800	74,196	72,796	1,400	269.77
12		श्रीमती रेखा मिश्रा	सैण्ड स्टोन	23.02.2012 से 22.02.2022	27.06.2012 से 26.06.2015	18,412 (6.1 वर्ष) 3,000 प्रतिवर्ष	27.06.13 से 26.06.14	14,091	3,000	11,091	11,091	0	39.22
							27.06.14 से 25.06.15	6,110	3,000	3,110	3,110	0	10.98
		योग						**8,83,461**	**2,43,600**	**6,39,861**	**6,35,461**	**4,400**	**2,927.48**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

* सैण्ड स्टोन गिट्टी ₹ 72/-प्रति घनमीटर की दर से, बोल्डर ₹ 68/- प्रति घनमीटर की दर से, पटिया ₹ 405/- प्रति घनमीटर की दर से मिर्जापुर के लिए, ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 102/- प्रति घनमीटर की दर से झांसी, महोबा एवं सोनभद्र के लिए

** सैण्ड स्टोन गिट्टी ₹ 110/- प्रति घनमीटर की दर से, बोल्डर ₹ 100/- प्रति घनमीटर की दर से, पटिया ₹ 650/- प्रति घनमीटर की दर से मिर्जापुर के लिए, ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 160/- प्रति घनमीटर की दर से झांसी, महोबा एवं सोनभद्र के लिए

परिशिष्ट-IX

दरों के संशोधन के कारण रॉयल्टी का कम आरोपण

(संदर्भ प्रस्तर सं0 2.4.15)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	प्रकरणो की सं0	खनिज का नाम	अवधि	खनिज की मात्रा	रॉयल्टी की पुरानी दर	रॉयल्टी की संशोधित दर	देय रॉयल्टी	अदा रॉयल्टी	कम रॉयल्टी
1	जि0खा0का0 अम्बेडकरनगर	1	बालू	जनवरी 2016	1,285	33	65	83,525	42,405	41,120
2	जि0खा0का0 बाँदा	5	लाल मोरम	जनवरी 2016 से फरवरी 2016	1,796	36	75	2,53,080	1,54,944	98,136
3	जि0खा0का0 बुलंदशहर	4	साधारण मिट्टी	जनवरी 2016 से फरवरी 2016	15,400	14	30	4,62,000	2,15,600	2,46,400
4	जि0खा0का0 फैजाबाद	1	बालू	फरवरी 2016	1,398	33	65	12,285	6,237	6,048
5	जि0खा0का0 फतेहपुर	1	बालू	जनवरी 2016	1,866	75	150	2,79,900	1,39,950	1,39,950
6	जि0खा0का0 जी0बी0 नगर	22	बालू , मिट्टी	जनवरी 2016 से मार्च 2016	1,91,589	14 / 33	30 / 65	83,11,035	40,73,787	42,37,248
7	जि0खा0का0 हमीरपुर	5	गिट्टी	जनवरी 2016	4,500	102	160	7,20,000	4,59,000	2,61,000
8	जि0खा0का0 महोबा	1	स्टोन डस्ट	फरवरी 2016	279	33	100	27,900	9,207	18,693
9	जि0खा0का0 मिर्जापुर	27	गिट्टी, बोल्डर	जनवरी 2016 से फरवरी 2016	49,741	72 / 68	110 / 100	56,50,430	37,02,261	19,48,169
10	जि0खा0का0 सहारनपुर	4	बालू , बजरी	जनवरी 2016	24,800	33 / 63	65 / 110	21,97,000	12,08,400	9,88,600
11	जि0खा0का0 सोनभद्र	10	सैण्ड स्टोन, डोलो स्टोन, बालू	जनवरी 2016	40,700	72 / 102 / 75	110 / 160 / 150	51,97,000	31,94,400	20,02,600
योग		**81**			**3,33,354**			**2,31,94,155**	**1,32,06,191**	**99,87,964**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-X
उपखनिज का मूल्य नहीं वसूला गया
(संदर्भ प्रस्तर सं0 2.4.16)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	प्रकरणों की सं0	रॉयल्टी की अवधि	अदा रॉयल्टी	देय खनिज मूल्य
1	जि0खा0का0 आगरा	180	2014–15	1,38,90,906	6,94,54,530
		183	2015–16	1,20,36,971	6,01,84,855
2	जि0खा0का0 इलाहाबाद	4	2014–15	8,76,195	43,80,975
		46	2015–16	1,00,87,144	5,04,35,720
3	जि0खा0का0 अम्बेडकरनगर	70	2014–15	57,99,527	2,89,97,635
		66	2015–16	1,41,50,171	7,07,50,855
4	जि0खा0का0 बहराइच	65	2014–15	1,98,46,227	9,92,31,135
		85	2015–16	2,91,87,714	14,59,38,570
5	जि0खा0का0 बाँदा	88	2014–15	2,62,77,041	13,13,85,205
		108	2015–16	3,45,30,409	17,26,52,045
6	जि0खा0का0 बुलंदशहर	139	2014–15	1,38,90,162	6,94,50,810
		225	2015–16	1,73,53,142	8,67,65,710
7	जि0खा0का0 चित्रकूट	97	2014–15	1,94,57,650	9,72,88,250
		180	2015–16	2,55,40,584	12,77,02,920
8	जि0खा0का0 फैजाबाद	57	2014–15	43,89,463	2,19,47,315
		68	2015–16	83,76,567	4,18,82,835
9	जि0खा0का0 फतेहपुर	40	2014–15	52,75,718	2,63,78,590
		71	2015–16	84,86,832	4,24,34,160
10	जि0खा0का0 जी0बी0 नगर	40	2014–15	2,68,36,922	13,41,84,610
		51	2015–16	2,49,79,906	12,48,99,530
11	जि0खा0का0 हमीरपुर	29	2014–15	38,86,960	1,94,34,800
		38	2015–16	1,14,42,639	5,72,13,195
12	जि0खा0का0 जालौन	196	2014–15	2,81,28,876	14,06,44,380

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	प्रकरणों की सं0	रॉयल्टी की अवधि	अदा रॉयल्टी	देय खनिज मूल्य
		249	2015–16	3,38,45,700	16,92,28,500
13	जि0खा0का0 झाँसी	176	2014–15	6,45,14,562	32,25,72,810
		184	2015–16	6,52,13,932	32,60,69,660
14	जि0खा0का0 ललितपुर	204	2014–15	10,02,87,129	50,14,35,645
		275	2015–16	10,70,81,404	53,54,07,020
15	जि0खा0का0 महोबा	190	2014–15	3,04,42,811	15,22,14,055
		110	2015–16	3,24,77,014	16,23,85,070
16	जि0खा0का0 मिर्जापुर	199	2014–15	5,67,57,898	28,37,89,490
		168	2015–16	2,56,28,557	12,81,42,785
17	जि0खा0का0 सहारनपुर	124	2015–16	1,63,45,161	8,17,25,805
18	जि0खा0का0 सोनभद्र	134	2015–16	4,08,23,121	20,41,15,605
	योग	**3,379**		**93,81,45,015**	**4,69,07,25,075**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XI

स्कूल मैक्सी कैब वाहनों पर कर का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.10)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	आपत्तियों की संख्या	वाहन का नाम	पंजीकृत वाहन की अवधि	अवधि (आरोपणीय कर)	अदा एकबारीय कर	आरोपणीय कर	आरोपणीय कर का अन्तर
1	सं0 प0 अ0 आगरा	36	मोटर कैब / मैक्सी कैब / एल0एम0वी0 वैन	दिसम्बर 2009 से अप्रैल 2015	दिसम्बर 2009 से जनवरी 2016	2,59,053	9,61,222	7,02,169
2	स0 सं0 प0 अ0 फिरोजाबाद	11	मोटर कैब / मैक्सी कैब	जून 2010 से नवम्बर 2014	जून 2010 से जनवरी 2016	72,264	3,25,436	2,53,172
3	स0 सं0 प0 अ0 गौतम बुद्ध नगर	116	मोटर कैब / मैक्सी कैब	अप्रैल 2010 से जुलाई 2015	अप्रैल 2010 से जनवरी 2016	8,23,591	19,73,869	11,50,278
4	सं0 प0 अ0 गाजियाबाद	117	मोटर कैब / मैक्सी कैब	नवम्बर 2009 से अगस्त 2015	नवम्बर 2009 से सितम्बर 2015	6,83,364	35,23,856	28,40,491
5	स0 सं0 प0 अ0 हरदोई	89	जीप टैक्सी / मोटर कैब	अगस्त 2010 से जुलाई 2015	अगस्त 2010 से मार्च 2016	3,91,632	23,66,437	19,74,805
6	स0 सं0 प0 अ0 हाथरस	69	मोटर कैब / मैक्सी कैब	जुलाई 2010 से फरवरी 2015	जुलाई 2010 से जनवरी 2016	2,68,346	16,43,305	13,74,958
7	स0 सं0 प0 अ0 जालौन	52	जीप टैक्सी / एल0एम0वी0 कार	नवम्बर 2009 से अगस्त 2014	नवम्बर 2009 से मार्च 2016	2,82,469	15,45,229	12,62,760
8	सं0 प0 अ0 लखनऊ	198	मोटर कैब / मैक्सी कैब / एल0एम0वी0 वैन / जीप टैक्सी	नवम्बर 2009 से दिसम्बर 2015	नवम्बर 2009 से मार्च 2016	6,02,157	32,90,801	26,88,644
9	स0 सं0 प0 अ0 मथुरा	29	मोटर कैब / मैक्सी कैब	नवम्बर 2010 से अक्टूबर 2014	नवम्बर 2010 से जनवरी 2016	96,147	5,17,081	4,20,933
10	स0 सं0 प0 अ0 रायबरेली	105	जीप टैक्सी / एल0एम0वी0 कार	अप्रैल 2010 से सितम्बर 2015	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2015	4,50,846	22,85,109	18,34,263
11	स0 सं0 प0 अ0 शाहजहांपुर	7	मैक्सी कैब	जून 2010 से जुलाई 2015	जून 2010 से फरवरी 2016	30,854	1,96,621	1,65,767
12	स0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	161	मोटर कैब / जीप टैक्सी	नवम्बर 2010 से अक्टूबर 2015	नवम्बर 2010 से नवम्बर 2015	7,21,443	44,16,929	36,95,486
13	सं0 प0 अ0 वाराणसी	67	मोटर कैब / मैक्सी कैब / एल0एम0वी0 वैन / जीप टैक्सी	मार्च 2010 से दिसम्बर 2014	मार्च 2010 से मार्च 2016	5,88,376	28,23,869	22,35,493
योग		**1,057**		**नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2015**	**नवम्बर 2009 से मार्च 2016**	**52,70,543**	**2,58,69,762**	**2,05,99,219**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XII

गैर परिवहन यानों (निजी वाहनों) के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.11)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	आपत्तियों की संख्या	पंजीयन अवधि	पंजीयन समाप्ति की अवधि	हरित कर	पंजीयन शुल्क और शास्ति	स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क	योग
1	सं0 प0 का0 इलाहाबाद	409	दिसम्बर 1999 से फरवरी 2001	दिसम्बर 2014 से फरवरी 2016	1,90,003	1,22,700	1,22,700	4,35,403
2	स0 सं0 प0 का0 बलिया	153	अप्रैल1 998 से मार्च 2001	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	1,64,869	45,900	45,900	2,56,669
3	सं0 प0 का0 बरेली	43	मई 1990 से अगस्त 2000	जनवरी 2014 से फरवरी 2016	16,368	12,900	12,900	42,168
4	स0 सं0 प0 का0 फिरोजाबाद	153	जनवरी 1999 से जनवरी 2001	दिसम्बर 2013 से जनवरी 2016	58,588	45,900	45,900	1,50,388
5	स0 सं0 प0 का0 हरदोई	152	फरवरी 1999 से जनवरी 2001	फरवरी 2014 से मार्च 2016	1,12,079	45,600	45,600	2,03,279
6	स0 सं0 प0 का0 हाथरस	189	जनवरी 1998 से फरवरी 2001	जनवरी 2013 से फरवरी 2016	1,21,795	56,700	56,700	2,35,195
7	स0 सं0 प0 का0 जालौन	237	जनवरी 1995 से जनवरी 2001	जनवरी 2010 से जनवरी 2016	2,31,635	71,100	71,100	3,73,835
8	सं0 प0 का0 झांसी	571	सितम्बर 1998 से जनवरी 2001	सितम्बर 2013 से जनवरी 2016	3,51,998	1,71,300	1,71,300	6,94,598
9	सं0 प0 का0 कानपुर नगर	107	जनवरी 2000 से जनवरी 2001	मार्च 2015 से जनवरी 2016	92,995	32,100	32,100	1,57,195
10	सं0 प0 का0 लखनऊ	1,425	अप्रैल 2000 से जनवरी 2001	मार्च 2015 से जनवरी 2016	12,57,471	4,27,500	4,27,500	21,12,471
11	स0 सं0 प0 का0 मथुरा	266	जनवरी 2000 से जनवरी 2001	दिसम्बर 2014 से जनवरी 2016	1,25,192	79,800	79,800	2,84,792
12	स0 सं0 प0 का0 मऊ	238	जुलाई 1999 से जनवरी 2001	जून 2014 से जनवरी 2016	1,35,332	71,400	71,400	2,78,132
13	स0 सं0 प0 का0 रायबरेली	640	जनवरी 1994 से जनवरी 2001	जनवरी 2009 से मार्च 2016	2,96,324	1,92,000	1,92,000	6,80,324
14	स0 सं0 प0 का0 शाहजहांपुर	293	जनवरी 1999 से फरवरी 2001	जनवरी 2015 से फरवरी 2016	2,38,585	87,900	87,900	4,14,385
15	स0 सं0 प0 का0 उन्नाव	538	जनवरी 1990 से जनवरी 2001	जनवरी 2005 से जनवरी 2016	4,08,411	1,61,400	1,61,400	7,31,211
16	सं0 प0 का0 वाराणसी	183	जनवरी 2000 से जनवरी 2001	जनवरी 2015 से फरवरी 2016	1,17,154	54,900	54,900	2,26,954
	योग	**5,597**	**जनवरी 1990 से फरवरी 2001**	**जनवरी 2005 से मार्च 2016**	**39,18,799**	**16,79,100**	**16,79,100**	**72,76,999**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XIII

अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.13)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	आपत्तियों की संख्या	वाहन का नाम	वाहन समर्पण की अवधि	अवधि (आरोपणीय कर)	आरोपणीय कर	आरोपणीय अतिरिक्त कर	कुल आरोपणीय कर
1	सं0 प0 अ0 आगरा	14	पीसी/टेंकर	दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2015	मार्च 2015 से फरवरी 2016	1,81,742	0	1,81,742
2	सं0 प0 अ0 इलाहाबाद	17	पीसी	मार्च 2015 से जून 2015	जुलाई 2015 से फरवरी 2016	2,71,282	0	2,71,282
3	स0 सं0 प0 अ0 बलिया	7	बस/ट्रक	जून 2014 से जून 2015	अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2015	1,83,440	0	1,83,440
4	सं0 प0 अ0 बरेली	120	बस/पीसी	जून 2014 से सितम्बर 2015	अक्टूबर 2014 से फरवरी 2016	17,97,474	0	17,97,474
5	स0 सं0 प0 अ0 फिरोजाबाद	14	बस/ट्रक/मैजिक	दिसम्बर 2014 से जून 2015	अप्रैल 2015 से फरवरी 2016	3,37,282	0	3,37,282
6	स0 सं0 प0 अ0 हाथरस	24	पीसी	जून 2014 से जून 2015	जनवरी 2015 से जनवरी 2016	5,51,276	0	5,51,276
7	स0 सं0 प0 अ0 जालौन	23	बस/पीसी	मई 2014 से नवम्बर 2015	अगस्त 2014 से मार्च 2016	13,90,192	0	13,90,192
8	सं0 प0 अ0 झांसी	5	बस	दिसम्बर 2014 से अक्टूबर 2015	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	2,29,080	0	2,29,080
9	सं0 प0 अ0 कानपुर नगर	41	पीसी	मई 2015 से अक्टूबर 2015	अक्टूबर 2015 से मार्च 2016	3,17,746	0	3,17,746
10	सं0 प0 अ0 लखनऊ	78	बस/ट्रक/मैजिक/टी0डब्लू/मोटर कैब	जनवरी 2014 से जुलाई 2015	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	42,17,160	0	42,17,160
11	स0 सं0 प0 अ0 मथुरा	26	बस/ट्रक	अगस्त 2014 से जून 2015	दिसम्बर 2014 से जनवरी 2016	6,28,689	0	6,28,689
12	स0 सं0 प0 अ0 म0	5	बस	जुलाई 2015 से अगस्त 2015	अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2015	52,560	0	52,560
13	स0 सं0 प0 अ0 रायबरेली	11	पीसी	अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015	जनवरी 2016 से मार्च 2016	40,656	0	40,656
14	स0 सं0 प0 अ0 शाहजहांपुर	38	पीसी	मार्च 2015 से अक्टूबर 2015	जुलाई 2015 से फरवरी 2016	2,78,058	0	2,78,058
15	स0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	33	बस/यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बस/ ट्रक/टैक्सी	सितम्बर 2014 से जुलाई 2015	जनवरी 2015 से मार्च 2016	8,85,005	4,68,000	13,53,005
16	सं0 प0 अ0 वाराणसी	2	बस	अक्टूबर 2015 से नवम्बर 2015	फरवरी 2016 से मार्च 2016	15,870	0	15,870
योग		**458**		**जनवरी 2014 से नवम्बर 2015**	**अप्रैल 2014 से मार्च 2016**	**1,13,77,512**	**4,68,000**	**1,18,45,512**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XIV

वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.15)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	स्वास्थता समाप्ति की अवधि	भारी वाहन (900 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	मध्यम वाहन (700 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	हल्के वाहन वाणिज्यिक (500 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	तीन पहिया (300 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	वाहनों की कुल संख्या	आरोपणीय स्वस्थता शुल्क की धनराशि	शास्ति	कुल शुल्क और शास्ति
1	सं0प0अ0 आगरा	561	नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2015	88	79,200	65	45,500	157	78,500	251	75,300	561	2,78,500	22,44,000	25,22,500
2	सं0प0अ0 इलाहाबाद	688	फरवरी 2015 से मार्च 2016	353	3,17,700	16	11,200	319	1,59,500	.	.	688	4,88,400	27,52,000	32,40,400
3	स0सं0प0अ0 बलिया	467	सितम्बर 2014 से मार्च 2016	60	54,000	1	700	397	1,98,500	9	2,700	467	2,55,900	18,68,000	21,23,900
4	सं0प0अ0 बरेली	313	नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2015	74	66,600	.	.	239	1,19,500	.	.	313	1,86,100	12,52,000	14,38,100
5	स0सं0प0अ0 फिरोजाबाद	541	फरवरी 2014 से जनवरी 2016	106	95,400	.	.	435	2,17,500	.	.	541	3,12,900	21,64,000	24,76,900
6	स0सं0प0अ0 गौ0 बु0 नगर	371	नवम्बर 2014 से जनवरी 2016	201	1,80,900	13	9,100	157	78,500	.	.	371	2,68,500	14,84,000	17,52,500
7	सं0प0अ0 गाजियाबाद	336	जून 2014 से मार्च 2016	226	2,03,400	59	41,300	51	25,500	.	.	336	2,70,200	13,44,000	16,14,200
8	स0सं0प0अ0 हरदोई	76	अक्टूबर 2015 से मार्च 2016	65	58,500	11	7,700	.	.	.	.	76	66,200	3,04,000	3,70,200
9	स0सं0प0अ0 हाथरस	403	जनवरी 2015 से जनवरी 2016	117	1,05,300	48	33,600	158	79,000	80	24,000	403	2,41,900	16,12,000	18,53,900
10	स0सं0प0अ0 जालौन	361	अक्टूबर 2014 से मार्च 2016	99	89,100	29	19,600	233	1,17,000	.	.	361	2,25,900	14,44,000	16,69,900
11	सं0प0अ0 झांसी	576	दिसम्बर 2014 से जनवरी 2016	149	1,34,100	.	.	200	1,00,000	227	68,100	576	3,02,200	23,04,000	26,06,200
12	सं0प0अ0 कानपुर नगर	196	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	196	1,76,400	.	.	.	.	.	.	196	1,76,400	7,84,000	9,60,400
13	सं0प0अ0 लखनऊ	1,417	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016	168	1,51,200	33	23,100	915	4,57,500	301	90,300	1,417	7,22,100	56,68,000	63,90,100
14	स0सं0प0अ0 मथुरा	390	फरवरी 2015 से जनवरी 2016	182	1,63,800	79	55,300	129	64,500	.	.	390	2,83,600	15,60,000	18,43,600
15	स0सं0प0अ0 मऊ	387	सितम्बर 2014 से मार्च 2016	81	72,900	.	.	306	1,53,000	.	.	387	2,25,900	15,48,000	17,73,900
16	स0सं0प0अ0 रायबरेली	1,089	अक्टूबर 2014 से मार्च 2016	177	1,59,300	63	44,100	587	2,93,500	262	78,600	1,089	5,75,500	43,56,000	49,31,500
17	स0सं0प0अ0 शाहजहांपुर	266	जनवरी 2015 से फरवरी 2016	122	1,09,800	10	7,000	134	67,000	.	.	266	1,83,800	10,64,000	12,47,800
18	स0सं0प0अ0 उन्नाव	415	अक्टूबर 2014 से जनवरी 2016	96	86,400	3	2,100	316	1,58,000	.	.	415	2,46,500	16,60,000	19,06,500
19	सं0प0अ0 वाराणसी	1,089	अप्रैल 2015 से जनवरी 2015	170	1,53,000	19	13,300	113	56,500	787	2,36,100	1,089	4,58,900	43,56,000	48,14,900
	योग	**9,942**	**फरवरी 2014 से मार्च 2016**	**2,730**	**24,57,000**	**449**	**3,13,600**	**4,846**	**24,23,500**	**1,917**	**5,75,100**	**9,942**	**57,69,400**	**3,97,68,000**	**4,55,37,400**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XV

कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.19)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	अधिरोपित शास्ति की अवधि	मो0या0क0 अधिनियम के अनुसार अधिरोपित शास्ति	सीबीआर अधिनियम के 5(3) के अनुसार अधिरोपित शास्ति	देय धनराशि का अन्तर	सीबीआर अधिनियम के 18(1) के अनुसार भुगतान योग्य शास्ति	सीबीआर अधिनियम के 18(1) के अनुसार शास्ति का भुगतान	सीबीआर अधिनियम के 18(1) के अनुसार शास्ति का कम भुगतान	भुगतान योग्य कुल धनराशि
1	सं0 प0 अ0 आगरा	33	अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2015	10,09,000	0	10,09,000	1,32,000	0	1,32,000	11,41,000
2	सं0 प0 अ0 इलाहाबाद	9	नवम्बर 2015 से फरवरी 2016	2,50,000	0	2,50,000	36,000	0	36,000	2,86,000
3	स0 सं0 प0 अ0 बलिया	12	जनवरी 2015 से नवम्बर 2015	2,86,000	0	2,86,000	48,000	0	48,000	3,34,000
4	सं0 प0 अ0 बरेली	24	अक्टूबर 2015 से नवम्बर 2015	6,17,000	0	6,17,000	96,000	0	96,000	7,13,000
5	स0 सं0 प0 अ0 फिरोजाबाद	24	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016	6,07,000	0	6,07,000	96,000	0	96,000	7,03,000
6	स0 सं0 प0 अ0 गौतम बुद्ध नगर	98	अक्टूबर 2015	20,37,000	0	20,37,000	3,92,000	0	3,92,000	24,29,000
7	सं0 प0 अ0 गाजियाबाद	89	जुलाई 2014 से फरवरी 2016	18,99,000	0	18,99,000	3,56,000	0	3,56,000	22,55,000
8	स0 सं0 प0 अ0 हरदोई	17	जनवरी 2016 से फरवरी 2016	5,15,000	0	5,15,000	68,000	0	68,000	5,83,000
9	स0 सं0 प0 अ0 हाथरस	43	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	7,07,000	0	7,07,000	1,72,000	44,000	1,28,000	8,35,000
10	स0 सं0 प0 अ0 जालौन	58	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	21,13,000	0	21,13,000	2,32,000	0	2,32,000	23,45,000
11	सं0 प0 अ0 झांसी	76	नवम्बर 2015 से फरवरी 2016	21,75,000	0	21,75,000	3,04,000	0	3,04,000	24,79,000
12	सं0 प0 अ0 कानपुर नगर	34	जनवरी 2016	14,59,000	0	14,59,000	1,36,000	0	1,36,000	15,95,000
13	सं0 प0 अ0 लखनऊ	62	सितम्बर 2015 से जनवरी 2016	17,86,000	0	17,86,000	2,48,000	0	2,48,000	20,34,000
14	स0 सं0 प0 अ0 मथुरा	53	नवम्बर 2015 से जनवरी 2015	13,21,000	0	13,21,000	2,12,000	0	2,12,000	15,33,000
15	स0 सं0 प0 अ0 मऊ	21	मार्च 2015 से मार्च 2016	4,35,000	0	4,35,000	84,000	0	84,000	5,19,000
16	स0 सं0 प0 अ0 रायबरेली	59	जुलाई 2015 से मार्च 2016	17,82,500	0	17,82,500	2,36,000	0	2,36,000	20,18,500
17	स0 सं0 प0 अ0 शाहजहांपुर	52	अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016	12,45,000	0	12,45,000	2,08,000	4,000	2,04,000	14,49,000
18	स0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	25	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016	6,16,000	0	6,16,000	1,00,000	0	1,00,000	7,16,000
19	सं0 प0 अ0 वाराणसी	50	दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016	16,42,000	0	16,42,000	2,00,000	0	2,00,000	18,42,000
	योग	**839**	**जुलाई 2014 से मार्च 2016**	**2,25,01,500**	**0**	**2,25,01,500**	**33,56,000**	**48,000**	**33,08,000**	**2,58,09,500**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XVI

बकायों की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण तंत्र का अभाव

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.24.1)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	निर्गत प्रमाण पत्रों की संख्या	निर्गत प्रमाण पत्रों की अवधि	बकाया की अवधि	प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि	प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में लगा समय
1	सं0 प0 अ0 आगरा	50	जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014	अप्रैल 2004 से दिसम्बर 2014	27,04,340	0 से 120 माह
2	सं0 प0 अ0 इलाहाबाद	9	दिसम्बर 2014 से मई 2015	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2014	9,26,057	0 से 62 माह
3	स0 सं0 प0 अ0 बलिया	5	जनवरी 2014	जुलाई 1998 से सितम्बर 2007	1,20,990	75 से 174 माह
4	सं0 प0 अ0 बरेली	31	अगस्त 2014 से दिसम्बर 2014	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2014	26,01,762	0 से 58 माह
5	स0 सं0 प0 अ0 फिरोजाबाद	21	सितम्बर 2014	जनवरी 2010 से सितम्बर 2014	16,08,359	0 से 56 माह
6	स0 सं0 प0 अ0 गौ0 बु0 नगर	35	नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2014	अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2014	32,47,823	0 से 80 माह
7	सं0 प0 अ0 गाजियाबाद	70	नवम्बर 2012	जुलाई 2005 से सितम्बर 2011	8,77,050	14 से 89 माह
8	स0 सं0 प0 अ0 हाथरस	13	अप्रैल 2015	जुलाई 2012 से जून 2015	8,61,660	0 से 34 माह
9	सं0 प0 अ0 लखनऊ	29	जुलाई 2015	जुलाई 2005 से जून 2015	33,81,675	0 से 120 माह
10	स0 सं0 प0 अ0 मथुरा	13	दिसम्बर 2014 से जून 2015	अक्टूबर 2007 से अगस्त 2015	19,35,030	0 से 86 माह
11	स0 सं0 प0 अ0 मऊ	13	जुलाई 2014 से अगस्त 2014	जनवरी 2011 से सितम्बर 2014	12,30,702	0 से 115 माह
12	स0 सं0 प0 अ0 शाहजहांपुर	14	जुलाई 2015	अक्टूबर 2009 से जून 2015	12,29,740	1 से 70 माह
13	स0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	33	अक्टूबर 2013 से अप्रैल 2015	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2015	14,02,149	0 से 67 माह
	योग	**336**	**नवम्बर 2012 से जुलाई 2015**	**अप्रैल 2004 से अगस्त 2015**	**2,21,27,337**	**1 से 174 माह**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XVII

राजस्व की वसूली किए बिना वसूली प्रमाण पत्र का वापस आना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.24.2)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	आपत्तियों की संख्या	निर्गत प्रमाण पत्रों की अवधि	बकाया की अवधि	वापसी प्रमाण पत्रों की अवधि	प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि	वापसी प्रमाण पत्रों का कारण
1	सं0प0अ0 आगरा	12	अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2013	अक्टूबर 2006 जव मार्च 2015	अगस्त 2012 से अप्रैल 2015	10,12,734	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु एवं न कोई चल–अचल सम्पत्ति और न कोई कारण अंकित होने के कारण।
2	सं0प0अ0 इलाहाबाद	4	जून 2015	जनवरी 2011 से अक्टूबर 2014	जून 2015 से जुलाई 2015	1,82,445	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
3	सं0प0अ0 बरेली	10	मई 2013 से अगस्त 2014	जनवरी 2010 से दिसम्बर 2014	अगस्त 2014 से जून 2015	7,39,391	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
4	स0सं0प0अ0 फिरोजाबाद	31	दिसम्बर 2014 से दिसम्बर 2015	अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2015	जनवरी 2016	64,08,412	बाकीदार का पता चिन्हित न होना।
5	सं0प0अ0 गाजियाबाद	24	अगस्त 2014	अक्टूबर 2009 से जून 2014	अगस्त 2014 से अक्टूबर 2015	23,82,123	कोई कारण अंकित न होना।
6	स0सं0प0अ0 गौ0बु0 नगर	20	जून 2009 से अप्रैल 2015	जनवरी 2009 से सितम्बर 2015	नवम्बर 2015 से दिसम्बर 2015	12,44,957	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
7	स0सं0प0अ0 जालौन	12	दिसम्बर 2014 से दिसम्बर 2015	अक्टूबर 2009 से जून 2015	मार्च 2015 से जुलाई 2015	21,77,109	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
8	सं0प0अ0 झांसी	6	दिसम्बर 2014 से जनवरी 2015	अक्टूबर 2009 से अगस्त 2015	फरवरी 2015 से अक्टूबर 2015	1,10,250	वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
9	स0सं0प0अ0 मथुरा	12	दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2014	अक्टूबर 2001 से नवम्बर 2014	अगस्त 2014 से जून 2015	23,51,748	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
10	स0सं0प0अ0 रायबरेली	10	जुलाई 2010 से अगस्त 2014	अप्रैल 2006 से सितम्बर 2014	जनवरी 2015	4,70,086	बाकीदार का पता चिन्हित न होना।
		5	अगस्त 2014 से दिसम्बर 2014	मई 2011 से अप्रैल 2015	जनवरी 2015	1,52,298	वसूली प्रमाण पत्र अंकित तहसील से संबंधित न होना।
11	स0सं0प0अ0 उन्नाव	23	सितम्बर 2012 से अक्टूबर 2013	जनवरी 2010 से जून 2012	अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013	8,07,450	बाकीदार का पता चिन्हित न होना।
12	सं0प0अ0 वाराणसी	10	मई 2011 से सितम्बर 2014	जुलाई 2011 से मार्च 2014	मार्च 2015 से जुलाई 2015	6,11,411	गलत पता देने, वाहन स्वामी की मृत्यु और न कोई चल–अचल सम्पत्ति होने के कारण।
	योग	**179**	**अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2015**	**अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2015**	**अगस्त 2012 से जनवरी 2016**	**1,86,50,414**	

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XVIII

बन्धक अनुबन्धों के साथ पंजीकृत वाहनों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3.26)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वाहन का प्रकार	अवधि	कुल वाहनों की संख्या	कुल बिक्री मूल्य	कुल बिक्री मूल्य का अनुकूलित 80 प्रतिशत बैंक ऋण	कुल 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क बकाया
1	सं0 प0 अ0 आगरा	परिवहन	अप्रैल 2011 से जनवरी 2016	8,531	4,48,74,83,295	3,58,99,86,660	1,75,29,729
		गैर परिवहन		1,04,767	23,50,88,24,298	18,80,70,58,481	9,24,68,581
2	सं0 प0 अ0 इलाहाबाद	परिवहन	अप्रैल 2011 से जनवरी 2016	18,766	11,82,78,44,312	9,46,22,75,328	4,61,27,491
		गैर परिवहन		68,707	18,58,29,82,463	14,86,63,87,062	7,39,74,558
3	स0 सं0 प0 अ0 बलिया	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	3,656	2,08,12,14,316	1,66,49,71,432	79,23,788
		गैर परिवहन		8,716	3,26,72,77,136	2,61,38,21,629	1,30,67,765
4	सं0 प0 अ0 बरेली	परिवहन	अप्रैल 2011 से फरवरी 2016	6,071	5,21,29,66,400	4,17,03,73,077	1,51,13,642
		गैर परिवहन		53,975	9,18,75,23,663	7,35,00,18,990	3,62,80,862
5	स0 सं0 प0 अ0 फिरोजाबाद	परिवहन	अप्रैल 2011 से जनवरी 2016	13,186	13,94,78,59,322	11,15,82,87,441	3,97,85,988
		गैर परिवहन		18,092	4,61,96,63,671	3,69,57,30,766	1,84,22,120
6	स0 सं0 प0 अ0 गौतम बुद्ध नगर	परिवहन	अप्रैल 2011 से जनवरी 2016	24,625	14,08,60,13,501	11,26,88,11,312	4,76,19,909
		गैर परिवहन		94,405	45,16,05,13,476	36,12,84,10,771	16,39,08,381
7	सं0 प0 अ0 गाजियाबाद	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	22,665	10,89,31,34,878	8,71,45,07,185	4,24,33,580
		गैर परिवहन		1,34,238	43,78,88,95,542	35,03,11,15,323	16,88,07,255
8	स0 सं0 प0 अ0 हरदोई	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	9,775	7,57,45,09,009	6,05,96,07,184	2,58,73,063
		गैर परिवहन		17,796	3,13,85,00,169	2,51,08,00,496	1,25,45,944
9	स0 सं0 प0 अ0 हाथरस	परिवहन	अप्रैल 2011 से जनवरी 2016	4,461	2,77,99,02,150	2,22,39,21,731	1,04,67,443
		गैर परिवहन		12,593	2,08,34,96,415	1,66,67,97,036	83,31,307
10	सं0 प0 अ0 झांसी	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	5,848	3,98,55,38,869	3,18,84,31,055	1,58,40,235
		गैर परिवहन		28,650	6,81,36,35,363	5,45,09,08,320	2,69,67,143
11	स0 सं0 प0 अ0 जालौन	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	3,204	2,86,04,63,980	2,28,83,71,175	1,12,97,867
		गैर परिवहन		6,850	2,04,53,06,766	1,63,62,45,464	81,54,097
12	सं0 प0 अ0 कानपुर नगर	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	12,391	17,66,63,47,716	14,13,30,78,150	5,49,98,931
		गैर परिवहन		1,21,852	31,76,65,64,327	25,41,32,50,266	12,35,38,411

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वाहन का प्रकार	अवधि	कुल वाहनों की संख्या	कुल बिक्री मूल्य	कुल बिक्री मूल्य का अनुकूलित 80 प्रतिशत बैंक ऋण	कुल 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क बकाया
13	सं0 प0 अ0 लखनऊ	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	16,232	12,07,27,98,639	9,65,82,38,943	4,02,79,386
		गैर परिवहन		2,04,639	64,22,87,99,877	51,38,30,38,170	25,10,21,851
14	स0 सं0 प0 अ0 मथुरा	परिवहन	अप्रैल 2011 से जनवरी 2016	9,104	6,91,32,28,161	5,53,05,82,559	2,29,44,854
		गैर परिवहन		30,157	6,76,42,23,826	5,41,13,79,090	2,66,04,731
15	स0 सं0 प0 अ0 मऊ	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	4,066	2,15,89,75,141	1,72,71,80,100	85,34,535
		गैर परिवहन		7,441	2,11,94,03,170	1,69,55,22,540	84,61,482
16	स0 सं0 प0 अ0 रायबरेली	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	7,003	4,60,09,77,214	3,68,07,81,909	1,69,91,234
		गैर परिवहन		20,418	4,59,71,61,498	3,67,77,29,381	1,75,49,350
17	स0 सं0 प0 अ0 शाहजहांपुर	परिवहन	अप्रैल 2011 से फरवरी 2016	5,291	3,35,13,25,198	2,68,10,60,186	1,17,39,590
		गैर परिवहन		15,620	3,01,97,26,059	2,41,57,80,520	1,19,57,007
18	स0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	8,155	4,98,46,55,572	3,98,77,24,398	1,77,76,842
		गैर परिवहन		26,490	3,53,07,83,294	2,82,46,26,620	1,40,43,088
19	सं0 प0 अ0 वाराणसी	परिवहन	अप्रैल 2011 से मार्च 2016	17,730	10,40,86,41,643	8,32,69,13,498	3,59,91,603
		गैर परिवहन		64,919	15,52,66,84,027	12,42,13,47,658	6,16,05,797
		योग	**अप्रैल 2011 से मार्च 2016**	**12,41,085**	**4,35,64,38,44,356**	**3,48,51,50,71,906**	**1,62,69,79,440**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XIX

परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.7.1)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	अवधि	भारी वाहन (900 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	मध्यम वाहन (700 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	हल्के वाहन वाणिज्यिक (500 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	तीन पहिया (300 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	वाहनों की कुल संख्या	कुल धनराशि	शास्ति (4000 की दर से)	कुल धनराशि (₹ में)
1	स0सं0प0अ0 अम्बेडकरनगर	दिसम्बर 2014 से जून 2015	9	8,100	8	5,600	57	28,500	22	6,600	96	48,800	3,84,000	4,32,800
2	स0सं0प0अ0 औरैया	जून 2014 से मई 2015	17	15,300	3	2,100	154	77,000			174	94,400	6,96,000	7,90,400
3	स0सं0प0अ0 बागपत	अगस्त 2014 से नवम्बर 2015	127	1,14,300	33	23,100	327	1,63,500	44	13,200	531	3,14,100	21,24,000	24,38,100
4	स0सं0प0अ0 बहराइच	जून 2014 से अप्रैल 15	20	18,000	14	9,800	130	65,000	95	28,500	259	1,21,300	10,36,000	11,57,300
5	स0सं0प0अ0 बिजनौर	दिसम्बर 2014 से दिसम्बर 2015	1	900	1	700	232	1,16,000	23	6,900	257	1,24,500	10,28,000	11,52,500
6	स0सं0प0अ0 बदायूं	जुलाई 2014 से जुलाई 2015	30	27,000	4	2,800	202	1,01,000	1	300	237	1,31,100	9,48,000	10,79,100
7	स0सं0प0अ0 बुलन्दशहर	सितम्बर 2014 से सितम्बर 2015	171	1,53,900			288	1,44,000			459	2,97,900	18,36,000	21,33,900
8	स0सं0प0अ0 देवरिया	जुलाई 2014 से नवम्बर 2015	113	1,01,700	26	18,200	269	1,34,500			408	2,54,400	16,32,000	18,86,400
9	स0सं0प0अ0 हापुड़	मार्च 2008 से मार्च 2015	25	22,500	15	10,500	165	82,500			205	1,15,500	8,20,000	9,35,500
10	स0सं0प0अ0 जौनपुर	नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2015	49	44,100	11	7,700	115	57,500			175	1,09,300	7,00,000	8,09,300
11	स0सं0प0अ0 जे0पी0 नगर	मई 2014 से अप्रैल 2015	20	18,000	14	9,800	152	76,000			186	1,03,800	7,44,000	8,47,800
12	स0सं0प0अ0 मैनपुरी	अगस्त 2014 से अक्टूबर 2015	17	15,300	13	9,100	240	1,20,000			270	1,44,400	10,80,000	12,24,400
13	स0सं0प0अ0 प्रतापगढ़	सितम्बर 2014 से अगस्त 2015	21	18,900	28	19,600	313	1,56,500	11	3,300	373	1,98,300	14,92,000	16,90,300
14	स0सं0प0अ0 सम्भल	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	27	24,300	3	2,100	55	27,500			85	53,900	3,40,000	3,93,900
15	सं0प0अ0 बस्ती	जुलाई 2014 से जुलाई 2015	91	81,900	25	17,500	360	1,80,000			476	2,79,400	19,04,000	21,83,400
16	सं0प0अ0 लखनऊ	जून 2014 से अप्रैल 2015	118	1,06,200	48	33,600	667	3,33,500	256	76,800	1,089	5,50,100	43,56,000	49,06,100
17	सं0प0अ0 वाराणसी	अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015	218	1,96,200	50	35,000	756	3,78,000			1,024	6,09,200	40,96,000	47,05,200
	योग	**मार्च 2008 से दिसम्बर 2015**	**1,074**	**9,66,600**	**296**	**2,07,200**	**4,482**	**22,41,000**	**452**	**1,35,600**	**6,304**	**35,50,400**	**2,52,16,000**	**2,87,66,400**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XX

कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.9)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	आरोपित शास्ति की अवधि	मो0या0क0 अधिनियम के अनुसार आरोपित शास्ति	सीबीआर अधिनियम के 5(3) के अनुसार आरोपित शास्ति	सीबीआर अधिनियम के 18(1) के अनुसार आरोपित शास्ति	कुल देय धनराशि (₹ में)
1	स0 सं0 प0 अ0 अम्बेडकरनगर	7	जनवरी 2015 से अप्रैल 2015	1,45,000	1,45,000	28,000	1,73,000
2	स0 सं0 प0 अ0 औरैया	21	अप्रैल 2015 से मई 2015	5,65,000	5,65,000	84,000	6,49,000
3	स0 सं0 प0 अ0 बागपत	28	जनवरी 2015 से नवम्बर 2015	6,67,000	6,67,000	1,12,000	7,79,000
4	स0 सं0 प0 अ0 बहराइच	12	सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015	3,35,000	3,35,000	48,000	3,83,000
5	स0 सं0 प0 अ0 बिजनौर	12	सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015	4,27,000	4,27,000	48,000	4,75,000
6	स0 सं0 प0 अ0 बदायूं	11	मई 2015 से जून 2015	3,67,000	3,67,000	44,000	4,11,000
7	स0 सं0 प0 अ0 बुलन्दशहर	32	सितम्बर 2014 से फरवरी 2015	8,24,000	8,24,000	1,28,000	9,52,000
8	स0 सं0 प0 अ0 देवरिया	49	जुलाई 2014 से नवम्बर 2015	4,44,000	4,44,000	1,96,000	6,40,000
9	स0 सं0 प0 अ0 हापुड़	16	अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015	4,01,000	4,01,000	64,000	4,65,000
10	स0 सं0 प0 अ0 जौनपुर	33	जून 2015 से दिसम्बर 2015	6,84,000	6,84,000	1,32,000	8,16,000
11	स0 सं0 प0 अ0 जे0 पी0 नगर	42	नवम्बर 2014 से जनवरी 2015	4,73,000	4,73,000	1,68,000	6,41,000
12	स0 सं0 प0 अ0 कन्नौज	12	जनवरी 2015 से मार्च 2015	4,10,000	4,10,000	48,000	4,58,000
13	स0 सं0 प0 अ0 कानपुर देहात	12	जनवरी 2015	4,39,000	4,39,000	48,000	4,87,000
14	स0 सं0 प0 अ0 महोबा	6	सितम्बर 2014 से मई 2015	2,28,000	2,28,000	24,000	2,52,000
15	स0 सं0 प0 अ0 पीलीभीत	54	दिसम्बर 2014 से जनवरी 2015	8,31,000	8,31,000	2,16,000	10,47,000
16	स0 सं0 प0 अ0 प्रतापगढ़	13	अगस्त 2015	3,07,000	3,07,000	52,000	3,59,000
17	स0 सं0 प0 अ0 रामपुर	40	जनवरी 2015 से फरवरी 2015	6,20,000	6,20,000	1,60,000	7,80,000
18	स0 सं0 प0 अ0 सम्भल	23	जनवरी 2014 से मार्च 2015	2,81,000	2,81,000	92,000	3,73,000
19	स0 सं0 प0 अ0 शामली	12	दिसम्बर 2014 से मई 2015	3,90,000	3,90,000	48,000	4,38,000
20	सं0 प0 अ0 बस्ती	44	मई 2014 से दिसम्बर 2014	4,44,000	4,44,000	1,76,000	6,20,000
21	सं0 प0 अ0 फैजाबाद	12	फरवरी 2015 से नवम्बर 2015	1,09,000	1,09,000	48,000	1,57,000
22	सं0 प0 अ0 लखनऊ	50	मार्च 2015	13,65,000	13,65,000	2,00,000	15,65,000
23	सं0 प0 अ0 वाराणसी	50	नवम्बर 2014 से अप्रैल 2015	11,09,000	11,09,000	2,00,000	13,09,000
योग		**591**		**1,18,65,000**	**1,18,65,000**	**23,64,000**	**1,42,29,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXI

अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.10)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	वाहन का नाम	वाहन समर्पण की अवधि	अवधि (आरोपणीय कर)	आरोपणीय कर ₹ में
1	स0 सं0 प0 अ0 औरैया	3	यात्री वाहन/माल वाहन	जून 2014 से दिसम्बर 2014	अक्टूबर 2014 से मई 2015	1,47,864
2	स0 सं0 प0 अ0 बागपत	58	यात्री वाहन/माल वाहन	दिसम्बर 2014 से जून 2015	अप्रैल 2015 से नवम्बर 2015	8,13,889
3	स0 सं0 प0 अ0 बदायूं	7	माल वाहन/यात्री वाहन	अगस्त 2014 से दिसम्बर 2014	नवम्बर 2014 से जुलाई 2015	1,09,572
4	स0 सं0 प0 अ0 फरूखाबाद	4	माल वाहन/यात्री वाहन	जून 2014 से मार्च 2015	अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015	1,09,169
5	स0 सं0 प0 अ0 जे0पी0 नगर	27	यात्री वाहन	जून 2014 से दिसम्बर 2014	अक्टूबर 2014 से मई 2015	3,12,834
6	स0 सं0 प0 अ0 मैनपुरी	22	यात्री वाहन	जून 2014 से जून 2015	अक्टूबर 2014 से नवम्बर 2015	15,53,371
7	स0 सं0 प0 अ0 प्रतापगढ़	11	माल वाहन/यात्री वाहन	अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015	जनवरी 2015 से अगस्त 2015	59,451
8	स0 सं0 प0 अ0 रामपुर	21	माल वाहन	नवम्बर 2014 से जून 2015	मार्च 2015 से दिसम्बर 2015	1,55,364
9	सं0 प0 अ0 लखनऊ	21	माल वाहन	जुलाई 2014 से अप्रैल 2015	अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015	2,01,056
10	सं0 प0 अ0 वाराणसी	40	बस/पीसी	जुलाई 2014 से अप्रैल 2015	अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015	4,32,918
योग		**214**				**38,95,488**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXII

रा0व0प्र0प0 में त्रुटिपूर्ण तिथि एवं ब्याज की दर अंकित किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.4.7.5)

(₹ लाख में)

क्र0सं0	खण्ड का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	रा0व0 प्र0प0 की संख्या	कर की धनराशि	दिनांक जब से ब्याज देय था/ रा0व0प्र0प0 में उल्लिखित दिनांक	ब्याज की सही दर/ रा0व0प्र0प0 में उल्लिखित दर
1.	खण्ड 3 गाजियाबाद	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	1	1,060.00	सही	12/15
2.	खण्ड 3 हापुड़	1	2010–11 (मार्च 2014)	1	8.28	सही	12/15
		1	2011–12 (अप्रैल 2015)	1	9.96	सही	12/15
		1	2009–10 (मई 2013)	1	25.36	सही	12/15
			2010–11 (मार्च 2014)	1	434.38	सही	12/15
			2013–14 (सितम्बर 2015)	3	152.58	सही	12/15
3.	खण्ड 12 लखनऊ	1	2007–08 (मई 2010)	1	13,781.87	सही	12/15
4.	खण्ड 2 नोएडा	1	2008–09 (नवम्बर 2012)	1	138.17	सही	12/15
5.	खण्ड 3 नोएडा	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	1	2,741.18	सही	12/15
6.	खण्ड 14 नोएडा	1	2010–11 (जनवरी 2014)	1	151.64	10.02.2014 /01.10.2008	12/15
		1	2008–09 (सितम्बर 2013)	1	157.15	सही	12/15
7.	खण्ड 2 रायबरेली	1	2012–13 (जून 2014)	1	115.00	सही	12/15
			2013–14 (मार्च 2015)	1	210.00	सही	12/15
	योग	**10**		**15**	**18,985.57**		

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXIII

त्रुटिपूर्ण रा0व0प्र0प0 के कारण कम ब्याज का प्रभारित किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.4.7.6)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	कर के बकाये की धनराशि	दिनांक जब से ब्याज प्रभारणीय था	रा0व0प्र0प0 में उल्लेख किया गया दिनांक	विलम्ब की अवधि दिनों में	प्रभारणीय ब्याज
1.	खण्ड 3 इलाहाबाद	1	2010–11 (जून 2014)	1.08	01.10.2009	26.08.2014	1,790	0.79
2.	खण्ड 5 इलाहाबाद	1	2008–09 (अप्रैल 2013)	0.59	01.10.2008	18.08.2013	1,782	0.43
3.	खण्ड 8 इलाहाबाद	1	2010–11 (जून 2014)	1.00	01.10.2010	10.06.2014	1,348	0.55
4.	खण्ड 14 इलाहाबाद	1	2010–11 (मार्च 2014)	2.18	01.10.2010	17.07.2014	1,385	1.24
5.	खण्ड 1 बस्ती	1	2011–12 (जून 2015)	0.54	01.10.2011	12.10.2015	1,472	0.33
6.	खण्ड 2 गाजियाबाद	1	2012–13 (मार्च 2015)	45.92	01.10.2012	26.05.2015	967	18.25
		1	2011–12 (अप्रैल 2015)	77.46	01.10.2011	27.06.2015	1,365	43.45
7.	ज्वा0कमि0 (का0स0) गोरखपुर	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.29	01.10.2011	28.08.2015	1,427	0.17
8.	खण्ड 1 गोरखपुर	1	2010–11 (दिसम्बर 2013)	19.64	01.10.2010	03.04.2014	1,280	10.33
9.	खण्ड 2 रायबरेली	1	2013–14 (मार्च 2015)	52.09	01.10.2013	04.06.2015	611	13.08
	योग	**10**		**200.79**				**88.62**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXIV
आर–3 एवं आर–27 पंजिका का मिलान
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.4.7.7)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	व्यापारी की संख्या	रा0व0प्र0 प0 की संख्या	रा0व0प्र0 प0 की धनराशि	अनियमितता की प्रकृति	
1.	खण्ड 1 इलाहाबाद	2	2	18.64	आर–3 पंजिका में बकाया निस्तारित दिखाया गया	आर–27 पंजिका में माँग को बकाया दिखाया गया
2.	खण्ड 8 इलाहाबाद	2	2	9.18	आर–3 पंजिका में बकाया निस्तारित दिखाया गया	आर–27 पंजिका में माँग को बकाया दिखाया गया
		2	2	0.14	आर–3 पंजिका में माँग बकाया दिखायी गयी	आर–27 पंजिका में बकाया निस्तारित दिखाया गया
3.	खण्ड 12 इलाहाबाद	1	1	0.33	आर–3 पंजिका में बकाया निस्तारित दिखाया गया	आर–27 पंजिका में माँग को बकाया दिखाया गया
4.	खण्ड 14 इलाहाबाद	2	2	0.06	आर–3 पंजिका में बकाया निस्तारित दिखाया गया	आर–27 पंजिका में माँग को बकाया दिखाया गया
5.	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	4	5	85.38	आर–3 पंजिका में बकाया निस्तारित दिखाया गया	आर–27 पंजिका में माँग को बकाया दिखाया गया
6.	खण्ड 1 लखनऊ	1	1	9.33	आर–3 पंजिका में माँग बकाया दिखायी गयी	प्रकरण धारा–32 के अन्तर्गत खुला दिखाया गया। माँग निस्तारित दिखायी गयी।
	योग	**14**	**15**	**123.06**		

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXV
कर की गलत दर लगाया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.1.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय /आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड 16 आगरा	1	2011–12 (फरवरी 2015)	कास्मेटिक्स (V)	19.59	13.5 / 5	1.67
2	डि0कमि0 खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2012–13 (जनवरी 2014)	एक्शन शाट, पिस्टन रिंग (V)	30.81	13.5 / 5	2.62
3	डि0कमि0 खण्ड 8 इलाहाबाद	1	2011–12 (फरवरी 2014)	स्टोन डस्ट (V)	129.25	13.5 / 5	10.99
4	डि0कमि0 खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2012–13 (मार्च 2015)	मॉडेम (V)	13.05	13.5 / 5	1.11
5	डि0कमि0 खण्ड 1 बाँदा	1	2008–09 (फरवरी 2015)	स्टोन बौल्डर / खण्डा (V)	9.35	12.5 / 4	0.79
			2009–10 (अप्रैल 2014)	स्टोन बौल्डर / खण्डा (V)	51.07	13.5 / 4.5	4.60
		1	2012–13 (मई 2014)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	19.88	13.5 / 5	1.69
6	डि0कमि0 खण्ड 1 देवरिया	1	2011–12 (मार्च 2015)	हार्डवेयर (II)	214.72	5 / 4	2.15
7	डि0कमि0 खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2011–12 (जनवरी 2015)	प्लास्टिक गुड्स (V)	271.52	13.5 / 5	23.08
		1	2011–12 (जनवरी 2015)	क्राकरी, कटलरी चाइना (V)	106.91	13.5 / 5	9.09
		1	2011–12 (मार्च 2015)	कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (V)	72.45	13.5 / 0	9.78
8	डि0कमि0 खण्ड 11 गाजियाबाद	1	2011–12 (जुलाई 2014)	टोनर एवं डेवलपर्स (V)	58.53	13.5 / 5	4.98
9	डि0कमि0 खण्ड 5 जौनपुर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	पी0डी0एस0 से भिन्न बेचा गया केरोसिन आयल (V)	160.63	13.5 / 5	13.65
10	डि0कमि0 खण्ड 5 कानपुर	1	2010–11 (अक्टूबर 2013)	रबर मोल्डेड गुड्स (V)	23.55	13.5 / 5	2.00
			2011–12 (जुलाई 2014)	रबर मोल्डेड गुड्स (V)	23.09	13.5 / 5	1.96
11	असि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर	1	2008–09 (जनवरी 2012)	सैडिलरी फिटिंग (V)	60.53	12.5 / 4	5.14
			2009–10 (फरवरी 2013)	सैडिलरी फिटिंग (V)	3.26	12.5 / 4	0.28
					54.28	13.5 / 4.5	4.89
					8.40	13.5 / 5	0.71
		1	2009–10 (नवम्बर 2012)	मशीनरी पार्ट्स (V)	2.68	12.5 / 4	0.23
					15.20	13.5 / 4.5	1.37
					3.30	13.5 / 5	0.28
12	डि0कमि0 खण्ड 12 कानपुर	1	2011–12 (अप्रैल 2014)	एस एस शीट, क्वायल राड, पट्टा (II)	137.25	5 / 4	1.37
13	डि0कमि0 खण्ड 24 कानपुर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	प्लास्टिक फ्रेम (V)	10.43	13.5 / 5	0.89
14	डि0कमि0 खण्ड 1 लखनऊ	1	2011–12 (दिसम्बर 2014)	मॉडेम (V)	85.85	13.5 / 5	7.30
15	डि0कमि0 खण्ड 5 लखनऊ	1	2010–11 (दिसम्बर 2013)	सेफ्टी गुड्स (V)	27.48	13.5 / 5	2.34

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय /आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
			2011–12 (सितम्बर 2014)	सेफ्टी गुड्स (V)	35.03	13.5 / 5	2.98
16	डि0कमि0 खण्ड 11 लखनऊ	1	2011–12 (मई 2014)	रबर मोल्डेड गुड्स (V)	165.84	13.5 / 5	14.10
17	डि0कमि0 खण्ड 2 मेरठ	1	2011–12 (फरवरी 2014)	पेन्ट्स (V)	13.61	13.5 / 5	1.16
18	वा0क0अ0 खण्ड 8 मेरठ	1	2011–12 (मार्च 2014)	आटो पार्ट्स (V)	13.42	13.5 / 5	1.16
19	डि0कमि0 खण्ड सरधना मेरठ	1	2011–12 (फरवरी 2015)	मोबाइल चार्जर (V)	18.90	13.5 / 5	1.61
		1	2011–12 (मार्च 2015)	प्रेस मड (V)	20.46	13.5 / 0	2.76
20	वा0क0अ0 खण्ड 1 नोएडा	1	2009–10 (मार्च 2013)	सॉफ्टवेयर (II)	17.89	5 / 0	0.89
21	वा0क0अ0 खण्ड 2 नोएडा	1	2009–10 (मई 2013)	जेनरेटर स्पेयर्स (V)	1.81	12.5 / 4	0.15
					11.42	13.5 / 4.5	1.03
					0.83	13.5 / 5	0.07
22	डि0कमि0 खण्ड 4 नोएडा	1	2011–12 (जुलाई 2014)	मोबाइल चार्जर (V)	172.01	13.5 / 5	14.62
23	ज्वा0कमि0 (का0स0) नोएडा	1	2007–08 (वैट) (मई 2014)	करेन्ट ट्रांसफर पैनेल पार्ट्स (V)	228.31	12.5 / 4	19.41
24	डि0कमि0 खण्ड 12 नोएडा	1	2010–11 (नवम्बर 2013)	प्लास्टिक एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनेल शीट (V)	323.89	13.5 / 5	27.53
			2011–12 (जुलाई 2014)	प्लास्टिक एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनेल शीट (V)	309.59	13.5 / 5	26.31
25	डि0कमि0 खण्ड 1 रायबरेली	1	2011–12 (जनवरी 2015)	टाफी (V)	20.28	13.5 / 5	1.72
26	डि0कमि0 खण्ड 1 रामपुर	1	2010–11 (दिसम्बर 2013)	तम्बाकू (V)	39.72	13.5 / 5	3.38
27	डि0कमि0 खण्ड 2 सहारनपुर	1	2011–12 (जनवरी 2015)	इमल्सन (V)	266.24	13.5 / 5	22.63
28	डि0कमि0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर	1	2011–12 (अप्रैल 2014)	सेट टाप बाक्स (V)	12.41	13.5 / 5	1.05
29	डि0कमि0 खण्ड 1 चन्दौली, वाराणसी	1	2012–13 (मार्च 2015)	सेट टाप बाक्स (V)	22.71	13.5 / 5	1.93
					11.64	14 / 5	1.05
30	ज्वा0कमि0 (का0स0) जोन– II वाराणसी, स्थित राबर्टसगंज, सोनभद्र	1	2011–12 (जनवरी 2015)	मोटर साइकिल (V)	1,113.85	14.5 / 13.5	11.14
	योग	**35**			**4,432.92**		**271.64**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXVI
माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.1.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय /आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	न/कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड 10 गाजियाबाद	1	2011–12 (मार्च 2014)	डेकोरेटिव रूफ टाइल्स को मिट्टी की खपरैली माना गया	14.09	13.5/0	1.90
		1	2011–12 (मार्च 2015)	वेल्डिंग एसेसरीज को वेल्डिंग इक्विपमेंट माना गया	34.43	13.5/5	2.93
2	डि0कमि0 खण्ड 5 कानपुर	1	2011–12 (दिसम्बर 2014)	पैराफिन पाउडर को मिनरल माना गया	80.58	13.5/5	6.85
3	डि0कमि0 खण्ड 8 कानपुर	1	2011–12 (जनवरी 2015)	मार्कोनी को सिवईं माना गया	20.42	13.5/0	2.76
4	असि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर	1	2008–09 (मई 2012)	कटिंग टूल को बढ़ई के द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण माना गया	15.92	12.5/4	1.35
		1	2010–11 (मार्च 2014)	ग्रीस एवं लुब्रिकेण्ट को पी0वी0सी0 पाइप माना गया (प्रा0)	22.90	13.5/5	1.95
				ग्रीस एवं लुब्रिकेण्ट को पी0वी0सी0 पाइप माना गया (के0)	27.22	13.5/5	2.31
		1	2011–12 (जनवरी 2015)	रबर व्हील, पी0वी0सी0 हेल्मेट को प्लाईवुड माना गया	13.66	13.5/5	1.16
5	डि0कमि0 खण्ड 14 कानपुर	1	2010–11 (फरवरी 2015)	थर्मोप्लास्टिक शीट को प्लास्टिक शीट माना गया	125.79	13.5/5	10.69
		1	2011–12 (दिसम्बर 2014)	बैगास बोर्ड पार्टिकिल को प्लाईवुड माना गया	13.91	13.5/5	1.18
6	डि0कमि0 खण्ड 20 लखनऊ	1	2011–12 (दिसम्बर 2014)	बैटरी को रिन्यूएल इनर्जी डिवाइस और स्पेयर पार्ट्स माना गया	117.89	13.5/5	10.02
		1	2011–12 (दिसम्बर 2014)	बैटरी को रिन्यूएल इनर्जी डिवाइस और स्पेयर पार्ट्स माना गया	50.67	13.5/5	4.31
7	डि0कमि0 खण्ड 10 मेरठ	1	2011–12 (फरवरी 2015)	सॉस को मिल्क पाउडर माना गया	6.06	13.5/5	0.51
8	डि0कमि0 खण्ड 1 नोएडा	1	2011–12 (फरवरी 2015)	टेलीफोन केबिल को ट्रांसमिशन वायर माना गया	16.39 (प्रा0)	13.5/5	1.39
				टेलीफोन केबिल को ट्रांसमिशन वायर माना गया	164.08 (के0)	13.5/5	13.95
	योग	**13**			**543.54**		**63.26**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXVII
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.6.1.3)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छूटा हुआ टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित कर
1.	डि0कमि0 खण्ड 13 आगरा	1	2011–12 (मार्च 2015)	मोल्ड्स एवं डाइस	33.81	5	1.69
				ओल्ड प्लांट एवं मशीनरी	2.54	5	0.13
2.	ज्वा0कमि0 (का0स0) इलाहाबाद	1	2012–13 (जुलाई 2014)	वेहिकिल स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेण्ट्स, पेन्ट्स एवं एसेसरीज	44.80	13.5	6.05
3.	डि0कमि0 खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2012–13 (जून 2014)	राइट टू यूज	201.64	5	10.08
4.	असि0कमि0 खण्ड 5 इलाहाबाद	1	2011–12 (जनवरी 2015)	पेन्ट्स	10.60	13.5	1.43
5.	डि0कमि0 खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2012–13 (मार्च 2015)	स्थायी सम्पत्ति	3.40	5	0.17
6.	ज्वा0कमि0 (का0स0) बरेली	1	2011–12 (मार्च 2015)	उपयोग किया हुआ प्लांट एवं मशीनरी	482.00	5	24.10
				प्रयोगशुदा मोटर कार	23.28	5	1.16
				प्रयोगशुदा फर्नीचर	3.55	5	0.18
		1	2011–12 (जनवरी 2015)	उपयोग किया हुआ प्लांट एवं मशीनरी	4.85	5	0.24
				प्रयोगशुदा वाहन	18.30	5	0.91
		1	2011–12 (अक्टूबर 2014)	उपयोग किया हुआ प्लांट एवं मशीनरी	22.24	5	1.11
7.	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II गाजियाबाद	1	2011–12 (मार्च 2015)	उपयोग किया हुआ प्लांट एवं मशीनरी	444.85	5	22.24
8.	डि0कमि0 खण्ड 2 गोरखपुर	1	2011–12 (मार्च 2015)	प्रयोगशुदा हाइड्रा मशीन	10.21	5	0.51
9.	डि0कमि0 खण्ड 8 कानपुर	1	2011–12 (मार्च 2015)	उपयोग किया हुआ प्लांट एवं मशीनरी	46.31	5	2.32
10.	डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ	1	2010–11 (मार्च 2015)	उपयोग किया हुआ प्लांट एवं मशीनरी	85.08	5	4.25
				प्रयोगशुदा कार्यालय उपकरण	1.36	5	0.07
				प्रयोगशुदा वाहन	27.96	5	1.40
11.	डि0कमि0 खण्ड 10 लखनऊ	1	2010–11 (जनवरी 2015)	वारण्टी क्लेम	1.79	13.5	0.24
				टेफ्लान	5.59	13.5	0.76
12.	डि0कमि0 खण्ड 2 मेरठ	1	2011–12 (फरवरी 2015)	प्रयोगशुदा कार, प्रयोगशुदा मोटरसाइकिल	21.24	5	1.06
13.	वा0क0अ0 खण्ड 1 नोएडा	1	2009–10 (मई 2013)	प्रयोगशुदा आफिस एप्लाएंसेज, फर्नीचर, वेहिकिल्स	32.77	4.5	1.47
	योग	**15**			**1,528.17**		**81.57**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXVIII
कर का विलम्ब से जमा होना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.7.2.1)

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड
1	असि0कमि0 खण्ड 15 आगरा	1	2010–11 (जनवरी 2014)	5.74	28 से 60	1.15	0
2	ज्वा0कमि0 (का0स0) इलाहाबाद	1	2011–12 (सितम्बर 2014)	125.32	05 से 27	25.06	0
		1	2011–12 (फरवरी 2015)	58.75	30	11.75	0
		1	2011–12 (मार्च 2015)	5.52	10	1.10	0
3	डि0कमि0 खण्ड भरथना	1	2008–09 (मार्च 2012)	2.43	39	0.49	0.49
		1	2008–09 (जनवरी 2012)	1.53	43 से 74	0.31	0.31
4	डि0कमि0 खण्ड 1 गाजीपुर	1	2011–12 (जून 2014)	6.35	29	1.27	0
5	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II गाजियाबाद	1	2012–13 (जनवरी 2015)	38.00	791	7.60	0
6	डि0कमि0 खण्ड 3 गाजियाबाद	1	2011–12 (जनवरी 2015)	15.74	07 से 11	3.15	3.15
7	डि0कमि0 खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2010–11 (जनवरी 2014)	5.92	05 से 11	1.18	1.18
		1	2010–11 (मार्च 2014)	3.92	1,104 से 1,388	0.78	0.78
8	डि0कमि0 खण्ड 13 गाजियाबाद	1	2010–11 (दिसम्बर 2014)	4.42	8 से 9	0.88	0.88
9	डि0कमि0 खण्ड 4 हरदोई	1	2011–12 (मार्च 2015)	8.77	12 से 19	1.75	1.75
10	डि0कमि0 खण्ड 5 जौनपुर	1	2011–12 (जुलाई 2014)	21.88	11	4.38	0
		1	2011–12 (जून 2014)	20.47	10	4.09	0
11	ज्वा0कमि0 (का0स0) झाँसी	1	2011–12 (मार्च 2015)	78.21	90 से 153	15.64	0
		1	2007–08 (वैट) (नवम्बर 2014)	5.65	569	1.13	0
12	ज्वा0कमि0 (का0स0)-I कानपुर	1	2011–12 (जनवरी 2015)	31.53	05 से 07	6.31	0
13	डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ	1	2012–13 (जनवरी 2015)	14.19	05 से 23	2.84	2.84
		1	2012–13 (फरवरी 2015)	5.89	8	1.18	1.18
14	डि0कमि0 खण्ड कोसीकलां मथुरा	1	2011–12 (मार्च 2015)	72.85	10	14.57	0

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड
15	डि0कमि0 खण्ड 2 मथुरा	1	2010–11 (मार्च 2014)	5.42	07 से 09	1.08	1.08
16	ज्वा0कमि0 (का0स0) मुरादाबाद	1	2011–12 (मई 2014)	5.78	221	1.16	0
		1	2011–12 (मार्च 2015)	79.43	06 से 38	15.89	0
17	डि0कमि0 खण्ड 1 नोएडा	1	2011–12 (मार्च 2015)	6.20	10	1.24	0
18	डि0कमि0 खण्ड 5 नोएडा	1	2011–12 (जुलाई 2014)	12.94	06 से 09	2.59	0
19	डि0कमि0 खण्ड 6 नोएडा	1	2011–12 (मार्च 2015)	9.87	05 से 08	1.97	0
20	डि0कमि0 खण्ड 5 सहारनपुर	1	2010–11 (अक्टूबर 2013)	6.03	45 से 58	1.21	1.21
21	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II वाराणसी (स्थित सोनभद्र)	1	2009–10 (अप्रैल 2013)	55.70	05 से 07	11.14	11.14
		1	2010–11 (मार्च 2014)	10.00	05	2.00	2.00
	योग	**30**		**724.45**		**144.89**	**27.99**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXIX
प्रवेश कर का कम/न आरोपण
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.8.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	करयोग्य टर्नओवर	आरोपणीय /आरोपित प्रवेश कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय प्रवेश कर	आरोपित प्रवेश कर	कम/ अनारोपित प्रवेश कर की धनराशि
1	डि0कमि0 खण्ड 1 गाजीपुर	1	2011–12 (जुलाई 2014)	आयरन एण्ड स्टील	194.02	1/0	1.94	0	1.94
2	डि0कमि0 खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	1	2011–12 (जून 2014)	आयरन एण्ड स्टील	334.86	5/1	16.74	3.35	13.39
		1	2011–12 (जून 2014)	आयरन एण्ड स्टील	54.72	5/1	2.74	0.55	2.19
					69.39	5/0	3.47	0	3.47
		1	2010–11 (जुलाई 2014)	सी आर क्वायल	85.00	5/0	4.25	0	4.25
3	डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1	2010–11 (अगस्त 2014)	स्टील ट्यूब	568.81	1/0	5.69	0	5.69
4	डि0कमि0 खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2010–11 (नवम्बर 2014)	बेस पेपर, क्राफ्ट पेपर	51.22	2/0	1.02	0	1.02
5	डि0कमि0 खण्ड 2 कानपुर	1	2010–11 (जुलाई 2014)	रिम	43.03	1/0	0.43	0	0.43
			2011–12 (मार्च 2015)	रिम	26.55	5/0	1.33	0	1.33
6	डि0कमि0 खण्ड 8 कानपुर	1	2011–12 (जुलाई 2014)	गुटखा	30.91	5/0	1.55	0	1.55
		1	2011–12 (जुलाई 2014)	आयरन एण्ड स्टील	27.51	5/1	1.38	0.28	1.10
				प्री फैब्रिकेटेड स्टील	59.36	5/0	2.97	0	2.97
				पेपर कोर	21.60	2/0	0.43	0	0.43
7	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II लखनऊ	1	2011–12 (मार्च 2015)	व्हील एण्ड रिम	847.85	5/0	42.39	0	42.39
		1	2011–12 (मार्च 2015)	एम एस बार, राड, प्लेट	141.20	5/0	7.06	0	7.06
		1	2012–13 (जुलाई 2014)	आयरन शीट	30.26	5/0	1.51	0	1.51
8	डि0कमि0 खण्ड 11 लखनऊ	1	2009–10 (नवम्बर 2011)	स्टील फोर्जिंग	115.02	5/0	5.75	0	5.75
9	ज्वा0कमि0 (का0स0) मेरठ	1	2011–12 (जुलाई 2014)	आयरन एण्ड स्टील	110.68	5/1	5.53	1.10	4.43
		1	2011–12 (जुलाई 2014)	जी आई पाइप, चैनेल	17.32	5/0	0.87	0	0.87
10	ज्वा0कमि0 (का0स0) नोएडा	1	2011–12 (फरवरी 2014)	आयरन एण्ड स्टील	54.11	5/1	2.71	0.54	2.16
11	डि0कमि0 खण्ड 10 नोएडा	1	2011–12 (मार्च 2015)	आयरन एण्ड स्टील	79.19	5/0	3.96	0	3.96
12	डि0कमि0 खण्ड 14 नोएडा	1	2011–12 (दिसम्बर 2014)	आयरन एण्ड स्टील	225.80	5/0	11.29	0	11.29
		1	2011–12 (फरवरी 2015)	आयरन एण्ड स्टील	79.99	5/0	4.00	0	4.00
		1	2011–12 (मार्च 2015)	आयरन एण्ड स्टील	65.55	5/0	3.28	0	3.28
		1	2011–12 (मार्च 2015)	सी आर स्ट्रिप	31.04	5/0	1.55	0	1.55
13	डि0कमि0 खण्ड 2 सहारनपुर	1	2011–12 (मार्च 2015)	स्टील शटरिंग, प्लेट	25.37	5/0	0.51	0	0.51
	योग	**22**			**3,390.36**		**134.35**	**5.82**	**128.52**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXX
ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.10)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	जमा धनराशि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत)	विलम्ब की अवधि दिनों में	कुल आरोपणीय ब्याज	व्यापारी द्वारा जमा किया गया ब्याज	न/कम प्रभारित किया गया ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड 14 इलाहाबाद	1	2007–08 (दिसम्बर 2014)	116.11	14	920	42.44	0	42.44
				176.96	14	953	62.44	0	62.44
2	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II गाजियाबाद	1	2012–13 (जनवरी 2015)	38.00	15	792	12.37	0	12.37
3	डि0कमि0 खण्ड 15 गाजियाबाद	1	2006–07 (अगस्त 2014)	2.91	14	3,080	3.44	0	3.44
4	डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1	2010–11 (अगस्त 2014)	25.22	15	1,505	15.60	0	15.60
5	ज्वा0कमि0 (का0स0) झाँसी	1	2011–12 (मार्च 2015)	78.21	15	90 से 153	4.70	0	4.70
6	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II कानपुर	1	2011–12 (मार्च 2015)	17.00	15	1,282	8.96	0	8.96
7	डि0कमि0 खण्ड 12 लखनऊ	1	2011–12 (मार्च 2015)	60.20	15	1,364	33.74	0	33.74
8	डि0कमि0 खण्ड सिकन्दराबाद	1	2010–11 (दिसम्बर 2013)	176.75	15	460	33.41	0	33.41
		8		**691.36**			**217.10**	**0**	**217.10**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXXI
मिथ्या/कपटपूर्ण आई0टी0सी0 का दावा
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.11.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उत्क्रमित की गयी मिथ्या आई0टी0सी दावे की धनराशि	दावा की गयी आई0टी0सी का संक्षिप्त विवरण	आरोपणीय अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2010–11 (जून 2014)	0.56	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	2.80	0
2	डि0कमि0 खण्ड 8 इलाहाबाद	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.93	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	4.65	0
3	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II गाजियाबाद	1	2010–11 (मार्च 2014)	17.34	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	86.70	0
4	डि0कमि0 खण्ड 10 गाजियाबाद	1	2011–12 (जून 2014)	2.49	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	12.45	0
5	डि0कमि0 खण्ड 2 गोण्डा	1	2011–12 (जून 2014)	0.86	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	4.30	0
6	असि0कमि0 खण्ड 1 हापुड़	1	2009–10 (मार्च 2013)	1.15	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	5.75	0
		1	2011–12 (फरवरी 2015)	0.33	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	1.65	0
7	डि0कमि0 खण्ड 3 कानपुर	1	2011–12 (जुलाई 2014)	1.48	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	7.40	7.40
8	असि0कमि0 खण्ड 4 कानपुर	1	2011–12 (जुलाई 2014)	1.17	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	5.85	0
9	डि0कमि0 खण्ड कोसीकला मथुरा	1	2011–12 (फरवरी 2015)	1.44	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	7.20	0
		1	2011–12 (मार्च 2015)	0.90	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	4.50	0
10	डि0कमि0 खण्ड 5 मथुरा	1	2010–11 (फरवरी 2014)	0.51	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	2.55	2.55
11	डि0कमि0 खण्ड 6 मेरठ	1	2010–11 (मार्च 2014)	1.73	अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद	8.65	8.63
	योग	**13**		**30.89**		**154.45**	**18.58**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXXII
अननुमन्य आई0टी0सी0
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.11.4)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उत्क्रमित न की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि	गलत ढ़ंग से दावा की गयी आई0टी0सी0 का कारण	ब्याज की अवधि	आरोपणीय ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड 8 इलाहाबाद	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.93	असत्यापित खरीद	01.10.11 से 25.03.15	0.48
2	डि0कमि0 खण्ड 2 औरैया	1	2012–13 (मार्च 2015)	4.34	कमीशन पर आई0टी0सी0	01.10.12 से 20.03.15	1.61
3	डि0कमि0 खण्ड भरथना	1	2009–10 (जनवरी 2013)	5.93	गलत आगे ले जायी गयी	01.10.09 से 11.01.13	2.92
4	डि0कमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	8.98	अननुमन्य दावा	01.10.11 से 12.02.15	4.54
5	डि0कमि0 खण्ड 1 हापुड़	1	2011–12 (फरवरी 2015)	2.70	अधिक दावा	01.10.11 से 21.02.15	1.38
6	डि0कमि0 खण्ड 2 हरदोई	1	2011–12 (अक्टूबर 2014)	2.21	अधिक दावा	01.10.11 से 07.10.14	1.00
7	ज्वा0कमि0 (का0स0)-I कानपुर	1	2011–12 (जून 2014)	1.59	अधिक दावा	01.10.11 से 28.06.14	0.65
8	ज्वा0कमि0 (का0स0)-II कानपुर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	0.67	अधिक दावा	01.10.11 से 18.02.15	0.34
9	डि0कमि0 खण्ड 10 कानपुर	1	2011–12 (मार्च 2015)	1.39	अधिक दावा	01.10.11 से 12.03.15	0.72
		1	2011–12 (दिसम्बर 2012)	8.39	गलत आगे ले जायी गयी	01.10.11 से 28.12.12	1.57
10	डि0कमि0 खण्ड 16 कानपुर	1	2012–13 (जुलाई 2014)	6.26	अधिक दावा	01.10.12 से 14.07.14	1.68
		1	2012–13 (जुलाई 2014)	11.73	अधिक दावा	01.10.12 से 25.06.14	3.05
11	डि0कमि0 खण्ड 28 कानपुर	1	2011–12 (जनवरी 2015)	0.92	अधिक दावा	01.10.11 से 19.01.15	0.45
12	डि0कमि0 खण्ड 2 मेरठ	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.20	अधिक दावा	01.10.11 से 20.03.15	0.11
13	डि0कमि0 खण्ड 5 नोएडा	1	2011–12 (मार्च 2015)	0.27	अधिक दावा	01.10.11 से 16.03.15	0.14
	योग	**15**		**56.51**			**20.64**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXXIII

व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 4.11.6)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय / गलत लगायी गयी कर की दर *(प्रतिशत)*	क0नि0प्रा0 द्वारा न की गयी आर0आई0 टी0सी0 की धनराशि	ब्याज के लिये अवधि	आरोपणीय ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड 2 अम्बेडकरनगर	1	2011–12 (फरवरी 2015)	साइकिलों, साइकिल रिक्शों के टायर एवं ट्यूब्स (II)	63.32	5 / 15.5	6.09	01.10.11 से 28.02.15	3.12
2	डि0कमि0 खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	1	2011–12 (मार्च 2015)	एल्यूमिनियम कन्डक्टर, एल्यूमिनियम वायर (II)	13.01	5 / 13.5	1.11	01.10.11 से 24.03.15	0.58
3	डि0कमि0 खण्ड 12 कानपुर	1	2011–12 (जुलाई 2014)	अलौह धातुयें जैसे एल्यूमिनियम, ताँबा, जिंक एवं एक्सट्रूजन्स (II)	12.53	5 / 13.5	1.07	01.10.11 से 26.07.14	0.45
4	डि0कमि0 खण्ड 14 कानपुर	1	2012–13 (मार्च 2015)	काटन कैपाक (के0बि0क0 की धारा–14)	106.08	4 / 5	1.81	01.10.12 से 31.03.15	0.68
5	डि0कमि0 खण्ड 29 कानपुर	1	2010–11 (जनवरी 2014)	डुप्लेक्स बोर्ड (II)	9.41	5 / 13.5	0.80	01.10.10 से 06.01.14	0.39
			2011–12 (फरवरी 2015)	डुप्लेक्स बोर्ड (II)	7.78	5 / 13.5	0.66	01.10.11 से 28.02.15	0.34
		1	2011–12 (मार्च 2015)	डुप्लेक्स बोर्ड (II)	50.62	5 / 13.5	4.30	01.10.11 से 04.03.15	2.21
6	डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ	1	2011–12 (मार्च 2015)	डुप्लेक्स बोर्ड (II)	8.59	5 / 13.5	0.73	01.10.11 से 17.03.15	0.38
	योग	**7**			**271.34**		**16.57**		**8.15**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXXIV

आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 5.4.8.1)

धनराशि ₹ में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	2200/14.07.15	1299/22.05.15	702/2	2,280.00	4,70,000	4,500	1,02,60,000	1,02,60,000	4 व 5	5,03,000	10,000	5,13,000	19,010	9,400	28,410	4,84,590
2	बाराबंकी	उ0नि0 सदर	4291/04.03.15	11489/21.1.15	363 मि	1,500.00	13,00,000	2,200	33,00,000	33,00,000	5	1,65,000	10,000	1,75,000	65,000	10,000	75,000	1,00,000
3	बाराबंकी	उ0नि0 सदर	12023/2.07.14	3021/18.02.14	746	2,103.00	8,42,000	3,500	73,60,500	73,61,000	7	5,15,270	10,000	5,25,270	59,000	10,000	69,000	4,56,270
4	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	5459/30.03.16	3577/01.03.16	764	1,687.00	27,00,000	4,500	75,91,500	75,92,000	5	3,79,600	20,000	3,99,600	1,35,000	20,000	1,55,000	2,44,600
5	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	4306/11.03.16	3603/01.03.16	55	2,726.00	54,53,000	7,000	1,90,82,000	1,90,82,000	5	9,54,100	20,000	9,74,100	2,72,700	20,000	2,92,700	6,81,400
6	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	4565/17.03.16	4113/10.03.16	645/942	811.00	16,25,000	7,000	56,77,000	56,77,000	5	2,83,850	20,000	3,03,850	81,500	20,000	1,01,500	2,02,350
7	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	2827/17.02.16	2457/11.02.16	435	1,513.00	30,26,000	8,500	1,28,60,500	1,28,61,000	5	6,43,050	20,000	6,63,050	1,51,700	20,000	1,71,700	4,91,350
8	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	7877/15.04.15	19809/4.10.14	350	843.00	15,18,000	7,200	60,69,600	60,70,000	4 व 5	2,93,480	10,000	3,03,480	66,000	10,000	76,000	2,27,480
9	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	10237/18.5.15	8012/18.04.15	609	1,562.00	28,12,000	6,500	1,01,53,000	1,01,53,000	5	5,07,650	10,000	5,17,650	1,40,600	10,000	1,50,600	3,67,050
10	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8011/18.04.15	19809/4.10.14	350	1,265.00	24,04,000	7,200	91,08,000	91,08,000	5	4,55,400	10,000	4,65,400	1,20,500	10,000	1,30,500	3,34,900
11	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	16769/18.8.15	15844/31.7.15	30	753.00	6,78,000	4,500	33,88,500	33,89,000	5	1,69,450	10,000	1,79,450	34,000	10,000	44,000	1,35,450
12	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	11275/25.5.15	15355/17.5.14	36	8,314.50	73,63,000	4,200	3,49,20,900	3,49,21,000	5	17,46,050	10,000	17,56,050	3,68,200	10,000	3,78,200	13,77,850
13	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	11274/25.5.15	33713/10.11.14	36	8,314.50	73,63,000	4,200	3,49,20,900	3,49,21,000	5	17,46,050	10,000	17,56,050	3,68,200	10,000	3,78,200	13,77,850
14	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	13130/17.6.15	1295/17.01.15	65, 66	7,660.00	89,86,000	5,000	3,83,00,000	3,83,00,000	5	19,15,000	10,000	19,25,000	4,50,000	10,000	4,60,000	14,65,000
15	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	20311/4.09.15	2262/30.01.15	8म,9,10, 11, 12	2,024.00	26,15,000	5,500	1,11,32,000	1,11,32,000	5	5,56,600	10,000	5,66,600	1,31,000	10,000	1,41,000	4,25,600
16	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	250/05.01.16	32334/18.10.14	781	2,047.00	25,27,000	5,500	1,12,58,500	1,12,59,000	5	5,62,950	10,000	5,72,950	1,26,500	10,000	1,36,500	4,36,450
17	जी बी नगर	उ0नि0 I नोयडा	5664/20.10.15	6089/05.12.14	51मि, 65	1,659.00	43,79,760	13,000	2,15,67,000	2,15,67,000	5	10,78,350	10,000	10,88,350	2,19,000	10,000	2,29,000	8,59,350
18	जी बी नगर	उ0नि0 I नोयडा	5662/20.10.15	6089/05.12.14	51मि, 65	1,658.00	43,77,120	13,000	2,15,54,000	2,15,54,000	5	10,77,700	10,000	10,87,700	2,18,900	10,000	2,28,900	8,58,800
19	गाजियाबाद	उ0नि0 II	6426/20.05.15	12266/9.10.14	139	997.00	11,97,000	5,000	49,85,000	49,85,000	7	3,48,950	10,000	3,58,950	84,000	10,000	94,000	2,64,950
20	गाजियाबाद	उ0नि0 II	14707/15.12.15	11836/23.9.15	422	418.00	15,50,000	8,500	35,53,000	35,53,000	7	2,48,710	20,000	2,68,710	1,08,500	20,000	1,28,500	1,40,210
21	गाजियाबाद	उ0नि0 II	10525/20.8.15	9020/15.07.15	16	556.00	6,23,000	5,000	27,80,000	27,80,000	7	1,94,600	10,000	2,04,600	43,610	10,000	53,610	1,50,990
22	गाजियाबाद	उ0नि0 III	9258/08.12.15	7128/16.09.15	881	920.66	7,60,000	4,000	36,82,640	36,83,000	6 व 7	2,47,810	20,000	2,67,810	45,600	15,200	60,800	2,07,010

धनराशि ₹ में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
23	गाजियाबाद	उ0नि0 III	3448/11.05.15	1284/18.02.15	1166 कां मि	2,910.00	49,48,000	4,000	1,16,40,000	1,16,40,000	7	8,14,800	10,000	8,24,800	3,46,700	10,000	3,56,700	4,68,100
24	गाजियाबाद	उ0नि0 III	3997/27.05.15	3297/06.05.15	154 का	716.60	12,20,000	4,000	28,66,400	28,67,000	7	2,00,690	10,000	2,10,690	85,400	10,000	95,400	1,15,290
25	गाजियाबाद	उ0नि0 III	8283/30.10.15	5329/15.07.15	967	834.00	11,93,000	5,000	41,70,000	41,70,000	7	2,91,900	10,000	3,01,900	83,700	10,000	93,700	2,08,200
26	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	19516/26.10.15	9584/18.05.15	1227	843.00	31,09,000	9,000	75,87,000	75,87,000	7	5,31,090	10,000	5,41,090	2,17,700	10,000	2,27,700	3,13,390
27	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	19717/28.10.15	20912/17.7.14	1579/1	1,605.00	59,20,000	9,000	1,44,45,000	1,44,45,000	7	10,15,150	10,000	10,25,150	4,15,000	10,000	4,25,000	6,00,150
28	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	18965/15.10.15	17184/25.4.13	1321	705.00	20,50,000	9,000	63,45,000	63,45,000	7	4,44,150	10,000	4,54,150	1,82,100	10,000	1,92,100	2,62,050
29	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	11394/18.09.15	2285/20.02.15	1253 मि	1,256.00	30,34,000	3,500	43,96,000	43,96,000	7	3,07,720	10,000	3,17,720	2,12,500	10,000	2,22,500	95,220
30	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	0723/21.01.16	6034/20.05.15	553	918.00	26,17,000	9,000	82,62,000	82,62,000	7	5,78,340	20,000	5,98,340	1,83,200	20,000	2,03,200	3,95,140
31	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	11393/18.09.15	2285/20.02.15	1253 मि	2,513.00	60,69,000	3,500	87,96,000	87,96,000	7	6,15,720	10,000	6,25,720	4,25,000	10,000	4,35,000	1,90,720
32	गाजियाबाद	उ0नि0 V	1085/23.02.15	5658/26.08.14	872	1,686.00	15,85,000	7,500	1,26,45,000	1,26,45,000	7	8,85,150	10,000	8,95,150	1,11,000	10,000	1,21,000	7,74,150
33	गाजियाबाद	उ0नि0 V	1082/23.02.15	5658/26.08.14	872	843.00	7,93,000	7,500	63,22,000	63,22,000	7	4,42,610	10,000	4,52,610	55,600	10,000	65,600	3,87,010
34	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5063/15.09.15	4980/10.09.15	447	3,359.00	12,99,000	4,600	1,54,51,400	1,51,52,000	7	10,81,640	10,000	10,91,640	91,000	10,000	1,01,000	9,90,640
35	लखनऊ	उ0नि0 बक्शी का तालाब	5401/22.04.15	567/15.01.15	119	2,490.00	21,42,000	4,000	81,72,000	81,72,000	7	5,72,400	10,000	5,82,400	1,50,000	10,000	1,60,000	4,22,400
36	लखनऊ	उ0नि0 बक्शी का तालाब	7939/09.06.15	5625/27.04.15	360	820.00	5,90,400	3,500	28,70,000	28,70,000	5	1,43,500	10,000	1,53,500	30,000	10,000	40,000	1,13,500
37	लखनऊ	उ0नि0 बक्शी का तालाब	5351/22.04.15	5364/22.04.15	1178	850.00	2,00,000	1,400	11,90,000	11,90,000	5	59,500	10,000	69,500	10,000	2,000	12,000	57,500
38	लखनऊ	उ0नि0 II	942/21.01.15	839/05.12.14	1530 मि	1,840.00	16,92,800	4,000	63,52,000	63,52,000	7	4,44,640	10,000	4,54,640	1,18,510	10,000	1,28,510	3,26,130
39	लखनऊ	उ0नि0 II	10247/3.07.15	11534/14.7.14	1102	2,255.00	13,07,900	3,000	56,35,500	56,36,000	6 व 7	3,84,520	10,000	3,94,520	81,100	10,000	91,100	3,03,420
40	लखनऊ	उ0नि0 II	7694/25.05.15	2328/23.02.15	475/2252	5,060.00	60,52,000	4,000	1,53,68,000	1,53,68,000	6 व 7	10,65,760	10,000	10,75,760	4,14,000	10,000	4,24,000	6,51,760
41	लखनऊ	उ0नि0 II	1167/28.01.15	474/14.12.14	537 स	5,060.00	32,38,400	1,500	57,63,000	57,63,000	7	4,03,410	10,000	4,13,410	2,27,000	10,000	2,37,000	1,76,410
42	लखनऊ	उ0नि0 IV	3122/29.02.16	2871/25.02.16	739	3,392.50	37,58,750	5,200	1,39,08,700	1,39,09,000	7	9,73,630	20,000	9,93,630	2,63,200	20,000	2,83,200	7,10,430
43	लखनऊ	उ0नि0 IV	11422/5.08.15	8039/04.06.15	13	2,365.00	33,23,410	3,600	70,39,800	70,40,000	7	4,92,800	10,000	5,02,800	2,32,700	10,000	2,42,700	2,60,100
44	लखनऊ	उ0नि0 IV	9579/30.06.15	8313/09.06.15	232 स	2,277.00	24,59,160	6,200	1,17,42,180	1,17,43,000	7	8,22,010	10,000	8,32,010	1,72,200	10,000	1,82,200	6,49,810
45	लखनऊ	उ0नि0 IV	12094/17.8.15	7861/01.06.15	13 मि	2,365.00	30,00,000	3,600	70,39,800	70,40,000	7	4,92,800	10,000	5,02,800	2,32,700	10,000	2,42,700	2,60,100

धनराशि ₹ में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
46	लखनऊ	उ0नि0 IV	6007/29.04.15	5778/27.04.15	721 स	1,468.00	12,62,480	4,700	62,30,360	62,31,000	7	4,36,170	10,000	4,46,170	88,500	10,000	98,500	3,47,670
47	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	4364/15.03.16	3925/08.03.16	242 ना	5,060.00	31,88,000	7,700	2,95,83,400	2,95,84,000	5	14,79,200	20,000	14,99,200	1,59,500	20,000	1,79,500	13,19,700
48	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	3160/23.02.16	2271/09.02.16 2272/09.02.16	974, 978	2,530.00	11,15,000	5,000	1,03,55,000	1,03,55,000	5	5,17,750	20,000	5,37,750	56,000	20,000	76,000	4,61,750
49	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	0985/19.01.16	1051/09.01.16	1408	4,938.00	15,81,000	5,000	1,87,83,000	1,87,83,000	5	9,39,150	20,000	9,59,150	79,500	20,000	99,500	8,59,650
50	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	4841/21.03.16	4462/16.03.16	235	760.00	6,69,000	7,700	58,52,000	58,52,000	5	2,92,600	20,000	3,12,600	33,500	13,380	46,880	2,65,720
51	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	1855/01.02.16	1324/23.01.16	304 मि	700.00	3,08,000	5,000	35,00,000	35,00,000	5	1,75,000	20,000	1,95,000	15,500	6,160	21,660	1,73,340
52	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	4828/18.03.15	4384/11.03.15	145 मि	890.00	2,73,000	4,500	40,05,000	40,05,000	5	2,00,250	10,000	2,10,250	13,700	5,460	19,160	1,91,090
53	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	11509/22.6.15	10217/4.06.15	120 मि	2,500.00	22,71,500	4,500	92,25,000	92,25,000	5	4,61,250	10,000	4,71,250	1,13,600	10,000	1,23,600	3,47,650
54	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	3359/26.02.15	3398/26.02.15	117	1,060.00	10,00,000	2,000	20,84,000	20,84,000	5	1,04,200	10,000	1,14,200	50,000	10,000	60,000	54,200
55	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	11124/16.6.15	10218/4.06.15	120 मि	2,500.00	7,50,000	4,500	92,25,000	92,25,000	5	4,61,250	10,000	4,71,250	37,500	10,000	47,500	4,23,750
56	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	10432/08.6.15	7892/30.04.15	276	700.00	1,25,000	700	14,00,000	14,00,000	5	70,000	10,000	80,000	6,250	1,250	7,500	72,500
57	लखनऊ	उ0नि0 V	14349/12.12.14	13221/2.12.14	47/1	5,820.00	2,31,36,200	7,200	3,14,92,800	3,14,93,000	7	22,04,510	10,000	22,14,510	16,20,000	10,000	16,30,000	5,84,510
58	लखनऊ	उ0नि0 V	4117/01.05.15	4116/01.05.15	23	3,944.75	1,60,08,910	6,200	1,89,80,400	1,89,81,000	7	13,28,650	10,000	13,38,650	11,21,000	10,000	11,31,000	2,07,650
59	मथुरा	उ0नि0 छाता	17873/7.12.15	1885/04.02.15	84	30,350.00	1,06,23,000	1,600	2,91,36,000	2,91,36,000	7	20,39,520	10,000	20,49,520	7,45,000	10,000	7,55,000	12,94,520
60	मथुरा	उ0नि0 छाता	18024/9.09.15	5647/27.04.15	807	4,050.00	15,00,000	2,200	62,37,000	62,37,000	4 व 5	3,01,850	20,000	3,21,850	65,000	20,000	85,000	2,36,850
61	मथुरा	उ0नि0 I	3814/14.03.16	3557/09.03.16	70	2,670.00	1,00,10,000	7,000	1,86,90,000	1,86,90,000	7	13,08,300	20,000	13,28,300	7,01,000	20,000	7,21,000	6,07,300
62	मथुरा	उ0नि0 I	2910/23.02.16	2441/17.02.16	273 व 278	1,229.00	24,58,000	7,000	86,03,000	86,03,000	7	6,02,210	20,000	6,22,210	1,72,060	20,000	1,92,060	4,30,150
63	मथुरा	उ0नि0 I	16292/14.10.15	14655/8.09.15	7 अ ब	8,190.00	98,28,000	4,500	2,57,98,500	2,57,99,000	7	18,05,900	10,000	18,15,900	6,87,960	10,000	6,97,960	11,17,940
64	मथुरा	उ0नि0 I	14889/14.9.15	6873/06.05.15	465	1,790.00	28,64,000	4,500	80,55,000	80,55,000	7	5,63,850	10,000	5,73,850	2,00,500	10,000	2,10,500	3,63,350

धनराशि ₹ में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
65	मथुरा	उ0नि0 I	8411/28.05.15	5339/08.04.15	136	3,860.00	96,50,000	6,500	1,75,63,000	1,75,63,000	7	12,29,450	10,000	12,39,450	6,75,500	10,000	6,85,500	5,53,950
66	मथुरा	उ0नि0 I	16726/20.10.15	13602/19.8.15	434	3,035.00	30,35,000	4,500	95,60,250	95,61,000	7	6,69,300	10,000	6,79,300	2,12,450	10,000	2,22,450	4,56,850
67	मथुरा	उ0नि0 महावन	4232/30.05.15	3454/08.05.15	681	1,440.00	11,52,000	5,000	72,00,000	72,00,000	7	5,04,000	10,000	5,14,000	81,000	10,000	91,000	4,23,000
68	मथुरा	उ0नि0 महावन	4231/30.05.15	3454/08.05.15	681	3,620.00	28,96,000	5,000	1,26,70,000	1,26,70,000	7	8,86,900	10,000	8,96,900	2,03,000	10,000	2,13,000	6,83,900
69	रायबरेली	उ0नि0 सदर	10872/10.8.15	9636/14.07.15	807	315.00	1,11,000	4,700	14,80,500	14,81,000	5	74,050	10,000	84,050	5,550	2,220	7,770	76,280
योग (₹ लाख में)						**1.92**	**30.87**	**3.68**	**37.24**	**37.35**		**33.13**	**8.50**	**34.62**	**29.93**	**7.95**	**34.88**	**34.75**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट XXXV
भूमि का अवमूल्यांकन
(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.4.8.2)

धनराशि ₹ में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	सम्पत्ति धारा 143 में घोषित या अवमूल्यांकन का प्रकरण	विलेख सं0 व निष्पादन तिथि	गाटा / खसरा सं0	विक्रीत भूमि (वर्गमीटर में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबंधन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	धारा 143 में घोषित	3411 / 3.11.15	2098 मि	20,490.00	36,90,000	4,200	8,60,58,000	8,60,58,000	5	43,02,900	10,000	43,12,900	1,85,010	10,000	1,95,010	41,17,890
2	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	धारा 143 में घोषित	2588 / 9.10.14	2098 मि	12,550.00	20,59,000	3,800	4,76,90,000	4,76,90,000	5	23,84,500	10,000	23,94,500	1,03,000	10,000	1,13,000	22,81,500
3	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	धारा 143 में घोषित	2897 / 11.11.14	2098 मि	12,550.00	20,60,000	3,800	4,76,90,000	4,76,90,000	5	23,84,500	10,000	23,94,500	1,03,000	10,000	1,13,000	22,81,500
4	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	धारा 143 में घोषित	1921,1922,1923,1924 / 28.7.14	2098 मि	50,200.00	71,80,000	3,300	16,56,60,000	16,56,60,000	5	82,83,000	40,000	83,23,000	3,59,040	40,000	3,99,040	79,23,960
5	बुलन्दशहर	उ0नि0 स्याना	धारा 143 में घोषित	10628 / 16.11.15	611 / 2	520.00	2,62,000	2,400	12,48,000	12,48,000	4 व 5	52,400	10,000	62,400	10,510	5,240	15,750	46,650
6	लखनऊ	उ0नि0 V	लिंक रोड पर स्थित	12263 / 11.11.14	2202	4,560.00	2,15,33,300	8,600	2,31,91,000	2,31,91,000	7	16,23,370	10,000	16,33,370	15,07,500	10,000	15,17,500	1,15,870
7	मथुरा	उ0नि0 महावन	धारा 143 में घोषित	9128 / 21.11.15	375	1,820.00	12,29,000	2,400	43,68,000	43,68,000	4 व 5	2,08,400	10,000	2,18,400	51,500	10,000	61,500	1,56,900
8	रायबरेली	उ0नि0 सदर	धारा 143 में घोषित	11223 / 18.11.14	89	1,900.00	9,50,000	2,500	47,50,000	47,50,000	7	3,32,500	10,000	3,42,500	66,500	10,000	76,500	2,66,000
योग						**46,615**	**2,62,74,000**	**36,380**	**12,37,04,800**	**12,37,05,000**		**76,12,050**	**1,10,000**	**77,22,050**	**17,21,770**	**1,07,120**	**18,28,890**	**58,93,160**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XXXVI

विलम्ब से लॉक किए गये ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.4.11.2)

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
1	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	1886	1380	05.06.2014	3,00,000	आई0एन0यू0पी0 00385990983844 एम	27.05.2014	06.06.2014	05.06.2014	1
2	इलाहाबाद	उ0नि0 मेजा	1886	1382	05.06.2014	3,00,000	आई0एन0यू0पी0 00386003262680 एम	27.05.2014	06.06.2014	05.06.2014	1
3	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8841	21135	09.11.2015	1,13,000	आई0एन0यू0पी0 01468879022982 एन	09.11.2015	10.11.2015	09.11.2015	1
4	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8901	22171	01.12.2015	99,000	आई0एन0यू0पी0 01505771440909 एन	30.11.2015	02.12.2015	01.12.2015	1
5	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20190	27.10.2015	2,00,000	आई0एन0यू0पी0 01434478385554 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
6	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20191	27.10.2015	1,00,000	आई0एन0यू0पी0 01434518374922 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
7	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20193	27.10.2015	1,61,500	आई0एन0यू0पी0 01435139849419 एन	27.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
8	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20194	27.10.2015	1,00,500	आई0एन0यू0पी0 01435167721339 एन	27.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
9	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20195	27.10.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01435143879652 एन	27.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
10	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20197	27.10.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01434315145897 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
11	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20198	27.10.2015	1,00,000	आई0एन0यू0पी0 01434565826737 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
12	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8800	20199	27.10.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01434346886813 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
13	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8799	20180	27.10.2015	1,60,000	आई0एन0यू0पी0 01432921823360 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
14	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8799	20181	27.10.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01432918594920 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
15	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8799	20182	27.10.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01434464065303 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
16	जी बी नगर	उ0नि0 दादरी	8799	20183	27.10.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01434290873107 एन	26.10.2015	28.10.2015	27.10.2015	1
17	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18672	18622	19.08.2015	1,43,000	आई0एन0यू0पी0 01281888382023 एन	06.08.2015	20.08.2015	19.08.2015	1
18	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18672	18631	19.08.2015	2,80,700	आई0एन0यू0पी0 01150131516061 एन	15.06.2015	20.08.2015	19.08.2015	1
19	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18491	18.08.2015	52,700	आई0एन0यू0पी0 01302604123656 एन	18.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
20	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18493	18.08.2015	49,200	आई0एन0यू0पी0 01302581645278 एन	18.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
21	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18496	18.08.2015	1,75,000	आई0एन0यू0पी0 01244012976283 एन	27.07.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
22	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18500	18.08.2015	2,95,850	आई0एन0यू0पी0 01302271006452 एन	17.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
23	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18503	18.08.2015	86,900	आई0एन0यू0पी0 01302513676222 एन	17.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
24	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18504	18.08.2015	2,51,450	आई0एन0यू0पी0 01281406005385 एन	05.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
25	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18696	18983	24.08.2015	1,57,000	आई0एन0यू0पी0 00913063508833 एन	24.02.2015	25.08.2015	24.08.2015	1
26	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18666	18540	18.08.2015	4,29,500	आई0एन0यू0पी0 01299726748984 एन	14.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	1
27	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18666	18556	19.08.2015	1,49,000	आई0एन0यू0पी0 00985362914707 एन	30.03.2015	20.08.2015	19.08.2015	1
28	जी बी नगर	उ0नि0 ग्रेटर नोयडा	18663	18494	18.08.2015	1,67,500	आई0एन0यू0पी0 01225205575448 एन	21.07.2015	29.04.2016	18.08.2015	255
29	जी बी नगर	उ0नि0 I नोयडा	4883	5661	20.10.2015	27,000	आई0एन0यू0पी0 01352279274137 एन	10.09.2015	17.03.2016	20.10.2015	149

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
30	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6846	5218	06.08.2015	1,41,000	आई0एन0यू0पी0 01281351833631 एन	05.08.2015	07.08.2015	06.08.2015	1
31	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6245	7668	01.08.2014	4,25,500	आई0एन0यू0पी0 00496401636629 एम	24.07.2014	02.08.2014	01.08.2014	1
32	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6245	7670	01.08.2014	3,61,200	आई0एन0यू0पी0 00517277931183 एम	30.07.2014	02.08.2014	01.08.2014	1
33	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6245	7675	01.08.2014	3,00,000	आई0एन0यू0पी0 00531287092568 एम	01.08.2014	02.08.2014	01.08.2014	1
34	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6245	7676	01.08.2014	11,77,000	आई0एन0यू0पी0 00459493946528 एम	08.07.2014	02.08.2014	01.08.2014	1
35	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6245	7677	01.08.2014	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 00515856986980 एम	30.07.2014	02.08.2014	01.08.2014	1
36	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6246	7682	01.08.2014	1,05,000	आई0एन0यू0पी0 00522264183587 एम	31.07.2014	02.08.2014	01.08.2014	1
37	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6246	7691	02.08.2014	5,85,000	आई0एन0यू0पी0 00532632192492 एम	01.08.2014	04.08.2014	02.08.2014	2
38	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6247	7706	02.08.2014	3,44,100	आई0एन0यू0पी0 00524411227330 एम	31.07.2014	04.08.2014	02.08.2014	2
39	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6247	7708	02.08.2014	3,44,100	आई0एन0यू0पी0 00524453087777 एम	31.07.2014	04.08.2014	02.08.2014	2
40	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6846	5219	07.08.2015	1,98,100	आई0एन0यू0पी0 01237348709953 एन	24.07.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
41	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6846	5220	07.08.2015	1,98,100	आई0एन0यू0पी0 01191533608254 एन	03.07.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
42	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6846	5227	07.08.2015	7,00,000	आई0एन0यू0पी0 01239455273775 एन	25.07.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
43	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6847	5234	07.08.2015	14,25,000	आई0एन0यू0पी0 01272124207085 एन	31.07.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
44	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6847	5236	07.08.2015	2,43,000	आई0एन0यू0पी0 01281121681606 एन	05.08.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
45	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6847	5237	07.08.2015	2,95,500	आई0एन0यू0पी0 01279453109168 एन	05.08.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
46	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6847	5238	07.08.2015	2,56,000	आई0एन0यू0पी0 01279394052528 एन	05.08.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
47	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6847	5239	07.08.2015	3,42,000	आई0एन0यू0पी0 01284373242739 एन	07.08.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
48	जी बी नगर	उ0नि0 II नोयडा	6847	5240	07.08.2015	2,91,500	आई0एन0यू0पी0 01279473975080 एन	05.08.2015	10.08.2015	07.08.2015	3
49	गाजियाबाद	उ0नि0 II नोयडा	10839	2629	09.03.2016	2,46,000	आई0एन0यू0पी0 01684454226501 ओ	11.02.2016	10.03.2016	09.03.2016	1
50	गाजियाबाद	उ0नि0 II नोयडा	10818	2435	03.03.2016	2,76,500	आई0एन0यू0पी0 01733816031831 ओ	29.02.2016	05.03.2016	03.03.2016	2
51	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11712	1110	12.02.2016	85,000	आई0एन0यू0पी0 01686385826919 ओ	12.02.2016	15.02.2016	12.02.2016	3
52	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11724	1247	19.02.2016	2,59,800	आई0एन0यू0पी0 01704790826125 ओ	19.02.2016	22.02.2016	19.02.2016	3
53	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11724	1244	19.02.2016	2,49,800	आई0एन0यू0पी0 01671432382856 ओ	08.02.2016	22.02.2016	19.02.2016	3
54	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11724	1243	19.02.2016	2,49,800	आई0एन0यू0पी0 01691879921260 ओ	15.02.2016	22.02.2016	19.02.2016	3
55	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11724	1242	19.02.2016	2,49,800	आई0एन0यू0पी0 01702302785523 ओ	18.02.2016	22.02.2016	19.02.2016	3
56	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11723	1232	18.02.2016	8,00,000	आई0एन0यू0पी0 01689974979123 ओ	15.02.2016	22.02.2016	18.02.2016	4
57	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11723	1229	18.02.2016	2,92,500	आई0एन0यू0पी0 01668284502742 ओ	06.02.2016	22.02.2016	18.02.2016	4
58	गाजियाबाद	उ0नि0 III	10457	6777	07.08.2014	7,83,000	आई0एन0यू0पी0 00525569722175 एम	31.07.2014	12.08.2014	07.08.2014	5

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
59	गाजियाबाद	उ0नि0 III	10456	6776	07.08.2014	70,600	आई0एन0यू0पी0 00526089229569 एम	31.07.2014	12.08.2014	07.08.2014	5
60	गाजियाबाद	उ0नि0 III	11724	1245	19.02.2016	3,90,200	आई0एन0यू0पी0 01587384425540 ओ	05.01.2016	27.04.2016	19.02.2016	68
61	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30045	14538	03.08.2015	3,52,000	आई0एन0यू0पी0 01221099751552 एन	20.07.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
62	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30045	14539	03.08.2015	3,52,000	आई0एन0यू0पी0 01240165718671 एन	27.07.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
63	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30045	14540	03.08.2015	3,52,000	आई0एन0यू0पी0 01223722465848 एन	21.07.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
64	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30046	14541	03.08.2015	3,66,500	आई0एन0यू0पी0 01217188969735 एन	16.07.2017	04.08.2015	03.08.2015	1
65	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30046	14542	03.08.2015	2,35,800	आई0एन0यू0पी0 01276334530942 एन	03.08.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
66	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30047	14561	03.08.2015	4,84,300	आई0एन0यू0पी0 01252174768560 एन	29.07.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
67	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30047	14559	03.08.2015	5,53,700	आई0एन0यू0पी0 01252055440652 एन	29.07.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
68	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30049	14578	03.08.2015	5,53,700	आई0एन0यू0पी0 01252146185993 एन	29.07.2015	04.08.2015	03.08.2015	1
69	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30050	14588	04.08.2015	1,36,500	आई0एन0यू0पी0 01254526606307 एन	29.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
70	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30050	14590	04.08.2015	1,36,500	आई0एन0यू0पी0 01255840284474 एन	29.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
71	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30050	14593	04.08.2015	1,03,600	आई0एन0यू0पी0 01254566533348 एन	29.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
72	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30050	14594	04.08.2015	4,30,500	आई0एन0यू0पी0 01232846324587 एन	23.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
73	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30050	14596	04.08.2015	1,26,500	आई0एन0यू0पी0 01257817456558 एन	29.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
74	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30050	14597	04.08.2015	1,26,500	आई0एन0यू0पी0 01254516947373 एन	29.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
75	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30051	14602	04.08.2015	4,34,000	आई0एन0यू0पी0 01270831762562 एन	31.07.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
76	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30052	14616	04.08.2015	3,30,000	आई0एन0यू0पी0 01277833665555 एन	04.08.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
77	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30054	14640	04.08.2015	6,45,000	आई0एन0यू0पी0 01277817279193 एन	04.08.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
78	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	30054	14638	04.08.2015	16,03,000	आई0एन0यू0पी0 01278051419756 एन	04.08.2015	05.08.2015	04.08.2015	1
79	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	31161	3816	02.03.2016	4,57,000	आई0एन0यू0पी0 01689669038132 ओ	15.02.2016	08.03.2016	02.03.2016	6
80	गाजियाबाद	उ0नि0 IV	31161	3814	02.03.2016	6,20,000	आई0एन0यू0पी0 01726261982286 ओ	25.02.2016	08.03.2016	02.03.2016	6
81	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8277	723	20.01.2016	1,77,000	आई0एन0यू0पी0 01618879729963 ओ	20.01.2016	23.02.2016	20.01.2016	34
82	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	7989	9779	04.08.2015	1,04,200	आई0एन0यू0पी0 01277998186259 एन	04.08.2015	10.09.2015	04.08.2015	37
83	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8165	13630	19.11.2015	94,000	आई0एन0यू0पी0 01478018384841 एन	18.11.2015	02.01.2016	19.11.2015	44
84	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8165	13632	19.11.2015	42,500	आई0एन0यू0पी0 01477900692751 एन	18.11.2015	02.01.2016	19.11.2015	44
85	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8163	13593	18.11.2015	71,500	आई0एन0यू0पी0 01477894125522 एन	18.11.2015	02.01.2016	18.11.2015	45
86	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8122	12732	28.10.2015	1,56,000	आई0एन0यू0पी0 01430089139934 एन	23.10.2015	22.12.2015	28.10.2015	55
87	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8114	12597	19.10.2015	4,25,000	आई0एन0यू0पी0 01420516890014 एन	19.10.2015	22.12.2015	19.10.2015	64
88	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8114	12587	19.10.2015	1,38,000	आई0एन0यू0पी0 01271977413278 एन	31.07.2015	22.12.2015	19.10.2015	64

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
89	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8114	12586	19.10.2015	1,95,000	आई0एन0यू0पी0 01271989304935 एन	31.07.2015	22.12.2015	19.10.2015	64
90	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8108	12464	16.10.2015	4,52,000	आई0एन0यू0पी0 01416202630933 एन	16.10.2015	22.12.2015	16.10.2015	67
91	गाजियाबाद	उ0नि0 मोदीनगर	8108	12466	16.10.2015	1,25,700	आई0एन0यू0पी0 01416560100448 एन	16.10.2015	22.12.2015	16.10.2015	67
92	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5045	4381	07.08.2015	2,45,000	आई0एन0यू0पी0 01285792431516 एन	07.08.2015	07.09.2015	07.08.2015	31
93	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5045	4377	07.08.2015	1,81,000	आई0एन0यू0पी0 01281315066667 एन	05.08.2015	07.09.2015	07.08.2015	31
94	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5040	4316	05.08.2015	16,84,000	आई0एन0यू0पी0 01257596014857 एन	29.07.2015	07.09.2015	05.08.2015	33
95	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5263	226	12.01.2016	6,00,000	आई0एन0यू0पी0 01430693801055 एन	23.10.2015	06.05.2016	12.01.2016	115
96	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5264	229	12.01.2016	14,36,000	आई0एन0यू0पी0 01601859449489 ओ	12.01.2016	06.05.2016	12.01.2016	115
97	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5259	146	07.01.2016	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01593058919499 ओ	07.01.2016	06.05.2016	07.01.2016	120
98	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5253	82	06.01.2016	2,50,000	आई0एन0यू0पी0 01564431901615 एन	23.12.2015	06.05.2016	06.01.2016	121
99	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5118	5239	23.09.2015	70,000	आई0एन0यू0पी0 01376356555197 एन	22.09.2015	10.05.2016	23.09.2015	230
100	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5118	5240	23.09.2015	70,000	आई0एन0यू0पी0 01376348166500 एन	22.09.2015	10.05.2016	23.09.2015	230
101	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5113	5186	22.09.2015	1,57,500	आई0एन0यू0पी0 01375454885358 एन	22.09.2015	10.05.2016	22.09.2015	231
102	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5110	5153	21.09.2015	5,80,000	आई0एन0यू0पी0 01371881987036 एन	21.09.2015	10.05.2016	21.09.2015	232
103	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5110	5152	21.09.2015	7,52,000	आई0एन0यू0पी0 01371905274320 एन	21.09.2015	10.05.2016	21.09.2015	232
104	गाजियाबाद	उ0नि0 V	5096	4968	09.09.2015	12,77,000	आई0एन0यू0पी0 01348032253957 एन	08.09.2015	10.05.2016	09.09.2015	244
105	लखनऊ	उ0नि0 II	17650	19686	18.12.2015	1,67,600	आई0एन0यू0पी0 01554975814452 एन	19.12.2015	19.12.2015	18.12.2015	1
106	लखनऊ	उ0नि0 III	11541	8157	17.12.2015	99,000	आई0एन0यू0पी0 01552053879483 एन	18.12.2015	18.12.2015	17.12.2015	1
107	लखनऊ	उ0नि0 IV	13118	12542	25.08.2015	3,00,000	आई0एन0यू0पी0 01317390788764 एन	25.08.2015	27.08.2015	25.08.2015	2
108	लखनऊ	उ0नि0 IV	13522	18843	17.12.2015	23,300	आई0एन0यू0पी0 01542383826890 एन	14.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
109	लखनऊ	उ0नि0 IV	13525	18881	17.12.2015	56,000	आई0एन0यू0पी0 01538421862695 एन	14.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
110	लखनऊ	उ0नि0 IV	13525	18883	17.12.2015	48,000	आई0एन0यू0पी0 01538404539874 एन	14.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
111	लखनऊ	उ0नि0 IV	13525	18885	17.12.2015	56,000	आई0एन0यू0पी0 01538459346096 एन	14.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
112	लखनऊ	उ0नि0 IV	13525	18887	17.12.2015	48,000	आई0एन0यू0पी0 01538446278328 एन	14.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
113	लखनऊ	उ0नि0 IV	13528	18928	17.12.2015	2,63,000	आई0एन0यू0पी0 01549046270112 एन	17.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
114	लखनऊ	उ0नि0 IV	13524	18864	17.12.2015	72,000	आई0एन0यू0पी0 01537581064219 एन	12.12.2015	22.12.2015	17.12.2015	5
115	लखनऊ	उ0नि0 IV	13522	18832	15.12.2015	58,500	आई0एन0यू0पी0 01546213222063 एन	15.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	7
116	लखनऊ	उ0नि0 IV	13521	18819	15.12.2015	3,10,100	आई0एन0यू0पी0 01545259334318 एन	15.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	7
117	लखनऊ	उ0नि0 IV	13521	18823	15.12.2015	17,800	आई0एन0यू0पी0 01546021549170 एन	15.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	7

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
118	लखनऊ	उ0नि0 IV	13521	18824	15.12.2015	1,33,500	आई0एन0यू0पी0 01546199061522 एन	15.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	7
119	लखनऊ	उ0नि0 IV	13520	18805	15.12.2015	1,26,500	आई0एन0यू0पी0 01540524133769 एन	14.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	7
120	लखनऊ	उ0नि0 IV	13114	12470	24.08.2015	1,03,000	आई0एन0यू0पी0 01314025232709 एन	22.08.2015	31.08.2015	24.08.2015	7
121	लखनऊ	उ0नि0 IV	13521	18818	15.12.2015	2,94,000	आई0एन0यू0पी0 01537026034849 एन	11.12.2015	29.03.2016	15.12.2015	105
122	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5620	7001	18.04.2015	83,800	आई0एन0यू0पी0 00967905497509 एन	24.03.2015	21.04.2015	18.04.2015	3
123	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5620	7003	18.04.2015	43,750	आई0एन0यू0पी0 00967893072373 एन	24.03.2015	21.04.2015	18.04.2015	3
124	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5620	7007	18.04.2015	52,800	आई0एन0यू0पी0 00964738333703 एन	23.03.2015	21.04.2015	18.04.2015	3
125	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5620	7009	18.04.2015	1,15,650	आई0एन0यू0पी0 00748665865667 एम	29.11.2014	21.04.2015	18.04.2015	3
126	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8612	13.05.2015	1,58,900	आई0एन0यू0पी0 01068354535255 एन	11.05.2015	16.06.2015	13.05.2015	34
127	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5685	8576	12.05.2015	45,000	आई0एन0यू0पी0 01068105143494 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
128	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8579	12.05.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01067996249108 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
129	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8580	12.05.2015	1,35,000	आई0एन0यू0पी0 01067954040388 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
130	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8581	12.05.2015	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01068045223846 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
131	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8582	12.05.2015	50,000	आई0एन0यू0पी0 01068002979916 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
132	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8583	12.05.2015	40,000	आई0एन0यू0पी0 01068025085350 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
133	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8584	12.05.2015	2,32,500	आई0एन0यू0पी0 01068077120966 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
134	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5686	8585	12.05.2015	75,000	आई0एन0यू0पी0 01067971612286 एन	11.05.2015	16.06.2015	12.05.2015	35
135	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5677	8371	08.05.2015	90,000	आई0एन0यू0पी0 01048799557926 एन	30.04.2015	16.06.2015	08.05.2015	39
136	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5677	8374	08.05.2015	60,000	आई0एन0यू0पी0 01048764353171 एन	30.04.2015	16.06.2015	08.05.2015	39
137	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5648	7704	28.04.2015	35,000	आई0एन0यू0पी0 00964097469439 एन	23.03.2015	16.06.2015	28.04.2015	49
138	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5648	7705	28.04.2015	5,000	आई0एन0यू0पी0 00986808316137 एन	31.03.2015	16.06.2015	28.04.2015	49
139	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5648	7705	28.04.2015	40,700	आई0एन0यू0पी0 00964114918828 एन	23.03.2015	16.06.2015	28.04.2015	49
140	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5646	7644	27.04.2015	21,350	आई0एन0यू0पी0 01037895689387 एन	27.04.2015	16.06.2015	27.04.2015	50
141	लखनऊ	उ0नि0 मोहनलालगंज	5646	7646	27.04.2015	15,300	आई0एन0यू0पी0 01037912030227 एन	27.04.2015	16.06.2015	27.04.2015	50
142	लखनऊ	उ0नि0 V	10903	11125	09.11.2015	1,00,000	आई0एन0यू0पी0 01467374809839 एन	09.11.2015	10.11.2015	09.11.2015	1
143	लखनऊ	उ0नि0 V	10902	11113	09.11.2015	55,100	आई0एन0यू0पी0 01468157291144 एन	09.11.2015	10.11.2015	09.11.2015	1
144	लखनऊ	उ0नि0 V	11195	1676	19.02.2016	3,12,200	आई0एन0यू0पी0 01705560811861 ओ	19.02.2016	20.02.2016	19.02.2016	1
145	लखनऊ	उ0नि0 V	11195	1679	19.02.2016	6,00,000	आई0एन0यू0पी0 01673228254749 ओ	08.02.2016	20.02.2016	19.02.2016	1
146	लखनऊ	उ0नि0 V	11188	1593	17.02.2016	83,800	आई0एन0यू0पी0 01698970321872 ओ	17.02.2016	18.02.2016	17.02.2016	1
147	लखनऊ	उ0नि0 V	11237	2166	02.03.2016	52,000	आई0एन0यू0पी0 01741086433818 ओ	02.03.2015	04.03.2016	02.03.2016	2
148	मथुरा	उ0नि0 छाता	5453	16638	05.11.2015	2,00,000	आई0एन0यू0पी0 01459152740351 एन	05.11.2015	06.11.2015	05.11.2015	1

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
149	मथुरा	उ0नि0 छाता	5453	16639	05.11.2015	7,30,000	आई0एन0यू0पी0 01459136762145 एन	05.11.2015	06.11.2015	05.11.2015	1
150	मथुरा	उ0नि0 छाता	5442	16263	28.10.2015	5,50,000	आई0एन0यू0पी0 01438711436004 एन	28.10.2015	30.10.2015	28.10.2015	2
151	मथुरा	उ0नि0 छाता	5485	17529	30.11.2015	12,00,000	आई0एन0यू0पी0 01506360516469 एन	30.11.2015	04.12.2015	30.11.2015	4
152	मथुरा	उ0नि0 छाता	5485	17531	30.11.2015	3,50,000	आई0एन0यू0पी0 01506681337560 एन	30.11.2015	04.12.2015	30.11.2015	4
153	मथुरा	उ0नि0 छाता	5550	711	14.01.2016	2,10,000	आई0एन0यू0पी0 01351256531832 एन	09.09.2015	21.01.2016	14.01.2016	7
154	मथुरा	उ0नि0 छाता	5550	712	14.01.2016	3,60,000	आई0एन0यू0पी0 01351269485055 एन	09.09.2015	21.01.2016	14.01.2016	7
155	मथुरा	उ0नि0 छाता	5550	713	14.01.2016	1,05,000	आई0एन0यू0पी0 01351201326044 एन	09.09.2015	21.01.2016	14.01.2016	7
156	मथुरा	उ0नि0 छाता	5549	708	14.01.2016	3,00,000	आई0एन0यू0पी0 01351281667506 एन	09.09.2015	21.01.2016	14.01.2016	7
157	मथुरा	उ0नि0 छाता	5458	16824	10.11.2015	1,88,000	आई0एन0यू0पी0 01351312825198 एन	09.09.2015	18.11.2015	10.11.2015	8
158	मथुरा	उ0नि0 छाता	5459	16839	10.11.2015	14,35,000	आई0एन0यू0पी0 01470602695081 एन	10.11.2015	18.11.2015	10.11.2015	8
159	मथुरा	उ0नि0 छाता	5515	18550	22.12.2015	3,00,000	आई0एन0यू0पी0 01511516527467 एन	02.12.2015	21.01.2016	22.12.2015	30
160	मथुरा	उ0नि0 छाता	5511	18425	19.12.2015	7,40,000	आई0एन0यू0पी0 01555282356695 एन	19.12.2015	21.01.2016	19.12.2015	33
161	मथुरा	उ0नि0 छाता	5511	18427	19.12.2015	3,50,000	आई0एन0यू0पी0 01555292820879 एन	19.12.2015	21.01.2016	19.12.2015	33
162	मथुरा	उ0नि0 छाता	5500	18025	10.12.2015	2,00,000	आई0एन0यू0पी0 01531588221708 एन	10.12.2015	21.01.2016	10.12.2015	42
163	मथुरा	उ0नि0 I	11937	14916	14.09.2015	81,920	आई0एन0यू0पी0 01353222225211 एन	10.09.2015	15.09.2015	14.09.2015	1
164	मथुरा	उ0नि0 I		14747	09.09.2015	2,84,200	आई0एन0यू0पी0 01350516830232 एन	09.09.2015	10.09.2015	09.09.2015	1
165	मथुरा	उ0नि0 I	10940	15908	12.09.2014	5,14,000	आई0एन0यू0पी0 00609685488880 एम	12.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	3
166	मथुरा	उ0नि0 I	11935	14876	11.09.2015	11,08,000	आई0एन0यू0पी0 01356664709704 एन	11.09.2015	14.09.2015	11.09.2015	3
167	मथुरा	उ0नि0 I	11940	14999	15.09.2015	36,440	आई0एन0यू0पी0 01359821859005 एन	15.09.2015	19.09.2015	15.09.2015	4
168	मथुरा	उ0नि0 I		14789	10.09.2015	90,000	आई0एन0यू0पी0 01349496354541 एन	09.09.2015	14.09.2015	10.09.2015	4
169	मथुरा	उ0नि0 I		14792	10.09.2015	84,730	आई0एन0यू0पी0 01329177374985 एन	28.08.2015	14.09.2015	10.09.2015	4
170	मथुरा	उ0नि0 I		14799	10.09.2015	30,700	आई0एन0यू0पी0 01350341403210 एन	09.09.2015	14.09.2015	10.09.2015	4
171	मथुरा	उ0नि0 I		14814	10.09.2015	40,280	आई0एन0यू0पी0 01329775461828 एन	31.08.2015	14.09.2015	10.09.2015	4
172	मथुरा	उ0नि0 I		15054	16.09.2015	1,78,300	आई0एन0यू0पी0 01274773345283 एन	01.08.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
173	मथुरा	उ0नि0 I		15090	16.09.2015	1,57,320	आई0एन0यू0पी0 01332210564658 एन	31.08.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
174	मथुरा	उ0नि0 I		15092	16.09.2015	1,03,230	आई0एन0यू0पी0 01361337301286 एन	15.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
175	मथुरा	उ0नि0 I		15095	16.09.2015	59,500	आई0एन0यू0पी0 01363692632650 एन	16.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
176	मथुरा	उ0नि0 I		15105	16.09.2015	1,44,500	आई0एन0यू0पी0 01326775648549 एन	28.08.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
177	मथुरा	उ0नि0 I		15106	16.09.2015	58,000	आई0एन0यू0पी0 01363640519379 एन	16.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
178	मथुरा	उ0नि0 I		15113	16.09.2015	44,500	आई0एन0यू0पी0 01363747619802 एन	16.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	5

क्र0 सं0	जनपद	इकाई का नाम	विलेख का विवरण जिसमे ई–स्टाम्प प्रयोग किया गया			ई–स्टाम्प का मूल्य	ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0	स्टा0हो0का0इ0 लि0/संग्रह केन्द्र द्वारा ई–स्टाम्प के निर्गत किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प को लॉक किए जाने की तिथि	ई–स्टाम्प लॉक किए जाने की उपयुक्त तिथि	विलम्ब दिनो में
			खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि						
179	मथुरा	उ0नि0 I		15120	16.09.2015	1,22,000	आई0एन0यू0पी0 01364684636885 एन	16.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
180	मथुरा	उ0नि0 I		15124	16.09.2015	74,020	आई0एन0यू0पी0 01364025662272 एन	16.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	5
181	मथुरा	उ0नि0 I		14832	11.09.2015	1,05,400	आई0एन0यू0पी0 01329832395266 एन	31.08.2015	21.09.2015	11.09.2015	10
182	मथुरा	उ0नि0 महावन		6449	10.08.2015	22,600	आई0एन0यू0पी0 01286219079985 एन	07.08.2015	11.08.2015	10.08.2015	1
183	मथुरा	उ0नि0 महावन		6450	10.08.2015	1,89,100	आई0एन0यू0पी0 01286241490386 एन	07.08.2015	11.08.2015	10.08.2015	1
184	मथुरा	उ0नि0 महावन		9167	26.11.2015	1,76,700	आई0एन0यू0पी0 01496258514520 एन	26.11.2015	27.11.2015	26.11.2015	1
185	मथुरा	उ0नि0 महावन		4051	27.05.2015	1,50,650	आई0एन0यू0पी0 01098061441422 एन	23.05.2015	29.05.2015	27.05.2015	2
186	मथुरा	उ0नि0 महावन		4052	27.05.2015	1,03,500	आई0एन0यू0पी0 01098055013165 एन	23.05.2015	29.05.2015	27.05.2015	2
187	मथुरा	उ0नि0 महावन		1340	20.02.2016	1,50,000	आई0एन0यू0पी0 01711874839717 ओ	20.02.2016	22.02.2016	20.02.2016	2
188	मथुरा	उ0नि0 महावन		5573	10.07.2015	3,54,500	आई0एन0यू0पी0 01204362034224 एन	10.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	5
189	मथुरा	उ0नि0 महावन		9205	27.11.2015	42,500	आई0एन0यू0पी0 01499593407310 एन	27.11.2015	04.12.2015	27.11.2015	7
190	मथुरा	उ0नि0 महावन		8203	15.10.2015	91,750	आई0एन0यू0पी0 01406980420767 एन	14.10.2015	02.11.2015	15.10.2015	18
191	मेरठ	उ0नि0 III	10563	6877	12.06.2015	65,500	आई0एन0यू0पी0 01141514198657 एन	11.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	3
192	मेरठ	उ0नि0 III	10563	6887	12.06.2015	83,770	आई0एन0यू0पी0 01143539481569 एन	12.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	3
193	मेरठ	उ0नि0 III	10564	6898	12.06.2015	1,90,000	आई0एन0यू0पी0 01139646431210 एन	10.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	3
194	मेरठ	उ0नि0 III	10560	6834	11.06.2015	1,30,000	आई0एन0यू0पी0 01130009028334 एन	05.06.2015	15.06.2015	11.06.2015	4
195	मेरठ	उ0नि0 III	10561	6841	11.06.2015	67,500	आई0एन0यू0पी0 01140803826232 एन	11.06.2015	15.06.2015	11.06.2015	4
196	मेरठ	उ0नि0 III	10561	6842	11.06.2015	1,49,100	आई0एन0यू0पी0 01139757157236 एन	10.06.2015	15.06.2015	11.06.2015	4
197	मेरठ	उ0नि0 III	10561	6844	11.06.2015	67,000	आई0एन0यू0पी0 01140818949222 एन	11.06.2015	15.06.2015	11.06.2015	4
198	रायबरेली	उ0नि0 सदर	6934	4782	09.04.2015	25,100	आई0एन0यू0पी0 01001521070925 एन	09.04.2015	10.04.2015	09.04.2015	1
199	रायबरेली	उ0नि0 सदर	6934	4784	09.04.2015	77,200	आई0एन0यू0पी0 01002160058143 एन	09.04.2015	10.04.2015	09.04.2015	1
200	रायबरेली	उ0नि0 सदर	6927	4526	04.04.2015	1,07,500	आई0एन0यू0पी0 00989125054668 एन	04.04.2015	06.04.2015	04.04.2015	2
201	रायबरेली	उ0नि0 सदर	6927	4528	04.04.2015	1,04,700	आई0एन0यू0पी0 00990183090433 एन	04.04.2015	06.04.2015	04.04.2015	2
202	रायबरेली	उ0नि0 सदर	6937	4926	13.04.2015	47,000	आई0एन0यू0पी0 01008838029948 एन	13.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	2
203	रायबरेली	उ0नि0 सदर	7272	967	25.01.2016	63,000	आई0एन0यू0पी0 01630805668684 ओ	25.01.2016	27.01.2016	25.01.2016	2

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXXVII
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 5.6)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	आगरा	उ0नि0 एतमादपुर	3644/16.3.15	12533/14.8.14	287 मि	4,610	25,36,000	2,500	1,15,25,000	1,15,25,000	7	8,06,750	10,000	8,16,750	1,77,600	10,000	1,87,600	6,29,150
2	आगरा	उ0नि0 खैरागढ	7819/10.10.14	753/4.02.13	446	3,485	14,29,000	2,400	83,64,000	83,64,000	7	5,85,480	10,000	5,95,480	1,00,100	10,000	1,10,100	4,85,380
3	आगरा	उ0नि0 खैरागढ	6506/21.8.14	3828/23.5.14	258	1,900	16,16,000	4,000	76,00,000	76,00,000	5	3,80,000	10,000	3,90,000	81,000	10,000	91,000	2,99,000
4	आगरा	उ0नि0 खैरागढ	6509/21.8.14	3828/23.5.14	258	1,095	9,31,000	4,000	43,80,000	43,80,000	5	2,19,000	10,000	2,29,000	46,700	10,000	56,700	1,72,300
5	आगरा	उ0नि0 खैरागढ	2076/4.04.15	1095/16.2.15	590/1	645	3,95,000	4,200	27,09,000	27,09,000	5	1,35,450	10,000	1,45,450	19,800	7,900	27,700	1,17,750
6	आगरा	उ0नि0 V सदर	1641/18.5.15	1184/10.4.15	521	1,152	4,96,000	5,000	57,60,000	57,60,000	5	2,88,000	10,000	2,98,000	24,900	4,960	29,860	2,68,140
7	आगरा	उ0नि0 फतेहाबाद	2565/30.3.14	2402/6.4.13	810	6,495	25,98,000	4,000	2,59,80,000	2,59,80,000	5	12,99,000	10,000	13,09,000	1,29,900	10,000	1,39,900	11,69,100
8	आगरा	उ0नि0 फतेहाबाद	8917/8.09.14	4777/1.7.14	702	930	3,26,000	3,000	27,90,000	27,90,000	4 व 5	1,29,500	10,000	1,39,500	13,040	6,520	19,560	1,19,940
9	आगरा	उ0नि0 फतेहाबाद	3012/1.04.15	2647/17.3.15	13	1,885	45,32,000	2,500	47,13,500	47,14,000	5	2,35,700	10,000	2,45,700	14,200	2,840	17,040	2,28,660
10	आगरा	उ0नि0 III सदर	2524/5.03.14	2525/5.3.14	134	2,305	39,19,000	4,600	1,06,03,000	1,06,03,000	7	7,42,210	10,000	7,52,210	2,74,500	10,000	2,84,500	4,67,710
11	इलाहाबाद	उ0नि0 हड़िया	2861/18.6.14	2771/13.6.14	675	9,240	49,54,000	5,200	4,80,48,000	4,98,23,000	5	24,81,150	10,000	24,91,150	2,37,700	10,000	2,47,700	22,43,450
12	इलाहाबाद	उ0नि0 I सदर	7108/26.12.14	2161/26.4.14	244	4,045	14,20,593	3,000	1,21,35,000	1,21,35,000	6 व 7	8,39,450	10,000	8,49,450	95,248	10,000	1,05,248	7,44,202
13	इलाहाबाद	उ0नि0 I सदर	297/19.01.15	6381/21.11.14	124	1,942	19,16,000	3,000	58,26,000	58,26,000	6 व 7	3,97,820	10,000	4,07,820	1,24,200	10,000	1,34,200	2,73,620
14	इलाहाबाद	उ0नि0 I सदर	3957/22.7.15	3955/22.7.15	337 क	1,798	30,90,000	2,800	50,34,960	50,35,000	6 व 7	3,42,450	10,000	3,52,450	2,06,300	10,000	2,16,300	1,36,150
15	इलाहाबाद	उ0नि0 I सदर	3928/21.7.15	3209/11.6.15	254	325	3,53,453	4,600	14,94,540	14,95,000	7	1,04,650	10,000	1,14,650	26,823	10,000	36,823	77,827
16	इलाहाबाद	उ0नि0 II सदर	4187/19.5.15	7530/17.10.14	23	2,211	33,88,000	5,000	1,10,55,000	1,10,55,000	7	7,73,850	10,000	7,83,850	2,37,500	10,000	2,47,500	5,36,350
17	इलाहाबाद	उ0नि0 II सदर	2523/09.4.15	2587/8.4.15	847/1	1,400	19,25,000	5,000	70,00,000	70,00,000	7	4,90,000	10,000	5,00,000	1,34,800	10,000	1,44,800	3,55,200
18	इलाहाबाद	उ0नि0 II सदर	4485/26.5.15	4048/17.6.14	55	1,344	25,94,000	5,000	67,20,000	67,20,000	7	4,70,400	10,000	4,80,400	1,81,600	10,000	1,91,600	2,88,800
19	इलाहाबाद	उ0नि0 II सदर	6940/05.8.15	6302/27.5.15	702	684	12,30,000	5,000	34,20,000	34,20,000	6 व 7	2,29,400	10,000	2,39,400	76,100	10,000	86,100	1,53,300
20	इलाहाबाद	उ0नि0 II सदर	6476/28.7.15	5533/3.8.13	321	1,026	31,97,000	4,500	46,17,000	46,17,000	6 व 7	3,13,190	10,000	3,23,190	2,14,000	10,000	2,24,000	99,190
21	इलाहाबाद	उ0नि0 फूलपुर	7137/17.8.15	3247/30.4.15	482	1,854	25,06,000	6,500	1,20,51,000	1,20,51,000	7	8,43,570	10,000	8,53,570	1,75,500	10,000	1,85,500	6,68,070
22	अम्बेदकर नगर	उ0नि0 अकबरपुर	5759/30.10.14	5770/30.10.14	1194	520	3,26,000	8,400	43,68,000	43,68,000	7	3,05,760	10,000	3,15,760	22,820	6,520	29,340	2,86,420
23	अम्बेदक रनगर	उ0नि0 अकबरपुर	194/13.01.15	3254/16.6.14	305	630	4,26,000	6,300	39,69,000	39,69,000	7	2,77,830	10,000	2,87,830	29,820	8,520	38,340	2,49,490
24	आजमगढ	उ0नि0 लालगंज	2988/30.4.15	1199,1200/	1114	958	9,60,000	7,420	71,07,024	71,08,000	4 व 5	3,45,400	10,000	3,55,400	38,400	10,000	48,400	3,07,000

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
				26.3.15														
25	आजमगढ	उ0नि0 लालगंज	4290/8.12.14	1118/3.4.14	1092	1,134	9,32,000	6,300	71,44,200	71,45,000	5	3,57,250	10,000	3,67,250	46,600	10,000	56,600	3,10,650
26	आजमगढ	उ0नि0 लालगंज	303/14.1.15	1321/22.4.14	1090	794	7,04,000	6,300	50,00,940	50,01,000	4 व 5	2,40,050	10,000	2,50,050	28,160	10,000	38,160	2,11,890
27	बलिया	उ0नि0 सदर	2538/25.4.15	2260/15.4.15	872 स	2,340	9,42,000	4,500	1,05,30,000	1,05,30,000	5	5,26,500	10,000	5,36,500	47,110	10,000	57,110	4,79,390
28	बलरामपुर	उ0नि0 सदर	8189/17.12.14	6977/ 30.10.14	2887	1,740	10,44,000	9,500	1,65,30,000	1,65,30,000	7	11,57,100	10,000	11,67,100	73,000	10,000	83,000	10,84,100
29	बलरामपुर	उ0नि0 सदर	6579/10.10.14	5962/4.9.14	171	460	87,000	4,100	18,86,000	18,86,000	5	1,03,730	10,000	1,13,730	4,350	870	5,220	1,08,510
30	बलरामपुर	उ0नि0 सदर	793/5.2.15	6036/8.9.14	407	1,460	1,61,000	1,450	21,17,000	21,17,000	5	1,16,435	10,000	1,26,435	8,050	1,610	9,660	1,16,775
31	बलरामपुर	उ0नि0 तुलसीपुर	9864/1.12.14	7090/6.9.14	736	1,010	2,28,800	2,450	24,74,500	24,75,000	5	1,23,750	10,000	1,33,750	11,400	2,280	13,680	1,20,070
32	बलरामपुर	उ0नि0 तुलसीपुर	10108/6.12.14	10099/5.12.14	304	1,580	2,94,000	3,000	47,40,000	47,40,000	4 व 5	1,83,550	10,000	1,93,550	11,760	5,880	17,640	1,75,910
33	बाँदा	उ0नि0 सदर	5761/27.07.15	2338/31.3.15	119	3,105	11,52,000	3,300	1,02,46,500	1,02,47,000	7	7,17,290	10,000	7,27,290	80,640	10,000	90,640	6,36,650
34	बाँदा	उ0नि0 सदर	6652/20.8.15	4513/18.6.15	5489	1,545	7,11,000	3,500	54,07,500	54,08,000	7	3,78,560	10,000	3,88,560	43,150	10,000	53,150	3,35,410
35	बाँदा	उ0नि0 सदर	7432/18.9.15	6791/26.8.15	5489	1,545	6,60,000	3,500	54,07,500	54,08,000	6 व 7	3,68,560	10,000	3,78,560	40,000	10,000	50,000	3,28,560
36	बाँदा	उ0नि0 सदर	5759/27.7.15	2338/31.3.15	119	655	2,45,000	3,300	21,61,500	21,62,000	7	1,51,340	10,000	1,61,340	17,150	2,450	19,600	1,41,740
37	बिजनौर	उ0नि0 धामपुर	19283/16.9.14 24355/6.12.14	19266/16.9.14	434	620	3,72,000	4,200	26,04,000	26,04,000	5	1,30,200	20,000	1,50,200	18,600	3,740	22,340	1,27,860
38	बदाँयू	उ0नि0 सदर	2860/8.04.15	2057/11.3.15	585 मि	710	4,62,000	6,000	42,60,000	42,60,000	7	2,98,200	10,000	3,08,200	32,340	9,240	41,580	2,66,620
39	देवरिया	उ0नि0 सदर	5516/17.6.15	5037/04.6.15	338 मि	5,130	12,95,000	4,400	2,25,72,000	2,90,92,000	6 व 7	20,26,440	10,000	20,36,440	12,95,500	10,000	13,05,500	7,30,940
40	देवरिया	उ0नि0 सदर	6479/14.7.15	6393/13.7.15	576	1,360	24,81,000	4,400	59,84,000	59,84,000	7	4,18,880	10,000	4,28,880	1,73,700	10,000	1,83,700	2,45,180
41	देवरिया	उ0नि0 सदर	10907/17.12.15	10799/ 14.12.15	272 मि	1,300	25,20,000	4,500	58,50,000	58,50,000	6 व 7	3,99,500	20,000	4,19,500	1,16,000	20,000	1,36,000	2,83,500
42	देवरिया	उ0नि0 सदर	5170/09.06.15	2353/19.3.15	161	1,420	33,57,000	4,400	62,48,000	62,48,000	7	4,37,360	10,000	4,47,360	2,35,000	10,000	2,45,000	2,02,360
43	देवरिया	उ0नि0 सलेमपुर	1588/06.05.15	29865/ 20.8.14	25	3,920	26,66,000	4,600	1,80,32,000	1,80,32,000	4 व 5	8,91,600	10,000	9,01,600	1,18,300	10,000	1,28,300	7,73,300
44	फतेहपुर	उ0नि0 खागा	10834/6.12.14	3293/ 17.4.14 3294/ 17.4.14	9 मि	1,310	24,04,000	5,200	68,12,000	68,12,000	5	3,40,600	10,000	3,50,600	1,20,200	10,000	1,30,200	2,20,400
45	गाजीपुर	उ0नि0 सदर	1285/16.3.15	6310/ 28.11.14	44	3,160	56,88,000	6,500	2,05,40,000	2,05,40,000	5	10,27,000	10,000	10,37,000	2,84,500	10,000	2,94,500	7,42,500

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
46	गाजीपुर	उ0नि0 सदर	3866/16.07.15	1821/13.4.15	353	2,340	30,42,000	5,600	1,31,04,000	1,31,04,000	4 व 5	6,45,200	10,000	6,55,200	1,42,100	10,000	1,52,100	5,03,100
47	गाजीपुर	उ0नि0 सदर	3789/13.07.15	3395/23.6.15	671 क	2,530	28,46,000	2,600	65,78,000	65,78,000	4 व 5	3,18,900	10,000	3,28,900	1,32,500	10,000	1,42,500	1,86,400
48	गाजीपुर	उ0नि0 सदर	5330/8.10.15	816/14.02.14	1437	760	10,64,000	6,500	49,40,000	49,40,000	5	2,47,000	10,000	2,57,000	43,200	10,000	53,200	2,03,800
49	गाजियाबाद	उ0नि0 II सदर	13405/11.11.14	11962/ 29.9.14	1424 मि	7,980	2,00,42,568	5,000	3,99,00,000	3,99,00,000	7	27,93,000	10,000	28,03,000	14,03,100	10,000	14,13,100	13,89,900
50	गोरखपुर	उ0नि0 I सदर	175/12.01.15	3264/23.4.14	686	2,545	12,75,000	4,500	1,14,52,500	1,14,53,000	5	5,72,650	10,000	5,82,650	63,750	10,000	73,750	5,08,900
51	गोरखपुर	उ0नि0 I सदर	6403/28.07.14	5596/7.07.14	299	690	12,94,000	5,000	34,50,000	34,50,000	5	1,72,500	10,000	1,82,500	64,700	10,000	74,700	1,07,800
52	गोरखपुर	उ0नि0 I सदर	3502/30.04.14	5153/13.6.13	101 म	910	15,93,000	5,000	45,50,000	45,50,000	4 व 5	2,17,500	10,000	2,27,500	69,650	10,000	79,650	1,47,850
53	गोरखपुर	उ0नि0 I सदर	6986/08.08.14	6696/1.08.14	435	1,060	58,30,000	9,500	1,00,70,000	1,00,70,000	7	7,04,900	10,000	7,14,900	4,08,200	10,000	4,18,200	2,96,700
54	गोरखपुर	उ0नि0 II सदर	7211/01.07.14	12136/ 28.11.13	290	1,010	31,31,000	6,500	65,65,000	65,65,000	7	4,59,550	10,000	4,69,550	2,19,230	10,000	2,29,230	2,40,320
55	हापुड़	उ0नि0 धौलाना	1310/04.02.14	1674/11.3.13 1675/11.3.13 1676/11.3.13	465 मि	5,060	88,55,000	6,000	3,03,60,000	3,03,60,000	5	15,18,000	10,000	15,28,000	4,43,000	10,000	4,53,000	10,75,000
56	हरदोई	उ0नि0 सदर	15657/31.10.14	10305/ 23.7.14	1028	2,275	7,97,000	3,200	72,80,000	72,80,000	7	5,09,600	10,000	5,19,600	55,800	10,000	65,800	4,53,800
57	हरदोई	उ0नि0 संडीला	11407/15.12.15	11277/ 7.12.15	283	5,170	15,31,000	2,000	1,03,40,000	1,03,40,000	4 व 5	5,14,750	10,000	5,24,750	66,550	10,000	76,550	4,48,200
58	हाथरस	उ0नि0 सिकन्दराराउ	714/28.01.15	7719/ 12.12.14	152	1,160	4,09,000	3,000	34,80,000	34,80,000	5	1,74,000	10,000	1,84,000	20,600	8,180	28,780	1,55,220
59	कानपुर	उ0नि0 I सदर	2596/27.05.15	1495/30.3.15	581,590 मि ,592, 595	2,540	8,39,000	2,100	53,34,000	53,34,000	7	3,73,380	10,000	3,83,380	58,750	10,000	68,750	3,14,630
60	कानपुर	उ0नि0 I सदर	5903/01/10/ 14	5258/29.8.14	605	1,845	17,35,500	5,000	92,25,000	92,25,000	7	6,45,750	10,000	6,55,750	1,21,600	10,000	1,31,600	5,24,150
61	कानपुर	उ0नि0 I सदर	5251/28.08.14	4456/28.7.14	1712	2,711	13,56,000	4,000	1,08,44,000	1,08,44,000	7	7,59,080	10,000	7,69,080	95,000	10,000	1,05,000	6,64,080
62	कानपुर	उ0नि0 I सदर	6250/18.10.14	5259/29.8.14	605	1,640	14,76,000	5,000	82,00,000	82,00,000	7	5,74,000	10,000	5,84,000	1,03,400	10,000	1,13,400	4,70,600
63	कानपुर	उ0नि0 IV सदर	8983/05.09.14	4921/23.05.14	869 मि	2,050	55,35,000	8,800	1,80,40,000	1,80,40,000	7	12,62,800	10,000	12,72,800	3,87,500	10,000	3,97,500	8,75,300
64	कानपुर	उ0नि0 IV सदर	4354/05.05.14	3880/15.4.14	910	2,770	74,79,000	8,800	2,43,76,000	2,43,76,000	7	17,06,320	10,000	17,16,320	5,23,600	10,000	5,33,600	11,82,720
65	कानपुर	उ0नि0 IV सदर	8123/11.08.14	5978/18.6.14	528 क	4,100	30,75,000	3,000	1,23,00,000	1,23,00,000	7	8,61,000	10,000	8,71,000	2,15,250	10,000	2,25,250	6,45,750

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
66	कानपुर	उ0नि0 IV सदर	4219/28.04.14	3995/19.4.14	909/1	3,070	82,89,000	8,800	2,70,16,000	2,70,16,000	7	18,91,120	10,000	19,01,120	5,80,500	10,000	5,90,500	13,10,620
67	कानपुर देहात	उ0नि0 अकबरपुर	10637/30.12.2014	10489/24.12.14	1385	1,498	5,14,000	3,850	57,67,300	57,68,000	4 व 5	2,78,365	10,000	2,88,365	20,560	10,280	30,840	2,57,525
68	कानपुर देहात	उ0नि0 अकबरपुर	10643/31.12.14	10567/27.12.14	275	2,050	16,40,000	5,200	1,06,60,000	1,06,60,000	7	7,46,200	10,000	7,56,200	82,000	10,000	92,000	6,64,200
69	कानपुर देहात	उ0नि0 अकबरपुर	3645/19.05.15	3463/14.5.15	1095	4,100	12,30,000	2,000	82,00,000	82,00,000	5	4,10,000	10,000	4,20,000	61,500	10,000	71,500	3,48,500
70	कानपुर देहात	उ0नि0 अकबरपुर	10305/17.12.14	10299/17.12.14	424	1,340	2,82,000	2,000	26,80,000	26,80,000	5	1,34,000	10,000	1,44,000	14,100	5,640	19,740	1,24,260
71	कानपुर देहात	उ0नि0 घाटमपुर	1351/25.02.15	4139/26.6.14	446	2,050	6,90,000	3,000	61,50,000	61,50,000	4 व 5	2,97,500	10,000	3,07,500	27,600	10,000	37,600	2,69,900
72	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	28072/22.12.14	27436/15.12.14	192 मि	1,000	12,46,800	5,400	54,00,000	54,00,000	7	3,78,000	10,000	3,88,000	87,500	10,000	97,500	2,90,500
73	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	28072/22.12.14	27436/15.12.14		520	.	3,780	19,65,600	19,66,000	7	1,37,620	.	1,37,620	.	.	.	1,37,620
74	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	14767/10.7.14	14493/7.7.14	868 मि	1,000	54,56,500	4,100	41,00,000	41,00,000	7	2,87,000	10,000	2,97,000	3,82,000	10,000	3,92,000	;95,000द्ध
75	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	14767/10.7.14	14493/7.7.14		1,530	.	2,870	43,91,100	43,92,000	7	3,07,440	.	3,07,440	.	.	.	3,07,440
76	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	17950/09.10.14	17601/19.8.14	1390 मि	1,000	5,74,000	1,900	19,00,000	19,00,000	5	95,000	10,000	1,05,000	28,750	10,000	38,750	66,250
77	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	17950/9.10.14	17601/19.8.14		640	.	1,330	8,51,200	8,52,000	5	42,600	.	42,600	.	.	.	42,600
78	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	17895/21.8.14	16838/7.8.14	101 मि	1,000	5,21,920	1,300	13,00,000	13,00,000	5	65,000	10,000	75,000	26,500	10,000	36,500	38,500
79	लखनऊ	उ0नि0 I सदर	17895/21.8.14	16838/7.8.14		864	.	910	7,86,240	7,87,000	5	39,350	10,000	49,350	.	.	.	49,350
80	लखनऊ	उ0नि0 IV सदर	3849/30.03.15	14001/04.09.14	715 स	2,530	59,10,000	6,200	1,56,86,000	1,56,86,000	7	10,98,020	10,000	11,08,020	4,13,700	10,000	4,23,700	6,84,320
81	लखनऊ	उ0नि0 IV सदर	2740/26.2.15	2292/11.02.14	48	5,060	47,92,000	3,200	1,61,92,000	1,61,92,000	6 व 7	11,23,440	10,000	11,33,440	3,25,500	10,000	3,35,500	7,97,940
82	लखनऊ	उ0नि0 IV सदर	13113/23.8.14	12260/11.08.14	681	1,195	54,85,636	12,000	1,43,40,000	1,43,40,000	6 व 7	9,93,800	10,000	10,03,800	3,84,000	10,000	3,94,000	6,09,800
83	लखनऊ	उ0नि0 IV सदर	11020/15.7.14	11002/15.07.14	3 स	3,795	45,00,000	5,400	2,04,93,000	2,04,93,000	7	14,34,510	10,000	14,44,510	3,15,000	10,000	3,25,000	11,19,510
84	महोबा	उ0नि0 सदर	7646//05.12.14	1213/07.3.14	923/1	1,000	1,40,000	3,300	33,00,000	33,00,000	4 व 5	1,55,000	10,000	1,65,000	5,600	1,400	7,000	1,58,000
85	मथुरा	उ0नि0 छाता	239/06.01.15	13308/	214	1,260	5,30,000	2,000	25,20,000	25,20,000	7	1,76,400	10,000	1,86,400	37,100	10,000	47,100	1,39,300

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
				27.8.14														
86	मथुरा	उ0नि0 छाता	5897/25.04.15	12257/6.8.14	113	5,980	44,85,000	1,750	1,04,65,000	1,04,65,000	7	7,32,550	10,000	7,42,550	3,14,600	10,000	3,24,600	4,17,950
87	मथुरा	उ0नि0 छाता	6814/20.05.15	6443/15.5.14	541	2,225	6,68,000	2,000	44,50,000	44,50,000	7	3,11,500	10,000	3,21,500	47,000	10,000	57,000	2,64,500
88	मथुरा	उ0नि0 मांट	6113/21.07.15	5234/22.6.15	492	1,010	9,60,000	6,000	60,60,000	60,60,000	5	2,93,000	10,000	3,03,000	38,500	10,000	48,500	2,54,500
89	मिर्जापुर	उ0नि0 सदर	9090/13.11.14	9089/ 13.11.14	228 मि	3,780	41,40,000	3,240	1,22,47,200	1,22,48,000	7	8,57,360	10,000	8,67,360	2,89,900	10,000	2,99,900	5,67,460
90	मिर्जापुर	उ0नि0 सदर	9091/13.11.14	9089/13.11.14	228 मि	3,780	41,40,000	3,240	1,22,47,200	1,22,48,000	7	8,57,360	10,000	8,67,360	2,89,900	10,000	2,99,900	5,67,460
91	मिर्जापुर	उ0नि0 सदर	9092/13.11.14	9089/ 13.11.14	228 मि	3,780	41,40,000	3,240	1,22,47,200	1,22,48,000	6 व 7	8,47,360	10,000	8,57,360	2,80,000	10,000	2,90,000	5,67,360
92	मिर्जापुर	उ0नि0 सदर	9093/13.11.14	9089/ 13.11.14	228 मि	3,780	41,40,000	3,240	1,22,47,200	1,22,48,000	6 व 7	8,47,360	10,000	8,57,360	2,80,000	10,000	2,90,000	5,67,360
93	मुरादाबाद	उ0नि0 बिलारी	4512/05.5.15	5615/16.4.14	772	982	15,82,000	5,000	49,10,000	49,10,000	7	3,43,700	10,000	3,53,700	1,21,000	10,000	1,31,000	2,22,700
94	मुजफफरनगर	उ0नि0 जानसठ	11842/ 26.12.14	11841/ 26.12.14	63	21,485	2,65,50,000	4,400	9,81,40,800	9,81,40,800	4 व 5	48,97,040	10,000	49,07,040	13,18,000	10,000	13,28,000	35,79,040
95	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	10861/ 26.11.14	10863/ 26.11.14	680	32,530	1,03,06,000	2,700	8,80,52,000	8,80,52,000	5	44,02,600	10,000	44,12,600	5,15,500	10,000	5,25,500	38,87,100
96	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	10862/ 26.11.14	10863/ 26.11.14	680	8,100	25,11,000	2,700	2,18,70,000	2,18,70,000	5	10,93,500	10,000	11,03,500	1,25,700	10,000	1,35,700	9,67,800
97	प्रतापगढ	उ0नि0 कुन्डा	2068/14.05.15	3228/17.6.14 3376/23.06.14	3339	2,320	12,30,000	5,500	1,27,60,000	1,27,60,000	5	6,38,000	10,000	6,48,000	61,500	10,000	71,500	5,76,500
98	रामपुर	उ0नि0 सदर	10566/ 30.11.15	9651/ 29.10.15	8 ख	2,697	18,89,000	3,000	80,91,000	80,91,000	7	5,66,370	10,000	5,76,370	1,32,500	10,000	1,42,500	4,33,870
99	रामपुर	उ0नि0 सदर	4393/02.07.15	8459/ 16.12.14	378	185	1,30,000	5,500	10,17,500	10,18,000	6 व 7	67,960	16,600	84,560	8,400	1,300	9,700	74,860
100	रामपुर	उ0नि0 सदर	6708/27.07.15	5119/6.6.15	336	360	5,04,000	3,500	12,60,000	12,60,000	7	88,200	10,000	98,200	30,300	10,000	40,300	57,900
101	सन्त रविदासनगर	उ0नि0 भदोही	1174/12.05.15	1269/22.5.14	57	1,520	19,61,000	5,800	88,16,000	88,16,000	7	6,17,120	10,000	6,27,120	1,38,000	10,000	1,48,000	4,79,120
102	सन्त रविदासनगर	उ0नि0 भदोही	3772/30.12.14	2958/01.11.14	286	630	6,56,000	5,000	31,50,000	31,50,000	5	1,57,500	10,000	1,67,500	33,000	10,000	43,000	1,24,500
103	सन्त रविदासनगर	उ0नि0 भदोही	422/25.02.15	1645/10.6.13	372	740	6,13,000	3,600	26,64,000	26,64,000	5	1,33,200	10,000	1,43,200	30,700	10,000	40,700	1,02,500

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
104	सन्त कबीरनगर	उ0नि0 खलीलाबाद	3639/6.7.15	3618/6.7.15	64 मि	2,440	76,51,000	4,100	1,00,04,000	1,00,04,000	4 व 5	4,90,200	10,000	5,00,200	3,72,750	10,000	3,82,750	1,17,450
105	सन्त कबीरनगर	उ0नि0 खलीलाबाद	7552/26.12.14	7382/ 17.12.14	425 मि	540	9,72,000	5,800	31,32,000	31,32,000	4 व 5	1,46,600	10,000	1,56,600	38,900	10,000	48,900	1,07,700
106	सीतापुर	उ0नि0 बिस्वा	8077/15.9.14	2785/2.4.14	55	759	1,50,000	2,700	20,48,625	20,49,000	5	1,02,450	10,000	1,12,450	7,500	1,500	9,000	1,03,450
107	सीतापुर	उ0नि0 बिस्वा	1846/25.2.15	1860/25.2.15	82	916	2,64,000	2,900	26,57,125	26,58,000	4 व 5	1,22,900	10,000	1,32,900	10,560	5,280	15,840	1,17,060
108	सीतापुर	उ0नि0 बिस्वा	6929/2.9.15	1368/11.2.15	1542	4,260	15,31,000	3,200	1,36,32,000	1,36,32,000	5	6,81,600	10,000	6,91,600	52,900	10,000	62,900	6,28,700
109	सीतापुर	उ0नि0 बिस्वा	4047/14.5.15	2785/2.4.14	55	1,518	2,98,000	2,700	40,97,250	40,98,000	4 व 5	1,94,900	10,000	2,04,900	11,920	5,960	17,880	1,87,020
110	सीतापुर	उ0नि0 बिस्वा	6892/1.9.15	1368/11.2.15	1542	490	3,30,000	3,200	15,68,000	15,68,000	5	78,400	10,000	88,400	13,200	6,600	19,800	68,600
111	सीतापुर	उ0नि0 बिस्वा	1331/24.2.16	1368/11.2.15	1542	530	3,96,000	3,200	16,96,000	16,96,000	4 व 5	74,800	10,000	84,800	15,840	7,920	23,760	61,040
112	सीतापुर	उ0नि0 लहरपुर	8547/04.10.14	7915/19.9.14	74	1,235	4,99,000	3,200	39,52,000	39,52,000	5	1,97,600	10,000	2,07,600	25,000	10,000	35,000	1,72,600
113	सीतापुर	उ0नि0 लहरपुर	5215/01.07.14	6658/21.9.13	431	2,040	4,50,000	2,200	44,88,000	44,88,000	5	2,24,400	10,000	2,34,400	22,500	9,000	31,500	2,02,900
114	सीतापुर	उ0नि0 सदर	5295/04.06.15	6117/21.07.14	323	1,630	10,82,000	2,200	35,86,000	35,86,000	4 व 5	1,69,300	10,000	1,79,300	44,200	10,000	54,200	1,25,100
115	सीतापुर	उ0नि0 सदर	6806/16.08.14	5772/14.7.14	571 मि	1,540	4,93,000	2,200	33,88,000	33,88,000	5	1,69,400	10,000	1,79,400	24,700	9,860	34,560	1,44,840
116	सीतापुर	उ0नि0 महमूदाबाद	3241/08.06.15	3116/3.06.15 573/29.01.15	128	2,000	68,00,000	3,400	68,00,000	68,00,000	4 व 5	3,30,000	10,000	3,40,000	22,800	10,000	32,800	3,07,200
117	सीतापुर	उ0नि0 महमूदाबाद	875/12.02.15	3417/2.06.14	417	1,500	51,00,000	3,400	51,00,000	51,00,000	5	2,55,000	10,000	2,65,000	14,650	5,860	20,510	2,44,490
118	वाराणसी	उ0नि0 II सदर	4793/25.06.15	509/27.01.15	563 ग	4,853	77,09,000	7,500	3,63,93,750	3,63,94,000	7	25,47,580	10,000	25,57,580	5,40,000	10,000	5,50,000	20,07,580
119	वाराणसी	उ0नि0 II सदर	2243/29.3.15	9405/ 12.12.14	463 मि क	3,493	85,08,000	4,500	1,57,18,500	1,57,19,000	5	7,85,950	10,000	7,95,950	4,25,400	10,000	4,35,400	3,60,550
120	वाराणसी	उ0नि0 II सदर	394/22.01.15	9425/ 12.12.14	563 गा	1,325	40,03,000	7,500	99,37,500	99,38,000	6 व 7	6,85,660	10,000	6,95,660	2,70,500	10,000	2,80,500	4,15,160
121	वाराणसी	उ0नि0 II सदर	569/28.01.15	9110, 9111/ 03.12.14, 680/03.12.14	680, 681	2,375	51,06,000	7,500	1,78,12,500	1,78,13,000	7	12,46,910	10,000	12,56,910	3,58,000	10,000	3,68,000	8,88,910
122	वाराणसी	उ0नि0 II सदर	3064/29.04.2015	362/21.01.15	657	1,220	38,95,000	7,500	91,50,000	91,50,000	7	6,40,500	10,000	6,50,500	2,73,000	10,000	2,83,000	3,67,500
123	वाराणसी	उ0नि0 II सदर	2202/27.03.2015	2164/26.03.15	966	885	23,62,000	5,000	44,25,000	44,25,000	6 व 7	2,99,750	10,000	3,09,750	1,55,340	10,000	1,65,340	1,44,410
124	वाराणसी	उ0नि0 IVसदर	2614/29.4.15	2467/22.4.15	452	1,870	33,75,000	4,600	86,02,000	86,02,000	6 व 7	5,92,140	10,000	6,02,140	2,26,250	10,000	2,36,250	3,65,890
125	वाराणसी	उ0नि0 IVसदर	3270/27.5.15	7975/2.12.14	378	2,175	17,09,000	2,600	56,55,000	56,55,000	7	3,95,850	10,000	4,05,850	1,20,000	10,000	1,30,000	2,75,850

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
126	वाराणसी	उ0नि0 IVसदर	808/15.02.16	7160/ 31.10.14	711	845	23,05,240	5,819	49,17,055	49,18,000	6 व 7	3,34,260	20,000	3,54,260	1,58,000	20,000	1,78,000	1,76,260
127	वाराणसी	उ0नि0 IVसदर	1083/19.02.15	8395/ 15.12.14	336/1	980	33,60,000	6,800	66,64,000	66,64,000	7	4,66,480	10,000	4,76,480	2,35,200	10,000	2,45,200	2,31,280
128	वाराणसी	उ0नि0 IVसदर	1419/3.3.15	180/16.01.15	3	950	25,20,516	4,600	43,70,000	43,70,000	7	3,05,900	10,000	3,15,900	1,76,500	10,000	1,86,500	1,29,400
129	वाराणसी	उ0नि0 गंगाापुर	855/12.02.15	5056/26.9.14	1728	4,900	89,08,000	5,900	2,89,10,000	2,89,10,000	5	14,45,500	10,000	14,55,500	4,45,500	10,000	4,55,500	10,00,000
130	वाराणसी	उ0नि0 गंगाापुर	4576/25.08.14	3892/1.8.14	1715	4,860	67,92,000	5,200	2,52,72,000	2,52,72,000	5	12,63,600	10,000	12,73,600	2,03,700	10,000	2,13,700	10,59,900
131	वाराणसी	उ0नि0 पिन्डरा	4120/04.09.14	4123/04.9.14	397	5,130	2,39,00,000	6,500	3,33,45,000	3,33,45,000	7	23,34,150	10,000	23,44,150	16,74,000	10,000	16,84,000	6,60,150
132	वाराणसी	उ0नि0 पिन्डरा	2210/06.05.15	2708/28.6.14	14	5,000	69,00,000	6,500	3,25,00,000	3,25,00,000	7	22,75,000	10,000	22,85,000	4,83,000	10,000	4,93,000	17,92,000
133	वाराणसी	उ0नि0 I सदर	1887/20.03.15	1848/18.3.15	494	500	6,11,470	3,400	17,00,000	17,00,000	7	1,19,000	10,000	1,29,000	42,803	10,000	52,803	76,197
134	वाराणसी	उ0नि0 I सदर	3185/03.06.14	2683/08.5.14	183	4,150	26,84,000	2,000	82,99,600	83,00,000	7	5,81,000	10,000	5,91,000	1,88,000	10,000	1,98,000	3,93,000
135	वाराणसी	उ0नि0 I सदर	8398/22.12.14	8311/ 18.12.14	199	1,890	45,32,000	4,600	86,94,000	86,94,000	6 व 7	5,98,580	10,000	6,08,580	3,07,310	10,000	3,17,310	2,91,270
136	वाराणसी	उ0नि0 I सदर	7117/10.11.14	7116/7.11.14	241	1,270	39,96,000	4,600	58,42,000	58,42,000	6 व 7	3,98,940	10,000	4,08,940	2,48,800	10,000	2,58,800	1,50,140
137	वाराणसी	उ0नि0 I सदर	974/11.02.15	938/10.02.15	795	1,250	36,69,000	4,600	57,50,000	57,50,000	6 व 7	3,92,500	10,000	4,02,500	2,46,900	10,000	2,56,900	1,45,600
138	वाराणसी	उ0नि0 I सदर	3072/29.5.14	2683/8.05.14	183	1,335	18,47,000	2,600	34,71,000	34,71,000	7	2,42,970	10,000	2,52,970	1,29,300	10,000	1,39,300	1,13,670
139	वाराणसी	उ0नि0 पिन्डरा	1560/25.03.15	4621/1.10.14	156	727	6,41,000	2,600	18,89,420	18,90,000	6 व 7	1,22,300	10,000	1,32,300	45,000	11,220	56,220	76,080
140	वाराणसी	उ0नि0 पिन्डरा	1912/18.04.15	5051/ 28.10.14	302	500	4,80,000	4,400	22,00,000	22,00,000	6 व 7	1,44,000	10,000	1,54,000	28,800	9,600	38,400	1,15,600
141	बरेली	उ0नि0 II सदर	15202/ 26.11.14	13299/ 7.10.14	1187	2,400	39,60,000	5,500	1,32,00,000	1,32,00,000	7	9,24,000	10,000	9,34,000	2,77,300	10,000	2,87,300	6,46,700
142	बरेली	उ0नि0 II सदर	1554/10.02.15	12763/ 22.9.14	11	2,245	31,44,000	5,000	1,12,25,000	1,12,25,000	6 व 7	7,75,750	10,000	7,85,750	2,10,100	10,000	2,20,100	5,65,650
143	बिजनौर	उ0नि0 नगीना	3505/21.04.15	330/12.1.15	81	1,200	3,00,000	4,100	49,20,000	49,20,000	5	2,46,000	10,000	2,56,000	15,000	6,000	21,000	2,35,000
144	जे0पी0नगर	उ0नि0 अमरोहा	13528/4.08.14	13285/1.8.14	23	3,100	8,68,000	1,100	34,10,000	34,10,000	5	1,70,500	10,000	1,80,500	43,500	10,000	53,500	1,27,000
145	मेरठ	उ0नि0 I सदर	2535/26.03.15	2230/19.3.15 2231/19.3.15	23	836	12,96,000	5,000	41,80,000	41,80,000	6 व 7	2,82,600	10,000	2,92,600	81,000	10,000	91,000	2,01,600
योग (लाख ₹ में)						3.56	4064.79		14,832.02	14,915.16		901.57	14.57	916.13	252.58	13.09	265.67	650.47

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट XXXVIII
भूमि का अवमूल्यांकन
(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.7)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख सं0 व निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा सं0	विक्रीत भूमि (वर्गमी0में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	आगरा	उ0नि0 III सदर	4158 / 09.04.14	930	4,686.00	14,06,000	2,000	93,72,000	93,72,000	7	6,56,040	10,000	6,66,040	88,420	10,000	98,420	5,67,620
2	आगरा	उ0नि0 III सदर	3940 / 22.04.15	72	8,987.50	1,52,78,000	5,200	4,67,35,000	4,67,35,000	7	32,71,450	10,000	32,81,450	10,60,100	10,000	10,70,100	22,11,350
3	आगरा	उ0नि0 III सदर	2551 / 17.03.15	108	2,275.00	38,70,000	5,200	1,18,30,000	1,18,30,000	7	8,28,100	10,000	8,38,100	2,71,000	10,000	2,81,000	5,57,100
4	आगरा	उ0नि0 III सदर	2447 / 13.03.15	108	2,275.00	38,70,000	5,200	1,18,30,000	1,18,30,000	7	8,28,100	10,000	8,38,100	2,71,000	10,000	2,81,000	5,57,100
5	आगरा	उ0नि0 III सदर	3687 / 29.03.14	210	2,310.00	39,27,000	4,600	1,06,26,000	1,06,26,000	7	7,43,820	10,000	7,53,820	2,75,000	10,000	2,85,000	4,68,820
6	आगरा	उ0नि0 III सदर	3682 / 29.03.14	210	2,309.00	39,27,000	4,600	1,06,21,400	1,06,22,000	7	7,43,540	10,000	7,53,540	2,75,000	10,000	2,85,000	4,68,540
7	आगरा	उ0नि0 III सदर	5815 / 26.05.14	517	2,305.00	18,44,000	2,000	46,10,000	46,10,000	7	3,22,700	10,000	3,32,700	1,30,100	10,000	1,40,100	1,92,600
8	आगरा	उ0नि0 III सदर	6239 / 03.06.14	213	2,142.00	7,50,000	1,500	32,13,000	32,13,000	5	1,60,650	10,000	1,70,650	37,500	10,000	47,500	1,23,150
9	आगरा	उ0नि0 III सदर	2925 / 13.3.14	482	1,152.00	16,13,000	5,200	59,90,400	59,91,000	7	4,19,370	10,000	4,29,370	1,13,000	10,000	1,23,000	3,06,370
10	मथुरा	उ0नि0 छाता	6288 / 11.05.15	620	8,022.20	42,08,000	1,540	1,23,54,188	1,23,55,000	7	8,64,850	10,000	8,74,850	2,94,600	10,000	3,04,600	5,70,250
11	मथुरा	उ0नि0 मांट	1391 / 12.02.15	555	1,010.00	11,12,000	6,000	60,60,000	60,60,000	4 व 5	2,93,000	10,000	3,03,000	45,700	10,000	55,700	2,47,300
12	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	9961 / 31.03.14	209	12,510.00	50,47,000	4,100	5,12,91,000	5,12,91,000	5	25,64,550	10,000	25,74,550	2,53,500	10,000	2,63,500	23,11,050
13	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	10905 / 27.11.14	212 मि	3,200.00	8,94,000	1,800	57,60,000	57,60,000	5	2,88,000	10,000	2,98,000	33,600	10,000	43,600	2,54,400
14	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	9053 / 29.09.14	212	1,050.00	2,21,000	1,800	18,90,000	18,90,000	4 व 5	84,500	10,000	94,500	9,000	2,210	11,210	83,290
15	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	9053 / 29.09.14	277	1,035.00	3,11,000	1,200	12,42,000	12,42,000	5	62,100	10,000	72,100	15,600	6,020	21,620	50,480
16	पीलीभीत	उ0नि0 पूरनपुर	9047 / 27.09.14	21 मि	410.00	1,67,000	5,330	21,85,300	21,86,000	5	1,09,300	10,000	1,19,300	8,400	1,670	10,070	1,09,230
योग					**55,678.70**	**4,84,45,000**		**19,56,10,288**	**19,56,13,000**		**1,22,40,070**	**1,60,000**	**1,24,00,070**	**31,81,520**	**1,39,900**	**33,21,420**	**90,78,650**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XXXIX

केबल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 6.5)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	इकाई का नाम	केबल आपरेटर का नाम	कर की अवधि	विलम्ब की अवधि में माह में	मनोरंजन कर प्रति माह	देय मनोरंजन कर	भुगतान किया गया मनोरंजन कर	अवशेष मनोरंजन कर
1	2014–15	जि0म0करका0 हमीरपुर	श्री प्रदीप कुमार खरे नि0 रहुनिया धर्मशाला, हमीरपुर	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2014	55	3,775	2,07,625	1,30,405	77,220
			श्री राजू ओमर नि0 बेतवा घाट हमीरपुर	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2014	55	5,800	3,19,000	1,95,252	1,23,748
			श्री शिव भूषण नि0 मुहाल अमन शईद हमीरपुर	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2014	55	3,475	1,91,125	61,884	1,29,241
			श्री वीरेन्द्र कुमार प्रजापति नि0 रेमानी हमीरपुर	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2014	55	9,625	5,29,375	2,98,550	2,30,825
			श्रीमती अनीता श्रीवास नि0 रेमानी हमीरपुर	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2014	55	5,625	3,09,375	2,90,175	19,200
2	2015–16	जि0म0करका0 वाराणसी	श्री नरेन्द्र प्रजापति, तेलियाना, आदमपुर, वाराणसी	नवम्बर 2015 से फरवरी 2016	4	12,136	48,544	–	48,544
			श्री सुधीर चन्द्र, चन्दुआ,छित्तूपुर, वाराणसी	दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016	3	6,410	19,230	–	19,230
			श्री दिनेश सिंह, आदमपुर, वाराणसी	अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016	5	27,278	1,36,390	–	1,36,390
			श्री राजेश मौर्य, लल्लापुर, वाराणसी	अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 और दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016	7	14,410	1,00,870	–	1,00,870
			श्री रामानुज सिंह, सिगरा, वाराणसी	सितम्बर 2015 से फरवरी 2016	6	19,789	1,18,734	–	1,18,734
			श्रीमती दुर्गावती देवी, लंका, वाराणसी	दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016	3	28,709	86,127	–	86,127
			श्रीमती श्रेया, बैजापुरकर, लंका, वाराणसी	फरवरी 2016	1	17,734	17,734	–	17,734
			श्री पंकज कुमार शर्मा, शिवपुर, वाराणसी	जनवरी 2016 से फरवरी 2016	2	33,816	67,632	–	67,632
			श्री भुवनेश्वर वैश, शिवपुर, वाराणसी	जनवरी 2016 से फरवरी 2016	2	27,352	54,704	–	54,704

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	इकाई का नाम	केबल आपरेटर का नाम	कर की अवधि	विलम्ब की अवधि में माह में	मनोरंजन कर प्रति माह	देय मनोरंजन कर	भुगतान किया गया मनोरंजन कर	अवशेष मनोरंजन कर
			श्री मुकेश मेहरा, लक्सा, वाराणसी	अप्रैल 2015 और फरवरी 2016	2	17,800	35,600	–	35,600
			फिरोज खान, चेतगंज, वाराणसी	नवम्बर 2015 और फरवरी 2016	2	17,416	34,832	–	34,832
3	2015–16	जि0म0करका0 अलीगढ़	श्रीमती राजेश कुमारी	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	3	7,191	21,573	–	21,573
			श्रीमती सुधा सोलंकी	दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016	2	4,976	9,952	–	9,952
			श्रीमती सुधा सोलंकी	दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016	2	3,731	7,462	–	7,462
			श्री सुनील चौहान	दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016	2	8,475	16,950	–	16,950
			श्री अमित कुमार	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	3	10,163	30,489	–	30,489
			श्री अनवर अली	जनवरी 2016	1	2,686	2,686	–	2,686
			फिदा हुसैन	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	3	7,122	21,366	–	21,366
			अबरार अहमद	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	3	3,224	9,672	–	9,672
			धरमवीर सिंह	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	3	11,167	33,501	–	33,501
			पप्पू रोहित	नवम्बर 2015 से जनवरी 2016	3	3,880	11,640	–	11,640
			इम्तियाज अहमद	सितम्बर 2015 से जनवरी 2016	5	8,197	40,985	–	40,985
योग							**24,83,173**	**9,76,266**	**15,06,907**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XL
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 6.11)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0.	इकाई का नाम	वर्ष	एफएल–6/6ए/7/7सी के अनुज्ञापियों की सं0	प्रति एफएल 7–बी देय अनुज्ञापन फीस	अप्राप्त कुल अनुज्ञापन फीस
1	जि0आ0का0 आगरा	2013–14	30	1.60	48.00
2	जि0आ0का0 अलीगढ़	2013–14	2	1.60	3.20
3	जि0आ0का0 इलाहाबाद	2014–15	7	12.32	86.24
4	जि0आ0का0 बरेली	2013–14	11	1.60	17.60
5	जि0आ0का0 बस्ती	2013–14	1	1.10	1.10
6	जि0आ0का0 बिजनौर	2014–15	5	1.21	6.05
		2015–16	5	1.34	6.70
7	जि0आ0का0 बुलन्दशहर	2013–14	1	1.60	1.60
8	जि0आ0का0 चन्दौली	2013–14	1	1.60	1.60
9	जि0आ0का0 देवरिया	2013–14	1	1.10	1.10
10	जि0आ0का0 फिरोजाबाद	2014–15	7	1.21	8.47
		2015–16	7	1.34	9.38
11	जि0आ0का0 जी बी नगर	2013–14	72	1.60	115.20
		2014–15	60	1.76	105.60
12	जि0आ0का0 गाजियाबाद	2013–14	23	1.60	36.80
		2014–15	15	1.76	26.40
13	जि0आ0का0 गोण्डा	2013–14	1	1.10	1.10
14	जि0आ0का0 जालौन	2013–14	1	1.10	1.10
15	जि0आ0का0 कानपुर	2013–14	13	1.60	20.80
16	जि0आ0का0 मथुरा	2013–14	8	1.60	12.80
17	जि0आ0का0 मेरठ	2013–14	16	1.60	25.60
		2014–15	16	1.76	28.16
		2015–16	7	1.94	13.58
18	जि0आ0का0 मिर्जापुर	2013–14	1	1.10	1.10
19	जि0आ0का0 मुरादाबाद	2014–15	6	1.76	10.56
20	जि0आ0का0 रामपुर	2013–14	1	1.10	1.10
		2014–15	2	2.42	4.84
		2015–16	2	1.34	2.68
21	जि0आ0का0 सहारनपुर	2015–16	13	1.94	25.22
22	जि0आ0का0 शाहजहांपुर	2013–14	1	1.60	1.60
23	जि0आ0का0 वाराणसी	2013–14	28	1.60	44.80
योग			**364**		**670.08**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली	
अ0खु0मू0	अधिकतम खुदरा मूल्य
अ0म0नि0	अतिरिक्त महानिरीक्षक (निबंधन)
अ0जि0 (वि0 रा0)	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
असि0कमि0	असिस्टेन्ट कमिश्नर
आ0 एवं वि0अ0	आहरण एवं वितरण अधिकारी
आ0ले0प0	आन्तरिक लेखापरीक्षा
आ0ले0प0शा0	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा
आई0टी0सी0	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आर0आई0टी0सी0	इनपुट टैक्स क्रेडिट का उत्क्रमण
उ0नि0	उप निबन्धक
उ0नि0का0	उप निबन्धक कार्यालय
उ0प्र0शा0	उत्तर प्रदेश शासन
उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि
उ0म0	उप महानिरीक्षक
उ0म0नि0	उप महानिरीक्षक (निबंधन)
उ0जि0अ0	उप जिला अधिकारी
उ0प0आ0	उप परिवहन आयुक्त
उ0प्र0	उत्तर प्रदेश
उ0प्र0 मो0या0क0 नियमावली	उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998
उ0प्र0 रा0स0प0नि0	उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम	उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997
उ0प्र0मू0सं0क0	उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर
उ0प्र0श0वि0यो0 अधिनियम	उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973
उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली	उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963
उ0प्र0व्या0क0	उत्तर प्रदेश व्यापार कर
उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0अ0	उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950
उप खनिज	उप खनिज का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी, मामूली मृदा एवं मामूली बालू से है।
एमओइएफ	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एम0एम0–11 प्रपत्र	खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास।
एम0एम0डी0आर0 अधिनियम	खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
एम0एफ0–4	चीनी मिल से आसवनी को भेजे जाने वाले शीरे के परिवहन हेतु गेट पास का प्रपत्र।
एस0वी0ओ0पी	उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997
एफ0ओ0आर0	फ्री ऑन रेल
औ0वि0पु0बो0	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
ओ0टी0एस0एस0	एक मुश्त समाधान योजना
क0नि0प्रा0	कर निर्धारण प्राधिकारी
क0वा0क0	कमिश्नर वाणिज्य कर

शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली	
कराधान अधिकारी	उ0प्र0 मो0या0क0 नियम, 1998 के अधीन अपने सम्भाग अथवा उप सम्भाग के स्थानीय क्षेत्र सं0प0आ0 एवं स0सं0प0आ0, कराधान अधिकारी के रूप में परिभाषित है।
का0आ0	कार्यवाही आख्या
के0मो0या0नि0	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
के0मो0या0अ0	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988
के0बि0क0	केन्द्रीय बिक्री कर
के0प0प्र0प0	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र
के0अ0अ0अ0	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
ख0प0नि0	खनिज परिहार नियमावली, 1960
खनन पट्टा	खनन पट्टा का तात्पर्य खनन संक्रिया के लिए दिये जाने वाले पट्टे से है जिसमें ऐसे कार्य के लिए दिया गया उप पट्टा भी सम्मिलित होता है।
खनन अनुज्ञा पत्र	खनन अनुज्ञा–पत्र का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिए दिया गया होता है।
चौहद्दी	प्रश्नगत भूमि के सीमा में स्थित सम्पत्ति
ज0प0का0	जनपदीय परिवहन कार्यालयों
जी–12	व्यवस्थित दुकानों का विवरण
जी–6	आबकारी कार्यालयों द्वारा रखा जाने वाला ऐसा रजिस्टर, जिसमें आबकारी विभाग की समस्त प्राप्तियों का इन्द्राज होता है।
ज्वा0कमि0	ज्वाइन्ट कमिश्नर
ज्वा0कमि0 (का0स0)	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल)
जे0एन0एन0यू0आर0एम0	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
जि0खा0अ0	जिला खान अधिकारी
जि0म0क0अ0	जिला मनोरंजन कर अधिकारी
जि0अ0	जिलाधिकारी
जि0आ0अ0	जिला आबकारी अधिकारी
टिन	टैक्सपेयर आईडेन्टिफिकेशन नम्बर
टी0डी0एस0	स्रोत पर कर की कटौती
डि0कमि0	डिप्टी कमिश्नर
देशी मदिरा	देशी मदिरा का तात्पर्य सादी अथवा मसालेदार मदिरा से है जिसका निर्माण भारत में हुआ हो तथा जो कि महुआ, चावल गुड़ अथवा शीरा से बने अल्कोहल से बना हो।
न्यू0प्र0मा0	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
नि0प्र0	निरीक्षण प्रतिवेदन
नि0ले0प0	निष्पादन लेखापरीक्षा
प0आ0	परिवहन आयुक्त
पं0प्र0प0	पंजीयन प्रमाण पत्र
प्रपत्र–सी	उप खनिज भण्डारण के अनुज्ञापी द्वारा परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास।

शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली	
प्रा0सं0के0	प्राधिकृत संग्रह केन्द्र
प्र0नि0प्र0	प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र
पूँजीगत माल	पूँजीगत माल का तात्पर्य व्यापारी द्वारा विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी संयत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्कर, यंत्र, औजार, साधन या विद्युत व्यवस्थापन से है।
ब0अ0	बजट अनुमान
बे0ला0फी0	बेसिक लाइसेन्स फीस
बै0गा0	बैंक गारण्टी
भा0नि0वि0म0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा से तात्पर्य ऐसी मदिरा से है जो कि भारत में बनी हो तथा रंग मिश्रण अथवा परिष्कृत करने के पश्चात् रंग अथवा रंजक में भारत में आयातित मदिरा से मिलती हो।
भा0नि0 अधिनियम	भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908
भा0स्टा0 अधिनियम	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899
भूमिधर	ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी फ्रीहोल्ड भूमि हो तथा उसको अन्तरित करने का पूरा अधिकार हो।
म0नि0नि0	महानिरीक्षक (निबन्धन)
माँ0सं0 एवं अ0	माँग संग्रह एवं अवशेष
मो0या0अ0	मोटर यान अधिनियम, 1988
मो0या0 नियमावली	मोटर यान नियमावली, 1988
राप्रनिबो	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रा0वि0क0	राज्य विकास कर
रा0सू0के0	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
रा0व0	राजस्व वसूली
रा0व0प्र0प0	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र
ल0र0भा0	लदान रहित भार
लो0ले0स0	लोक लेखा समिति
ले0प0प्र0	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
व्या0क0	व्यापार कर
व0प्र0प0	वसूली प्रमाण पत्र
वा0क0अ0	वाणिज्य कर अधिकारी
वाहन साफ्टवेयर	पंजीयन प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कर आदि के विवरणों के रखे जाने हेतु प्रकल्पित वाहन सॉफ्टवेयर
वि0म0	विदेशी मदिरा
वि0आ0जो0	विशेष आर्थिक जोन
शा0आ0	शासकीय आदेश
शा0स0	शासकीय समापक
स0या0भा0	सकल यान भार
स0म0नि0	सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)
स0सं0प0अ0	सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारी
सं0प्रा0आ0	संयुक्त प्रान्त आबकारी
सं0प0अ0	संम्भागीय परिवहन अधिकारियों
सं0सं0क0	संकर्म संविदा कर
सहा0आ0स्टा0	सहायक आयुक्त स्टाम्प

शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली	
सॉ0वि0अ0	सॉफ्टवेयर विकास अनुबन्ध
सॉ0अ0वि0	सॉफ्टवेयर अपेक्षित विशिष्टियाँ
स्टॉ0हो0का0इ0लि0	स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0
सू0प्रौ0	सूचना प्रौद्योगिकी